Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त भाग-1

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 4

- भारत- उज़्बेकिस्तान संबंध 4
- भारत और उसके पड़ोसी 5
- अमेरिका-चीन तनाव 8
- भारत मालदीव संबंध 9
- दुर्लभ खनिज गठबंधन 11
- भारत-मॉरीशस संयुक्त व्यापार समिति 12
- ट्यूनीशिया में पावर ग्रैब 14
- ईरान परमाणु समझौता वार्ता 16
- इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच युद्धविराम 17
- एलएसी के पास हवाई क्षेत्र का उल्लंघन 18
- भारत-यूके संबंध 21

जैवविविधता और पर्यावरण 23

- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 23
- भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर 25
- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 27
- सशक्त जलवायु लक्ष्य 2030 29
- भारत और सतत् विकास लक्ष्य 31
- ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्ति की बहाली 32
- जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 34
- टाइगर रेंज देशों का पूर्व शिखर सम्मेलन 35
- कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी 36
- भारत में रामसर स्थल 38

भारतीय अर्थव्यवस्था 40

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 40
- भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी 41
- भारत का अद्वितीय रोज़गार संकट 43
- खाद्य मुद्रास्फीति 46
- विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 48
- मौद्रिक नीति समीक्षा: RBI 49
- RBI के सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था 52
- इथेनॉल संयंत्र 54
- डिजिटल मुद्रा 55

भारतीय इतिहास 59

- भारत छोड़ो आंदोलन 59

भारतीय राजनीति 61

- राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा 61
- आंतरिक - पार्टी लोकतंत्र 61
- संसद सदस्यों के विशेषाधिकार 63

भूगोल 65

- केरल में बाढ़ की स्थिति 66
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 67

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 69

- जीन थेरेपी की प्रभावकारित 69

नोट :

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 70
- लक्षद्वीप में समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र 71
- भारत का सौर ऊर्जा लक्ष्य 73
- बूस्टर डोज़: कॉर्बेवैक्स 74

शासन व्यवस्था 76

- चुनावी बॉण्ड 76
- प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA) 77
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग 78
- टोबैको एंडगेम 80
- ABDM के साथ स्वास्थ्य अनुप्रयोगों का एकीकरण 81
- सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 83
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 84
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की वापसी 86
- आदर्श किरायेदारी अधिनियम 87
- भारत में दूरसंचार नियंत्रण 88
- बच्चे का उपनाम तय करने का माँ का अधिकार 89
- भारतीय चिकित्सा हेतु औषधकोश आयोग 91
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 92
- एनआरसी लागू करेगा मणिपुर 93
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 94
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 95

सामाजिक न्याय 99

- शिक्षा में डिजिटल अंतराल 99
- खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता: CARE 100
- पेसा अधिनियम 101
- विश्व आदिवासी दिवस 103
- स्माइल-75 पहल 104
- युवाओं हेतु वैश्विक रोज़गार रुझान: ILO 104

प्रिलिम्स फैक्ट्स 107

- लोकटक झील 107
- अल्फाफोल्ड और प्रोटीन 108
- सैन्य-अभ्यास अल नजाह 109
- अभ्यास पिच ब्लैक 110
- अभ्यास 'एक्स विनबैक्स' 2022 110
- ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 110
- उद्यम पोर्टल 112
- टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम) 112
- केंद्रीय सतर्कता आयोग 114
- डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) में आत्मनिर्भर 115
- रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि 115
- लॉन बॉल स्पोर्ट 117
- पाइरीन उपचार के लिये कवक 118
- लोकसभा में नए विधेयक 119
- तेजस विमानों की डिलीवरी 119
- मृदा मानचित्रण 120
- रेत कणों का आकार और इसकी द्रवीकरण क्षमता 121
- जाली नोटों में गिरावट 122
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) 123
- विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) उत्सर्जन 124
- गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 125
- पेनिनसुलर रॉक 'अगम' 126
- न्यू स्टार्ट संधि 127
- वर्ल्ड लॉयन डे, 2022 127
- बटरफ्लाई माइन 128
- लैंग्या वायरस 129

रैपिड फायर 130

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत- उज़्बेकिस्तान संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत-उज़्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग के 13वें सत्र में भाग लिया।

- इसके अलावा,उन्होंने भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों को एकीकृत विस्तारित पड़ोस संबंधी भारत के दृष्टिकोण के लिये काफी महत्त्वपूर्ण बताया।
  - आईजीसी की बैठक विशेष तौर पर व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार एवं चर्चा करने के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है।

सत्र के मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान समाधान और स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों में संबंधों को आगे ले जाने की आवश्यकता है।
- उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क एवं सहयोग के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।
- उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के सात उभरते क्षेत्रों जैसे- डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष सहयोग, कृषि एवं डेयरी, फार्मा, रत्न एवं आभूषण, एमएसएमई और अंतर क्षेत्रीय सहयोग को रेखांकित किया।

भारत- उज़्बेकिस्तान संबंध:

- **परिचय:**
  - भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है।
  - उज़्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद भारत इसकी राज्य संप्रभुता को स्वीकार करने वाले पहले देशों में से एक था।
  - भारत और उज़्बेकिस्तान ने राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत किया है, साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा मिला है।
- **पहल:**
  - **रक्षा सहयोग:**
    - दोनों पक्षों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास "दस्तिलक 2019" (Dustlik 2019) के आयोजन का स्वागत किया।
    - भारत ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान की सशस्त्र सेना अकादमी में एक इंडिया रूम स्थापित करने में भी सहायता की है।
  - **सुरक्षा सहयोग:**
    - भारत और उज़्बेकिस्तान आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, अवैध तस्करी आदि सहित कई सुरक्षा मुद्दों पर आम दृष्टिकोण साझा करते हैं।
    - इस क्षेत्र में जुड़ाव का मुख्य केंद्रबिंदु उज़्बेक सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।
  - **व्यापार:**
    - यह वर्ष 2019-20 में 247 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 34.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 38.5% की वृद्धि है।
  - **निवेश:**
    - भारतीय कंपनियों द्वारा भारतीय निवेश में फार्मास्यूटिकल्स, मनोरंजन पार्क, ऑटोमोबाइल घटकों और आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र में निवेश शामिल हैं।
    - एमिटी यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी ने क्रमश: ताशकंद और अंदिजान में कैंपस खोले हैं।
    - आईक्रिएट जैसे भारतीय संस्थान उज़्बेकिस्तान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उद्यमियों को इनक्यूबेटर स्थापित करने में प्रशिक्षण देने के लिये उज़्बेक समकक्षों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

नोट :

- **पर्यटन:**
  - उज़्बेक सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिये ई-वीज़ा सुविधा का विस्तार किया है।
  - उज़्बेकिस्तान भी चिकित्सा पर्यटन के महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है, जिसमें लगभग 8,000 उज़्बेक प्रतिवर्ष भारत में चिकित्सा उपचार हेतु भारत आतें हैं।
- **सौर ऊर्जा:**
  - उज़्बेकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है।
  - प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भारतीय भागीदारी में रुचि दिखाई है।

- **द्विपक्षीय तंत्र:**
  - राष्ट्रीय समन्वय समितियाँ: भारत और उज़्बेकिस्तान ने परस्पर सहमत परियोजनाओं एवं पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये राष्ट्रीय समन्वय समितियों का गठन किया है।
- **बहुपक्षीय पहल:**
  - भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद: ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, मोटर वाहन, कृषि-प्रसंस्करण, शिक्षा और शहरी बुनियादी ढाँचे, परिवहन, नागरिक उड्डयन, आईटी तथा पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यापार एवं निवेश साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिये सभी पाँच मध्य एशियाई देशों की व्यापार परिषदों को एक साथ लाया गया।
  - भारत-मध्य एशिया वार्ता: यह राजनीति, अर्थशास्त्र, डिजिटलीकरण एवं सांस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में भारत तथा मध्य एशिया के देशों के बीच संबंधों को और मज़बूत करने में सक्षम बनाता है।

भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों को लेकर चुनौतियाँ:

- दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार और वाणिज्य की मात्रा अत्यंत कम है।
- कनेक्टिविटी की कमी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान एक भू-आबद्ध देश है और हवाई संपर्क ढाँचा तुलनात्मक रूप से विकसित नहीं है।
- चीन ने उज़्बेकिस्तान समेत सभी मध्य एशियाई देशों को बेल्ट एंड रोड पहल के साथ शामिल कर लिया है।

आगे की राह

- भारतीय कंपनियाँ उज़्बेकिस्तान के साथ विभिन्न व्यापार समझौतों का लाभ उठा सकती हैं और दोनों देशों की आर्थिक एवं व्यापार क्षमता का दोहन करने के लिये क्षेत्र में संयुक्त लाभकारी निवेश परियोजनाओं को लागू कर सकती हैं।
- दोनों देशों के मध्य परस्पर तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है।
- उज़्बेकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) में शामिल होना चाहिये।
- INSTC के सदस्य के रूप में ईरान और भारत दोनों के साथ उज़्बेकिस्तान के जुड़ने से व्यापार विशेष रूप से कनेक्टिविटी उचित दिशा में आगे बढ़ेंगी।

भारत और उसके पड़ोसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और मालदीव की 'इंडिया फर्स्ट' नीति विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए एक-दूसरे की पूरक है।

भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति:

- **परिचय:**
  - अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
    - भारत एक सक्रिय विकास भागीदार है और इन देशों में कई परियोजनाओं में शामिल है।
  - भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति स्थिरता और समृद्धि के लिये पारस्परिक रूप से लाभप्रद, जन-उन्मुख, क्षेत्रीय ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है।
  - इन देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है, जो अधिक-से-अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढाँचे, विभिन्न क्षेत्रों में मज़बूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक जन-समूह संपर्क जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:**
  - **कनेक्टिविटी:**
    - भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - ये समझौते सीमा पार संसाधनों, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं।
  - **पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार:**
    - पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि विकास के एजेंडे को साकार करने के लिये दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग आवश्यक है।

- **वार्ता:**
  - यह पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित कर और वार्ताओं के माध्यम से राजनीतिक संपर्क का निर्माण करके क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - यह पड़ोसियों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - भारत ने इस क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से SAARC सम्मेलनों में भाग लिया तथा इसके सदस्य देशों की ढाँचागत परियोजनाओं में निवेश किया है।
  - उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA),जल शक्ति प्रबंधन और इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी में भारत की भागीदारी को देखा जा सकता है।
- **आपदा प्रबंधन:**
  - यह नीति आपदा प्रतिक्रिया, संसाधन प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और संचार पर सहयोग करने तथा सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों के लिये आपदा प्रबंधन में क्षमताओं और विशेषज्ञता पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **सैन्य और रक्षा सहयोग:**
  - भारत विभिन्न रक्षा अभ्यासों के आयोजन में भाग लेकर सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध:

- **भारत-मालदीव:**
  - **सुरक्षा साझेदारी:**
    - हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया था।.
  - **पुनर्सुधार केंद्र:**
    - 'अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट' (Addu Reclamation and Shore Protection Project) हेतु 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
    - अड्डू में एक 'ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर' (Drug Detoxification And Rehabilitation Centre) का निर्माण भारत की मदद से किया गया है।
    - यह सेंटर/केंद्र स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्यपालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।
  - **आर्थिक सहयोग:**
    - पर्यटन, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और कई भारतीय वहाँ रोज़गार के लिये जाते हैं।
    - अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी, 'एफकॉन' (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजना- ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
- **भारत - भूटान:**
  - **भारत-भूटान शांति और मित्रता संधि, 1949:**
    - यह संधि अन्य बातों के अलावा स्थायी शांति तथा मित्रता, मुक्त व्यापार तथा वाणिज्य और एक-दूसरे के नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने पर ज़ोर देती है।
    - इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया, जिसमें भारत द्वारा भूटान को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करने के लिये प्रेरित किया गया।
  - **जलविद्युत सहयोग:**
    - यह वर्ष 2006 के जलविद्युत सहयोग समझौते के अंतर्गत आता है।
    - इस समझौते के एक प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2020 तक भूटान को न्यूनतम 10,000 मेगावाट जलविद्युत के विकास एवं उसी से अधिशेष बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है।
  - **आर्थिक सहायता:**
    - भारत, भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार देश है।
    - वर्ष 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) के शुभारंभ के बाद से भारत, भूटान की FYPs के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
    - भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2018-23) के लिये 4500 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।
- **भारत - नेपाल:**
  - **उच्च स्तरीय दौरा:**
    - हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया , जहाँ उन्होंने भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध विहार की नेपाली प्रधानमंत्री के साथ आधारशिला रखी।

नोट :

- **वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि:**
  - संधि दोनों देशों में निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाज़ाही के लिये भारतीय और नेपाली नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बात करती है।
  - यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिये राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है (अर्थात्- एक बार आयात किये जाने के बाद विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामानों से अलग नहीं माना जाएगा)।
- **जल विद्युत परियोजनाएँ:**
  - दोनों देशों ने 490.2 मेगावाट के अरुण-4 जलविद्युत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिये सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
  - नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिये भी आमंत्रित किया।

- **भारत - श्रीलंका:**
  - **हाइब्रिड पावर:**
    - भारत और श्रीलंका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसने भारत को जाफना के तीन द्वीपों (नैनातिवु, डेल्फ़्ट या नेदुन्थीवु, और एनालाइटिवू) में हाइब्रिड विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की सुविधा प्रदान की।
  - **समुद्री बचाव समन्वय केंद्र:**
    - भारत और श्रीलंका एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं, जो पड़ोसियों के बीच अधिक रक्षा क्षेत्र सहयोग का संकेत देता है।
  - **'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क'**
    - भारत ने श्रीलंका को 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क' को लागू करने के लिये अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो मुख्य तौर पर 'आधार कार्ड' प्रणाली पर आधारित है।
    - 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क' भारत की 'आधार' प्रणाली के समान है और इसके तहत श्रीलंका निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:
    - बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण।
    - डिजिटल उपकरण, जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान करते हों।
    - 'व्यक्तिगत पहचान' प्रणाली, जिसे दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल एवं भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समक्ष चुनौतियाँ :

- **चीन का बढ़ता दबाव:**
  - यह एक सार्थक कदम उठा पाने में विफल रहा तथा बढ़ते चीनी दबाव ने देश को इस क्षेत्र में सहयोगी बनने से रोक दिया है।
    - समुद्री मोर्चे पर चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
- **घरेलू मामलों में हस्तक्षेप:**
  - भारत पड़ोसी देशों खासकर नेपाल के घरेलू मामलों में उनकी संप्रभुता के उल्लंघन में दखल दे रहा है।
    - भारत नेपाल के भीतर और बाहर मुक्त पारगमन और मुक्त व्यापार में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा लोगों और सरकार पर दबाव बनाता रहता है।
- **भारत की घरेलू राजनीति का प्रभाव:**
  - भारत की घरेलू नीतियाँ मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश में समस्याएँ पैदा कर रही हैं, यह दर्शाती है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति बांग्लादेश जैसे मित्र क्षेत्रों में भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
- **पश्चिमी देशों की ओर भारत के झुकाव का प्रभाव:**
  - भारत विशेष रूप से क्वाड और अन्य बहुपक्षीय और लघु-पार्श्व पहलों के माध्यम से पश्चिम के करीब आता है।
    - लेकिन पश्चिम के साथ श्रीलंका के संबंध अच्छी दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि देश की वर्तमान सरकार को मानवाधिकारों के मुद्दों और स्वतंत्रता पर पश्चिमी राजधानियों/देशों से बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- भारत की पड़ोस नीति गुजराल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के कद और ताकत को उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास संभव हो पाता है।
- भारत की क्षेत्रीय आर्थिक और विदेश नीति को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
  - इसलिये भारत को छोटे आर्थिक हितों के लिये पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से समझौता करने का विरोध करना चाहिये।

नोट :

- क्षेत्रीय संपर्क को अधिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये जबकि सुरक्षा चिंताओं को लागत प्रभावी, कुशल और विश्वसनीय तकनीकी उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाता है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उपयोग में हैं।

अमेरिका-चीन तनाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने ताइवान का दौरा किया, जो वर्ष 1997 के बाद से द्वीप पर जाने वाली सर्वोच्च स्तर अमेरिकी अधिकारी हैं।।

- इस यात्रा ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा दिया है।

ताइवान-चीन मुद्दा:

- **परिचय:**
  - ताइवान दक्षिण-पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किमी. दूर एक द्वीप है, जो फूज़ौ, क्वानझोउ और ज़ियामेन के चीनी शहरों के सामने है।
- **इतिहास:**
  - यह शाही राजवंश द्वारा प्रशासित था, लेकिन इसका नियंत्रण वर्ष 1895 में जापानियों को दे दिया गया था।
    - द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद यह द्वीप वापस चीनी हाथों में चला गया।
  - माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों द्वारा मुख्य भूमि चीन में गृह युद्ध जीतने के बाद राष्ट्रवादी कुओमिन्तांग पार्टी के नेता च्यांग काई-शेक वर्ष 1949 में ताइवान भाग गए।
    - च्यांग काई-शेक ने द्वीप पर चीन गणराज्य की सरकार की स्थापना की और वर्ष 1975 तक राष्ट्रपति बने रहे।
  - गृहयुद्ध में चीन और ताइवान के विभाजन के बाद चीन गणराज्य की (ROC) सरकार को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरी ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) ने मुख्य भूमि में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की।
    - तब से, PRC ताइवान को देशद्रोही प्रांत के रूप में देखता है और यदि संभव हो तो शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान के साथ पुन: एकीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है।
- वर्तमान स्थिति:
  - चीन ने यह तर्क देते हुए कि ताइवान हमेशा एक चीनी प्रांत रहा है, कभी भी इसके अस्तित्व को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी है।
    - लेकिन चीन और ताइवान के बीच आर्थिक संबंध रहे हैं।
    - ताइवान के कई प्रवासी चीन में काम करते हैं और चीन ने ताइवान में निवेश किया है।

ताइवान के प्रति अमेरीकी नीति:

- **परिचय:**
  - इसने 1970 के दशक से 'वन चाइना' नीति को जारी रखा है, जिसके तहत यह ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में देखता है।
    - 'वन चाइना' नीति का अर्थ है कि जो राष्ट्र चीन के जनवादी गणराज्य (PRC) के साथ राजनयिक संबंध रखना चाहते हैं, उन्हें चीन गणराज्य (ROC) के साथ संबंध तोड़ते हुए चीन के रूप में PRC को नहीं बल्कि ROC को चीन के रूप में मान्यता देनी होगी।
    - इस नीति के अंतर्गत मुख्य भूमि चीन में कम्युनिस्ट सरकार वैध प्रतिनिधि थी और ताइवान इसका एक अलग हिस्सा था।
    - लेकिन ताइवान के साथ भी उसके अनौपचारिक संबंध हैं।
    - लेकिन ताइवान के साथ इसके अनौपचारिक संबंध भी हैं तथा सैन्य-उपकरण और खुफिया जानकारी प्रदान करके द्वीप को बाहरी आक्रमण से बचाने के क्रम में यह ताइवान की सहायता करता है।
- **यात्रा से संबंधित चीन की चिंताएँ:**
  - जैसा कि चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, उसने दावा किया कि यह यात्रा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर रूप से कमज़ोर करेगी।
    - यह चीन-अमेरिका संबंधों की नींव को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और ताइवान के स्वतंत्रता बलों को गंभीर रूप से गलत संकेत भेजती है।
    - चीन के अनुसार, ताइवान में एक वरिष्ठ अमेरिकी व्यक्ति की उपस्थिति ताइवान की स्वतंत्रता के लिये अमेरिकी समर्थन का संकेत देगी।

नोट :

ताइवान के प्रति भारतीय नीति:

- भारत भी एक चीन नीति का पालन करता है और ताइवान के साथ उसके औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। लेकिन राजनयिक कार्यों के लिये ताइपे (Taipei) में इसका एक कार्यालय है।
  - भारत-ताइपे एसोसिएशन (ITA) का नेतृत्व एक वरिष्ठ राजनयिक करते हैं।
  - जबकि ताइवान का नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (TECC) है।
- भारत-ताइवान के संबंध मूल रूप से व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित थे।
- हाल के दिनों में गलवान में चीन की जुबानी जंग के बाद भारत ने ताइवान के साथ अपने रिश्ते और मज़बूत कर लिये हैं।
  - भारत सरकार ने ताइपे में अपना दूत बनाने के लिये राजनयिक (Diplomat) को चुना था।
  - साथ ही सत्ताधारी पार्टी के दो सांसद ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल मोड के जरिये शामिल हुए।

ताइवान का महत्त्व:

- अर्द्धचालक एक ऐसा महत्त्वपूर्ण घटक हैं जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन से लेकर कारों में ब्रेक सेंसर तक इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देने हेतु उपयोगी है।
  - चिप्स के उत्पादन में फर्मों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है जो उन्हें डिज़ाइन करते या बनाते हैं, साथ ही वे जो प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करते हैं।
- अधिकांश अर्द्धचालक ताइवान में उत्पादित होते हैं और यह अर्धचालक निर्माण की आउटसोर्सिंग पर हावी है।
- इसके अलावा इसके अनुबंध निर्माताओं ने पिछले वर्ष कुल वैश्विक अर्द्धचालक राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा प्राप्त किया।

आगे की राह

- यह भारत के लिये अपनी एक चीन नीति पर पुनर्विचार करने और मुख्य भूमि चीन के साथ अपने संबंधों को ताइवान से अलग करने का समय है।
- साथ ही, ताइवान के साथ अपनी सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को उसी तरह से आगे बढ़ाएं जैसे चीन अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के माध्यम से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अपनी भागीदारी का विस्तार कर रहा है।

भारत मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

- प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शांति तथा स्थिरता के लिये रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भारत एवं मालदीव के बीच समन्वय महत्त्वपूर्ण है।

द्विपक्षीय वार्ता:

- **सुरक्षा:**
  - हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत मालदीव सुरक्षा बल को 24 वाहन एवं एक नौसैनिक नाव उपलब्ध कराएगा, साथ ही द्वीपीय राष्ट्र के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने में मदद करेगा।
  - भारत मालदीव के 61 द्वीपों में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेगा।
- **माले कनेक्टिविटी परियोजना:**
  - दोनों नेताओं ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के का भी स्वागत किया।
    - दोनों नेताओं ने भारत से प्राप्त अनुदान और रियायती ऋण सहायता के तहत बनाए जा रहे 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वर्चुअल आधारशिला समारोह में भाग लिया।
- **समझौते:**
  - मालदीव के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिये दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये, जिनमें शामिल हैं:
    - साइबर सुरक्षा

नोट :

- क्षमता निर्माण
- आवास
- आपदा प्रबंधन
- आधारभूत संरचना का विकास
- भारत ने द्वीपीय राष्ट्र को कुछ आधारिक संरचना परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करने के लिये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता की घोषणा की।

भारत-मालदीव संबंध :

- **सुरक्षा सहयोग:**
  - हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री द्वारा मालदीव की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एन्फोर्समेंट (National College for Policing and Law Enforcement- NCPLE) का उद्घाटन किया गया।
- **पुनर्वास केंद्र:**
  - अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट (Addu Reclamation and Shore Protection Project) हेतु 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - अड्डू में एक 'ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर' (Drug Detoxification And Rehabilitation Centre) का निर्माण भारत की मदद से किया गया है।
    - यह सेंटर स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्यपालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - पर्यटन, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और बहुत से भारतीय वहाँ रोज़गार के लिये जाते हैं।
  - अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी, 'एफकॉन' (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजना- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
  - भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    - महामारी संबंधी चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2021 में, द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 31% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत-मालदीव संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ:

- **राजनैतिक अस्थिरता:**
  - भारत की प्रमुख चिंता इसकी सुरक्षा और विकास पर पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव रहा है।
  - फरवरी 2015 में मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद की आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तारी और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट ने भारत की पड़ोस नीति के समक्ष एक वास्तविक कूटनीतिक परीक्षा जैसी स्थिति उत्पन्न की है।
- **कट्टरता:**
  - पिछले एक दशक में, इस्लामिक स्टेट (IS) और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों का मालदीव में प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है।
    - यह पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों द्वारा भारत और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी हमलों के लिये लॉन्च पैड के रूप में मालदीव के द्वीपों का उपयोग करने की आशंका को जन्म देता है।
- **चीनी पक्ष:**
  - हाल के वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में चीन के सामरिक दखल में वृद्धि देखने को मिली है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है।
  - चीन-भारत संबंधों की अनिश्चितता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चिंता का विषय है।
  - इसके अलावा मालदीव ने भारत के साथ समझौते के लिये 'चाइना कार्ड' का उपयोग शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- यद्यपि भारत मालदीव का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है, किंतु भारत को अपनी स्थिति पर संतुष्ट नहीं होना चाहिये और मालदीव के विकास के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिये।
- दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत को इंडो-पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।
  - इंडो-पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र को भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों (विशेषकर चीन की) की वृद्धि प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।
- वर्तमान में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा समर्थन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

नोट :

- यदि 'इंडिया आउट' के समर्थकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सावधानी से हल नहीं किया जाता है और भारत, मालदीव के लोगों को द्वीप राष्ट्र पर परियोजनाओं के पीछे अपने इरादों के बारे में प्रभावी ढंग से नहीं समझाता है, तो यह अभियान मालदीव में घरेलू राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है।

दुर्लभ खनिज गठबंधन

चर्चा में क्यों ?

खनिज सुरक्षा साझेदारी में स्थान न मिलने के कारण भारत सरकार की चिंता बढ़ी है।

- खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिये एक नई महत्त्वाकांक्षी US -नेतृत्व वाली साझेदारी है।
- दुर्लभ खनिजों की मांग, जो स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक हैं, का आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है।

दुर्लभ खनिज

- **परिचय:**
  - दुर्लभ खनिज ऐसे तत्त्व हैं जो आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद हैं और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है।
  - इन खनिजों का उपयोग अब मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल एवं पवन टरबाइन बनाने में किया जाता है।
- **प्रमुख दुर्लभ खनिज:**
  - EV बैटरी बनाने के लिये ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है।
  - एयरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी कई ऐसे खनिजों पर निर्भर हैं, जिनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
  - एयरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी कई ऐसे खनिजों पर निर्भर हैं, जिनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट और अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
  - जबकि कोबाल्ट, निकेल और लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिये आवश्यक हैं, अर्द्धचालक और हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में दुर्लभ हैं।
- **महत्त्व:**
  - जैसे-जैसे दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, ये दुर्लभ संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो इस परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
  - इनमें से किसी की भी आपूर्ति में कमी दुर्लभ खनिजों की खरीद के लिये दूसरे देशों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से संकट में डाल सकती है।

खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP):

- **परिचय:**
  - यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने की पहल है।
- **भागीदार:**
  - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग।
- **उद्देश्य:**
  - MSP का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरह से किया जाए कि देशों के उनके भूवैज्ञानिक प्रबंधन के पूर्ण आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त कर सके।
  - कोबाल्ट, निकेल, लिथियम जैसे खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं और 17 "दुर्लभ पृथ्वी" के खनिजों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- **महत्त्व:**
  - MSP उच्चतम पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानकों का पालन करने वाली पूर्ण मूल्य श्रृंखला में रणनीतिक अवसरों के लिये सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा।

MSP से बाहर होना भारत हेतु चिंता का विषय:

- **महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति:**
  - भारत की विकास रणनीति के प्रमुख तत्त्वों में से एक सार्वजनिक और निजी परिवहन के बड़े हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के माध्यम से गतिशीलता के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी बदलाव द्वारा संचालित है।
    - यह मज़बूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पहल के साथ महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **अन्य देशों पर निर्भरता:**
  - पृथ्वी पर सत्रह दुर्लभ तत्त्व हैं और इन्हें हल्के RE तत्त्वों (LREE) और भारी RE तत्त्वों (HREE) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नोट :

- कुछ RE भारत में उपलब्ध हैं, जैसे- लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमियम, प्रेज़ोडियम और समैरियम, जबकि अन्य जैसे कि डिस्प्रोसियम, टेरबियम, यूरोपियम जिन्हें HREE के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की निकालने योग्य मात्रा में भारत में उपलब्ध नहीं हैं।
- भारत को ऐसे तत्त्वों के लिये आपूर्ति समर्थन की आवश्यकता होगी।

- **प्रौद्योगिकी स्थिति:**
  - उद्योग पर नज़र रखने वालों का कहना है कि भारत को समूह में जगह नहीं मिलने का एक कारण यह है कि देश इस क्षेत्र पर ज़्यादा सशक्त नहीं है।
    - समूह में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के पास भंडार हैं और उन्हें निकालने की तकनीक भी है तथा जापान जैसे देशों के पास उन्हें संसाधित करने की तकनीक है।

दुर्लभ खनिजों से संबंधित भारत के प्रयास:

- **लिथियम समझौता:**
  - वर्ष 2021 के मध्य में भारत ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' के माध्यम से अर्जेंटीना, जहाँ विश्व में धातु का तीसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, में संयुक्त रूप से लिथियम की खोज करने के लिये अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी**
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ खनिजों के लिये परियोजनाओं एवं आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मज़बूत करने का निर्णय लिया।
  - ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों, सौर पैनलों, बैटरी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मदद करने के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद के लिये संसाधन मौजूद हैं।

भारत-मॉरीशस संयुक्त व्यापार समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत ने "भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA)" के तहत "भारत-मॉरीशस उच्च-शक्ति वाली संयुक्त व्यापार समिति" के पहले सत्र की मेज़बानी की।

सत्र के परिणाम:

- **व्यापार:**
  - भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में बढ़कर 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2019-20 में 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
    - दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिये द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा विशेष रूप से CECPA के तहत द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविक क्षमता के महत्त्व को स्वीकार करने पर सहमत हुए।
- **भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA):**
  - CECPA में सामान्य आर्थिक सहयोग (GEC) अध्याय और स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (ATSM) को शामिल किया गया है।
    - GEC अध्याय निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने एवं निवेश, वित्तीय सेवाओं, कपड़ा, लघु और मध्यम उद्यमों, हस्तशिल्प, रत्न तथा आभूषण आदि के क्षेत्र में सहयोग के मौजूदा दायरे को बढ़ाने में सक्षम होगा।
    - ATSM आयात में अचानक या नाटकीय वृद्धि से देश की रक्षा करता है।
    - इस तंत्र के तहत यदि किसी उत्पाद का आयात प्रतिकूल रूप से बढ़ रहा है, तो एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद भारत स्वचालित रूप से मॉरीशस से आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकता है।
    - यही प्रावधान मॉरीशस के साथ-साथ भारतीय आयातों पर भी लागू होता है।

नोट :

- **कुशल पेशेवर:**
  - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा मॉरीशस में इसके समकक्ष के बीच कौशल विकसित करने पर विभिन्न पेशेवर निकायों की व्यवस्था के प्रमाणीकरण, कौशल और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में समानता स्थापित करने के संबंध में सेवा क्षेत्र में दोनों पक्षों के मध्य वार्ता हुई।
  - मॉरीशस पक्ष ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT), वित्तीय सेवाओं, फिल्म निर्माण, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मॉरीशस में पेशेवरों की कमी से अवगत कराते हुए भारत से मॉरीशस में उच्च कुशल पेशेवरों की गतिविधियों का स्वागत किया।

भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता:

- **परिचय:**
  - यह एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।
  - यह एक सीमित समझौता है जो केवल चुनिंदा क्षेत्रों को कवर करेगा।
    - इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
- **भारत को लाभ:**
  - मॉरीशस के बाज़ार में भारत के कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 300 से अधिक घरेलू सामानों को रियायती सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी।
  - भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे- पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, मनोरंजन, योग आदि के अंतर्गत लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुँच प्राप्त होगी।
- **मॉरीशस को लाभ:**
  - मॉरीशस को विशेष प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताज़े फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा उपकरण तथा परिधान सहित अपने 615 उत्पादों के लिये भारतीय बाज़ार में पहुँच का लाभ मिलेगा।
  - भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जिनमें पेशेवर सेवाएँ, अन्य व्यावसायिक सेवाएँ, दूरसंचार, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मनोरंजन सेवाएँ आदि शामिल हैं।

मॉरीशस के साथ भारत के संबंध:

- **आर्थिक:**
  - **सामाजिक आवास इकाइयाँ:**
    - मई, 2016 में भारत ने मॉरीशस को विशेष आर्थिक पैकेज (SEP) के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था, जिसमें मॉरीशस द्वारा पहचानी गई पाँच प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को निष्पादित किया गया, ये हैं:
    - मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना
    - सर्वोच्च न्यायालय भवन
    - नया ENT अस्पताल
    - प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति
    - सामाजिक आवास परियोजना
    - सामाजिक आवास परियोजना के उद्घाटन के साथ SEP के तहत सभी प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया गया है।
  - **अत्याधुनिक सिविल सेवा महाविद्यालय का निर्माण:**
    - मॉरीशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान वर्ष 2017 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत इसे 4.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान समर्थन के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
  - **8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म:**
    - इसमें मॉरीशस के लगभग 10,000 घरों को विद्युतीकृत करने के लिये सालाना लगभग 14 GWh हरित ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु 25,000 PV सेल की स्थापना शामिल है।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:**
    - मॉरीशस वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का तीसरा शीर्ष स्रोत (15.98%) था।
- **हाल के घटनाक्रम:**
  - भारत ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके III के निर्यात के लिये मॉरीशस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - हेलीकॉप्टर का उपयोग मॉरीशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा।
  - भारत और मॉरीशस ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

नोट :

- दोनों पक्षों ने चागोस द्वीपसमूह विवाद पर भी चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) के समक्ष संप्रभुता और सतत् विकास का मुद्दा था।
  - वर्ष 2019 में भारत ने इस मुद्दे पर मॉरीशस की स्थिति के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया। भारत उन 116 देशों में से एक था, जिन्होंने ब्रिटेन से द्वीपीय देशों से "औपनिवेशिक प्रशासन" को समाप्त करने की मांग करते हुए मतदान किया था।
- भारत द्वारा मॉरीशस को 1,00,000 कोविशील्ड के टीके प्रदान किये गए हैं।

आगे की राह

- भारत का रुझान मॉरीशस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है जैसा कि मिशन सागर (Mission Sagar) के अंतर्गत भारत की पहल को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 से संबंधित सहायता प्रदान करने में देखा जा सकता है।
  - भारत को इस जुड़ाव को आगे भी बनाए रखने के लिये मॉरीशस, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव और श्रीलंका जैसे समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सक्रिय रहने की आवश्यकता है।
- हिंद महासागर (Indian Ocean) के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने इस महासागर और सीमावर्ती देशों के लिये नई चुनौतियों के साथ-साथ अवसर को जन्म दिया है। मॉरीशस, भारत के अन्य छोटे द्वीपीय पड़ोसियों के साथ अपनी समुद्री पहचान एवं भू-स्थानिक मूल्य के विषय में गहराई से जानता है। ये पड़ोसी भली-भाँति समझते हैं कि एक बड़े पड़ोसी देश के रूप में भारत उनके लिये क्या मायने रखता है।
- जैसा कि भारत दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में अपने सुरक्षा सहयोग के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है, मॉरीशस इसके लिये प्राकृतिक नोड है।
  - इसलिये भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट की नीति में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

ट्यूनीशिया में पावर ग्रैब

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ट्यूनीशिया में एक नए संविधान को मंज़ूरी देने के लिये जनमत संग्रह किये जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे देश में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।

विरोध प्रदर्शन:

- ट्यूनीशियाई मतदाताओं ने एक नए संविधान को मंज़ूरी दी है जो देश को एक राष्ट्रपति शासन में बदल देगा, राष्ट्रपति कैस सैयद के एक-व्यक्ति शासन (जिन्होंने निर्वाचित संसद को निलंबित कर दिया और वर्ष 2021 में खुद को और अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं) को यह संस्थागत रूप देगा, जिन्होंने निर्वाचित संसद को निलंबित कर दिया तथा पिछले साल खुद को और अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं।
- प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि नया संविधान ट्यूनीशिया में स्थापित उस लोकतंत्र को समाप्त कर देगा जिसकी प्राप्ति वर्ष 2011 की अरब स्प्रिंग (जैस्मीन) क्रांति के बाद हुई थी और देश को वापस एक सत्तावादी स्थिति में पहुँचा देगा।

अरब स्प्रिंग:

- **परिचय:**
  - अरब स्प्रिंग, लोकतंत्र समर्थक विरोध और विद्रोह की लहर जो वर्ष 2010 और 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में शुरू हुई ने इस क्षेत्र के कुछ सत्तावादी शासनों को चुनौती दी।
  - यह लहर तब शुरू हुई जब ट्यूनीशिया और मिस्र में विरोध प्रदर्शनों ने अन्य अरब देशों को इसी तरह के प्रयासों के लिये प्रेरित करते हुए त्वरित शासन को उखाड़ फेंका।
  - विरोध आंदोलन हर देश में सफल नहीं रहे हैं, हालाँकि अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों के लिये आंदोलन करने वाले प्रदर्शनकारियों को अक्सर उनके देशों के सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
- **ट्यूनीशिया:**
  - वर्ष 2011 में तानाशाही को लेकर हुए लोकप्रिय जन विरोध की घटना वाले देशों में ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश था जहाँ लोकतंत्र को एक सफल परिवर्तन के रूप में देखा गया।

नोट :

- दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग का विरोध शुरू हुआ, जिससे ज़ीन एल अबिदीन बेन अली (वर्ष 1987 से सत्तारूढ़) के शासन का पतन हो गया।
  - इसे ट्यूनीशिया में जैस्मीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता था।
- जन विद्रोह के कारण बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ा।
  - शीघ्र ही विरोध अन्य अरब देशों जैसे- मिस्र, लीबिया, बहरीन, यमन और सीरिया में फैल गया।

- **मिस्र:**
  - जबकि प्रदर्शनकारियों ने मिस्र में होस्नी मुबारक की 30 साल की तानाशाही को समाप्त कर दिया जिससे उस देश में क्रांति लंबे समय तक नहीं चली।
  - वर्ष 2013 में सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की निर्वाचित सरकार को गिराने के लिये सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।
- **लीबिया:**
  - लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ विरोध गृहयुद्ध में बदल गया, जिसमें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) द्वारा सैन्य हस्तक्षेप देखा गया।
    - नाटो के हस्तक्षेप ने गद्दाफी शासन को गिरा दिया (लीबिया के नेता की बाद में हत्या कर दी गई), लेकिन देश अराजकता और तानाशाही में बदल गया, जो आज भी इस समस्या से परेशान है।
- **अन्य देश:**
  - सुन्नी राजशाही द्वारा शासित शिया बहुल देश बहरीन में पड़ोसी सऊदी अरब ने मनामा के पर्ल स्क्वायर में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिये सेना भेजी।
  - यमन में राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी, लेकिन देश गृहयुद्ध में बदल गया, जिससे शिया हौथी विद्रोहियों का उदय हुआ और राजधानी सना पर अब उसका नियंत्रण है।
  - सीरिया में विरोध छद्म गृहयुद्ध में बदल गया, जिसमें राष्ट्रपति बशर अल-असद के प्रतिद्वंद्वियों ने अपने दुश्मनों का समर्थन किया और हिज़्बुल्लाह, ईरान एवं रूस के सहयोगियों ने शासन का समर्थन किया।

ट्यूनीशिया में राजनीतिक संकट का कारण:

- **मौजूदा तंत्र:**
  - वर्ष 2014 के संविधान ने मिश्रित संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना की।
    - राष्ट्रपति और संसद दोनों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता था।
    - राष्ट्रपति को सैन्य और विदेशी मामलों की देख-रेख करनी थी, जबकि अधिकांश सांसदों के समर्थन से चुने गए प्रधानमंत्री को शासन के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभार सौंपा गया था।
- **ट्यूनीशिया में समस्याएँ:**
  - वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के बीच देश में नौ सरकारें बनीं।
    - लोकतांत्रिक चुनावों में इस्लामवादी एन्नाहदा पार्टी, जिसका अखिल-इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड आंदोलन से वैचारिक संबंध है, देश में एक मुख्य राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी, इसने धर्मनिरपेक्ष वर्गों को परेशान किया जिस कारण राजनीति अस्थिरता की स्थिति देखी गई।
  - इसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब स्थिति में थी और COVID-19 संकट ने इसे और खराब कर दिया।
    - ट्यूनीशिया में COVID मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक है।
  - बढ़ते आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के बीच पिछले वर्ष जुलाई में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
    - प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी दल एन्नाहदा के कार्यालयों पर धावा बोल दिया।
- **संविधान में बदलाव:**
  - अशांति को रोकने के लिये सईद ने एन्नाहदा समर्थित प्रधानमंत्री हिकेम मेचिच को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया जिससे देश में एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।
  - वर्ष 2014 के संविधान के तहत ऐसे संकटों का निपटारा एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये, लेकिन अभी तक न्यायालय का गठन नहीं हुआ।
    - इसने राष्ट्रपति को फरमानों द्वारा देश पर शासन करने की खुली छूट दी।
    - उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी।
    - सरकार चलाने के लिये एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
    - इस वर्ष की शुरुआत में संसद को भंग कर दिया और साथ ही खुद को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करते हुए संविधान को नया रूप दिया।

संविधान में नए बदलाव:

- हालाँकि इसने वर्ष 2014 के संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखा है, नया चार्टर संसद की शक्तियों को कम करते हुए देश को राष्ट्रपति प्रणाली में वापस ले जाने का प्रयास है।

नोट :

- राष्ट्रपति के पास अंतिम अधिकार होगा:
  - सरकार बनाने का
  - मंत्रियों को नामित करने का (संसद की मंज़ूरी के बिना)
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति करने
  - विधानसभा को सीधे विधायिका के रूप में प्रस्तुत करने का
- उपर्युक्त सभी परिवर्तन सांसदों के लिये राष्ट्रपति को पद से हटाना व्यावहारिक रूप से असंभव बना देंगे।

ईरान परमाणु समझौता वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुन: स्थापित करने हेतु वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता का नया दौर शुरू हुआ, जिसे संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) के रूप में भी जाना जाता है।

- ईरान सहित विभिन्न देशों के अधिकारी मार्च, 2022 के बाद पहली बार बैठक कर रहे हैं।

ईरान परमाणु समझौता:

- **परिचय:**
- संयुक्त व्यापक कार्ययोजना का उद्देश्य प्रतिबंधों को धीरे-धीर हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नागरिक प्रकृति की गारंटी देना है।
  - ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों- अमेरिका, रूस, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ जर्मनी एवं यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियारों के लिये अपकेंद्रित्र, समृद्ध यूरेनियम और भारी जल सभी प्रमुख घटकों के अपने भंडार में महत्त्वपूर्ण कटौती करने पर सहमत हुआ।
  - ईरान प्रोटोकॉल को लागू करने के लिये भी सहमत हुआ कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है।
- **मुद्दे:**
  - पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका की एकतरफा दवाब और अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के कारण ईरान अपने दायित्वों से पीछे हट गया।
  - ईरान ने बाद में JCPOA की यूरेनियम संवर्द्धन दर 3.67% को पार कर लिया, जो वर्ष 2021 की शुरुआत में बढ़कर 20% हो गई।
    - इसके बाद ह एक अभूतपूर्व वृद्धि के साथ 60% सीमा को पार कर लिया तथा बम बनाने के लिये आवश्यक 90 प्रतिशत के करीब पहुँच गया।
  - **विरोधी देश:**
    - मध्य-पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इज़रायल ने इस संधि को दृढ़ता से खारिज़ कर दिया तथा ईरान के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब जैसे अन्य देशों ने शिकायत की कि वे वार्ता में शामिल नहीं थे, हालाँकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस क्षेत्र के हर देश के लिये सुरक्षा जोखिम पैदा किया।

भारत के लिये JCPOA का महत्त्व:

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा:**
  - ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने से चाबहार, बंदर अब्बास बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य योजनाओं में भारत के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा।
  - यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में भारत की मदद करेगा।
  - चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुज़रने वाले 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे'(INSTC) से भारत के हितों को भी बढ़ावा मिल सकता है। गौरतलब है कि INSTC के माध्यम से पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

नोट :

- **ऊर्जा सुरक्षा:**
  - अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल के आयात को शून्य करना है।
  - अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने तथा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

आगे की राह

- अमेरिका को न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम बल्कि क्षेत्र में उसके बढ़ते शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। उसे नए बहुध्रुवीय विश्व की वास्तविकता को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें अब उसके एकतरफा नेतृत्त्व की गारंटी नहीं है।
- ईरान को मध्य-पूर्व में तेज़ी से बदलते परिदृश्य पर विचार करना होगा, यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में इज़रायल ने कई मध्य-पूर्वी अरब देशों के साथ अपने संबंधों को पुनर्गठित किया है।

इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच युद्धविराम

चर्चा में क्यों ?

इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच तीन दिनों तक हिंसा, जिसके कारण दोनों देशों में दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई, के बाद हाल ही में युद्धविराम हो गया।

- इस वर्ष की शुरुआत में भी यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इज़राली पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था।
- ये आवर्ती संघर्ष चल रहे इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष का ही हिस्सा हैं।

वर्तमान संघर्ष :

- **संघर्ष का कारण:**
  - इज़रायली विमानों ने गाजा में ठिकानों (इस्लामिक जिहाद के नेताओं) को निशाना बनाया।
    - जवाब में ईरान समर्थित फिलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इज़रायल पर सैकड़ों रॉकेट दागे।
    - इस्लामिक जिहाद में हमास की तुलना में कम लड़ाके और समर्थक हैं।
- **इज़रायली कार्रवाई:**
  - इज़रायल ने इस्लामिक जिहाद के एक नेता पर हमले के साथ अपना अभियान शुरू किया और हमले की नीयत से एक अन्य दूसरे प्रमुख नेता पीछा किया।
- **गाजा की कार्रवाई:**
  - इज़रायली सेना के अनुसार गाजा में आतंकवादियों ने इज़रायल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे।
  - इज़रायल ने उनमें से कई को रोक दिया तथा दो को मार गिराया गया जिन्हें यरूशलम की ओर दागा गया था।
- **यूएनएससी की बैठक:**
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को लेकर एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की।
  - चीन जो कि अगस्त 2022 के लिये परिषद की अध्यक्षता करेगा, ने संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के जवाब में सत्र निर्धारित किया, यह परिषद में अरब देशों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही इसमें चीन, फ्राँस, आयरलैंड और नॉर्वे भी शामिल होंगे।

इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद:

- **यरुशलम पर विवाद:**
  - यरुशलम इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में रहा है।
  - वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र (UN) मूल विभाजन योजना के अनुसार, यरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
    - हालाँकि वर्ष 1948 के प्रथम अरब इज़रायल युद्ध में इज़रायलियों ने शहर के आधे पश्चिमी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और प्राचीन शहर सहित पूर्वी भाग, जहाँ हरम अल-शरीफ़ अवस्थित है, पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया।
  - वर्ष 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के बाद इज़रायल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे, जॉर्डन का वक्फ मंत्रालय, जो तब तक अल-अक्सा मस्जिद पर नियंत्रण रखता था, ने इस मस्जिद की देखरेख करना बंद कर दिया।

नोट :

- इज़रायल ने वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में जॉर्डन के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलम पर कब्ज़ा कर उसका विलय कर लिया।

◆ विलय के बाद से इज़रायल ने पूर्वी यरूशलम में बस्तियों का विस्तार किया।

- इज़रायल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि वह भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिये किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है।

● **हालिया गतिविधि:**

◆ **अल-अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह:**

- मई 2021 में इज़रायली सशस्त्र बलों ने यरूशलम में ज़ायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इज़रायल के कब्ज़े को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले यरूशलम के हरम अल-शरीफ में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला किया था।
- शेख जर्राह द्वारा पूर्वी यरूशलम में दर्जनों फ़िलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी ने संकट को और बढ़ा दिया।

◆ **वेस्ट बैंक सेटलमेंट:**

- इज़रायल के सर्वोच्च न्यायालय ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के ग्रामीण हिस्से के 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी निवासियों को उस क्षेत्र में बेदखल करने के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसका चयन इज़रायल ने सैन्य अभ्यास के लिये किया है।
- इस निर्णय ने हेब्रोन के पास एक चट्टानी, शुष्क क्षेत्र में आठ छोटे गाँवों को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें फिलिस्तीनियों द्वारा मासाफर यट्टा और इज़रायलियों को दक्षिण हेब्रोन हिल्स के रूप में जाना जाता है।

● **संकट पर भारत का रुख:**

◆ भारत हाल के वर्षों में इज़रायल और फिलिस्तीन के मध्य संबंधों को बनाए रखने के लिये एक डि-हाईफेनेशन नीति का पालन कर रहा है।

- दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष को लेकर भारत की नीति पहले चार दशकों के लिये स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक थी लेकिन इज़रायल के साथ तीन दशक से मैत्रीपूर्ण संबंधों के चलते फिलिस्तीन से संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है।

◆ वर्ष 2017 में एक अभूतपूर्व कदम के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने केवल इज़रायल का दौरा किया न कि फिलिस्तीन का।

- प्रधानमंत्री की हाल की फिलिस्तीन (वर्ष 2018), ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा फिर से इसी तरह की नीति की निरंतरता है।

एलएसी के पास हवाई क्षेत्र का उल्लंघन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल-मोल्दो सीमा में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर विशेष दौर की सैन्य वार्ता हुई।

- यह वार्ता चीनी लड़ाकों द्वारा "उत्तेजक व्यवहार" की पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो अक्सर LAC के करीब उड़ान भरते हुए 10-किमी नो-फ्लाई ज़ोन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र (CBM) का उल्लंघन करते थे।

ऐसी घटनाओं के कारण:

- LAC पूरी तरह से सीमांकित नहीं है और सरेखण पर दोनों देशों में मतभेद हैं जिसके कारण ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं।
- एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिये दोनों पक्ष ज़मीनी स्तर पर नियमित रूप से बातचीत करते हैं।
- मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों ने LAC पर वायु सेना को तैनात किया है तथा अपने-अपने ठिकानों की सुरक्षा को भी बढ़ाया है।

भारत-चीन के बीच हालिया विवाद:

- जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प – यह लाठी और डंडों से लड़ी गई न कि बंदूकों से, वर्ष 1975 के बाद से दोनों पक्षों के बीच पहला घातक टकराव था।

◆ हालिया संघर्ष जनवरी 2021 में हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक घायल हो गए थे। यह भारत के सिक्किम राज्य में सीमा पर हुआ जो भूटान और नेपाल के बीच स्थित है।

- हाल ही में चीनीयों ने भारतीय वायुसेना द्वारा तिब्बत क्षेत्र में उनके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचालित चीनी वायु सेना के विमानों का पता लगाने के लिये अपनी क्षमता को उन्नत करने के बारे में शिकायत की है।
- दोनों ने स्थिति और तनाव को कम करने के लिये कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता के 16 दौर आयोजित किये हैं, जो चीन द्वारा वर्ष 2020 में LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के बाद शुरू हुआ था।

नोट :

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):

- परिचय: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एक प्रकार की सीमांकन रेखा है, जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र और चीन-नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है।
  - LAC, पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा (LoC) से भिन्न है:
    - दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में LoC को नामित कर इसे मानचित्र पर दर्शाया गया है।
    - लेकिन LAC पर दोनों देशों (भारत-चीन) द्वारा सहमति नहीं बन पाई है, न ही इसे मानचित्र पर दर्शाया गया है और न ही इसे भौगोलिक रूप से सीमांकित किया गया है।
- LAC की लंबाई: भारत LAC की लंबाई 3,488 किमी मानता है; जबकि चीन इसे केवल 2,000 किमी के आसपास मानता है।
- **LAC का विभाजन:**
  - इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम (1346 किमी), मध्य क्षेत्र उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश (545 किमी) और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख (1597 किमी) तक फैला है।
    - पूर्वी सेक्टर में LAC का सीमांकन वर्ष 1914 की मैकमोहन रेखा के समरूप है।
    - यह वर्ष 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी।
  - LAC का मध्य क्षेत्र सबसे कम विवादित, जबकि पश्चिमी क्षेत्र दोनों पक्षों के मध्य सबसे अधिक विवादित है।

वायु-क्षेत्र पर भारत-चीन के मध्य समझौता:

- भारत और चीन के बीच मौजूदा समझौतों के अनुसार, लड़ाकू विमानों और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों का संचालन LAC से कुछ दूरी तक ही सीमित है।
- वर्ष 1996 के 'भारत-चीन सीमा क्षेत्र में LAC के साथ शांति और सद्भाव के रखरखाव पर समझौते' के अनुसार, "लड़ाकू विमान (लड़ाकू, बमवर्षक, टोही, सैन्य प्रशिक्षक, सशस्त्र हेलीकॉप्टर और अन्य सशस्त्र विमान) LAC के 10 किमी के क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेंगे।
- वर्ष 1993 और 2012 के बीच दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिये भारत और चीन द्वारा विश्वास निर्माण उपायों (CBM) के समझौते पर सहमति व्यक्त की गई थी।

विश्वास निर्माण के उपाय (CMB):

- आमने-सामने की स्थिति में कोई भी पक्ष बल का प्रयोग नहीं करेगा और न ही बल प्रयोग करने की धमकी देगा,
- दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आएँगे और किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचेंगे,
- यदि दोनों पक्षों के सीमा कर्मी एलएसी के सीमांकन पर मतभेदों के कारण आमने-सामने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वे आत्म-संयम का प्रयोग करेंगे और स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
- पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पक्ष का कोई भी सैन्य विमान LAC के पार उड़ान नहीं भरेगा।
- एलएसी से दो किलोमीटर के भीतर कोई भी पक्ष गोली नहीं चलाएगा, बायोडिग्रेडेशन का कारण नहीं बनेगा, खतरनाक रसायनों का उपयोग नहीं करेगा, विस्फोट ऑपरेशन नहीं करेगा या बंदूकों या विस्फोटकों के साथ शिकार नहीं करेगा।

घटना के बाद की प्रतिक्रिया:

- भारतीय पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।
- अभी हाल ही में भारत और चीन ने विशेष सैन्य वार्ता के दौरान दो वायु सेनाओं के बीच "सीधे संपर्क के प्रस्ताव" पर चर्चा की है।
- सीधा संपर्क तंत्र एक अलग हॉटलाइन या दोनों सेनाओं के बीच मौजूदा हॉटलाइन का उपयोग करके हो सकता है।
  - भारतीय और चीनी सेनाओं के पास उनके ग्राउंड कमांडरों के बीच, वर्तमान में छह हॉटलाइन हैं – पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में दो-दो।
    - छठा अगस्त, 2021 में उत्तरी सिक्किम में कोंगरा ला और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में खंबा दज़ोंग के बीच स्थापित किया गया था।

वायु अंतरिक्ष और संबंधित कानून:

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून में वायु क्षेत्र, एक विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर का स्थान है, जिसे क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सरकार से संबंधित माना जाता है।
  - इसमें बाहरी अंतरिक्ष शामिल नहीं है, जिसे वर्ष 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि के तहत मुक्त घोषित किया गया है और राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है।
    - हालाँकि संधि ने उस ऊँचाई को परिभाषित नहीं किया जिस पर बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है और वायु स्थान समाप्त होता है।
- **वायु संप्रभुता:**
  - यह एक संप्रभु राज्य का अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग को विनियमित करने और अपने स्वयं के विमानन कानून को लागू करने का मौलिक अधिकार है।

नोट :

- राज्य अपने क्षेत्र में विदेशी विमानों के प्रवेश को नियंत्रित करता है और इस क्षेत्र में सभी व्यक्ति राज्य के कानूनों के अधीन आयेंगे।
- हवाई अंतरिक्ष संप्रभुता का सिद्धांत पेरिस कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन (1919) और बाद में अन्य बहुपक्षीय संधियों द्वारा स्थापित किया गया है।
- शिकागो कन्वेंशन, 1944 के तहत अनुबंध करने वाले राज्य एवं अन्य अनुबंधित राज्यों में पंजीकृत और वाणिज्यिक गैर-अनुसूचित उड़ानों में लगे विमानों को पूर्व राजनयिक अनुमति के बिना अपने क्षेत्र में उड़ान भरने के साथ-साथ यात्रियों, कार्गो और मेल को लेने और छोड़ने की अनुमति देने के लिये सहमत हैं।
  - यह प्रावधान व्यवहार में मृत पत्र बन गया है।

- **निषिद्ध वायु क्षेत्र:**
  - यह ऐसे हवाई क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर आमतौर पर सुरक्षा चिंताओं के कारण विमान की उड़ान की अनुमति नहीं है। यह कई प्रकार के विशेष उपयोग वाले हवाई क्षेत्र पदनामों में से एक है और इसे वैमानिकी चार्ट पर "पी" अक्षर के साथ अनुक्रमांक संख्या द्वारा दर्शाया गया है।
- **प्रतिबंधित वायु क्षेत्र:**
  - निषिद्ध वायु क्षेत्र से भिन्न इस स्थान में आमतौर पर सभी विमानों के लिये प्रवेश वर्जित है और वायु यातायात नियंत्रण (ATC) या वायु क्षेत्र के नियंत्रण निकाय से मंज़ूरी के अधीन नहीं है।

भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP):

- इसकी स्थापना जनवरी 1949 में हुई थी।
- कश्मीर में प्रथम युद्ध (1947-1948) के बाद, भारत ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से संपर्क किया।
- इसी क्रम में जनवरी 1948 में, UNSC ने विवाद की जाँच और मध्यस्थता हेतु भारत और पाकिस्तान (UNCIP) के लिये तीन सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करते हुए, संकल्प 39 को अपनाया।
- अप्रैल 1948 में, इसके संकल्प 47 द्वारा, UNCIP को UNMOGIP के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के कार्य:

- जुलाई 1949 के कराची समझौते ने संयुक्त राष्ट्र स्तर के सैन्य पर्यवेक्षकों की भूमिका को मज़बूत किया और जम्मू और कश्मीर में स्थापित युद्धविराम रेखा के पर्यवेक्षण की अनुमति दी।
  - वर्ष 1948 में UNCIP की देखरेख में पहले भारत-पाक सशस्त्र संघर्ष के बाद, पाकिस्तान और भारत दोनों के सैन्य प्रतिनिधियों ने कराची में मुलाकात की और 27 जुलाई 1949 को कराची समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - इसने कश्मीर में एक संघर्ष-विराम रेखा (CFL) की स्थापना की।
- युद्धविराम की निगरानी हेतु UNMOGIP के पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (PAK) में छह फील्ड स्टेशन और भारतीय प्रशासित कश्मीर (IAK) में चार फील्ड स्टेशन हैं।
- UNMOGIP 17 दिसंबर, 1971 के युद्धविराम समझौते के सख्त पालन से संबंधित घटनाओं का निरीक्षण करने और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट करने के लिये इस क्षेत्र में बना हुआ है।

UNMOGIP भारत के लिये विवादास्पद

- भारत आधिकारिक तौर पर कहता है कि UNMOGIP की भूमिका वर्ष 1972 के शिमला समझौते से आगे निकल गई है जिसने नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना की थी।
  - शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान युद्धविराम रेखा को नियंत्रित करने और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना अपने विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल करने के लिये सहमत हुए।
  - कश्मीर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब काफी हद तक भारत का आंतरिक मामला है।
- वर्ष 1972 के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों के साथ UNMOGIP में नहीं गया है।
- वर्ष 2014 में भारत ने अनुरोध किया कि UNMOGIP कश्मीर में संचालन बंद कर दे और विदेश मंत्रालय (MEA) ने वर्ष 2017 में दोहराया कि UNMOGIP के पास कश्मीर की स्थिति की निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है।
- दूसरी ओर पाकिस्तान भारतीय तर्क को स्वीकार नहीं करता है और UNMOGIP से सहयोग चाहता है।
- इन भिन्न नीतियों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने UNMOGIP के पास कथित भारतीय संघर्ष विराम उल्लंघनों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करना जारी रखा है।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 47

- **परिचय:**
  - यह कश्मीर विवाद के समाधान से संबंधित है।
  - इसके अनुसार, पाकिस्तान को अपने उन नागरिकों को वापस लेना था जो लड़ाई के उद्देश्य से और भविष्य में घुसपैठ को रोकने के लिये राज्य में प्रवेश कर चुके थे।
  - इस प्रस्ताव के माध्यम से पुनर्गठित पाँच सदस्यीय UNMOGIP ने भारत और पाकिस्तान से कानून व्यवस्था की बहाली के बाद जनमत संग्रह कराने का आग्रह किया।
  - भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) का उद्देश्य कराची समझौते के तहत जुलाई 1949 में जम्मू-कश्मीर में स्थापित संघर्ष विराम रेखा (CFL) की निगरानी करना था।
  - UNMOGIP को UN के नियमित बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- **भारत ने प्रस्ताव 47 को नकार दिया।**
  - भारत का तर्क था कि प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा किये गए सैन्य आक्रमण को नज़रअंदाज़ किया गया, साथ ही दोनों देशों को एक समान राजनयिक आधार पर रखना पाकिस्तान के आक्रामक रवैये को खारिज़ करता है।
  - कश्मीर के महाराजा द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र (IoA) को प्रस्ताव में नज़रअंदाज कर दिया गया था।
- **संकल्प 47 पर पाकिस्तान का रुख:**
  - इसने कश्मीर में भारतीय बलों की न्यूनतम उपस्थिति पर भी आपत्ति जताई, जैसा कि संकल्प द्वारा अनिवार्य है।
  - यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रभावी पार्टी के लिये राज्य सरकार में समान प्रतिनिधित्व चाहता था।

भारत-यूके संबंध

चर्चा में क्यों ?

ग्रांटथॉर्टन की ब्रिटेन मीट्स इंडिया (बीएमआई) रिपोर्ट के अनुसार भारत और यूके के बीच व्यापार वर्ष 2030 तक दोगुना होने की उम्मीद है, यह लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रौद्योगिकी विविधीकरण में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में निवेश और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ व्यापार साझेदारी में आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

- व्यावसायिक सेवाएँ भारत में यूके की कंपनियों द्वारा शीर्ष क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र प्रमुख निवेश गंतव्य है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कर्नाटक का स्थान आता है।

प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता:

- **परिचय:**
  - प्रस्तावित एफटीए से चमड़ा, वस्त्र, आभूषण, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और समुद्री उत्पाद, शिक्षा, फार्मा तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  - यूके सेब, यूके-निर्मित चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी जैसे उत्पादों पर शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है।
    - यूके की कंपनियाँ भी भारत से डेटा गोपनीयता को मज़बूत करने और अनुबंधों को लागू करने की अपेक्षा करती हैं।
- **यूके-भारत व्यापार:**
  - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 31.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ यूके भारत में छठाँ सबसे बड़ा निवेशक बना रहा।
    - यह भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 5.4% है।
  - वित्त वर्ष 2022 में UK के साथ वस्तुओं और सेवाओं में भारत का व्यापार 31.34 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ, जो 2015 में 19.51 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
  - भारत में 618 UK की कंपनियों की पहचान की गई है, वे एक साथ लगभग 4.66 लाख लोगों को रोजगार देती हैं और उनका कुल कारोबार 3,634.9 बिलियन रुपये है।

भारत-यूके संबंधों में नये घटनाक्रम:

- यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौती के बावजूद, भारत-यूके संबंध एक ऊर्ध्वगामी प्रक्षेपवक्र पर रहा है, जिसका उदाहरण वर्ष 2021 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के समापन द्वारा दिया गया है।

नोट :

- इस समझौते ने भारत-यूके संबंधों के लिये वर्ष 2030 रोडमैप भी स्थापित किया, जो मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों के लिये साझेदारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

- दोनों देशों ने रक्षा संबंधी व्यापार और साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग को गहरा करने पर विमर्श किया गया।
  - भारत और यूके में ऑनलाइन अवसंरचना की सुरक्षा के लिये एक नये संयुक्त साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा की जानी है।
  - भारत और यूके की पहली स्ट्रैटेजिक टेक डायलॉग आयोजित करने की भी योजना है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन है।
- इसके अतिरिक्त, यूके और भारत समुद्री क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिये सहमत हुये हैं क्योंकि यूके भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होगा और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर एक प्रमुख भागीदार बन जाएगा।
- जनवरी 2022 में, भारत और यूके ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के लिये पहले दौर की बातचीत का समापन किया।
  - वार्ता ने दुनिया की पाँचवीं (UK) और छठी (भारत) सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक व्यापक सौदे को संपन्न की साझा महत्त्वाकांक्षाओं को दर्शाया।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- **परिचय:**
  - यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।
  - एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।
  - मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- **भारत और FTA:**
  - **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA:**
    - भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसकी 100% टैरिफ लाइनों पर प्रदान की जाने वाली तरजीही बाज़ार पहुँच से लाभ होगा।
    - भारत अपनी 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुँच प्रदान करेगा।
  - **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा):**
    - यह मुक्त व्यापार समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर, वस्तुओं तक ही सीमित है।
    - वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

भारत द्वारा हस्ताक्षरित अन्य व्यापार समझौते

- **भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता:**
  - व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- **भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA)**
  - यह एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।
  - इस समझौते के तहत देश उत्पादों पर शुल्क कम या खत्म करते हैं। सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिये देश मानदंडों में भी ढील देते हैं।
- **दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):**
  - यह वर्ष 1995 में लागू हुए सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये है।
- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):**
  - पहले बैंकाक समझौता, यह अधिमान्य टैरिफ व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिये वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (ITD) के रूप में मनाया जाता है।

- ITD की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये की गई थी।
- असम में मानस टाइगर रिज़र्व में सीमा पार वन्यजीव संरक्षण के वार्षिक वन्यजीव निगरानी परिणामों से पता चला है कि प्रत्येक बाघ के लिये 2.4 बाघिन हैं।

बाघ से संबंधित प्रमुख तथ्य:

- वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा टाइग्रिस
- भारतीय उप-प्रजातियाँ: पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस।
- **परिचय:**
  - यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय जंगलों तक पाया जाता है।
  - यह बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य है।
  - परंपरागत रूप से बाघों की आठ उप-प्रजातियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से तीन विलुप्त हो चुकी हैं।
    - बंगाल टाइगर्स: भारतीय उपमहाद्वीप
    - कैस्पियन बाघ: मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की (वलुप्त)
    - अमूर बाघ: रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया
    - जावन बाघ: जावा, इंडोनेशिया (विलुप्त)
    - दक्षिण चीन बाघ: दक्षिण मध्य चीन
    - बाली बाघ: बाली, इंडोनेशिया (विलुप्त)
    - सुमात्रन बाघ: सुमात्रा, इंडोनेशिया
    - भारत-चीनी बाघ: महाद्वीपीय दक्षिण-पूर्व एशिया।
- **खतरा:**
  - आवास क्षेत्र का विनाश, आवास विखंडन और अवैध शिकार।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) लाल सूची: लुप्तप्राय।
  - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
- **भारत में टाइगर रिज़र्व**
  - कुल गणना: 53
  - सबसे बड़ा: नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व, आंध्र प्रदेश
  - सबसे छोटा: महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिज़र्व

भारत में बाघों की आबादी की स्थिति

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर के जंगलों में बाघों की संख्या 3,726 से बढ़कर 5,578 हो गई है।
  - भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की आबादी स्थिर या बढ़ रही है।
- भारत वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक का आवास है।
- भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्षित वर्ष 2022 से 4 साल पहले वर्ष 2018 में ही बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
  - बाघ जनगणना (2018) के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई है।

बाघ संरक्षण का महत्त्व:

- बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है।
- बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह खाद्य शृंखला में उच्च उपभोक्ता है जो खाद्य शृंखला में शीर्ष पर है और जंगली (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) आबादी को नियंत्रण में रखता है।
  - इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिये निर्भर होते हैं।

नोट :

- बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है।
  - यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें क्योंकि इस संरक्षण के परिणामस्वरूप हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाओं की प्राप्ति होती है।

उठाए गए संबंधित कदम:

- प्रोजेक्ट टाइगर 1973: यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण: यह MoEFCC के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था।
- कंज़र्वेशन एश्योर्ड|टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS): CA|TS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को जाँचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा।

सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण तक पहुँच की घोषणा करता है।

- भारत ने प्रस्ताव के लिये मतदान किया और बताया कि संकल्प बाध्यकारी दायित्व का निर्माण नहीं करते हैं।
- केवल अभिसमयों और संधियों के माध्यम से ही राज्य पक्ष ऐसे अधिकारों के लिये दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

भारतीय संविधान में स्वच्छ पर्यावरण का प्रावधान:

- जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उपयोग भारत में विविध प्रकार से किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रजाति के रूप में जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, सम्मान के साथ जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है: 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।'

संकल्प के बारे में:

- **परिचय:**
  - ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है।
  - जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण भविष्य में मानवता के सामने सबसे गंभीर खतरे हैं।
  - यह दर्शाता है कि सदस्य राज्य जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता के नुकसान और प्रदूषण जैसे ट्रिपल प्लेनेट संकट के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं।
  - भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 160 से अधिक सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
    - लेकिन यह देशों को राष्ट्रीय संविधानों और क्षेत्रीय संधियों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
  - रूस और ईरान ने मतदान से परहेज किया।
- **लाभ:**
  - यह पर्यावरणीय अन्याय और संरक्षण अंतराल को कम करने में मदद करेगा।
  - यह लोगों को सशक्त बना सकता है, विशेष रूप से कमज़ोर परिस्थितियों में उन लोगों को जिनमें पर्यावरणीय मानवाधिकार रक्षक, बच्चे, युवा, महिलाएँ और स्थानिक लोग शामिल हैं।
  - यह अधिकार (स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण तक पहुँच) मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 में शामिल नहीं था।
    - यह एक ऐतिहासिक संकल्प है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की प्रकृति को बदल देगा।

मानवाधिकार:

- **परिचय:**
  - मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त होते हैं।
  - मानवाधिकारों में शामिल हैं:
    - जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी तथा यातना से मुक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम व शिक्षा का अधिकार आदि।
    - बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक मानव इन अधिकारों का उपभोग कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून व्यक्तियों या समूहों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने हेतु कुछ तरीकों से कार्य करने या कुछ कृत्यों से परहेज करने के लिये सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है।
  - **मानव अधिकारों का निकाय:**
    - मानवाधिकार कानून के व्यापक निकाय में एक सार्वभौमिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित संहिता होती है, जिसमें सभी इच्छुक राष्ट्र इसकी सदस्यता ले सकते हैं।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र ने नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित किया है।
- इसने इन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने तथा राज्यों को उनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता के लिये तंत्र भी स्थापित किया है।
- कानून के इस निकाय की नींव संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, जिसे वर्ष 1945 एवं 1948 में महासभा द्वारा अपनाया गया था।

जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता और प्रदूषण:

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम के प्रतिरूप में आए दीर्घकालिक बदलाव से है।
    - ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे सौर चक्र में बदलाव के माध्यम से जलवायु परिवर्तन।
    - लेकिन 1800 के दशक से मानव गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने की प्रक्रिया शामिल है।
  - जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करता है, जो सूरज से आने वाली गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है।
    - जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के उदाहरणों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं।
    - ये कार चलाने के लिये गैसोलीन या किसी इमारत को गर्म करने के लिये कोयले के उपयोग से उत्पन्न होते हैं।
    - भूमि और जंगलों को साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है।
    - अपशिष्ट के लिये लैंडफिल मीथेन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है।
    - ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग मुख्य उत्सर्जक हैं।
- **जैवविविधता:**
  - जैवविविधता का आशय सभी प्रकार के जीवन से है जिसमें एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जानवरों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो हमारी प्राकृतिक दुनिया का निर्माण करते हैं।
  - इनमें से प्रत्येक प्रजाति और जीव संतुलन बनाए रखने एवं जीवन का समर्थन करने के लिये एक जटिल वेब की तरह पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ काम करते हैं।
  - जैवविविधता प्रकृति में हर उस चीज़ का समर्थन करती है जो हमें जीवित रहने के लिये चाहिये, जैसे- भोजन, स्वच्छ जल, दवा और आश्रय।
- **प्रदूषण:**
  - प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की शुरुआत है।
    - इन हानिकारक पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है।
    - ज्वालामुखी की राख जैसे प्रदूषक प्राकृतिक हो सकते हैं।
    - वे मानव गतिविधि जैसे कारखानों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट या अपवाह द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं।
    - प्रदूषक- हवा, जल और ज़मीन की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाते हैं।

भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, केरल के एक निजी सुअर फार्म में पहली बार अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है, पिछले दस दिनों में इस बीमारी के कारण फार्म पर 15 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई ।

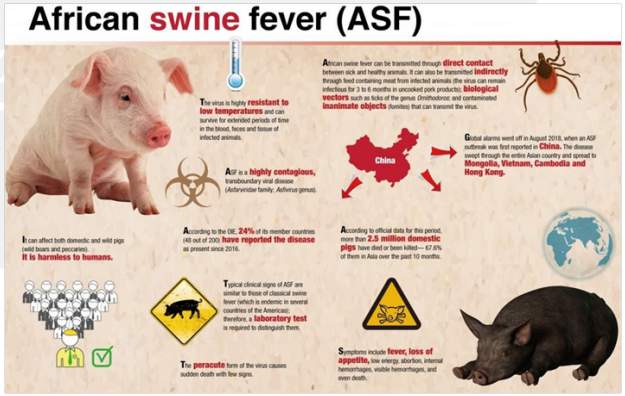

अफ्रीकन स्वाइन फीवर:

- **परिचय:**
  - अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल (Haemorrhagic Viral) बीमारी है।
  - रोग के अन्य लक्षणों में शामिल हैं:
    - उच्च बुखार
    - अवसाद
    - एनोरेक्सिया

नोट :

- भूख में कमी
- त्वचा में रक्तस्राव
- डायरिया।

◆ यह पहली बार वर्ष 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था।
- ऐतिहासिक रूप से, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों, दक्षिण अमेरिका और कैरीबियन में संक्रमण की सूचना मिली है।
- हालाँकि, वर्ष 2007 के बाद से, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली सूअरों में इस बीमारी की सूचना मिली है।

◆ इसमें मृत्यु दर लगभग 95-100% है और इस बुखार का कोई इलाज़ नहीं है, इसलिये इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।

◆ अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिये खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।

◆ अफ्रीकी स्वाइन फीवर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है।

- **नैदानिक संकेत:**

◆ ASF बीमारी के लक्षण तथा मृत्यु दर वायरस की क्षमता तथा सुअर की प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

◆ तीव्र रूप में सूअर का तापमान उच्च (40.5 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री फरेनहाइट) होता है, फिर यह सुस्त हो जाते हैं और अपना भोजन छोड़ देते हैं।
- ASF के लक्षणों में:
- उल्टी
- दस्त (कभी-कभी खूनी)
- त्वचा का लाल होना या काला पड़ना, विशेष रूप से कान और थूथन
- श्रमसाध्य साँस लेना और खाँसना
- गर्भपात, मृत जन्म और कमज़ोर बच्चे
- कमजोरी और खड़े होने में असमर्थता
- ASF के लक्षणों में उच्च बुखार, अवसाद, भूख में कमी, त्वचा में रक्तस्राव (कान, पेट और पैरों पर आदि की त्वचा का लाल होना), गर्भपात होना आदि है।

- **प्रसारण:**

◆ संक्रमित सूअरों, मल या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आना।

◆ उपकरण, वाहन या ऐसे लोग जो अप्रभावी जैव सुरक्षा वाले सुअर फार्मों के बीच सूअरों के साथ काम करते हैं, जैसे फोमाइट्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क।

◆ संक्रमित सुअर का माँस या माँस उत्पाद खाने वाले सूअर।

◆ जैविक वैक्टर – ऑर्निथोडोरोस प्रजाति के टिक्स।

क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) :

- क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा (Hog Cholera) के नाम से भी जाना जाता है, यह सूअरों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है।
- यह दुनिया में सूअरों से संबंधित आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक महामारी, संक्रामक रोगों में से एक है।
- यह फ्लेविविरिडे (Flaviviridae) फैमिली के जीनस पेस्टीवायरस के कारण होता है, जो कि इस वायरस से निकटता से संबंधित है जो मवेशियों में 'बोवाइन संक्रमित डायरिया' और भेड़ों में 'बॉर्डर डिज़ीज़' का कारण बनता है।
- इसमें मृत्यु दर 100% है।
- हाल ही में इससे बचने के लिये ICAR-IVRI ने एक 'सेल कल्चर CSF वैक्सीन (लाइव एटेन्यूटेड या जीवित ऊतक) विकसित की, जिसमें लैपिनाइज़ूड वैक्सीन वायरस का उपयोग एक बाह्य स्ट्रेन के माध्यम से किया गया।
  - नया टीका टीकाकरण के 14 दिन से 18 महीने तक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health or OIE)

- यह दुनिया-भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी एक अंतर-सरकारी संगठन (Intergovernmental Organisation) है।
- वर्तमान में कुल 182 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसके सदस्य देशों में से एक है।
- यह नियमों से संबंधित मानक दस्तावेज़ विकसित करता है जिनके उपयोग से सदस्य देश बीमारियों और रोगजनकों से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें से एक क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता भी है।
- इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा संदर्भित संगठन (Reference Organisation) के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।

तटीय वनस्पति को बहाल करके कार्बन हटाने की व्यवहार्यता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये तटीय आवासों को बहाल करने की दक्षता के बारे में संदेह पैदा किया है।

नोट :

निष्कर्ष:

- तटीय स्रोतों को बहाल करना असंभव सा प्रतीत होता है और वास्तविक जोखिम भी है क्योंकि जिस पैमाने पर वे उत्सर्जन को कम करतें हैं तुलनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर कार्बन ओवरसोल्ड भी कर रहें हैं।
- मौजूदा परिस्थितियों में तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कार्बन संचय के लिये विश्वसनीय आँकड़ा एकत्रित करना कठिन है।
- भविष्य में कार्बन ऑफसेट की गणना के लिये एक बहुत ही कमज़ोर आधार है कि बहाली परियोजनाएँ अगले 50 से 100 वर्षों में प्रदान कर सकती हैं।

अनिश्चितता के कारण:

- **अनुमानों में व्यापक भिन्नता:**
  - जिस दर पर ब्लू कार्बन स्रोत CO_2 को वातावरण से हटाते हैं, उसका अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होता है।
    - ब्लू कार्बन तटीय, जलीय और समुद्री वनस्पतियों, समुद्री जीवों और तलछटों द्वारा आयोजित कार्बन सिंक को संदर्भित करता है।
  - कई वैज्ञानिक अध्ययनों में, लवणीय दलदल में कार्बन सिंक के उच्चतम और निम्नतम अनुमानों के बीच 600 गुना अंतर था, समुद्री घास के लिये 76 गुना और मैंग्रोव के लिये 19 गुना अंतर था।
- **डेटिंग प्रक्रिया में त्रुटियाँ:**
  - 'बुरोइंग आर्गेनिज्म' नई और पुरानी परतों को आपस में मिलाते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन की कार्बन डेटिंग प्रक्रिया में त्रुटियाँ आ जाती हैं, जिससे तलछट युवा लगती है, और कार्बन सिंक दर वास्तव में जितनी है उससे अधिक लगती है है।
    - कार्बन डेटिंग एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति है। यह लगभग 58,000 से 62,000 वर्ष पुरानी कार्बन युक्त सामग्री की आयु का अनुमान लगाने के लिये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोआइसोटोप कार्बन-14 (^{14}C) का उपयोग करता है।
- **आयातित कार्बन क्षय के लिये अधिक प्रतिरोधी:**
  - तटीय तलछट में दबे कार्बन का अधिकांश भाग कहीं और से आता है, जैसे कि नदियों द्वारा भूमि से बहाकर लाई गई मिट्टी। इसे आयातित कार्बन कहते हैं।
  - लवणीय दलदल पर एक अध्ययन में तलछट की सतह के पास आयातित कार्बन का अनुपात 50% तथा गहरी परतों में 80% था।
    - चूँकि गहरे भूमिगत स्रोत दीर्घकालिक कार्बन संचय दर का प्रतिनिधित्व करता है, कार्बन को हटाने हेतु पुनर्स्थापित स्रोतों का प्रत्यक्ष योगदान उम्मीद से कम महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- **मार्श गैस का उत्सर्जन :**
  - पाम ऑइल के बागान को वापस मैंग्रोव वन में बदलना या तटीय बाढ़ क्षेत्र को साल्टमार्श बनाने से भूमि में कार्बन संचय करने में मदद मिलती है।
  - लेकिन वही भूमि अधिक मीथेन (अन्यथा मार्श गैस के रूप में जाना जाता है) और नाइट्रस ऑक्साइड (दोनों शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें) का उत्सर्जन करती है जो जलवायु को प्रभावित करती है।
- **कैल्सीफाइंग एनिमल्स कंट्रीब्यूट एमिशन:**
  - इन आवासों में विशेष रूप से समुद्री घास के मैदानों में कैल्सीफाइंग जानवर और पौधे उगते हैं।
  - समुद्री घास के किनारे अक्सर प्रवाल कीड़े और कोरलाइन शैवाल की सफेद परत से कवर होते हैं।
  - जब ये जीव अपने कैल्शियम कार्बोनेट को कवर करते हैं, तो CO_2 का उत्पादन होता है।

पहल:

- ब्लू कार्बन आवासों को संरक्षित और जहाँ संभव हो पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये, क्योंकि ये जलवायु अनुकूलन, तटीय संरक्षण, खाद्य प्रावधान और जैव विविधता संरक्षण हेतु लाभदायक हैं।
- जहाँ भी संभव हो, तटीय वनस्पति के विश्वव्यापी नुकसान को कम करने का प्रयास करना चाहिये। ब्लू कार्बन आवास, कार्बन सिंक से कहीं अधिक व्यापक होते हैं जो अनेक समुदायों की समुद्री चक्रवात से रक्षा करते हैं, जैव विविधता और मत्स्य पालन के लिये लक्षित प्रजातियों का पोषण करते हैं, और जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को दोगुना करना चाहिये, नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिये कार्बन निष्कासन के तरीकों का उपयोग करना शामिल है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया, जो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021:

- **परिचय:**
  - इसे 17 दिसंबर, 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था।

नोट :

- यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करता है।
- विधेयक संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि और CITES को लागू करने का प्रयास करता है।

- **विशेषताएँ:**
  - **CITES:**
    - वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट न हो।
    - कन्वेंशन में शामिल विभिन्न प्रजातियों के आयात, निर्यात, पुन: निर्यात एवं प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं को लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना आवश्यक है। यह जीवित जानवरों के नमूनों को संरक्षित और विनियमित करने का भी प्रयास करता है।
    - विधेयक CITES के इन प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है।
  - **प्राधिकरण:**
    - विधेयक केंद्र सरकार को एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है:
    - प्रबंधन प्राधिकरण, जो नमूनों के व्यापार के लिये निर्यात या आयात परमिट देता है।
    - अधिसूचित नमूने के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को लेनदेन का विवरण प्रबंधन प्राधिकरण को देना चाहिये।
    - विधेयक किसी भी व्यक्ति को नमूने की पहचान, चिह्न को संशोधित करने या हटाने से रोकता है।
    - वैज्ञानिक प्राधिकरण, जो व्यापार किए जा रहे नमूनों के अस्तित्व के प्रभाव से संबंधित पहलुओं पर सलाह देता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:**
  - वर्तमान में इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधों (I), विशेष रूप से संरक्षित जानवरों (IV), और वार्मिन प्रजातियों (I) के लिये छह अनुसूचियाँ शामिल हैं।
    - यह विधेयक अनुसूचियों की कुल संख्या को छ: से घटाकर चार कर देता है:
    - अनुसूची I में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है।
    - अनुसूची II में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा की आवश्यकता है।
    - अनुसूची III सभी प्रकार के पौधों को शामिल किया गया है।
    - इस विधेयक में वर्मिन प्रजातियों को अनुसूची से हटा दिया गया है।
    - वर्मिन प्रजाति से तात्पर्य उन छोटे जानवरों से है जो बीमारियों का प्रसार करते हैं तथा खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं
    - यह CITES के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों हेतु एक नवीन कार्यक्रम को भी सम्मिलित करता है।
- **आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ:**
  - यह केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
    - आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ पौधों या जानवरों की प्रजातियों को संदर्भित करती हैं जो भारत की मूल प्रजातियाँ नहीं हैं और जिनकी उपस्थिति से वन्यजीव या इसके आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
  - केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को ज़ब्त करने और उनका निपटान करने के लिये अधिकृत कर सकती है।
- **अभयारण्यों का नियंत्रण:**
  - अधिनियम मुख्य वन्यजीव अधिकारी को एक राज्य में सभी अभयारण्यों को नियंत्रित करने, प्रबंधित करने और बनाए रखने का कार्य सौंपता है।
  - मुख्य वन्यजीव अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
    - यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि मुख्य अधिकारी की कार्रवाई अभयारण्य के लिये निर्धारित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होनी चाहिये।
    - इन योजनाओं को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार और मुख्य वन्यजीव अधिकारी द्वारा दिये गए अनुमोदन के अनुसार तैयार किया जाएगा।
    - विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लिये, संबंधित ग्राम सभा के साथ उचित परामर्श के बाद प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिये।
    - विशेष क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र या वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू है।

नोट :

- अनुसूचित क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से आदिवासी आबादी रहती है, जिसे संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किया गया है।

- **संरक्षण रिज़र्व:**
  - अधिनियम के तहत राज्य सरकारें वनस्पतियों और जीवों तथा उनके आवास की रक्षा के लिये राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों को संरक्षण रिज़र्व के रूप में घोषित कर सकती हैं।:
    - विधेयक केंद्र सरकार को भी एक संरक्षण रिज़र्व को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- **दंड:**
  - WPA अधिनियम,1972 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान करता है।
    - विधेयक दंड के प्रावधानों में भी वृद्धि करता है।

उल्लंघन के प्रकार	अधिनियम, 1972	विधेयक, 2021
सामान्य उल्लंघन	25,000 रुपए तक	1,00,000 रुपए तक
विशेष रूप से संरक्षित जानवर	कम-से-कम 10,000 रुपए	कम-से-कम 25,000 रुपए

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में पौधों और जानवरों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर निगरानी की जाती है।
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, अंतिम संशोधन वर्ष 2006 में किया गया था।

सशक्त जलवायु लक्ष्य 2030

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में वृद्धि की है।

- वर्ष 2021 में ग्लासगो में UNFCCC COP 26 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई को सशक्त करने के लिये कई नए वादे किये थे।

भारत के संशोधित लक्ष्य:

- **परिचय:**
  - **उत्सर्जन तीव्रता:**
    - भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद (GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन) की उत्सर्जन तीव्रता में कम-से-कम 45% की कमी के लिये प्रतिबद्ध है।
    - मौजूदा लक्ष्य 33% - 35% की कमी करना था।
  - विद्युत उत्पादन:
    - भारत यह सुनिश्चित करने का भी वादा करता है कि वर्ष 2030 में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम-से-कम 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा।
    - यह मौजूदा 40% के लक्ष्य से अधिक है।
- **महत्त्व:**
  - अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मज़बूत करने की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसा कि पेरिस समझौते के तहत सहमति व्यक्त की गई थी।
  - NDCs प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को शामिल करता है।
  - इस तरह की कार्रवाई से भारत को कम उत्सर्जन वृद्धि की दिशा में बढ़ने में भी मदद मिलेगी।
  - नए NDCs ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करने के लिये उच्चतम स्तर पर भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेंगे।
  - संशोधित NDCs के परिणामस्वरूप अकेले भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य से उत्सर्जन में सालाना 60 मिलियन टन की कमी आएगी।
- **अन्य NDCs:**
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाना।
  - वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन (BT) कम करना।
  - वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।

INDIA'S CLIMATE TARGETS: EXISTING AND NEW

Target (for 2030)	Existing: First NDC (2015)	New: Updated NDC (2022)	Progress
Emission intensity reduction	33-35 per cent from 2005 levels	45 per cent from 2005 levels	24 per cent reduction achieved in 2016 itself. Estimated to have reached 30 per cent
Share of non-fossil fuels in installed electricity capacity	40 per cent	50 per cent	41.5 per cent achieved by the end of June this year
Carbon sink	Creation of 2.5 to 3 billion tonnes of additional sink through afforestation	Same as earlier	Not clear.

नोट :

जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास:

- **परिवहन क्षेत्र में सुधार:**
  - भारत (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक) वाहन योजना को तेज़ी से अपना रहा है तथा विनिर्माण के साथ ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
  - पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिये स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति मौजूदा योजनाओं की पूरक है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में प्रोत्साहन:**
  - भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक 'EV30@30 अभियान' का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को कम-से-कम 30% करना है।
  - ग्लासगो में आयोजित COP26 में जलवायु परिवर्तन शमन के लिये भारत द्वारा पाँच तत्त्वों (जिसे 'पंचामृत' कहा गया है) की वकालत इसी दिशा में जताई गई प्रतिबद्धता है।
- **सरकारी योजनाओं की भूमिका:**
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 88 मिलियन परिवारों को कोयला आधारित खाना पकाने के ईंधन से एलपीजी कनेक्शन में स्थानांतरित करने में मदद की है।
- **निम्न-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका:**
  - भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पहले से ही जलवायु चुनौती से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ ग्राहकों एवं निवेशकों में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ बढ़ती नियामक तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं से सहायता मिल रही है।
- **हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:**
  - हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT):**
  - PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है।

UNFCCC CoP26:

- **परिचय:**
  - संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 को 2021 में ग्लासगो, यूके में आयोजित किया गया था।
- **बैठक का विवरण:**
  - **नए वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्य:**
    - ग्लासगो शिखर सम्मेलन ने विश्व के देशों से वर्ष 2022 में मिस्र में आयोजित COP27 तक अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य को और सशक्त बनाने पर विचार करने का आग्रह किया।
    - शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग को +1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य रखा और लगभग 140 देशों ने अपने उत्सर्जन को 'शुद्ध शून्य' (NET ZERO) तक लाने हेतु अपनी लक्षित तिथियों की घोषणा की।
    - यह उपलब्धि महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पेरिस समझौते में विकासशील देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिये सहमत नहीं हुए थे और उन्होंने केवल जीडीपी की 'उत्सर्जन-तीव्रता' को कम करने के प्रति सहमति जताई थी।.
    - भारत भी सर्वसम्मति से इसमें शामिल हो गया है और उसने वर्ष 2070 के अपने नेट-ज़ीरो लक्ष्य की घोषणा की है।
  - **ग्लासगो निर्णायक एजेंडा:**
    - ग्लासगो निर्णायक एजेंडा एक संभावित महत्त्वपूर्ण विकास है जो CoP26 (लेकिन CoP प्रक्रिया के अलग) से उभरा, जिसे 42 देशों (भारत सहित) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
    - यह स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं संधारणीय समाधानों में तीव्रता लाने के लिये एक सहकारी प्रयास है।
  - **चरणबद्ध रूप से कोयले की खपत में कमी:**
    - कोयला, जीवाश्म ईंधनों में सबसे प्रदूषणकारी है, अत: ईंधन-स्रोतों के रूप में इसके प्रयोग को अत्यधिक कम करने की आवश्यकता है।
    - यूरोपीय देशों ने इसकी खपत को कम करने की पुरजोर वकालत की है; हालाँकि विकासशील देशों ने इसका विरोध किया है।
    - भारत ने CoP26 में एक मध्यम-मार्ग, अर्थात् कोयला आधारित बिजली उत्पादन में "चरणबद्ध रूप से कमी लाने" का सुझाव दिया है।
- **बेहतर परिदृश्य:**
  - एक स्वतंत्र संगठन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर (CAT) द्वारा किये गए प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि घोषित लक्ष्य, अगर पूरी तरह से हासिल कर लिये जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को लगभग +1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है।
    - हालाँकि यह चेतावनी भी जारी की गई है कि वर्ष 2030 के लक्ष्य अपर्याप्त रूप से महत्त्वाकांक्षी हैं। यदि कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं तो वैश्विक स्तर पर तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस से 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

नोट :

भारत और सतत् विकास लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री (पर्यावरण, वन और जलवायु) ने कहा कि भारत लगातार अपने सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG):

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिये इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था
  - 17 SGDs एकीकृत हैं- इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करेगी और इनके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थिर/वहनीय विकास होगा।
  - यह पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है।
  - SDGs को गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिये बनाया गया है।
  - भारत ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से SDGs के 13वें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं।
    - यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है।

जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति:

- भारत ने वर्ष 2020 से पहले के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होने के बावजूद, वर्ष 2009 में भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 20-25% तक कम करने के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य की घोषणा की।
  - भारत ने वर्ष 2005 और 2016 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी की है।
- पेरिस समझौते के अनुसार, भारत ने वर्ष 2015 में UNFCCC में अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2021-2030 की अवधि के लिये आठ लक्ष्यों की रूपरेखा को शामिल किया गया है, ये हैं:
  - अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक कम करना।
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिये हरित जलवायु कोष (GCF) सहित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
  - वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।
  - अन्य लक्ष्य स्थायी जीवनशैली से संबंधित हैं; जलवायु के अनुकूल विकास पथ; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन; जलवायु वित्त; प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण।
  - जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये भारत की हालिया पहल (और इस तरह सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करना)- वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो, हरित ऊर्जा संक्रमण आदि।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC):

- उपर्युक्त लक्ष्यों के अलावा, भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना को भी लागू कर रही है जो शमन और अनुकूलन सहित सभी जलवायु कार्यों के लिये एक व्यापक नीतिगत ढाँचा प्रदान करती है।
- इसमें सौर ऊर्जा के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मुख्य मिशन शामिल हैं- ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, स्थायी आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हरित भारत, स्थायी कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिये रणनीतिक ज्ञान।
- 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने NAPCC के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना (SAPCC) तैयार की है।
- भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुकूलन गतिविधियों को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC) के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।

नोट :

- NAFCC को प्रोजेक्ट मोड में लागू किया गया है और अब तक 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में NAFCC के तहत 30 अनुकूलन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

आगे की राह

- भारत जैसे विविधता वाले देश में SDG हासिल करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है।
- हमें प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने, स्थानीय रूप से प्रासंगिक और जन-केंद्रित विकास नीतियाँ एवं मज़बूत भागीदारी बनाने की आवश्यकता है।
- सरकार को प्रभाव पर नज़र रखने और मूल्यांकन करने तथा सफल हस्तक्षेपों को बढ़ाने के लिये एक केंद्रित योजना की भी आवश्यकता है।

ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्ति की बहाली

चर्चा में क्यों ?

ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस (AIMS) की वार्षिक दीर्घकालिक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और मध्य ग्रेट बैरियर रीफ (GBR) में पिछले 36 वर्षों में प्रवाल भित्तियों के आवरण का उच्च स्तर देखा गया है।

- शोधकर्त्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण यह स्थिति शीघ्र ही विपरीत भी हो सकती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- **तीव्र पुन:प्राप्ति:**
  - इसमें कहा गया है कि भित्ति प्रणाली लचीली है और बढ़ते तापमान के तनाव, चक्रवात, शिकारी आक्रमणों जैसी घटना के बाद शीघ्र ही पहले जैसी स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम है।
  - यह पहली बार ऑस्ट्रेलियाई समुद्री विज्ञान संस्थान (AIMS) द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के बाद से उत्तरी और मध्य ग्रेट बैरियर रीफ में क्षेत्र-व्यापी प्रवाल भित्ति के आवरण के रिकॉर्ड स्तर को दर्शाता है।
    - कठोर प्रवालों के आवरण में वृद्धि का निर्धारण करके प्रवाल भित्ति के आवरण को मापा जाता है।
- **मध्य और उत्तरी क्षेत्र में विकास:**
  - उत्तरी ग्रेट बैरियर रीफ में कठोर प्रवाल आवरण 36% तक पहुँच गया था, जबकि मध्य क्षेत्र में यह 33% तक पहुँच गया था।
  - इस बीच दक्षिणी क्षेत्र में कोरल आवरण का स्तर वर्ष 2021 के 38% से गिरकर वर्ष 2022 में 34% हो गया।
- **एक्रोपोरा प्रवालों का प्रभुत्व:**
  - पुन: प्राप्ति के उच्च स्तर को तेज़ी से बढ़ते एक्रोपोरा कोरल में वृद्धि से बढ़ावा मिला है, जो ग्रेट बैरियर रीफ में अवस्थित एक प्रमुख प्रकार है।
  - संयोग से ये तेज़ी से बढ़ने वाले प्रवालों पर्यावरणीय दबावों जैसे बढ़ते तापमान, चक्रवात, प्रदूषण, क्राउन-ऑफ-थॉर्न स्टारफिश (COTs) के हमलों के लिये भी अतिसंवेदनशील होते हैं जो कठोर प्रवालों का शिकार करते हैं।
- **निम्न प्राकृतिक आपदाएँ:**
  - इसके अलावा रीफ के कुछ हिस्सों में हालिया पुन: प्राप्ति के पीछे, पिछले 12 महीनों में तीव्र तनाव के निम्न स्तर का बने रहना है जहाँ पर कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आया, वर्ष 2016 और 2017 के विपरीत वर्ष 2020 एवं वर्ष 2022 में तापमान के अपेक्षाकृत कम तनाव तथा COTs के प्रकोप में कमी इसका प्रमुख कारण है।

रिपोर्ट में उठाए मुद्दे:

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ने वाले तापमान का तनाव है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है।
  - कई वैश्विक पहलों के बावजूद सदी के अंत तक समुद्र के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भविष्यवाणी की गई है।
  - वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार, अगले दशक तक विश्व के औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है, जिस तापमान पर प्रवाल विरंजन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है तथा इसकी पुन: प्राप्ति की दर कम हो सकती है।

नोट :

- **बारंबार बड़े पैमाने पर विरंजन:**
  - हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाएँ अधिक बार हुई हैं।
  - पहली सामूहिक विरंजन की घटना वर्ष 1998 में हुई जब अल नीनो मौसम के प्रतिरूप के कारण समुद्र की सतह गर्म हो गई, जिससे दुनिया के 8% प्रवाल नष्ट गए।
  - दूसरी घटना वर्ष 2002 में हुई थी लेकिन सबसे व्यापक और सबसे हानिकारक विरंजन की घटना वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक हुई।
  - AIMS द्वारा किये गए हवाई सर्वेक्षण में 47 चट्टानें शामिल थीं और इनमें से 45 भित्तियों पर प्रवाल विरंजन दर्ज किया गया था।
    - जबकि प्रवाल मृत्यु का कारण बनने के लिये कारक पर्याप्त अधिक नहीं थे, हालाँकि इसने कम विकास और प्रजनन जैसे घातक प्रभाव छोड़े।

प्रवाल भित्ति:

- **परिचय:**
  - प्रवाल समुद्री अकशेरुकी या ऐसे जीव हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है।
  - वे पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाएँ हैं।
  - प्रत्येक प्रवाल/रीफ/मूंगे को पॉलीप कहा जाता है और ऐसे हज़ारों पॉलीप्स कॉलोनी बनाने के लिये एक साथ रहते हैं, जो तब बढ़ते हैं जब पॉलीप्स खुद की प्रतियाँ बनाने के लिये गुणन करते हैं।
- **प्रवाल दो प्रकार के होते हैं:**
  - कठोर कोरल:
    - वे कठोर, सफेद प्रवाल बाह्य कंकाल बनाने के लिये समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं।
    - वे एक तरह से भित्ति पारिस्थितिक तंत्र के इंजीनियर हैं और कठोर प्रवाल की सीमा को मापने के लिये प्रवाल भित्तियों की स्थिति व्यापक रूप से स्वीकृत पैमाना है।
  - **नरम/सॉफ्ट कोरल:**
    - ये अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए कंकालों और पुराने कंकालों से खुद को जोड़ लेते हैं।
    - सॉफ्ट कोरल भी वर्षों से अपने स्वयं के कंकालों को कठोर संरचना में परिवर्तित करतें हैं।
    - ये बढ़ती गुणकारी संरचनाएँ धीरे-धीरे प्रवाल भित्तियों का निर्माण करती हैं।
- **महत्त्व:**
  - वे 25% से अधिक समुद्री जैवविविधता का समर्थन करते हैं, भले ही वे समुद्र तल का केवल 1% हिस्सा ग्रहण करतें हैं।
  - भित्ति द्वारा समर्थित समुद्री जीवन वैश्विक मछली पकड़ने के उद्योगों को और बढ़ावा देता है।
    - इसके अलावा प्रवाल भित्ति प्रणाली वस्तु और सेवा व्यापार एवं पर्यटन के माध्यम से वार्षिक आर्थिक मूल्य में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करती है।

ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ:

- **परिचय:**
  - यह दुनिया का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम है जो 2,300 किमी. में फैला है और इसमें लगभग 3,000 व्यक्तिगत रीफ हैं।
  - इसके अलावा यह 400 विभिन्न प्रकार के प्रवालों का आवास स्थल है, मछलियों की 1,500 प्रजातियों और 4,000 प्रकार के मोलस्क को आश्रय देता है।
- **महत्त्व:**
  - कोविड-19 से पहले की अवधि में रीफ ने पर्यटन के माध्यम से सालाना 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न किये और गोताखोरों एवं गाइडों सहित 60,000 से अधिक लोगों को रोज़गार दिया।

आगे की राह

- इस अनुमान के साथ कि प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं, कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र पर मानव प्रभावों को कम करने के लिये सामाजिक स्तर के परिवर्तनों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन अब इस पर कोई चर्चा नहीं होती है।
- वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (SDG 14) की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये महासागर संसाधनों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
  - शीर्ष शिकारियों से रक्षा करने, संरक्षण के लिये प्रमुख शाकाहारी मछली प्रजातियों की पहचान करने, विनाशकारी मछली पकड़ने, नौका विहार और गोताखोरी को रोकने एवं मछली का प्रबंधन करने की अवश्यकता हैं।
    - फिर भी प्रवाल भित्तियों की रक्षा के लिये कार्बन-तटस्थ ग्रह हेतु ऊपर से नीचे तक ज़मीनी स्तर पर अधिक आक्रामक कार्रवाई और शिक्षा की आवश्यकता है।

नोट :

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 की जाँच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।।

- JPC ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा किये गये कई संशोधनों को स्वीकार कर लिया है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

- **परिचय:**
  - जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (BDA) को जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत् उपयोग, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के लिये अधिनियमित किया गया था।
- **विशेषताएँ:**
  - यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति या संगठन को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्वानुमोदन के बिना, उसके अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिये भारत में होने वाले किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त करने से रोकता है।
  - इस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने के लिये एक त्रि-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई थी:
    - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
    - राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)
    - जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) (स्थानीय स्तर पर)
  - अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में निर्धारित किया गया है।

जैव विविधता विधेयक 2021 में किये गये संशोधन

- भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना: यह "भारतीय चिकित्सा प्रणाली" को बढ़ावा देना चाहता है, और भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण के तेज़ ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह स्थानीय समुदायों को विशेष रूप से औषधीय मूल्य जैसे कि बीज के संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिये सशक्त बनाना चाहता है।
  - यह विधेयक किसानों को औषधीय पौधों की खेती बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उद्देश्यों से समझौता किये बिना इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है।
- कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना: यह जैविक संसाधनों की शृंखला में कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रयास करता है।
  - इन परिवर्तनों को वर्ष 2012 में भारत के नागोया प्रोटोकॉल (सामान्य संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत साझाकरण) के अनुसमर्थन के अनुरूप लाया गया था।
- विदेशी निवेश की अनुमति: यह जैव विविधता के अनुसंधान में विदेशी निवेश की भी अनुमति देता है हालाँकि यह निवेश आवश्यक रूप से जैवविविधता अनुसंधान में शामिल भारतीय कंपनियों के माध्यम से करना होगा
  - विदेशी संस्थाओं के लिये राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण से अनुमोदन आवश्यक है।
- आयुष चिकित्सकों को छूट: विधेयक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिये जैविक संसाधनों तक पहुँचने हेतु राज्य, जैवविविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है।

प्रस्तावित संशोधनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- संरक्षण की तुलना में व्यापार को प्राथमिकता: यह जैविक संसाधन संरक्षण अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य की कीमत पर बौद्धिक संपदा और वाणिज्यिक व्यापार को प्राथमिकता देता है।
- बायो-पायरेसी का खतरा: आयुष प्रैक्टिशनर्स (AYUSH Practitioners) को छूट के लिये अब मंज़ूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे 'बायो पायरेसी' (Biopiracy) का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - बायोपायरेसी के व्यापार में स्वाभाविक रूप से होने वाली आनुवंशिक या जैव रासायनिक सामग्री का दोहन करने की प्रथा है।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का हाशिये पर होना: प्रस्तावित संशोधन राज्य जैवविविधता बोर्डों को लाभ साझा करने की शर्तों को निर्धारित करने हेतु BMCs का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं।
  - जैवविविधता अधिनियम 2002 के तहत, राष्ट्रीय और राज्य जैवविविधता बोर्डों को जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय जैवविविधता प्रबंधन समितियों (प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गठित) से परामर्श करना आवश्यक है।

नोट :

- स्थानीय समुदाय को दरकिनार करना: विधेयक खेती वाले औषधीय पौधों को अधिनियम के दायरे से भी छूट देता है। हालाँकि यह पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि किन पौधों की खेती की जानी चाहिये और कौन-से पौधे जंगली हैं।
  - यह प्रावधान बड़ी कंपनियों को अधिनियम के दायरे और बेनिफिट-शेयरिंग प्रावधानों के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से बचने या स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने की अनुमति दे सकता है।

समिति की सिफारिशें:

- **जैविक संसाधनों का संरक्षण:**
  - जेपीसी ने सिफारिश की है कि, प्रस्तावित कानून के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों तथा स्थानीय समुदायों को जैविक संसाधनों के संरक्षक के रूप में स्पष्टत: परिभाषित करके सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **देशी चिकित्सा को बढ़ावा देना:**
  - औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर जंगली औषधीय पौधों पर दबाव कम करें।
  - संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन के उद्देश्यों से समझौता किये बिना भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान के फास्ट-ट्रैकिंग, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की सुविधा के माध्यम से स्वदेशी अनुसंधान और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना।
- **सतत् उपयोग को बढ़ावा देना:**
  - राज्य सरकार के परामर्श से जैविक संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन और सतत् उपयोग के लिये राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना।
- **नागरिक अपराध:**
  - एक नागरिक अपराध होने की वजह से, समिति ने आगे सिफारिश की है कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन में किसी भी अपराध में समानुपातिक दंड के साथ नागरिक दंड को भी शामिल किया जाना चाहिये ताकि उल्लंघनकर्त्ता किसी भी प्रकार से दण्ड प्रावधानों से न बच पाए।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अंतर्वाह:**
  - इसके अलावा भारत में कंपनी अधिनियम के अनुसार विदेशी कंपनियों एवं जैविक संसाधनों के उपयोग के लिये एक प्रोटोकॉल को परिभाषित कर, राष्ट्रीय हितों से समझौता किये बगैर अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की शृंखला में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता है।
- **आयुष चिकित्सकों को छूट:**
  - समिति ने स्पष्ट किया कि आयुष चिकित्सक जो आजीविका के पेशे के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति सहित स्वदेशी चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें जैविक संसाधनों तक पहुँचने के लिये राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना से छूट प्रदान की गई है।

टाइगर रेंज देशों का पूर्व शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने टाइगर रेंज देशों (TRCs) की पूर्व-शिखर बैठक की मेज़बानी की है।

- टाइगर रेंज कंट्रीज़ समिट 5 सितंबर, 2022 को रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाली है।
- जनवरी 2022 में बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी बाघों के पुनर्स्थापना के लिये दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है जिनका उपयोग अन्य टाइगर रेंज देशों द्वारा किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में चीन और इंडोनेशिया को छोड़कर टाइगर/बाघ रेंज के 12 देशों ने भाग लिया।
  - 13 टाइगर रेंज देश (TRC) हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्याँमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया।
- भारत, टाइगर रिज़र्व नेटवर्क के तहत देश के सभी संभावित बाघ आवासों को लाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- बैठक का उद्देश्य शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले बाघ संरक्षण पर घोषणा को अंतिम रूप देना है।

बाघ संरक्षण का महत्त्व:

- **पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण:**
  - बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - वनों को स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये जाना जाता है।
- **आहार श्रृंखला बनाए रखना:**
  - यह एक शीर्ष शिकारी है जो आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है और जंगली (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) आबादी को नियंत्रण में रखता है।

नोट :

- अत: बाघ शाकाहारियों का शिकार कर शाकाहारी और उस वनस्पति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर शाकाहारी जीव निर्भर करते हैं।

बाघ की संरक्षण स्थिति:

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021: अनुसूची 1
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त प्रजातियाँ
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट 1

बाघ संरक्षण में भारतीय परिदृश्य:

- भारत में 18 राज्यों में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 52 टाइगर रिज़र्व हैं।
- वैश्विक स्तर पर भारत में लगभग 75% जंगली बाघ हैं।
- भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से चार साल पहले वर्ष 2018 में ही बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया था।
- देश में 17 टाइगर रिज़र्व को कंज़र्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और दो टाइगर रिजर्व (सत्यमंगलम और पीलीभीत) को अंतर्राष्ट्रीय Tx2 पुरस्कार मिला है।
- भारत के कई टाइगर रेंज देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन हैं और जंगली बाघों को वापस लाने की दिशा में तकनीकी सहायता के लिये कंबोडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के एक अध्ययन में भारत के निकोबार द्वीपसमूह के कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में आने वाली कमी पर प्रकाश डाला गया है।

- इस अध्ययन से यह पता चलता है कि पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव किस हद तक नष्ट हो गए हैं।

मैंग्रोव:

- **परिचय:**
  - मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय पौधे हैं जो दलदल, खारे समुद्री जल और समय-समय पर आने वाले ज्वार से जलमग्न होने के अनुकूलित होते हैं।
- **विशेषताएँ:**
  - लवणीय वातावरण: ये अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण, जैसे उच्च लवण और निम्न ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं।
  - ऑक्सीजन की निम्न मात्रा: किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतक को श्वसन के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन मैंग्रोव वातावरण मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित रूप में या शून्य होती है।
    - साँस लेने के उद्देश्य से वे न्यूमेटोफोर नामक विशेष जड़ें विकसित करते हैं।
  - चरम स्थितियों में उत्तरजीविता: जलमग्न रहने के कारण मैंग्रोव के पेड़ गर्म, कीचड़युक्त और लवणीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं, जिसमें दूसरे पौधों जीवित नहीं रह पाते हैं।
  - विवियोपोरस: उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद ये बढ़ने लगते है।
    - परिपक्व अंकुर जल या कीचड़-युक्त स्थान में गिर जाता है और किसी अलग स्थान पर पहुँच कर ठोस ज़मीन में जड़ें जमा लेता है।
- **महत्त्व:**
  - मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों, रासायनिक तत्त्वों और महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों को बाँधते हैं।
  - वे समुद्री जीवों के लिये एक बुनियादी आहार शृंखला संसाधन प्रदान करते हैं।
  - वे समुद्री जीवों की एक विस्तृत विविधता के लिये भौतिक आवास और नर्सरी मैदान प्रदान करते हैं, जिनमें से कई महत्त्वपूर्ण मनोरंजक या वाणिज्यिक मूल्य रखते हैं।

नोट :

- मैंग्रोव उथले तटरेखा क्षेत्रों में हवा और लहर की क्रिया को कम करके तूफान बफर के रूप में भी कार्य करते हैं।

आच्छादित क्षेत्र

- **वैश्विक मैंग्रोव कवर**
  - विश्व में कुल 1,50,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र है।
  - विश्व भर में मैंग्रोव की सबसे बड़ी संख्या एशिया में है।
    - दक्षिण एशिया में दुनिया के मैंग्रोव कवर का 6.8% हिस्सा शामिल है।
- **भारतीय मैंग्रोव कवर:**
  - दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान 45.8% है।
  - भारतीय राज्य वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, भारत में मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।
  - सबसे बड़ा मैंग्रोव वन: पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।
    - सुंदरवन जंगल रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुअरीन मगरमच्छों का आवास है ।
  - भितरकनिका मैंग्रोव: भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ओडिशा में भितरकनिका है, जो ब्राह्मणी और बैतरनी नदी के दो नदी डेल्टाओं द्वारा बनाया गया है।
    - यह भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण रामसर आर्द्रभूमि में से एक है।
  - गोदावरी-कृष्णा मैंग्रोव, आंध्र प्रदेश: गोदावरी-कृष्णा मैंग्रोव ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले हुये हैं।

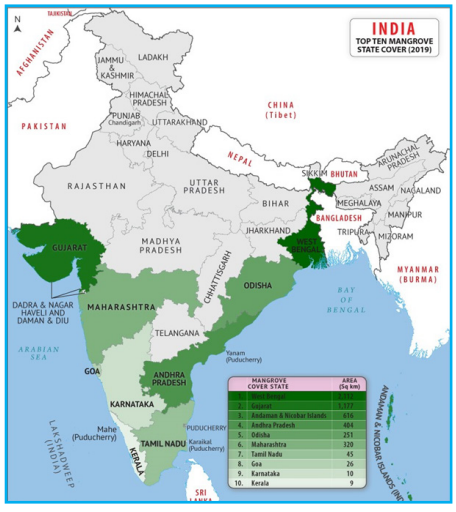

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन पूर्वी हिंद महासागर में निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप पर वर्ष 1992 और 2019 के बीच विलुप्त ज्वारीय आर्द्रभूमि की वास्तविक सीमा को दर्शाता है।
- अध्ययन में पाया गया कि तीन प्रकार की ज्वारीय आर्द्रभूमियों में से मैंग्रोव की क्षति का अनुपात सबसे अधिक था।
  - अन्य दो ज्वारीय आर्द्रभूमियों में ज्वारीय मडफ्लैट्स और दलदल थे।
- मैंग्रोव वन में वर्ष 1999 और 2019 के बीच 3,700 वर्ग किलोमीटर की अनुमानित शुद्ध कमी आई है।
  - क्षति के बावजूद 2,100 वर्ग किलोमीटर का लाभ हुआ है जो इन वनों की गतिशीलता को दर्शाता है।
- **क्षति के कारण:**
  - **प्राकृतिक कारण:**
    - वर्ष 2004 की सुनामी के दौरान 9.2 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके दौरान द्वीपों की भूमि 3 मीटर (10 फीट) तक नीचे धंस गई थी।
    - इसने कई मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों को जलमग्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में 90% से अधिक मैंग्रोव का नुकसान हुआ।
  - **अन्य कारक:**
    - समुद्र स्तर में वृद्धि, तटरेखा का कटाव, तूफान, परिवर्तित तलछट का प्रवाह और अवतलन।
- **मानव प्रेरित:**
  - लगभग 27% नुकसान और लाभ सीधे मानव गतिविधि के कारण हुए हैं।
    - मानव आर्द्रभूमि को विकास, जल परिवर्तन परियोजनाओं के माध्यम से या भूमि को कृषि या जलीय कृषि में परिवर्तित कर नष्ट कर देते हैं।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - मैंग्रोव कवर नष्ट होने के बाद दोबारा उत्पन्न होना बहुत कठिन है हालाँकि अन्य जगहों पर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि वे स्वत: उत्पन्न होकर आगे विकसित होतें हैं।

आगे की राह

- संरक्षण को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण सुरक्षा, और प्राकृतिक आपदाओं से किसी भी जोखिम को कम करने के साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की आवश्यकता है।
  - ऐसे उपायों को अग्रिम अनुकूलन उपायों के तौर पर अधिक समग्र रूप से अपनाने की आवश्यकता है जो सफल और प्रभावी प्रबंधन कर चुके हैं।

नोट :

भारत में रामसर स्थल

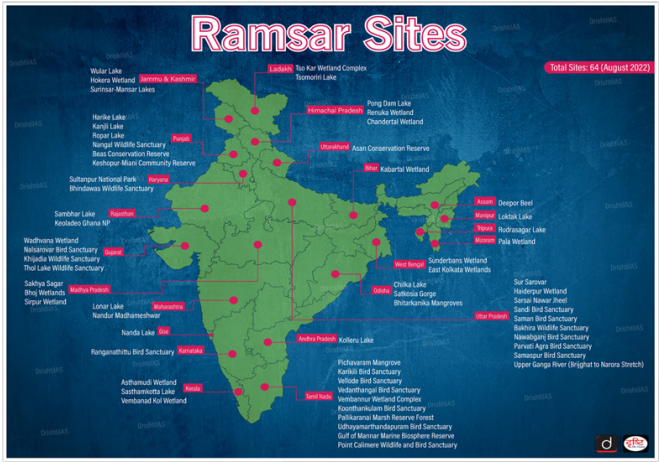

विश्व हाथी दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्त्व को स्वीकार करना है।

- यह हाथियों के द्वारा दैनिक जीवन में सामना करने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल देता है। हाथियों के अवैध शिकार, पालतू हाथियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उनके आवास को क्षति पहुँचाने जैसे कारकों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हाथी दिवस का महत्त्व:

- **परिचय:**
  - हाथियों को कई संस्कृतियों में पवित्र पशु माना जाता है और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये ये अति आवश्यक होते हैं।
    - हाथी जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं।
    - ये एक बुद्धिमान प्रजाति होती हैं, उनके पास किसी भी स्थल पर रहने वाले प्रजातियों की तुलना में आकार में सबसे बड़ा दिमाग पाया जाता है।
- **जनसंख्या:**
  - पिछले 75 वर्षों में हाथियों की आबादी में 50% की कमी आई है।
    - वर्तमान जनसंख्या अनुमान से संकेत मिलता है कि विश्व में लगभग 50,000-60000 एशियाई हाथी हैं।
    - भारत में विश्व की हाथियों की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है।
- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:**
  - विश्व हाथी दिवस अभियान वर्ष 2012 में अफ्रीकी और एशियाई हाथियों को होने वाली दिक्कतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
    - इस अभियान का उद्देश्य एक स्थायी वातावरण का निर्माण करना है जहाँ हाथियों के साथ होने वाले शोषण को रोका जा सके और उनकी देखभाल की जा सके।
  - विश्व हाथी दिवस को पहली बार कनाडा के फिल्म निर्माता माइकल क्लार्क और पेट्रीसिया सिम्स द्वारा थाईलैंड स्थित हाथी प्रजनन फाउंडेशन के साथ मनाया गया था।
    - वर्ष 2012 में पेट्रीसिया सिम्स ने वर्ल्ड एलीफेंट सोसाइटी नामक एक संगठन की स्थापना की।
    - संगठन हाथियों के सामने आने वाले खतरों और विश्व स्तर पर उनकी रक्षा करने की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता पैदा करने में सफल रहा है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN की रेडलिस्ट में स्थिति: संकटग्रस्त।
    - अफ्रीकी जंगली हाथी- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - अफ्रीकी सवाना हाथी- लुप्तप्राय
    - एशियाई हाथी - लुप्तप्राय
  - प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन (सीएमएस): परिशिष्ट I
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-1

भारत में हाथियों से संबंधित मुद्दे:

- प्रोजेक्ट एलीफैंट द्वारा वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे अधिक संख्या (29,964 अनुमानित) है, जो कि हाथियों की वैश्विक आबादी का लगभग 60% है।
  - **मानव-हाथी संघर्ष:**
    - मनुष्यों और हाथियों के बीच टकराव को मानव-हाथी संघर्ष (HEC) कहा जाता है, जो मुख्य रूप से अधिवास को लेकर होता है तथा सरकारों, संरक्षणवादियों और जंगली जानवरों के करीब रहने वाले लोगों के लिये देश भर में एक प्रमुख चिंता का विषय है।
  - **प्राकृतिक आवास की क्षति:**
    - प्राकृतिक आवास की क्षति और विखंडन जंगली हाथियों को मानव बस्तियों के करीब ला रहा है जो इन संघर्षों को जन्म देता है।
    - प्रत्येक वर्ष हाथियों के साथ संघर्ष में 500 से अधिक इंसानों की मृत्यु हो जाती है तथा लाखों की फसल और संपत्ति का भी नुकसान होता है।
    - संघर्ष के कारण प्रतिशोध में कई हाथी भी मारे जाते हैं।

नोट :

सरकार द्वारा की गई पहल:

- **प्रोजेक्ट एलीफैंट:** इसे 1991-92 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
  - वर्ष 2007, 2012 और 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया जिसमें कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान है।
- **हाथी रिज़र्व:** यह भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित एक प्रबंधन इकाई है।
  - इसमें संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र, गलियारे और निजी/आरक्षित भूमि शामिल हैं।
  - अगस्त्यमलाई (तमिलनाडु) देश का 32वाँ हाथी अभ्यारण्य होगा।
- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring of Illegal Killing of Elephants- MIKE) कार्यक्रम: इसे CITES के पक्षकारों का सम्मेलन (Conference Of Parties- COP) द्वारा अज्ञापित किया गया है।
  - इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में (वर्ष 2003) निम्नलिखित उद्देश्य के साथ की गई थी:
    - हाथी रेंज देशों के लिये उचित प्रबंधन और प्रवर्तन निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिये।
    - हाथी आबादी के दीर्घकालिक प्रबंधन हेतु रेंज देशों के भीतर संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिये।
  - **भारत में माइक स्थल:**
    - चिरांग-रिपू हाथी रिज़र्व (असम)
    - देवमाली हाथी रिज़र्व (अरुणाचल प्रदेश)
    - देहिंग पटकई हाथी रिज़र्व (असम)
    - गारो हिल्स हाथी रिज़र्व (मेघालय)
    - पूर्वी दूआर हाथी रिज़र्व (पश्चिम बंगाल)
    - मयूरभंज हाथी रिज़र्व (ओडिशा)
    - शिवालिक हाथी रिज़र्व (उत्तराखंड)
    - मैसूर हाथी रिज़र्व (कर्नाटक)
    - नीलगिरी हाथी रिज़र्व (तमिलनाडु)
    - वायनाड हाथी रिज़र्व (केरल)

The Vision

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में विभिन्न सुधारों पर चर्चा के लिये वित्त मंत्री और बैंक प्रमुखों के बीच बैठक हुई है।।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs):

- **परिचय:**
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
  - RRB वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
  - RRB ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के साथ सहकारी विशेषताओं और वाणिज्यिक बैंक की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का विस्तार करतें हैं।
  - वर्ष 1990 के दशक में सुधारों के बाद सरकार ने वर्ष 2005-06 में समेकन कार्यक्रम शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप RRB की संख्या वर्ष 2005 में 196 से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 43 हो गई और इन 43 RRBs में से 30 ने शुद्ध लाभ प्रदान किये।
- **कार्य:**
  - बैंक के बुनियादी कार्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
    - ग्राहकों की बचत को सुरक्षा प्रदान करने के लिये,
    - ऋण और पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिये,
    - वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिये,
    - जनता की बचत जुटाने के लिये,
    - अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिये ताकि समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके,
    - सभी ग्राहकों को उनकी आय के स्तर की परवाह किये बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये,
    - समाज के हर तबके को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके सामाजिक समानता लाना।

RRBs से संबंधित चुनौतियाँ:

- **बढ़ती लागत:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के संचालन की बढ़ती लागत।
  - सरकार चाहती है कि वे अपनी कमाई बढ़ाने की दिशा में काम करें।
- **सीमित गतिविधियाँ:** कई शाखाओं के पास पर्याप्त व्यवसाय नहीं है, जिसके कारण उन्हें घाटा हो रहा है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं की पेशकश करते हैं।
- **सीमित इंटरनेट बैंकिंग:** वर्तमान में केवल 19 RRBs के पास इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएँ हैं और 37 के पास मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस हैं।
  - मौजूदा नियम केवल उन्हीं RRBs को इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश करने की अनुमति देते हैं जो न्यूनतम वैधानिक पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) 10% से अधिक बनाए रखते हैं।

सरकार के सुझाव:

- सरकार ने RRBs को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को ऋण देने के माध्यम से अपने साख आधार का विस्तार करने सहित डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के लिये कहा है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
- सरकार ने प्रायोजक बैंकों से RRBs को और मज़बूत करने, महामारी के बाद आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिये समयबद्ध तरीके से एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया।
  - साथ ही RRB पर एक कार्यशाला आयोजित करने और परस्पर सर्वोत्तम उपायों को साझा करने का सुझाव दिया।

सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये गए सुधार:

- वर्षों से भारत की वित्तीय प्रणाली में लोगों के योगदान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
  - वर्ष 1969 में भारत में मौजूद कई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा सुधार हुआ इसी क्रम में वर्ष 1981 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई थी।
    - नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थायी और निष्पक्ष कृषि को बढ़ावा देना और प्रभावी ऋण सहायता, संबंधित सेवाओं, संस्था विकास और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना था।
- इसलिये नाबार्ड, RRBs को पुनर्जीवित करने की पहल का नेतृत्व करेगा।
  - इसके अलावा, विकास बैंक पहले से ही 22 RRBs के लिये एक रोडमैप पर काम कर रहा है, जिसके इस वर्ष के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।

नोट :

- इस योजना में RRBs की शाखाओं द्वारा व्यवसाय के एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाने पर इन्हें प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
- पिछले वर्ष भारत सरकार ने क्षेत्रीय ऋणदाताओं को सशक्त करने हेतु सलाह देने के लिये नाबार्ड और RBI के सदस्यों के साथ एक पैनल का गठन किया था।
  - सरकार ने वित्तीय-वर्ष 2021-22 में RRBs के पुनर्पूंजीकरण के लिये 4,084 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जिसमें से 21 उधारदाताओं को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये 3,197 करोड़ रुपये जारी किये गए।

आगे की राह:

- कोर बैंकिंग समाधान (CBS) की तर्ज़ पर RRBs के लिये एक सामान्य ढाँचे की आवश्यकता है, ताकि वे सभी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर सकें और अपनी पहुँच और लाभप्रदता को बढ़ा सकें।
- इंटरनेट बैंकिंग जैसी अन्य सुविधाओं का भी समावेश करना चाहिये।
- इसके अलावा उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने और बैंकिंग के विभिन्न अन्य आयामों तक पहुँचने की ज़रूरत है, जैसे व्यापारियों को ऋण प्रदान करना, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकें।

भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम 2022-23 (अक्तूबर-सितंबर) के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

- चीनी की 10.25 प्रतिशत रिकवरी के लिय प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये 3.05 रुपये/ क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिये 3.05 रुपये प्रति/ क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में कमी होगी।
- रिकवरी दर गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा है और गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक कीमत बाज़ार में मिलती है।

गन्ने की खेती:

- **तापमान :** उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- **वर्षा:** लगभग 75-100 सेमी.।
- **मिट्टी का प्रकार:** गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी।
- **शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य:** महाराष्ट्र>उत्तर प्रदेश> कर्नाटक
- इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
- इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है।
- चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं- चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना (SEFASU) और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना।

गन्ने का मूल्य निर्धारण:

- गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार (संघीय सरकार) और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- केंद्र सरकार : उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)
  - केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित किये जाते हैं।
    - CCEA की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है।
  - FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर बनी रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- राज्य सरकार: राज्य परामर्श मूल्य (SAP)
  - प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा SAP की घोषणा की जाती है।
  - SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।

भारत में गन्ना क्षेत्र की स्थिति:

- **सबसे बड़ा उत्पादक:**
  - भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।
    - भारत ने चालू चीनी सीज़न 2021-22 में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है।
  - न्यूनतम मूल्य, गन्ने की गारंटीकृत बिक्री और चीनी के सार्वजनिक वितरण सहित उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने भारत को सबसे बड़ा उत्पादक बनने में सहायता की है
  - हालाँकि वर्षा की कमी, भूजल स्तर में गिरावट, गन्ना किसानों को भुगतान में देरी, अन्य फसलों की तुलना में कम शुद्ध आय (किसान के लिये), श्रम की कमी और श्रम की बढ़ती लागत, इसके बाद कोविड -19 महामारी जैसे कारक समग्र रूप से चीनी क्षेत्र के लिये चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं।

नोट :

- **दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक:**
  - ब्राज़ील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
  - भारत ने घरेलू खपत के लिये अपनी आवश्यकता को पूरा करने के अलावा चीनी का निर्यात भी किया है जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायता मिली है।
  - चालू चीनी सीज़न 2021-22 में अगस्त 2022 तक लगभग 100 LMT चीनी का निर्यात किया गया है, जिसके 112 LMT तक पहुँचने की संभावना है।
- **आत्मनिर्भर बनना:**
  - इससे पहले चीनी मिलें राजस्व उत्पन्न करने के लिये मुख्य रूप से चीनी के विक्रय पर निर्भर थीं। किसी भी मौसम में अधिशेष उत्पादन उनकी तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे किसानों का गन्ना मूल्य बकाया हो जाता है।
  - हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग ने आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली है।
    - वर्ष 2013-14 में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों को लगभग 49,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
    - चालू चीनी सीज़न 2021-22 में चीनी मिलों द्वारा OMCs को इथेनॉल की बिक्री से अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है;
  - केंद्र सरकार द्वारा किये गए उपायों और FRP में वृद्धि ने किसानों को गन्ने की खेती के लिये प्रोत्साहित किया है और चीनी के घरेलू निर्माण के लिये चीनी कारखानों के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान की है।

सरकार द्वारा चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के कारण:

- भारत सरकार कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) को बढ़ावा दे रही है।
  - वर्तमान में भारत अपनी ज़रूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है।
- इसके अलावा कच्चे तेल पर आयात बिल को कम करने, प्रदूषण को कम करने और देश को पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये, सरकार पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तहत इथेनॉल के उत्पादन तथा पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने के मार्ग पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है।
  - वर्तमान चीनी सीज़न वर्ष 2021-22 में लगभग 35 LMT चीनी को इथेनॉल में बदले जाने का अनुमान है, और वर्ष 2025-26 तक 60 LMT से अधिक चीनी को इथेनॉल में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अतिरिक्त गन्ने की समस्या के साथ-साथ विलंब से होने वाले भुगतान का भी समाधान करेगा, क्योंकि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान प्राप्त होगा।
- सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10 प्रतिशत मिश्रण का और वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

चीनी उद्योग से जुड़ी चुनौतियाँ

- मूल्य निर्धारण नियंत्रण: मांग-आपूर्ति असंतुलन को रोकने के लिये केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों जैसे- निर्यात शुल्क, चीनी मिलों पर स्टॉक सीमा लगाना, मौसम विज्ञान नियम में बदलाव आदि के माध्यम से चीनी की कीमतों को नियंत्रित कर रही हैं।
  - हालाँकि मूल्य निर्धारण के लिये सरकारी नियंत्रण प्रकृति में लोक-लुभावन है और इससे अक्सर मूल्य विकृति उत्पन्न होती है।
  - इससे चीनी चक्र का बड़े पैमाने पर अधिशेष और गंभीर कमी के बीच दोलन शुरू हो गया है।
- उच्च आगत और कम उत्पादन लागत: गन्ने की कीमतों में निरंतर वृद्धि की पृष्ठभूमि में हाल के वर्षों में चीनी की गिरती/स्थिर कीमत पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का मुख्य कारण है।
  - इसकी वजह से सरकार को बड़े स्तर पर गन्ना अधिशेष की स्थिति से जूझना पड़ा, जबकि यह उद्योग समय-समय पर सरकार द्वारा वित्तपोषित बेल-आउट पैकेज और सब्सिडी पर जीवित रहा है।
  - व्यवसाय की अव्यवहार्यता के कारण चीनी उद्योग में कोई नया निजी निवेश नहीं किया जा रहा है।
- चीनी निर्यात अव्यवहार्यता: भारतीय निर्यात अव्यावहारिक है क्योंकि चीनी उत्पादन की लागत अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य से काफी अधिक है।
  - सरकार ने निर्यात सब्सिडी प्रदान करके मूल्य अंतर को समाप्त करने की मांग की, लेकिन विश्व व्यापार संगठन में अन्य देशों द्वारा इसका तुरंत विरोध किया गया।
  - इसके अलावा कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत भारत को दिसंबर, 2023 तक सब्सिडी जारी रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन यह समस्या है कि वर्ष 2023 के बाद क्या होगा।
- भारत के इथेनॉल कार्यक्रम का निराशाजनक प्रदर्शन: ऑटो ईंधन के रूप में उपयोग के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण, पहली बार वर्ष 2003 में घोषित किया गया था, लेकिन समस्या कभी समाप्त नहीं हुई।

नोट :

- जैसे,सम्मिश्रण के लिये आपूर्ति किये गए इथेनॉल की खराब मूल्य निर्धारण, चीनी की आवधिक कमी और पीने योग्य शराब क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धि मांग।

आगे की राह

- गन्ना क्षेत्रों के मानचित्रण के लिये सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों को तैनात करने की आवश्यकता है।
  - भारत में जल, खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों में गन्ने के महत्त्व के बावजूद हाल के वर्षों और समय शृंखला में गन्ने का कोई विश्वसनीय रोडमैप नहीं है।
- गन्ने में अनुसंधान और विकास कम उपज तथा कम चीनी प्रतिलाभ दर जैसे मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है।
- रंगराजन समिति ने चीनी और अन्य उप-उत्पादों की कीमत में गन्ना मूल्य कारक तय करने के लिये एक राजस्व बँटवारा फॉर्मूला सुझाया है।
  - इसके अलावा यदि गन्ने का मूल्य फॉर्मूला द्वारा निकाला जाता है, जिसे सरकार उचित या निर्धारित भुगतान के रूप में मानती है, से नीचे चला जाता है, तो यह इस उद्देश्य के लिये बनाए गए समर्पित फंड के अंतर को समाप्त कर सकता है वही फंड बनाने के लिये उपकर लगाया जा सकता है।
- सरकार को एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिये। यह देश के तेल आयात लागत को कम करेगा और सुक्रोज़ को इथेनॉल में बदलने एवं चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को संतुलित करने में मदद करेगा।

भारत का अद्वितीय रोज़गार संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में कृषि में कम लोग कार्यरत हैं, इसके वाबजूद परिवर्तन कमज़ोर रहा है।

- कृषि कार्य को छोड़ने वाले लोग कारखानों की तुलना में निर्माण स्थलों और असंगठित अर्थव्यवस्था में अधिक संख्या में काम कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में रोज़गार:

- वर्ष1993-94 में कृषि देश की नियोजित श्रम शक्ति का लगभग 62% थी।
- कृषि में श्रम प्रतिशत (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आँकड़ों के आधार पर) वर्ष 2004-05 तक लगभग 6% अंक और अगले सात वर्षों में 9% अंक गिर गया।
  - गिरावट की प्रवृत्ति बाद के सात वर्षों में भी धीमी गति से जारी रही।
- वर्ष 1993-94 और वर्ष 2018-19 के बीच भारत के कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 61.9% से घटकर 41.4% हो गई।
  - यह अनुमान है कि वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद स्तर के अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र में कुल कार्यबल का 33-34% कार्यरत होना चाहिये।
    - अर्थात् यह 41.4% औसत कार्यबल से पर्याप्त विचलन को नहीं दर्शाता है।

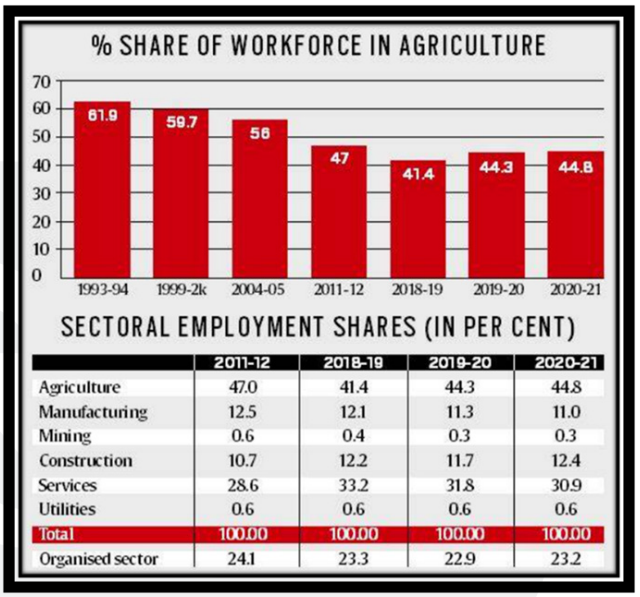

SECTORAL EMPLOYMENT SHARES (IN PER CENT)

	2011-12	2018-19	2019-20	2020-21
Agriculture	47.0	41.4	44.3	44.8
Manufacturing	12.5	12.1	11.3	11.0
Mining	0.6	0.4	0.3	0.3
Construction	10.7	12.2	11.7	12.4
Services	28.6	33.2	31.8	30.9
Utilities	0.6	0.6	0.6	0.6
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Organised sector	24.1	23.3	22.9	23.2

भारत में रोज़गार प्रवृत्ति:

- **कृषि:**
  - **प्रवृत्ति का उत्क्रमण:**
    - पिछले दो वर्षों में प्रवृत्ति में बदलाव आया है, जिससे वर्ष 2020-21 में कृषि में कार्यरत लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 44-45% हो गई है।
    - यह मुख्य रूप से कोविड-प्रेरित आर्थिक व्यवधानों से संबंधित है।
  - **संरचनात्मक परिवर्तन:**
    - यहाँ तक कि पिछले तीन दशकों या उससे अधिक समय में भारत में कृषि से श्रम का जो पलायन देखा गया वह उस योग्य नहीं है जिसे अर्थशास्त्री "संरचनात्मक परिवर्तन" कहते हैं।
    - संरचनात्मक परिवर्तन में कृषि से श्रम का स्थानांतरण उन क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं जहाँ उत्पादकता, मूल्यवर्द्धन तथा औसत आय अधिक है, में होना शामिल है।
    - हालाँकि कुल रोज़गार में कृषि के साथ ही विनिर्माण (और खनन) का भी हिस्सा कम हुआ है।

नोट :

- कृषि से अधिशेष श्रम को बड़े पैमाने पर निर्माण और सेवाओं में समाहित किया जा रहा है।
- भारत में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया कमज़ोर और दोषपूर्ण रही है।
- कोविड के कारण अस्थायी रूप से ठप होने के बावजूद कृषि से अलग क्षेत्रों में मजदूरों की आवाजाही जारी है।
- लेकिन वह अधिशेष श्रम उच्च मूल्यवर्द्धित गैर-कृषि गतिविधियों विशेष रूप से विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं की ओर नहीं बढ़ रहा है।
- श्रम हस्तांतरण कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर हो रहा है।

- **सेवा क्षेत्र:**
  - सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, दूरसंचार, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और लोक प्रशासन जैसे अपेक्षाकृत अच्छी तरह से भुगतान करने वाले उद्योग शामिल हैं।
    - इस मामले में अधिकांश नौकरियाँ छोटी खुदरा बिक्री, छोटे भोजनालयों, घरेलू मदद, स्वच्छता, सुरक्षा स्टाफ, परिवहन और इसी तरह की अन्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हैं।
    - यह संगठित उद्यमों में रोज़गार के कम हिस्से से भी स्पष्ट है, जिन्हें 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोज़गार के बढ़ते अवसर:

- वर्ष 2020-22 के बीच भारत की शीर्ष पाँच आईटी कंपनियों (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ और टेक महिंद्रा) में संयुक्त कर्मचारियों की संख्या55 लाख से बढ़कर 15.69 लाख हो गई है।
  - महामारी के बाद की अवधि में यह 4.14 लाख या लगभग 36% की वृद्धि है, जब कृषि को छोड़कर अधिकांश अन्य क्षेत्र नौकरियों और वेतन में कमी कर रहे थे।
  - इन पाँच कंपनियों में संयुक्त रोज़गार की संख्या, भारतीय रेलवे और तीन रक्षा सेवाओं के संयुक्त रोज़गार की तुलना में अधिक हैं।
- आईटी क्षेत्र में हाल की अधिकांश सफलता निर्यात के परिणामस्वरूप है।
  - भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं में शुद्ध निर्यात वर्ष 2019-20 में 84.64 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 109.54 बिलियन डॉलर हो गया है।

बेरोज़गारी पर अंकुश लगाने हेतु संभावित उपाय:

- **कृषि में संलग्न श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना:**
  - सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में संलग्न कार्यबल के कौशल को बढ़ाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
    - कृषि क्षेत्र में कौशल तथा ज्ञान को बढ़ावा देने से यह दोहरा लाभ प्रदान करेगा और साथ ही श्रमिकों को रोज़गार के अन्य बेहतर क्षेत्रों की तलाश करने में मदद करेगा।
- **श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावा देना:**
  - भारत में कई श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र हैं जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के उत्पाद एवं फर्नीचर, परिधान, टेक्सटाइल व वस्त्र आदि।
    - रोज़गार सृजित करने के लिये प्रत्येक उद्योग को विशेष पैकेज की आवश्यकता होती है।
- **उद्योगों का विकेंद्रीकरण:**
  - प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिये औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी जिससे शहरी क्षेत्र में रोज़गार पर दबाव कम होगा।
- **सरकार की पहल:**
  - "आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (स्माइल)
  - पीएम दक्ष योजना
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
  - स्टार्टअप इंडिया योजना

बेरोज़गारी के प्रकार:

- **प्रच्छन्न बेरोज़गारी:**
  - यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है।
- **मौसमी बेरोज़गारी:**
  - यह बेरोज़गारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
  - भारत में खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है।

नोट :

- **संरचनात्मक बेरोज़गारी:**
  - यह बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोज़गारी की एक श्रेणी है।
- **चक्रीय बेरोज़गारी:**
  - यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
- **तकनीकी बेरोज़गारी:**
  - यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण रोज़गार में आई कमी है।
- **घर्षण बेरोज़गारी:**
  - घर्षण बेरोज़गारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियाँ बदल रहा होता है, यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है।
- **सुभेद्य रोज़गार:**
  - इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।
  - इन व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी नहीं बनाया जाता है।

आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म- एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज़्म - एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड' (Outbound Travel and Tourism - An Opportunity Untapped) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जो दर्शाती है कि भारत का आउटबाउंड (निर्गामी) पर्यटन वर्ष 2024 तक 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा।

- आउटबाउंड पर्यटन का तात्पर्य, पर्यटन के प्रयोजन से 'मूल देश से बाहर' की गई यात्राओं से है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- भारतीय आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है, जिसमें लगभग 80 मिलियन पासपोर्ट स्तर की क्रय शक्ति है, विशेषकर मध्यम वर्ग के बीच।
- बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ, भारत आदर्श रूप से दुनिया के सबसे आकर्षक आउटबाउंड पर्यटन बाज़ारों में से एक बनने की स्थिति में है।
- यूरोप में पहुँचने वाले 20% पर्यटक भारत के आउटबाउंड पर्यटन की गतिविधि से संबंधित हैं। 10% ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की यात्रा करते हैं, जबकि शेष पर्यटक दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करते हैं।
- वर्ष 2021 में भारतीयों ने वर्ष 2019 के 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में आउटबाउंड यात्राओं में लगभग 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये। हालाँकि खर्च में आई इस कमी का एक कारण कोविड जैसी महामारियों का प्रसार भी है, ये आँकड़े उस विशाल मूल्य को इंगित करते हैं जो भारतीय आउटबाउंड यात्रियों से प्राप्त किया जा सकता है।

सिफारिशें:

- सरकार लोकप्रिय और आगामी गंतव्यों के लिये सीधे संपर्क बढ़ाने, विदेशी क्रूज़ जहाज़ों को भारतीय समुद्री सीमा में संचालित करने की अनुमति देने के अलावा आउटबाउंड पर्यटन बाज़ार को बढ़ावा देने के लिये कई मुद्दों पर ठोस एवं समन्वित प्रयास करने जैसे कदमों पर विचार कर सकती है।
- विदेशी क्रूज जहाज़ों को भारतीय गंतव्यों को एक स्टॉप के रूप में शामिल करने की अनुमति देने से इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही भारतीय बंदरगाहों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
- विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और उनकी नीतियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ भारत इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिये पर्यटक-अनुकूल देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित कर सकता है।

भारत में पर्यटन परिदृश्य:

- **परिचय:**
- भारत ने अतीत में अपने कल्पित धन के कारण बहुत से यात्रियों को आकर्षित किया। चीनी बौद्ध धर्मनिष्ठ ह्वेनसांग की यात्रा इसका एक उदाहरण है।
- तीर्थयात्रा को तब बढ़ावा मिला जब अशोक और हर्ष जैसे सम्राटों ने तीर्थयात्रियों के लिये विश्राम गृह बनाना शुरू किया।
- अर्थशास्त्र 'राज्य के लिये यात्रा बुनियादी ढाँचे के महत्त्व को इंगित करता है, जिसने अतीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- स्वतंत्रता के बाद पर्यटन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं (FYP) का हिस्सा बना रहा।
- पर्यटन के विभिन्न रूपों जैसे- व्यापार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन आदि को भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया था।

नोट :

- **स्थिति:**
- विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की वर्ष 2019 की रिपोर्ट में विश्व सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान के मामले में भारत के पर्यटन को 10वें स्थान पर रखा गया है।
- वर्ष 2019 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 6.8%, 13,68,100 करोड़ रुपए (194.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था।
- भारत में अब तक वर्ष 2021 में 40 साइटें 'विश्व विरासत सूची' के तहत सूचीबद्ध हैं, जो दुनिया में छठा (32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल) स्थान है।
- धोलावीरा और रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) नवीनतम हैं।
- वित्त वर्ष 2020 में भारत में पर्यटन क्षेत्र में 39 मिलियन नौकरियों का योगदान था, जो कि देश में कुल रोज़गार का 8.0% था। वर्ष 2029 तक इसके तहत लगभग 53 मिलियन नौकरियाँ सृजित होने की उम्मीद है।
- **महत्त्व:**
  - **सेवा क्षेत्र:**
    - यह सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देता है। पर्यटन उद्योग के विकास के साथ एयरलाइन, होटल, भूतल परिवहन आदि जैसे सेवा क्षेत्र में लगे व्यवसायों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
  - **विदेशी मुद्रा:**
    - विदेशी यात्री विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भारत की सहायता करते हैं।
    - वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक विदेशी मुद्रा आय 7% की CAGR से बढ़ी, लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें गिरावट देखी गई।
  - **राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण:**
    - पर्यटन स्थलों के महत्त्व और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण के संरक्षण में मदद करता है।
  - **सांस्कृतिक गौरव:**
    - वैश्विक स्तर पर पर्यटन स्थलों की सराहना होने पर भारतीय निवासियों में गर्व की भावना पैदा होती है।
  - **ढाँचागत विकास:**
    - आजकल यात्रियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये अनेक पर्यटन स्थलों पर बहु-उपयोगी अवसंरचना विकसित की जा रही है।
  - **मान्यता:**
    - यह भारतीय पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर लाने, प्रशंसा अर्जित करने, मान्यता प्राप्त करने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की पहल करने में मदद करता है।
  - **सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा:**
    - एक सॉफ्ट पावर के रूप में पर्यटन, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने में मदद करता है, लोगों के मध्य जुड़ाव से भारत और अन्य देशों के बीच दोस्ती व सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **बुनियादी ढाँचे में कमी:**
    - भारत में पर्यटकों को अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे-खराब सड़कें, पानी, सीवर, होटल और दूरसंचार आदि।
  - **बचाव और सुरक्षा:**
    - पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर्यटन के विकास में एक बड़ी बाधा है। जो अन्य देशों के पर्यटकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
  - **कुशल जनशक्ति की कमी:**
    - कुशल जनशक्ति की कमी भारत में पर्यटन उद्योग के लिये एक और चुनौती है।
  - **मूलभूत सुविधाओं का अभाव:**
    - पर्यटन स्थलों पर पेयजल, सुव्यवस्थित शौचालय, प्राथमिक उपचार, अल्पाहारगृह आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
  - **मौसमी:**
    - अक्तूबर से मार्च तक छह महीने पर्यटन में मौसम के कारण कमी देखी जाती है, जबकि नवंबर और दिसंबर में भारी भीड़ रहती है।

पर्यटन संबंधी पहल:

- **स्वदेश दर्शन योजना:**
- **तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्द्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन:**
- **प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल**
- **बौद्ध सम्मेलन:**
- **देखो अपना देश' पहल:**

खाद्य मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI) जुलाई, 2022 में औसतन 140.9 अंक रहा, जो पिछले महीने के स्तर से 8.6% कम है और अक्तूबर, 2008 के बाद से सबसे तीव्र मासिक गिरावट है।

- यह उम्मीद की जाती है कि खाद्य मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक तेज़ी से कम हो सकती है।

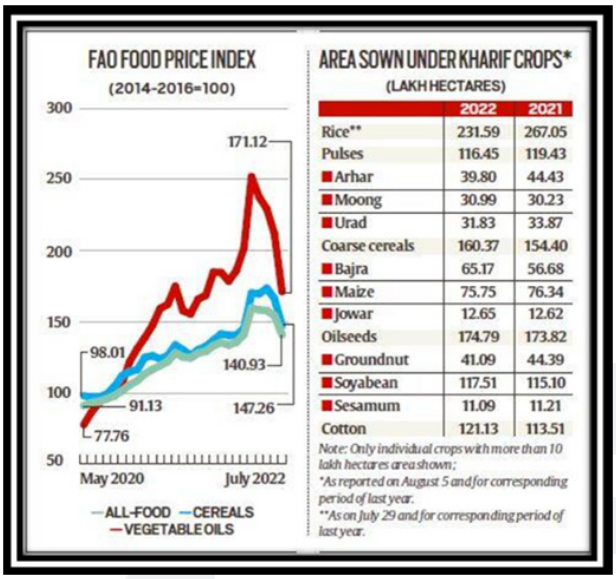

AREA SOWN UNDER KHARIF CROPS*
(LAKH HECTARES)

	2022	2021
Rice**	231.59	267.05
Pulses	116.45	119.43
Arhar	39.80	44.43
Moong	30.99	30.23
Urad	31.83	33.87
Coarse cereals	160.37	154.40
Bajra	65.17	56.68
Maize	75.75	76.34
Jowar	12.65	12.62
Oilseeds	174.79	173.82
Groundnut	41.09	44.39
Soyabean	117.51	115.10
Sesamum	11.09	11.21
Cotton	121.13	113.51

Note: Only individual crops with more than 10 lakh hectares area shown;
**As reported on August 5 and for corresponding period of last year.*
***As on July 29 and for corresponding period of last year.*

खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI):

- **परिचय:**
  - यह खाद्य वस्तुओं की टोकरी/समूह/बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
  - इसमें वर्ष 2014-2016 (आधार वर्ष) में प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेयरों द्वारा भारित पाँच कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है।
  - इसे वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि कमोडिटी बाज़ारों में विकास की निगरानी में मदद करने के लिये सार्वजनिक वस्तु के रूप में पेश किया गया था।
- **FFPI की प्रवृत्ति:**
  - फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद मार्च, 2022 में FFPI 159.7 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था।
  - नवीनतम इंडेक्स रीडिंग (जुलाई, 2022) अभी भी चल रहे युद्ध से पहले जनवरी, 2022 के 135.6 अंकों के बाद से सबसे कम है।
  - मार्च, 2022 और जुलाई, 2022 के बीच FFPI में संचयी रूप से 11.8% की गिरावट आई है।

FFPI में गिरावट के कारण:

- **वैश्विक:**
  - **काला सागर व्यापार मार्ग:**
    - काला सागर व्यापार मार्ग को खोलने के लिये संयुक्त राष्ट्र समर्थित समझौता रूसी खाद्य और उर्वरकों के निर्बाध शिपमेंट की अनुमति देता है।
    - अकेले रूस से वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में 40 मिलियन टन (mt) निर्यात किया जाने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 33 मिलियन टन से अधिक है।
  - **पाम ऑइल पर प्रतिबंध हटा:**
    - इंडोनेशिया ने मई, 2022 के अंत से पाम ऑयल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है।
  - **सोयाबीन की फसलें:**
    - अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे में सोयाबीन की बंपर फसल उत्पादन की संभावना है।
  - **महामारी का प्रभाव:**
    - प्रवासियों की आवाजाही और खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ कोविड-19 महामारी की वजह से आपूर्ति में व्यवधान भी कम हो रहा है।
- **घरेलू:**
  - **वर्षा:**
    - जून, 2022 से अगस्त, 2022 तक मौजूदा मानसून मौसम के दौरान संचयी वर्षा इस अवधि के ऐतिहासिक दीर्घकालिक औसत से 5.7% अधिक रही है।
    - उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को छोड़कर लगभग सभी कृषि-महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक अच्छी बारिश हुई है।
    - दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में औसत से अधिक वर्षा ने इस खरीफ (मानसून) मौसम में अधिकांश फसलों के रकबे में वृद्धि की है।

वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति का कारण:

- **मौसम:**
  - इसमें यूक्रेन (2020-21) और दक्षिण अमेरिका (2021-22) में सूखा शामिल था, जिसने विशेष रूप से सूरजमुखी एवं सोयाबीन की आपूर्ति को प्रभावित किया तथा मार्च-अप्रैल 2022 की गर्मी की लहर ने भारत में गेहूँ की फसल को बर्बाद कर दिया।
- **कोविड-19 महामारी:**
  - महामारी का मलेशिया के पाम ऑयल बागानों में आपूर्ति-पक्ष पर सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया जहाँ ताज़े फलों के गुच्छों की कटाई मुख्य रूप से इंडोनेशिया एवं बांग्लादेश के प्रवासी मज़दूरों द्वारा की जाती है।.
    - कोविड-19 के परिणामस्वरूप कई मज़दूर वापस चले गए और कोई नया वर्कपरमिट जारी नहीं किया गया जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक तथा निर्यातक देशों का उत्पादन कम हो गया।

नोट :

- **रूस-यूक्रेन युद्ध:**
  - इसने दोनों देशों से होने वाली आपूर्ति में व्यवधान पैदा किया, जो कि वर्ष 2019-20 (युद्ध-रहित, गैर-सूखा वर्ष) में दुनिया के गेहूँ का 28.5%, मक्का का 18.8%, जौ का 34.4% तथा सूरजमुखी तेल का 78.1% निर्यात करते थे।
- **निर्यात नियंत्रण:**
  - दिसंबर, 2020 में रूस द्वारा पहली बार नियंत्रण लगाया गया था, जो रिकॉर्ड गर्म तापमान के कारण उत्पन्न होने वाली घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति की आशंकाओं से प्रेरित था।
    - घरेलू आपूर्ति की चिंताओं के कारण मार्च-मई 2022 के दौरान इंडोनेशिया (दुनिया का नंबर 1 उत्पादक-सह-निर्यातक) ने पाम ऑयल पर और भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

खाद्य की वैश्विक कीमतों का घरेलू कीमतों पर प्रभाव:

- घरेलू खाद्य कीमतों के लिये वैश्विक मुद्रास्फीति का संचरण मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश की खपत/उत्पादन का कितना आयात/निर्यात किया जाता है।
  - इस संचरण का प्रभाव खाद्य तेलों और कपास के रूप में स्पष्ट है जिसमें भारत अपनी खपत का 2/3 और उत्पादन का 1/5 हिस्सा क्रमशः आयात तथा निर्यात करता है।
- गेहूँ के मामले में मार्च, 2022 के मध्य से गर्मी की लहर ने पैदावार को गंभीर रूप से प्रभावित किया, सार्वजनिक स्टॉक और समग्र घरेलू उपलब्धता दोनों पर दबाव देखा गया, यहाँ तक कि खुले बाज़ार की कीमतें निर्यात समता स्तर तक बढ़ गई हैं।
  - केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख मुफ्त अनाज योजना के तहत गेहूँ आवंटन को कम करने तथा अधिक चावल देने का निर्णय लिया है।
- चीनी एक ऐसी वस्तु है जिसमें मिलों द्वारा रिकॉर्ड निर्यात के बावजूद खुदरा कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं।
  - इसकी वजह अधिक उत्पादन होना भी है।

आगे की राह

- आयात नीति में एकरूपता होनी चाहिये क्योंकि यह अग्रिम रूप से उचित बाज़ार संकेत प्रदान करती है।
  - आयात शुल्क के माध्यम से हस्तक्षेप करना कोटा से बेहतर है जिसमें अधिक नुकसान होता है। यह उपग्रह, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके अधिक सटीक फसल पूर्वानुमानों की भी मांग करता है ताकि फसल वर्ष में बहुत पहले ही कमी/अधिशेष का संकेत मिल सके।
- इसके अलावा एक दशक पुराना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधार वर्ष 2011-12, जो खाद्य पदार्थों को लगभग आधा भारांक देता है, को संशोधित और अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि भोजन की आदतों एवं आबादी की जीवनशैली में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके।
  - बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि हुई है तथा इसे सीपीआई में बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, जिससे आरबीआई मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके।

विद्युत संशोधन विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विरोध के बीच विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में पेश किया गया और बाद में इसे आगे के विचार-विमर्श हेतु स्थायी समिति के पास भेजा गया।

- तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और अन्य राज्यों में कई विद्युत इंजीनियरों ने इस विधेयक का विरोध किया।

विद्युत संशोधन विधेयक, 2022

- **परिचय:**
  - विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 का उद्देश्य कई अभिकर्त्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्त्ताओं के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुँच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है।
- **निहितार्थ:**
  - विधेयक में विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है:
    - प्रतिस्पर्द्धा को सक्षम बनाने, उपभोक्ताओं हेतु सेवाओं में सुधार करने और बिजली क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये वितरण लाइसेंसधारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-भेदभावपूर्ण "खुली पहुँच" के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग को सुविधाजनक बनाना।
    - वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
    - आयोग द्वारा अधिकतम सीमा और न्यूनतम प्रशुल्क के अनिवार्य निर्धारण के अलावा वर्ष में प्रशुल्क में श्रेणीबद्ध संशोधन का प्रावधान करना।
    - दंड की दर को कारावास या जुर्माने से अर्थदंड में परिवर्तित करना।

नोट :

- नियामकों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों को मज़बूत करना।

विधेयक के खिलाफ विरोधकर्त्ताओं के तर्क:

- **संघीय संरचना:**
  - संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची III के आइटम 38 के रूप में 'बिजली' को सूचीबद्ध करता है, इसलिये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है।
    - प्रस्तावित संशोधनों भारत के संविधान के संघीय ढाँचे एवं 'मूल ढाँचे' का उल्लंघन किया जा रहा है।
- **विद्युत सब्सिडी:**
  - किसानों और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिये मुफ्त बिजली अंतत: खत्म हो जाएगी।
- **विभेदक वितरण:**
  - केवल सरकारी डिस्कॉम या वितरण कंपनियों के पास सार्वभौमिक बिजली आपूर्ति दायित्व होंगे।
    - इसलिये यह संभावना है कि निजी लाइसेंसधारी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना पसंद करेंगे।
    - ऐसा होने पर सरकारी डिस्कॉम से मुनाफा वाले क्षेत्र छीन लिये जाएंगे और वह घाटे में चल रही कंपनी बन जाएगी।

विधेयक का विद्युत कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर प्रभाव:

- **निजी आपूर्तिकर्त्ताओं का एकाधिकार:**
  - इससे सरकारी वितरण कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा और अंतत: देश के विद्युत क्षेत्र में कुछ निजी पार्टियों को एकाधिकार स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- **परिचालन मुद्दा:**
  - आपूर्ति की लागत का लगभग 80% विद्युत खरीद में खर्च होता है, जो एक क्षेत्र में काम कर रहे सभी वितरण लाइसेंसधारियों के लिये समान होगी।
  - अलग-अलग खुदरा विक्रेता होने से परिचालन संबंधी समस्याएँ बढ़ जाएंगी।
  - अधिक खुदरा विक्रेताओं या वितरण लाइसेंसधारियों को लाने से सेवा की गुणवत्ता या कीमत में सुधार नहीं होगा।
- **उपभोक्ताओं को नुकसान:**
  - यूके के लेखा परीक्षकों की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे दोषपूर्ण मॉडलों को अपनाने के कारण उपभोक्ताओं को 2.6 बिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान करना पड़ा।
    - ऐसे अंतरण की लागत सामान्य उपभोक्ता से वसूल की जाती थी।
    - जब निजी कंपनियाँ विफल होती हैं तो उपभोक्ताओं को सबसे अधिक नुकसान होता है।

विधेयक को लेकर सरकार का तर्क:

- सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विधेयक में कोई प्रावधान विद्युत वितरण क्षेत्र को विनियमित करने, बिजली सब्सिडी का भुगतान करने के लिये राज्यों की शक्तियों को कम नहीं करता है।
- सरकार ने संकेत दिया है कि एक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम पहले से मौजूद हो सकते हैं और विधेयक केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिस्पर्द्धा बेहतर संचालन और सेवा सुनिश्चित करे।
- सरकार ने कहा है कि उसने हर राज्य और कई संघ राज्यों से लिखित में सलाह ली है, जिसमें कृषि मंत्रालय का एक अलग लिखित आश्वासन भी शामिल है कि बिल में किसान विरोधी कुछ भी नहीं है।
  - यह बिल एक क्षेत्र में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं से एकत्र की गई अतिरिक्त क्रॉस-सब्सिडी के उपयोग की अनुमति देता है ताकि अन्य क्षेत्रों में गरीबों को सब्सिडी दी जा सके।
  - भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% हासिल करने का लक्ष्य रखा है, सरकार का मानना है कि बिल में उल्लिखित नवीकरणीय खरीद दायित्वों (RPO) का बढ़ावा भारत की बिजली की मांग को बढ़ाएगा, जो पेरिस एवं ग्लासगो समझौतों के अनुसार निर्धारित हरित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ते हुए अगले आठ वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है।

आगे की राह

- भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्यों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- किसी भी प्रकार के भ्रम/संघर्ष को समाप्त करने के लिये सब्सिडी से संबंधित प्रावधान को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- अंतर-वितरण की स्थिति से बचने हेतु निजी कंपनियों के लिये नियम बनाए जाने चाहिये।

मौद्रिक नीति समीक्षा: RBI

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की समीक्षा में रेपो दरों में 50-आधार अंक की वृद्धि की घोषणा की, जिससे पिछले तीन महीनों में संचयी दर में वृद्धि 140 आधार अंक तक हो गई थी।

नोट :

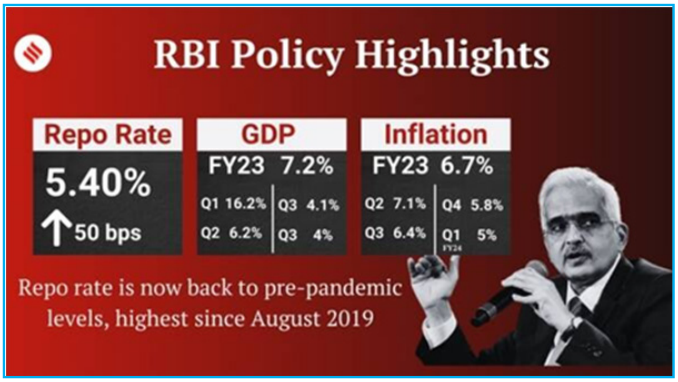

प्रमुख बिंदु

- **प्रमुख दरें:**
  - **पॉलिसी रेपो दर: 5.40%**
    - रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है।
  - **स्थायी जमा सुविधा (SDF): 5.15%**
    - वस्तुत: इसे अधिशेष तरलता (Surplus Liquidity) को समाप्त करने एवं बैंकिंग प्रणाली की समस्या को कम करने के एक उपकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
    - यह रिवर्स रेपो सुविधा से इस मायने में अलग है कि इसमें बैंकों को फंड जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - **सीमांत स्थायी सुविधा दर: 5.65%**
    - MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट (रातों-रात) ऋण लेने की सुविधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है।
    - इंटरबैंक लेंडिंग के तहत बैंक एक निश्चित अवधि के लिये एक-दूसरे को फंड उधार देते हैं।
  - **बैंक दर: 5.65%**
    - यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिये आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है।
  - **नकद आरक्षित अनुपात (CRR): 4.50%**
    - CRR के तहत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि (NDTL) आरक्षित रखनी होती है।
  - **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):** 18.00%
    - वैधानिक तरलता अनुपात या SLR जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।
- **अनुमान:**
  - **वर्ष 2022-23 के लिये GDP बढ़त:**2%
    - यह सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के अनुरूप है। GDP उपभोक्ताओं की आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। यह निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध विदेशी व्यापार (निर्यात व आयात के बीच का अंतर) का योग है।
  - **वर्ष 2022-23 के लिये मुद्रास्फीति अनुमान:** 6.7%
    - मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति आमतौर पर एक व्यापक उपाय है जैसे कि कीमतों में समग्र वृद्धि या किसी देश में रहने की लागत में वृद्धि।

रेपो दर में बढ़ोतरी

- भले ही उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में अपने उछाल से कम हो गई हो, लेकिन यह असुविधाजनक रूप से उच्च और लक्ष्य के ऊपरी सीमा (6%) से ऊपर रहने की उम्मीद है।
- मुद्रास्फीति का ये उच्च स्तर MPC के लिये चिंता का विषय बना रहा क्योंकि RBI के अनुसार भारत सरकार का मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% +/- 2%) है
- यह उम्मीद की जाती है कि मुद्रास्फीति Q2 और Q3 (वित्त वर्ष 2022-23) में ऊपरी सीमा (6%) से ऊपर रहेगी।
- यह निरंतर उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षित मुद्रास्फीति को अस्थिर कर सकती है और मध्यम अवधि में विकास को नुकसान पहुँचा सकती है।
- मौद्रिक सुविधा का आहरण (मुद्रा आपूर्ति का विस्तार) या बढ़ती दरें मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकती हैं और मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभाव को शामिल कर सकती हैं।
  - दूसरे दौर के प्रभाव तब प्रारंभ होते हैं जब मुद्रास्फीति मज़दूरी और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है, जिससे मज़दूरी-मूल्य सर्पिल (Spiral) होता है।

रेपो रेट में वृद्धि से कर्ज़दारों और जमाकर्त्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव:

- यह होम लोन ग्राहकों और संभावित उधारकर्त्ताओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऋण की दरों में वृद्धि होगी।
- यह उन निवेशकों को लाभान्वित करेगा, जो अपने धन को बैंक सावधि जमा में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि रेपो दर में वृद्धि के बाद जमा दरों में वृद्धि होने की उम्मीद होती है।
- जमा दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और बैंकों को अतिरिक्त धन जुटाने में भी मदद मिलेगी।

नोट :

तरलता:

- बैंकों के पास धन की उपलब्धता में सुधार करते हुए दरों में वृद्धि से प्रणालीगत तरलता में धीरे-धीरे गिरावट आएगी।
- प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिये आरबीआई विभिन्न परिपक्वता के परिवर्तनीय रेपो दर (VRR) और परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर (VRRR) संचालन के रूप में दो-तरफा फाइन-ट्यूनिंग उपाय को अपनाएगा।
  - परिवर्तनीय दर संचालन आमतौर पर प्रणाली में मौजूदा नकदी को निकालकर धन प्रवाह को कम करने के लिये किया जाता है।
  - केंद्रीय बैंक, इस प्रणाली में अधिशेष चलनिधि को पुनर्संतुलित कर रहा है एवं निश्चित दर से इसे शीघ्र ही रिवर्स रेपो विंडो के माध्यम से लंबी परिपक्वता की VRRR नीलामियों में स्थानांतरित कर रहा है।

मौद्रिक नीति ढाँचा:

- **उत्पत्ति:**
  - मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढाँचे को संचालित करने के लिये केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके।
- **उद्देश्य:**
  - ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाज़ार दरों को स्थिर करने के लिये तरलता में सुधार करना है।
- **नीति दर के रूप में रेपो दर का कारण:** रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाज़ार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है।
  - इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- **उत्पत्ति:** संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- **उद्देश्य:** धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी"।
  - मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।
- **गठन:** अधिनयम की धारा 45ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होंगे:
  - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में,
  - उप राज्यपाल, मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में
  - केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी
  - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य।
    - नियुक्तियों की यह श्रेणी "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्तियों" से संबंधित होनी चाहिये।

मौद्रिक नीति के उपकरण:

- रेपो दर
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)
- LAF कॉरिडोर
- मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण
- फाइन ट्यूनिंग संचालन
- रिवर्स रेपो रेट
- बैंक दर
- नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

विस्तारवादी मौद्रिक नीति

- **परिचय:**
  - विस्तारवादी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के विस्तार (बढ़ाने) पर केंद्रित है। इसे आसान मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसे प्रमुख ब्याज़ दरों को कम करके लागू किया जाता है जिससे बाज़ार की तरलता (मुद्रा आपूर्ति) बढ़ जाती है। उच्च बाज़ार तरलता आमतौर पर अधिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।
  - जब RBI विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, तो यह रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, बैंक दर आदि जैसी नीतिगत दरों (ब्याज़ दरों) को कम करता है।
- **निहितार्थ**
  - बॉण्ड की कीमतों में वृद्धि और ब्याज़ दरों में कमी का कारण बनता है।
  - कम ब्याज़ दरें पूंजी निवेश के उच्च स्तर की ओर ले जाती हैं।
  - कम ब्याज़ दरें घरेलू बॉण्ड को कम आकर्षक बनाती हैं, इसलिये घरेलू बॉण्ड की मांग गिरती है और विदेशी बॉण्ड की मांग बढ़ जाती है।

नोट :

- घरेलू मुद्रा की मांग गिरती है और विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, जिससे विनिमय दर में कमी आती है। (घरेलू मुद्रा का मूल्य अब विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम है)
- कम विनिमय दर के कारण निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है और व्यापार संतुलन बढ़ता है।

संकुचनकारी मौद्रिक नीति:

- **परिचय:**
  - संकुचनकारी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने (घटाने) पर केंद्रित है। इसे कठोर मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है।
  - संकुचनकारी मौद्रिक नीति को प्रमुख ब्याज़ दरों में वृद्धि करके लागू किया जाता है जिससे बाज़ार की तरलता (मुद्रा आपूर्ति) कम हो जाती है। कम बाज़ार तरलता आमतौर पर उत्पादन और खपत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसका आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - जब RBI संकुचन मौद्रिक नीति अपनाता है, तो यह रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, बैंक दर आदि जैसी नीतिगत दरों (ब्याज़ दरों) को बढ़ाता है।
- **निहितार्थ:**
  - संकुचनशील मौद्रिक नीति बॉण्ड की कीमतों में कमी और ब्याज़ दरों में वृद्धि का कारण बनती है।
  - उच्च ब्याज़ दरें पूंजी निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाती हैं।
  - उच्च ब्याज़ दरें घरेलू बॉण्ड को अधिक आकर्षक बनाती हैं, इसलिये घरेलू बॉण्ड की मांग बढ़ती है और विदेशी बॉण्ड की मांग गिरती है।
  - घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ती है और विदेशी मुद्रा की मांग गिरती है, जिससे विनिमय दर में वृद्धि होती है। (घरेलू मुद्रा का मूल्य अब विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक है)
  - उच्च विनिमय दर के कारण निर्यात में कमी आती है, आयात में वृद्धि होती है और व्यापार संतुलन में कमी आती है।

RBI के सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा और सात सर्वेक्षणों का अनावरण किया, जिसमें उपभोक्ता विश्वास से लेकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि की अपेक्षाएँ शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेगा।

- बढ़ता व्यापार घाटा और रुपया के मूल्य में गिरावट भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये प्रमुख चिंता का विषय है।

RBI द्वारा सर्वेक्षण:

- **उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS):**
  - **परिचय:**
    - CCS 19 शहरों के लोगों से उनकी वर्तमान धारणाओं (एक साल पहले की तुलना में) और सामान्य आर्थिक स्थिति, रोज़गार परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति और आय एवं खर्च पर अग्रिम वर्ष की अपेक्षाओं के बारे में पूछता है।
  - **सूचकांक:**
    - **वर्तमान स्थिति सूचकांक (CSI)**
    - जुलाई 2021 के गिरावट के बाद से CSI में सुधार हो रहा है।
    - भविष्य अपेक्षा सूचकांक (FEI)
    - FEI सकारात्मक दायरे में है लेकिन अब भी यह महामारी से पहले के स्तर से नीचे है।
    - 100 अंक से नीचे का सूचकांक दर्शाता है कि लोग निराशावादी हैं और 100 से अधिक मूल्य आशावाद को दर्शाता है।
- **मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (IES)**
  - **परिचय:**
    - यह लोगों की मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का आंकलन करता है।
  - परिणाम:
    - मौजूदा अवधि के लिये परिवारों की मुद्रास्फीति की धारणा 80 बीपीएस घटकर 9.3% हो गई है।
- **OBICUS सर्वेक्षण:**
  - **परिचय:**
    - OBICUS का मतलब ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी और कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन सर्वे है।
    - इसने जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थिति का जानकारी प्रदान करने के प्रयास में 765 विनिर्माण कंपनियों को कवर किया।
  - **क्षमता उपयोग (CU):**
    - CU के निम्न स्तर का अर्थ है कि विनिर्माण कंपनियाँ उत्पादन को बढ़ाए बिना भी आवश्यक मौजूदा मांग को पूरा कर सकती हैं।
    - इसका रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- **निष्कर्ष:**
  - CU महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर है, जिससे पता चलता है कि भारत की कुल मांग में लगातार सुधार हो रहा है।

- **औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (IOS):**
  - इस सर्वे में महिला/पुरुष कारोबारियों की भावनाओं को समझने की कोशिश की गई है।
  - सर्वेक्षण में भारतीय विनिर्माण कंपनियों द्वारा कारोबारी माहौल के गुणात्मक मूल्यांकन को शामिल किया गया है।

- **सेवाएँ और आधारभूत संरचना आउटलुक सर्वेक्षण (SIOS):**
  - यह सर्वेक्षण इस बात का गुणात्मक मूल्यांकन करता है कि सेवा और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में भारतीय कंपनियाँ वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को कैसे देखती हैं।
  - सेवा क्षेत्र की कंपनियाँ आधारभूत संरचनाा क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक आशावादी हैं।

- **बैंक ऋण सर्वेक्षण (BLS):**
  - यह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिये प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के क्रेडिट मापदंडों (ऋण की मांग और ऋण की सेवा- शर्तें) के गुणात्मक मूल्यांकन और अपेक्षाओं (MOOD) को जाँचता है।

- **पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (SPF):**
  - यह चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों पर 42 पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं (RBI के बाहर) का सर्वेक्षण है।

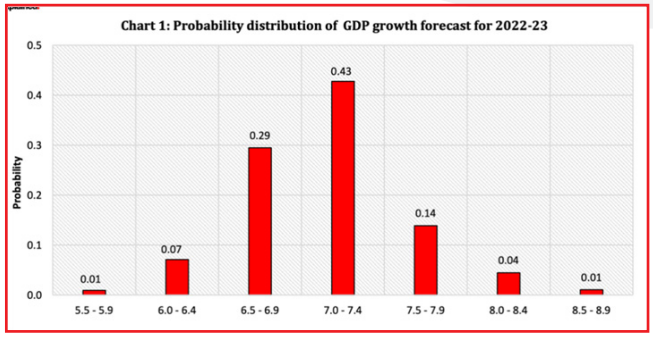

- **जीडीपी प्रत्याशा:**
  - वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक GDP के 7.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, पिछले सर्वेक्षण दौर के अनुमानों में 10 आधार अंकों की कमी आई है तथा वर्ष 2023-24 में इसके 6.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

- **निष्कर्ष:**
  - पहली संभावना यह है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% -7.4% के बीच होगी, दूसरा सबसे संभावित परिणाम यह है कि विकास दर 6.5% -6.9% की सीमा तक कम हो जाएगी।

व्यापार घाटे की वर्तमान स्थिति और भारतीय रुपया:

- **व्यापार घाटा:**

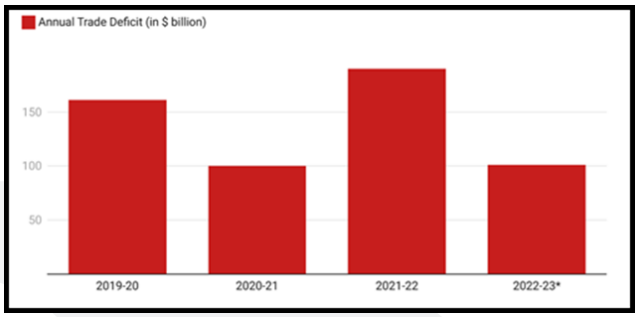

- **परिचय:**
  - व्यापार के आँकड़े बताते हैं कि जुलाई 2022 में भारत ने कौन सी वस्तुओं (केवल वस्तुएँ न कि सेवाएँ) का आयात और निर्यात किया है। यह इसे मूल्य के संदर्भ में (भारतीय रुपए या अमेरिकी डॉलर में) प्रस्तुत करता है।

- **निष्कर्ष:**
  - वित्त वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों में व्यापार घाटा, वित्त वर्ष 2021-22 के संपूर्ण वित्तीय वर्ष के घाटे के 50% से अधिक है।
    - साल-दर-साल (YoY) निर्यात में गिरावट आई है, जबकि जुलाई 2022 में उच्च कमोडिटी कीमतों के कारण आयात में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है।
    - आयात में सालाना 20 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के कारण हुई, जिसने सोने के आयात में आई गिरावट से मिली राहत को भी निष्प्रभावी कर दिया।

नोट :

- **भारतीय रुपया:**
- अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया अगस्त 2021 में 74.2 रुपए से गिरकर जुलाई 2022 में 80 रुपए हो गया।

इथेनॉल संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 पर, भारत सरकार ने हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की।

- यह इथेनॉल संयंत्र अतिरिक्त आय और हरित ईंधन पैदा करने के साथ-साथ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

विश्व जैव ईंधन दिवस

- **परिचय:**
  - यह प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है।
  - यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।
- **पृष्ठिभूमि:**
  - यहदिवस सर रुडोल्फ डीज़ल के सम्मान में मनाया जाता है।
    - वह डीज़ल इंजन के आविष्कारक थे और उन्होंने सबसे पहले जीवाश्म ईंधन की जगह वनस्पति तेल की संभावना की भविष्यवाणी की थी।

इथेनॉल संयंत्र के बारे में जानकारी:

- यह 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करने के लिये लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे (पराली) का उपयोग करके भारत के वेस्ट टू वेल्थ के प्रयासों को बढ़ावा देगा।
  - यह संयंत्र धान के भूसे के अलावा मक्का और गन्ने के कचरे का भी उपयोग एथनॉल के उत्पादन के लिये करेगा।
- यह परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करेगी और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति शृंखला में अप्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न होगा।
- इस परियोजना में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा।
  - चावल की भूसी को जलाने में कमी के माध्यम से परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगी जो देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के बराबर है।

इथेनॉल:

- **परिचय:**
  - यह प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है, जो प्रकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है।
  - यह घरेलू रूप से उत्पादित वैकल्पिक ईंधन है जो आमतौर पर मकई से बनाया जाता है। यह सेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स जैसे कि फसल अवशेष और लकड़ी से भी बनाया जाता है।
- **ईंधन के रूप में इथेनॉल:**
  - आंतरिक दहन इंजनों के लिये ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग या तो अकेले या अन्य ईंधन के साथ मिश्रित रूप में किया जाता है, जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इसके संभावित पर्यावरणीय और दीर्घकालिक आर्थिक लाभों के कारण इस पर अधिक ध्यान दिया गया है।
  - इथेनॉल को शुद्ध इथेनॉल (E100) तक किसी भी सांद्रता में पेट्रोल के साथ जोड़ा जा सकता है
    - पेट्रोलियम ईंधन की खपत को कम करने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिये निर्जल इथेनॉल (जल के बिना इथेनॉल) को अलग-अलग मात्रा में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

जैव ईंधन के संबंध में भारत की अन्य पहलें:

- **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP):**
  - इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना है।
  - सम्मिश्रण लक्ष्य: भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) के लक्ष्य को वर्ष 2030 से परिवर्तित कर वर्ष 2025 तक कर दिया है।
  - भारत ने पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे देश का इथेनॉल उत्पादन बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गया है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018:**
  - यह वर्ष 2030 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करता है।
- **ई-100 पायलट प्रोजेक्ट:**
  - टीवीएस अपाचे जैसे दोपहिया वाहनों को E80 या शुद्ध इथेनॉल (E100) पर चलने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

नोट :

- **प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019:**
  - इस योजना का उद्देश्य 2जी इथेनॉल क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- **प्रयुक्त खाद्य तेल (RUCO) का पुन: उपयोग:**
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने यह पहल शुरू की है जो इस्तेमाल किये खाद्य तेल को बायोडीज़ल के रूप में संगृहीत और रूपांतरित करने में भी सक्षम बनाएगा।

आगे की राह:

- **कचरे से इथेनॉल:**
  - कचरे से उत्पादित इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर भारत टिकाऊ जैव ईंधन नीति में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकता है।
    - यह मज़बूत जलवायु और वायु गुणवत्ता दोनों लाभ पहुँचाएगा, क्योंकि वर्तमान में इन कचरे को अक्सर जलाया जाता है, जो वायु-प्रदूषण को बढ़ावा देता है।
- **फसल उत्पादन को प्राथमिकता:**
  - घटते भूजल संसाधनों, कृषि योग्य भूमि की कमी, अनिश्चित मानसून और जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार में गिरावट के साथ, ईंधन के लिये फसलों पर खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **वैकल्पिक तंत्र:**
  - प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, उत्सर्जन में कमी, इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में तीव्र विकास, शून्य-उत्सर्जन रिचार्ज प्रणाली को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त नवीकरणीय उत्पादन क्षमता की स्थापना आदि का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

डिजिटल मुद्रा

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय (UNCTAD) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2021 में सात प्रतिशत से अधिक भारतीयों के पास क्रिप्टोकरेंसी के रूप में डिजिटल मुद्रा थी।

- साथ ही जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के लिये शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत सातवें स्थान पर था।

अध्ययन की अन्य मुख्य विशेषताएँ:

- विकासशील देश शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 15 के लिये ज़िम्मेदार है, जिनकी आबादी क्रिप्टोकरेंसी में भागीदारी रखती हैं।
- यूक्रेन इस सूची में सबसे ऊपर है जिसके बाद रूस, वेनेज़ुएला, सिंगापुर, केन्या और अमेरिका का स्थान है।
- विकासशील देशों सहित कोविड -19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक उपयोग तेज़ी से बढ़ा है।

अध्ययन में शामिल किये गये मुद्दे:

- **अस्थिर वित्तीय संपत्ति:**
  - निजी डिजिटल मुद्राओं ने कुछ को पुरस्कृत किया है और प्रेषण की सुविधा दी है, लेकिन वे एक अस्थिर वित्तीय संपत्ति हैं जो सामाजिक जोखिम और लागत भी ला सकती हैं।
- **अनियंत्रित:**
  - चूँकि इन डिजिटल मुद्राओं को विनियमित नहीं किया जाता है, विकासशील देशों में उनकी मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई है क्योंकि यह प्रेषण की सुविधा में मदद करता है और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में कार्य करता है।
- **अस्थिर प्रणाली:**
  - बाज़ार में हालिया डिजिटल मुद्रा की समस्या से पता चलता है कि क्रिप्टोकरेंसी रखना निजी जोखिम हैं, लेकिन अगर केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिये कदम उठाता है, तो यह समस्या सार्वजनिक हो जाती है।
- **मौद्रिक संप्रभुता को खतरा:**
  - यदि क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का एक व्यापक साधन बन जाती है और यहाँ तक कि घरेलू मुद्राओं को अनौपचारिक रूप से बदल देती है (एक प्रक्रिया जिसे क्रिप्टोकरण कहा जाता है), तो यह देशों की मौद्रिक संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है।
- **घरेलू नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव:**
  - विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी घरेलू संसाधन जुटाने की गतिविधि को धीमा कर सकती है।

अध्ययन द्वारा रेखांकित सुझाव:

- सरकार को प्रेषण की सुविधा प्रदान करनी चाहिये, क्योंकि इसके अवैध प्रवाह के माध्यम से कर अपवंचन और परिहार को बढ़ावा मिल सकता है।
- अध्ययन ने अधिकारियों से विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी के विस्तार को रोकने के लिये कदम उठाने का आग्रह किया, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंजों, डिजिटल वॉलेट और विकेंद्रीकृत वित्त को विनियमित करके क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करना और विनियमित वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी (स्थिर स्टॉक सहित) रखने या ग्राहकों को संबंधित उत्पादों की पेशकश करने से रोकना शामिल है।
- इसने अन्य उच्च जोखिम वाली वित्तीय परिसंपत्तियों की तरह डिजिटल मुद्राओं से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।

नोट :

- इसके अलावा एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत प्रभावी सार्वजनिक भुगतान प्रणाली प्रदान करना जो डिजिटल युग के लिये उपयुक्त हो; डिजिटल मुद्रा कर उपायों, विनियमों और सूचना साझाकरण पर वैश्विक कर सामंजस्य को लागू कर डिजिटल मुद्राओं की विकेंद्रीकृत प्रकृति, सीमाहीन और छद्म नाम की विशेषताओं को समायोजित करने के लिये पूंजी नियंत्रण को नया स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिये।

डिजिटल मुद्रा:

- **परिचय:**
  - यह एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है।
  - इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्त्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।
  - यद्यपि यह भौतिक मुद्राओं के समान है, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ-साथ तात्कालिक लेनदेन की अनुमति देती है।
  - डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी और साइबर कैश के नाम से भी जाना जाता है।
    - जबकि भौतिक मुद्राएँ, जैसे कि बैंक नोट और ढाले हुए सिक्के मूर्त हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी निश्चित भौतिक विशेषताएँ और प्रकार्य हैं।
- **विशेषताएँ:**
  - डिजिटल मुद्राओं को केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत किया जा सकता है।
    - फिएट मुद्रा, यह भौतिक रूप में मौजूद होती है, जो एक केंद्रीय बैंक और सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पादन और वितरण की एक केंद्रीकृत प्रणाली है।
    - प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि- बिटकॉइन और एथेरियम, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा प्रणाली के उदाहरण हैं।
- प्रकार: इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ मौजूद हैं। मोटे तौर पर, तीन अलग-अलग प्रकार की मुद्राएँ हैं:

क्रिप्टोकरेंसी:

- क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्राएँ हैं जो नेटवर्क में लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती हैं।
  - क्रिप्टोग्राफी का उपयोग ऐसी मुद्राओं के निर्माण को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिये भी किया जाता है।
    - बिटकॉइन और एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी के उदाहरण हैं।

आभासी मुद्राएँ (Virtual Currencies):

- आभासी मुद्राएँ डेवलपर्स या प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों से मिलकर संस्थापक संगठन द्वारा नियंत्रित अनियमित डिजिटल मुद्राएँ हैं।
- आभासी मुद्राओं को परिभाषित नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा एल्गोरिथम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
  - आभासी मुद्रा का उदाहरण गेमिंग नेटवर्क टोकन है जिसका अर्थशास्त्र डेवलपर्स द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएँ:

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (CBDC) किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई विनियमित डिजिटल मुद्राएँ हैं।
  - CBDC पारंपरिक फिएट मुद्रा का पूरक या प्रतिस्थापन हो सकता है।
  - फिएट मुद्रा के विपरीत (जो भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में मौजूद है) CBDC विशुद्ध रूप से डिजिटल रूप में मौजूद है।
    - इंग्लैंड, स्वीडन और उरुग्वे कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी मूल फिएट मुद्राओं का डिजिटल संस्करण लॉन्च करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

डिजिटल मुद्रा	आभासी मुद्रा	क्रिप्टोकरेंसी
विनियमित या अनियमित मुद्रा जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है।	एक अनियमित डिजिटल मुद्रा जो उसके विकासकर्त्ता/विकासकर्त्ताओं, उसके संस्थापक संगठन, या उसके परिभाषित नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित होती है।	एक आभासी मुद्रा जो लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने के साथ-साथ नई मुद्रा इकाइयों के निर्माण को प्रबंधित एवं नियंत्रित करने हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।

- **लाभ:**
  - इसका तेज़ी से आहरण किया जा सकता है,
  - साथ ही भौतिक निर्माण की आवश्यकता नहीं है अत: लागत बचाता है।
  - इसके अलावा मौद्रिक और राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन में आसानी एवं लेनदेन की लागत को सस्ता बनाते हैं।
- **हानि:**
  - हैकिंग के लिये अतिसंवेदनशील।
  - अस्थिर मूल्य।

नोट :

डिजिटल लेंडिंग को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ संस्थाओं द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को विनियमित करने के लिये डिजिटल ऋण देने के दिशानिर्देशों का पहला सेट जारी किया।

- इस प्रकार की चिंताओं को दूर करने के लिये,आरबीआई ने जनवरी, 2021 में 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देने सहित डिजिटल उधार' (WGDL) पर एक कार्य समूह का गठन किया था।
- समूह ने नवंबर 2021 में डिजिटल ऋणदाताओं के लिये कड़े मानदंड प्रस्तावित किये, जिनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया और नये मानदंडों में शामिल कर लिया गया है जबकि अन्य जाँच के अधीन हैं।

डिजिटल ऋण:

- **परिचय:**
  - इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिये तकनीक का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देना शामिल है।
  - बैंकों ने पारंपरिक उधार में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाने के बाद डिजिटल ऋण बाज़ार में प्रवेश करने के लिये अपने स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।
- **महत्त्व:**
  - वित्तीय समावेशन: यह भारत में लघु उद्योग और कम आय वाले उपभोक्ताओं की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कमी: उधार लेने की प्रकिया को सरल और सुगम बनाकर यह अनौपचारिक क्षेत्र से लिये जाने वाले ऋण को कम करने में मदद करता है।
  - कम समय: यह बैंकों में जाकर पारंपरिक माध्यम से ऋण लेने में लगने वाले समय को कम करता है। इसके कारण 30-35 प्रतिशत अतिरिक्त लागत को बचाया जा सकता है।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

- **ऋण वितरण और चुकौती के लिये:**
  - सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्त्ता के बैंक खातों और विनियमित संस्थाओं (RE) के बीच उधार सेवा प्रदाताओं (LSP) या किसी तीसरी पार्टी के पास-थ्रू/पूल खाते के बिना निष्पादित किये जाने की आवश्यकता है।
    - विनियमित संस्थाओं में एक बैंक या एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है।
- **भुगतान के संबंध में:**
  - नए नियमों में कहा गया है कि क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में LSP को देय शुल्क या शुल्क का भुगतान सीधे बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्त्ता द्वारा।
- **ऋण प्रकटीकरण के संबंध में:**
  - उधारकर्त्ताओं को वार्षिक प्रतिशत दर (APR) के रूप में डिजिटल ऋणों की समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है।
- **क्रेडिट /ऋण सीमा में वृद्धि के संबंध में:**
  - नया मानदंड उधारकर्त्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में किसी भी स्वचालित वृद्धि को प्रतिबंधित करता है।
- **डिजिटल ऋण से बाहर निकलने के संबंध में:**
  - यह ऋण अनुबंध के हिस्से के रूप में कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि भी प्रदान करता है, जिसके दौरान उधारकर्त्ता बिना किसी शुल्क के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं।
- **डेटा गोपनीयता की रक्षा हेतु:**
  - डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिये डिजिटल लेंडिंग ऐप्स द्वारा एकत्र किये गए डेटा को ग्राहक की पूर्व सहमति से आवश्यकता-आधारित होना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इसका ऑडिट किया जा सकता है।
- **शिकायत निवारण अधिकारी:**
  - बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSPs के पास फिनटेक- या डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों से निपटने के लिये उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिये।
  - यह अधिकारी अपने संबंधित डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) के खिलाफ शिकायतों से भी निपटेगा।
  - वर्तमान दिशानिर्देश उधारकर्त्ता को RBI की एकीकृत लोकपाल योजना में शिकायत करने की अनुमति देते हैं यदि बैंक द्वारा 30 दिनों के भीतर उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है।
- **ऋण की रिपोर्टिंग:**
  - विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि DLAs के माध्यम से किये गए किसी भी उधार को क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो।

नोट :

- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL) मॉडल के माध्यम से ऋण देने की भी CICको सूचना दी जानी चाहिये।

आरबीआई के नए दायरे में आने वाले घटक:

- नए मानदंडों की घोषणा करते हुए, आरबीआई ने डिजिटल उधारदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया।
  - आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाएँ और ऋण कारोबार करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
  - ये संस्थाएँ अन्य वैधानिक या नियामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिये अधिकृत हैं लेकिन आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं।
  - किसी वैधानिक या नियामक प्रावधानों के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएँ ।
- केंद्रीय बैंक का नियामक ढाँचा विभिन्न अनुमेय ऋण सुविधा सेवाओं का विस्तार करने के लिये विनियमित संस्थाओं और उनके द्वारा लगे LSPs के डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है।
  - हालाँकि अन्य श्रेणियों के ऋणदाता नए दिशानिर्देशों के तहत नहीं आते हैं और कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल ऋण पर उचित नियम और विनियम तैयार करने पर विचार कर सकते हैं।

ऐसे दिशा-निर्देशों की आवश्यकता:

- तकनीकी नवाचार के आगमन के साथ, डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कई फिनटेक फर्म साख सेवाओं का विस्तार कर रही हैं।
- हालाँकि इस वृद्धि ने ग्राहकों को गलत बिक्री, डिजिटल उधारदाताओं द्वारा अनैतिक व्यापार आचरण और तीसरे पक्ष की अत्यधिक व्यस्तता, एवं उधारकर्त्ता की डेटा गोपनीयता पर चिंताओं को जन्म दिया है।
- उपभोक्ताओं द्वारा कई शिकायतें भी की गई हैं कि डिजिटल ऋण देने वाले ऐप अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं या वे धोखाधड़ी कर रहे हैं।

आगे की राह

- भारत एक डिजिटल ऋण महत्त्वपूर्ण स्थिति में हैं इसलिये यह सुनिश्चित करके इसके परिणामों को बेहतर बनाना चाहिये।
- डिजिटल ऋणदाताओं को सक्रिय रूप से एक आचार संहिता विकसित और प्रतिबद्ध करनी चाहिये जो प्रकटीकरण और शिकायत निवारण के स्पष्ट मानकों के साथ एकनिष्ठता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है।
- तकनीकी सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के अलावा, डिजिटल उधार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ग्राहकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय इतिहास

भारत छोड़ो आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल पूरे किये, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - 8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
  - गांधीजी ने ग्वालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में "करो या मरो" का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है।
  - स्वतंत्रता आंदोलन की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिये जाना जाता है।
  - 'भारत छोड़ो' का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था।
    - मेहरअली ने "साइमन गो बैक" का नारा भी गढ़ा था।
- **कारण:**
  - क्रिप्स मिशन की विफलता: आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति/ मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुँचना था।
    - संदर्भ: इस मिशन को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान एवं स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिये भेजा गया था।
    - क्रिप्स मिशन के पीछे कारण: दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया।
    - पतन का कारण: यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की।
  - **नेताओं के साथ पूर्व परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी:**
    - द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त समर्थन करने की भारत की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना।
  - **ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार:**
    - ब्रिटिश-विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी।
  - **कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण:**
    - अखिल भारतीय किसान सभा, फारवर्ड ब्लाक आदि जैसे कॉन्ग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्त्व में दो दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिये पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी।
    - देश में कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए।
  - **आवश्यक वस्तुओं की कमी:**
    - द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था भी बिखर गई थी।

मांगें:

- फासीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई।
- भारत से अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग।

चरण: आंदोलन के तीन चरण थे:

- पहला चरण- शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिह्नित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था।
  - पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए तथा श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके समर्थन प्रदान किया।
  - गांधीजी को पुणे के आगा खान पैलेस (Aga Khan Palace) में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया, इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार व पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक।
- अंतिम चरण में अलग-अलग इलाकों (बलिया, तमलुक, सतारा आदि) में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन किया गया।

नोट :

आंदोलन की सफलता

भविष्य के नेताओं का उदय:

- राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे।

महिलाओं की भागीदारी:

- आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई।

राष्ट्रवाद का उदय:

- भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़ दिये और लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी।

स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त:

- यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह अहसास हो गया कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं था।
- इस आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आंदोलन की असफलता:

क्रूर दमन:

- आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई, जो कि पूर्व नियोजित नहीं थी।
- आंदोलन को अंग्रेज़ों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया, लोगों पर गोलियाँ चलाई गईं, लाठीचार्ज किया गया, गाँवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया।
- इस तरह सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिये हिंसा का सहारा लिया और 1,00,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

समर्थन का अभाव:

- मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया।
  - मुस्लिम लीग, बँटवारे से पूर्व अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी।
  - कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे।
  - हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।
- इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' और 'आज़ाद हिंद सरकार' को गठन किया।
- सी. राजगोपालाचारी जैसे कई कॉन्ग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते थे।

नोट :

भारतीय राजनीति

राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सिंगापुर में आयोजित विश्व शहर शिखर सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री के भाग लेने की अनुमति को अस्वीकृत कर दिया गया।

- साथ ही दिल्ली के राज्य परिवहन मंत्री ने राज्य सरकार के मंत्रियों की निजी विदेश यात्राओं के लिये केंद्र द्वारा यात्रा मंज़ूरी की आवश्यक शर्त को रद्द कराने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

मुद्दा:

- दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिंगापुर सरकार ने विश्व शहर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी यात्रा मंज़ूरी को अस्वीकृत कर दिया था।
  - इसके अलावा केंद्र सरकार का मानना है कि सिंगापुर की यह यात्रा "उचित नहीं" थी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर महापौरों ने भाग लिया था और किसी भी मामले में, दिल्ली में शहरी शासन केवल राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है।
- साथ ही वर्ष 2019 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के 7वें C-40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये कोपेनहेगन की प्रस्तावित यात्रा को MEA ने बिना कोई कारण बताए खारिज़ कर दिया था।

अनुमोदन हेतु आवश्यक प्रावधान:

- वर्ष 1982 में कैबिनेट सचिवालय ने राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की विदेश यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये।
  - राज्य सरकारों के सदस्यों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में विदेश यात्राओं के लिये विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा वर्ष 2004 में एक अन्य आदेश परिचालित किया गया, जिसमें प्रावधानों को इस हद तक संशोधित किया गया था कि अंतिम आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने थे।
  - इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों को आधिकारिक यात्रा से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- वर्ष 2010 में फिर से एक और निर्देश जारी किया गया जिसने राज्य सरकार के मंत्रियों की निजी यात्राओं के लिये राजनीतिक मंज़ूरी अनिवार्य कर दी।

दायर की गई याचिका का आधार:

- **निजता के अधिकार का उल्लंघन:**
  - मंत्रियों द्वारा विदेश जाने की अनुमति राज्य सरकार से लेना उनके निजता के अधिकार और संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन है।
- **राज्यपाल के कार्यालय का अधिकार क्षेत्र:**
  - प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा के खिलाफ सलाह देना राज्यपाल के अपने कार्यालय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
- **अनुच्छेद 21 का उल्लंघन:**
  - राज्यपाल और केंद्र सरकार द्वारा मनमाने एवं सत्ता का गैर-ज़िम्मेदारना कार्यान्वयन राष्ट्रीय हित तथा सुशासन के खिलाफ है, साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत विदेश यात्रा के अधिकार को प्रभावित करता है।

आंतरिक - पार्टी लोकतंत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बोरिस जॉनसन (यूके के पूर्व प्रधानमंत्री) ने (ब्रिटिश कंज़रवेटिव पार्टी के नेता के रूप में उनके खिलाफ पार्टी के संसद सदस्यों द्वारा अविश्वास मत के कारण) इस्तीफा दे दिया है।

- यह भारत को पार्टी नेतृत्व के लिये जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान करता है।
- यूनाइटेड किंगडम में संसद सदस्य का चुनाव:
- मुख्य राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद बनने के लिये उम्मीदवार को पार्टी के नामांकन अधिकारी द्वारा सांसद बनने हेतु अधिकृत होना चाहिये। इसके बाद उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट हासिल करना होगा।
  - उम्मीदवार पार्टी के नेता को नामांकन प्रस्तुत नही करतें हैं, जबकि स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र पार्टी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम को 650 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है।
  - चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिये योग्य प्रत्येक व्यक्ति अपने सांसद हेतु एक उम्मीदवार का चयन करता है।
    - सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार अगले चुनाव तक उस क्षेत्र का सांसद बन जाता है।
    - यदि किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उस क्षेत्र हेतु एक नए सांसद के लिये उस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होता है।

नोट :

- आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिये उम्मीदवारों की सूची से प्रत्येक क्षेत्र के लिये संसद सदस्य चुना जाता है।
  - आम चुनाव हर पाँच साल में होते हैं।

भारत में संसद सदस्य का चुनाव:

भारत की संसद में दो सदन होते हैं और उनमें से प्रत्येक के लिये सदस्य चुने जाते हैं।

- **लोक सभा:**
  - इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है।
  - **प्रतिनिधि का चुनाव:**
    - प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
    - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट -पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली का उपयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है; बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है।
    - केंद्रशासित प्रदेश (लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, 1965 द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है।
- **राज्यसभा:**
  - इसे राज्य परिषद भी कहा जाता है।
  - **प्रतिनिधि का चुनाव:**
    - राज्यों के प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
    - राज्यसभा में प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
    - केवल तीन केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर) का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है (अन्य के पास पर्याप्त आबादी नहीं है)।
    - राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है।
    - तर्क यह है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव के बिना राज्यसभा में जगह दी जाए।

ब्रिटेन में एक सांसद के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ शक्तियाँ:

- एक स्थिर सरकार चलाने के लिये प्रधानमंत्री को हर समय अपने मंत्रियों के विश्वास को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिये।
- यदि यह भावना ज़ोर पकड़ती है कि नेता अब देश को स्वीकार्य नहीं है तो एक सुगठित तंत्र को नया नेतृत्व प्रदान करके पार्टी के चुनावी लाभ की रक्षा के लिये कार्य करता है।
- कंज़र्वेटिव सांसदों ने 1922 की समिति (जिसमें बैकबेंच सांसद शामिल हैं और अपने हितों की तलाश करते हैं) को यह व्यक्त करते हुए लिखा है कि उन्हें अपने नेता पर "अविश्वास" है।
  - यदि एक संख्यात्मक या प्रतिशत सीमा (यू.के. में पार्टी के सांसदों का 15%) का उल्लंघन होता है, तो पार्टी नेता को संसदीय दल से नया जनादेश प्राप्त करने के लिये मज़बूर करने के साथ स्वचालित नेतृत्व शुरू हो जाता है।

भारत में एक सांसद के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ शक्तियाँ :

- **अविश्वास प्रस्ताव:**
  - अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे लोकसभा में पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि वे अब किसी भी तरह से अपनी अपर्याप्तता या अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण जिम्मेदारी के पदों को संभालने के लिये उपयुक्त नहीं समझे जाते हैं। .
  - लोकसभा में इसे पेश करने के लिये कोई पूर्व कारण की आवश्यकता नहीं होती है।
    - लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावाली के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
    - भारतीय संविधान में न तो विश्वास प्रस्ताव का और न ही अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है।
    - हालाँकि अनुच्छेद 75 यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
    - अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में न्यूनतम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।
    - एक बार जब अध्यक्ष संतुष्ट हो जाता है कि प्रस्ताव क्रम में है तो सदन से पूछेगा कि क्या प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है।
    - यदि प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है, तो सरकार कार्यालय को छोड़ने के लिये बाध्य होती है।
    - सदन में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिये बहुमत की आवश्यकता होती है।
    - यदि व्यक्ति या दल मतदान से दूर रहते हैं तो उन संख्याओं को सदन की कुल संख्या से हटा कर फिर बहुमत को ध्यान में रखा जाएगा।

नोट :

भारत में सांसदों की स्वतंत्रता में बाधा:

- **दलबदल विरोधी कानून:**
  - दलबदल विरोधी कानून एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के लिये संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों को दंडित करता है।
  - संसद ने इसे वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया था। इसका उद्देश्य था सदस्यों द्वारा राजनीतिक संबद्धता बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना और इस प्रकार सरकारों के लिये स्थिरता लाना।
    - यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करता है।
    - वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदलने से कई राज्य सरकारों के पतन की प्रतिक्रिया में इस अधिनियम को लाया गया।
  - हालाँकि इसमें सांसद/विधायकों के किसी समूह को किसी अन्य दल में शामिल होने (या विलय) की अनुमति प्राप्त है और वे किसी दंड से मुक्त रखे गए हैं। यह दलबदल के लिये प्रोत्साहित करने या ऐसे सदस्यों को शामिल करने वाले राजनीतिक दलों को भी दंडित नहीं करता है।
    - वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक- तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था।
    - लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इस प्रावधान को बदल दिया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिये किसी दल के कम-से-कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य अन्य किसी दल में विलय के पक्ष में होने चाहिये।
  - कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य उसी सदन में पुन:निर्वाचन के लिये किसी भी राजनीतिक दल की ओर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं।
  - दलबदल के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति या अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है और यह 'न्यायिक समीक्षा' के अधीन होता है।
  - हालाँकि कानून द्वारा कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल मामले पर निर्णय दे दिया जाना चाहिये।

संसद सदस्यों के विशेषाधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में संसद सदस्यों की गलत धारणाओं पर प्रकाश डाला कि संसदीय सत्र के दौरान जाँच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

- राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को फँसाने के लिये सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग (आईटी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है।

संसदीय विशेषाधिकार:

- **परिचय:**
  - संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट प्रदान करने से है।
    - इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया है।
  - इन विशेषाधिकारों के तहत संसद सदस्यों को उनके कर्तव्यों के दौरान दिये गए किसी भी बयान या कार्य के लिये किसी भी नागरिक दायित्व (लेकिन आपराधिक दायित्व नहीं) से छूट दी गई है।
    - विशेषाधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो।
    - जब वह सदस्य नहीं रहता है तो उसके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है।
  - संसदीय विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिये कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है बल्कि वे पाँच स्रोतों पर आधारित हैं:
    - संवैधानिक प्रावधान
    - संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून
    - दोनों सदनों के नियम
    - संसदीय सम्मेलन
    - न्यायिक व्याख्या

विशेषाधिकार:

- **संसद में बोलने की स्वतंत्रता:**
  - अनुच्छेद 19 (2) के तहत एक नागरिक को दी गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संसद के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग है।

नोट :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत इसकी गारंटी दी गई है लेकिन स्वतंत्रता उन नियमों और आदेशों के अधीन है जो संसद की कार्यवाही को विनियमित करते हैं। सीमाएँ:
- संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और संसद के नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन होनी चाहिये।
- संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत संसद के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

- **गिरफ्तारी से मुक्ति:**
  - किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में सदन के स्थगन के 40 दिन पहले और बाद में तथा सदन के सत्र के दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
  - इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी सदस्य को उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिससे वह संबंधित है।
  - यदि संसद के किसी सदस्य को हिरासत में लिया जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण के बारे में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया जाना चाहिये।
    - लेकिन किसी सदस्य को उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों में निवारक निरोध अधिनियम, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), या ऐसे किसी भी अधिनियम के तहत आपराधिक आरोपों में सदन की सीमा के बाहर गिरफ्तार किया जा सकता है।
- **कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार:**
  - संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सदन के सदस्य के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को सदन की कोई रिपोर्ट, चर्चा आदि प्रकाशित करने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
    - सर्वोपरि और राष्ट्रीय महत्त्व के लिये यह आवश्यक है कि संसद में क्या हो रहा है, इसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिये कार्यवाही के बारे में सूचित किया जाना चाहिये।
- **अजनबियों को बाहर करने का अधिकार:**
  - सदन के सदस्यों के पास अजनबियों यानी जो सदन के सदस्य नहीं हैं, को कार्यवाही से बाहर करने की शक्ति और अधिकार है। सदन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिये यह अधिकार बहुत आवश्यक है।

- **उपराष्ट्रपति के अनुसार:**
- उपराष्ट्रपति के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर सकें।
  - विशेषाधिकारों में से एक यह है कि संसद सदस्य को संसदीय सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
    - यह विशेषाधिकार पहले से ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135A के तहत शामिल है।
  - हालाँकि आपराधिक मामलों में संसद सदस्य और आम नागरिक पर समान कानून लागू होते हैं।
    - इसका अर्थ है कि संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से कोई छूट नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- केराज्य बनाम के. अजीत और अन्य (2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के लिये प्रवेश द्वार नहीं हैं, खासकर इस मामले में आपराधिक कानून प्रत्येक नागरिक की कार्रवाई को नियंत्रित करता है।
- जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें विधानसभा में आरोपित अपने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की मांग की गई थी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार प्रतिरक्षा का माध्यम नहीं हैं और जो विधायक बर्बरता एवं अपराध में लिप्त हैं, वे संसदीय विशेषाधिका रतथा आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।

आगे की राह

- संसद के सुचारू संचालन के लिये सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किये जाते हैं लेकिन ये अधिकार हमेशा मौलिक अधिकारों के अनुरूप होने चाहिये क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे कल्याण हेतु काम करते हैं।
  - यदि विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये लोकतंत्र का महत्त्व ही खो जाएगा।
- यह संसद का कर्तव्य है कि वह संविधान द्वारा गारंटीकृत किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन न करे। सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकारों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिये, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

नोट :

भूगोल

शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक: आईएमडी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जुलाई महीने का 'शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक' (Aridity Anomaly Outlook Index) जारी किया है। सूचकांक के अनुसार, जुलाई माह में पूरे भारत में कम से कम 85% ज़िले शुष्क परिस्थितियों से प्रभावित रहे।

शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक:

- **परिचय:**
  - सूचकांक कृषि सूखे, एक ऐसी स्थिति जब परिपक्वता तक स्वस्थ फसल विकास का समर्थन करने के लिये वर्षा और मिट्टी की नमी अपर्याप्त होती है की निगरानी करता है, जिसके कारण फसल के लिये प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं।
  - सामान्य रूप से एक विसंगति इन ज़िलों में पानी की कमी को दर्शाती है जो सीधे कृषि गतिविधि को प्रभावित कर सकती है।
  - इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा विकसित किया गया है।
- **विशेषताएँ:**
  - वास्तविक समय सूखा सूचकांक में जल संतुलन पर विचार किया जाता है।
  - शुष्कता सूचकांक (AI) की गणना साप्ताहिक या पाक्षिक अवधि के लिये की जाती है।
  - प्रत्येक अवधि के लिये, उस अवधि हेतु वास्तविक शुष्कता की तुलना उस अवधि के सामान्य शुष्कता से की जाती है।
  - नकारात्मक मान नमी के अधिशेष को इंगित करता है जबकि सकारात्मक मान नमी की कमी को इंगित करता है।
- **निर्धारक:**
  - वास्तविक वाष्पीकरण और परिकलित संभावित वाष्पीकरण के लिये तापमान, हवा और सौर विकिरण की आवश्यकता होती है।
    - वास्तविक वाष्पीकरण जल की वह मात्रा है जिसकी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाओं के कारण सतह से हानि होती है।
    - वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण किसी दिये गए फसल के लिये संभावित वाष्पोत्सर्जन अधिकतम प्राप्य या प्राप्त करने योग्य वाष्पोत्सर्जन है।
- **अनुप्रयोग:**
  - कृषि में सूखे के प्रभाव वाले क्षेत्र जो विशेष रूप से उष्ण कटिबंध के परिभाषित आर्द्र और शुष्क मौसम जलवायु व्यवस्था का हिस्सा हैं।
  - इस पद्धति का उपयोग करके सर्दी और गर्मी दोनों फसल मौसमों का आकलन किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

- 756 में से केवल 63 ज़िले गैर-शुष्क हैं, जबकि 660 अलग-अलग डिग्री जैसे- हल्का, मध्यम और गंभीर की शुष्कता का सामना कर रहे हैं।
- कुछ 196 ज़िले सूखे की 'गंभीर' डिग्री की चपेट में हैं और इनमें से 65 उत्तर प्रदेश (उच्चतम) में हैं।
  - बिहार में शुष्क परिस्थितियों का सामना करने वाले ज़िलों (33) की संख्या दूसरे स्थान पर थी। राज्य में 45% की उच्च वर्षा की कमी भी है।
- 'गंभीर शुष्क' परिस्थितियों का सामना कर रहे अन्य ज़िलों में झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के ज़िले शामिल हैं।
- DEWS प्लेटफॉर्म पर SPI पिछले छह महीनों में इन क्षेत्रों में लगातार वर्षा की कमी को भी उजागर करता है।
- शुष्क परिस्थितियों ने चल रही खरीफ बुवाई को प्रभावित किया है, क्योंकि जुलाई, 2022 तक विभिन्न खरीफ फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र वर्ष 2021 में इसी अवधि की तुलना में 13.26 मिलियन हेक्टेयर कम था।

मानकीकृत वर्षा सूचकांक (SPI):

- SPI व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सूचकांक है जो समय-समय पर मौसम संबंधी सूखे की विशेषता बताता है।
- अल्प समय में, SPI मिट्टी की नमी से निकटता से संबंधित है, जबकि लंबे समय तक, SPI भूजल और जलाशय भंडारण से संबंधित होता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (IIT-G) द्वारा प्रबंधित एक वास्तविक समय सूखा निगरानी प्लेटफॉर्म, सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (DEWS) पर SPI पिछले छह महीनों में इन क्षेत्रों में लगातार वर्षा की कमी को संदर्भित करता है।
- उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से अत्यधिक सूखे की स्थिति में हैं और इससे इन क्षेत्रों की कृषि प्रभावित हो सकती है।

नोट :

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD):

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिये गठित एक प्रमुख एजेंसी है।

केरल में बाढ़ की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

केरल एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, जैसा कि वर्ष 2018 में तेज़ मानसूनी हवाओं के कारण उच्च तीव्रता की वर्षा की स्थिति देखी गई थी।

- इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2-3 दिनों के भीतर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है, जिससे वर्षा के बढ़ने की संभावना है।

वर्ष 2018 में केरल में बाढ:

- केरल में वर्ष 1924 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ अगस्त 2018 में मूसलाधार बारिश के बाद आई।
- बाँधों के किनारे तक पानी भर जाने एवं अन्य स्थलों पर भी बहुत अधिक जल जमा हो जाने के कारण बाँध के फाटकों को खोलना पड़ा।
  - 50 बड़े बाँधों में से कम-से-कम 35 को पहले से ही बाढ़ वाले क्षेत्रों में पानी छोड़ने के लिये खोला जा चुका था।
- समय के साथ गाद के जमाव ने बाँधों और आसपास की नदियों की जल धारण क्षमता को काफी कम कर दिया था, जिससे तटबंधों और नालों में बाढ़ का पानी भर गया।
  - गाद जमाव जिसने बाँध के अंतर्निर्मित क्षेत्र को कम कर दिया (धारण क्षमता को कम कर दिया), रेत खनन और पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई तथा पश्चिमी घाट में जंगल की सफाई ने भी बाढ़ में एक प्रमुख कारक की भूमिका निभाई।

बाढ़:

- यह सामान्य रूप से शुष्क भूमि पर जल का अतिप्रवाह है। भारी बारिश, समुद्री की लहरों के साथ भारी मात्रा में जल की तट पर मौजूदगी, बर्फ का तेज़ी से पिघलना और बाँधों का टूटना आदि के कारण बाढ़ आ सकती है।
- बाढ़ यानी केवल कुछ इंच जल प्रवाह या घरों की छतों तक जल का पहुँचाना हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।
- बाढ़ अल्प-समय के भीतर या लंबी अवधि में भी आ सकती है और यह स्थिति दिनों, हफ्तों या उससे अधिक समय तक रह सकती है। मौसम संबंधी सभी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे आम और व्यापक प्रभाव डालती है।
- फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक प्रकार की बाढ़ होती है, क्योंकि यह बाढ़ को विनाशकारी रूप प्रदान कर सकती है।

शहरी क्षेत्रों में निरंतर रूप से बाढ़ आने के प्रमुख कारण:

- **अनियोजित विकास:** अनियोजित विकास, तटवर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण, बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं की विफलता, अनियोजित जलाशय संचालन, खराब जल निकासी ढाँचा, वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन और नदी के तल में अवसादन बाढ़ की घटनाओं को जन्म देते हैं।
  - भारी वर्षा के समय नदी तटबंधों को तोड़ देती है और किनारे एवं रेत की पट्टियों पर बसे हुए समुदायों को हानि पहुँचाती है।
- **अनियोजित शहरीकरण:** शहरों और कस्बों में बाढ़ एक आम घटना बन गई है।
  - इसका कारण जलमार्गों और आर्द्रभूमि का अंधाधुंध अतिक्रमण, नालों की अपर्याप्त क्षमता तथा जल निकासी के बुनियादी ढाँचे के रखरखाव की कमी है।
  - खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारण नालियों, नहरों और झीलों की जल-प्रवाह क्षमता में कमी आती है।
- **आपदा पूर्व योजना की उपेक्षा:** बाढ़ प्रबंधन के इतिहास से पता चलता है कि आपदा प्रबंधन का ध्यान मुख्य रूप से बाढ़ के बाद की क्षतिपूर्ति और राहत पर रहा है।
  - कई जलाशयों और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक संयंत्रों में बाढ़ के स्तर को मापने के लिये पर्याप्त मापन केंद्र (Gauging Stations) नहीं हैं, जो बाढ़ के पूर्वानुमान के प्रमुख घटक है।
- गाडगिल समिति की सिफारिशों पर ध्यान न देना: वर्ष 2011 में माधव गाडगिल समिति ने लगभग 1,30,000 वर्ग किमी क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र (गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्तारित) के रूप में घोषित करने की सिफारिश की।
  - हालाँकि छह राज्यों में से कोई भी केरल की सिफारिशों से सहमत नहीं था, इन राज्यों ने विशेष रूप से खनन पर प्रस्तावित प्रतिबंध, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध को लेकर आपत्ति जताई थी।
  - इस लापरवाही का नतीजा अब बार-बार आने वाली बाढ़ और भूस्खलन के रूप में साफ देखा जा सकता है।

आगे की राह

- बाँध स्पिलवे के समय पर उद्घाटन और अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करने के लिये जलाशयों की धारण क्षमता सुनिश्चित करने हेतु पूर्वानुमान एजेंसियों तथा जलाशय प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने की आवश्यक है।

नोट :

- आपदा हेतु तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना की भी आवश्यकता है।

- शहरी विकास के सभी आयाम, किफायती आवास से लेकर भविष्य के जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने तक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
  - नियोजित शहरीकरण से आपदाओं का सामना किया जा सकता है, इसका आदर्श उदाहरण जापान है जो भूकंप और यहाँ तक कि सुनामी का सामना दूसरे देशों की तुलना में अधिक करता है।
- वाटरशेड प्रबंधन और आपातकालीन जल निकासी योजना को नीति एवं कानून में स्पष्ट किया जाना चाहिये।
  - जल निकासी योजना को आकार देने के लिये चुनावी वार्डों जैसे शासन की सीमाओं के बजाय वाटरशेड जैसी प्राकृतिक सीमाओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर दाल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है।

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर 'स्टॉकहोल्डर संस्थाओं को उनके द्वारा रखे गए स्टॉक का डेटा अपलोड करने' का निर्देश दिया गया है।

अधिनियम की आवश्यकता

- कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख तूर उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति के कारण पिछले वर्ष 2021 की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगति के बीच जुलाई 2022 के मध्य से तूर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- आगामी त्यौहारों के महीनों में उच्च मांग की वजह से अनुचित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु, सरकार घरेलू और विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नियंत्रित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिये पूर्व-खाली कदम उठा रही है।
- व्यापारियों और जमाखोरों के कुछ वर्गों द्वारा अरहर दाल की कीमतों को बढ़ाने के प्रयासों को सीमित करने के लिये, 'प्रतिबंधित बिक्री' का सहारा लेकर एक कृत्रिम कमी पैदा करना शामिल है।
  - कृत्रिम कमी कीमतों और/अथवा मांग को बढ़ाने के लिये विशेष उत्पादों (या सेवाओं) के उत्पादन की उद्देश्यपूर्ण सीमा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955:

- **पृष्ठभूमि:**
  - ECA अधिनियम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
  - तत्कालीन भारत अपनी खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिये आयात और सहायता (जैसे पीएल-480 के तहत अमेरिका से गेहूँ का आयात) पर निर्भर था।
  - खाद्य पदार्थों की ज़माखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था।
- **आवश्यक वस्तु:**
  - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
  - धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।
- **कानूनी क्षेत्राधिकार:**
  - अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
  - केंद्र, यदि संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- **उद्देश्य:**
  - ECA 1955 का उपयोग केंद्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार के राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है।
- **प्रभाव:**
  - किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा लगा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ECA 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप ने अक्सर कृषि व्यापार को विकृत किया है, जबकि यह मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा।
- इस तरह के हस्तक्षेप से रेंट सीकिंग और कुप्रबंधन के अवसर बढ़ते' हैं।
  - रेंट सीकिंग अर्थशास्त्रियों द्वारा भ्रष्टाचार सहित अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।

नोट :

- व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीदारी करते हैं और किसानों को अक्सर खराब होने वाली फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के दौरान भारी नुकसान होता है।
- इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा था।
- इन मुद्दों के चलते संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।
- हालाँकि किसानों के विरोध के कारण सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा।

आगे की राह

- ECA 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हालाँकि अब भारत में अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति है और ECA 1955 में संशोधन सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने तथा व्यवसाय करने में आसानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जीन थेरेपी की प्रभावकारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में "सीक्रेशन ऑफ फंक्शनल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज़ सेल टाइप डिपेंडेंट शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है, जो दर्शाता है कि शरीर में प्रोटीन विनियमन नेटवर्क को बदलकर आनुवंशिक रोगों के इलाज में मदद करके जीन थेरेपी की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है।

जीन थेरेपी

- जीन थेरेपी एक मरीज के DNA (डीऑक्सी-राइबो न्यूक्लिक एसिड) में त्रुटि के स्रोत को ठीक करके आनुवंशिक रोगों का इलाज करने का एक तरीका है।
- जीन थेरेपी तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी का उपयोग करने के बजाय किसी व्यक्ति के आनुवंशिक कमी को पूरा करके विकार का इलाज करने की अनुमति देती है।
- एक हानिरहित वायरल या बैक्टीरियल वेक्टर का उपयोग रोगी की कोशिकाओं में सुधारात्मक जीन को ले जाने के लिये किया जाता है, जहाँ जीन रोग के इलाज़ हेतु आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिये कोशिका को निर्देशित करता है।
- माँसपेशियों की कोशिकाएँ सामान्य इसका लक्ष्य हैं क्योंकि माँसपेशियों में इंजेक्ट की गई जीन थेरेपी अन्य मार्गों से शरीर में प्रवेश करने की तुलना में अधिक सुलभ हैं।
- लेकिन माँसपेशियों की कोशिकाएँ वांछित प्रोटीन का उतनी कुशलता से उत्पादन नहीं कर सकती हैं, जितना कि जीन उसे करने का निर्देश देता है, वह उस कार्य से बहुत अलग होता है जिसमें वह विशेषज्ञता रखता है।

निष्कर्ष:

- **जीन थेरेपी की प्रभावशीलता:**
  - इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में AAT (अल्फा -1 एंटीट्रिप्सिन) जीन थेरेपी देने के लिये एक माध्यम के रूप में एडेनो- एसोसिएटेड वायरस के हानिरहित संस्करण का उपयोग करने की रणनीति विकसित की गई, जिससे कई वर्षों तक प्रोटीन निरंतर स्त्रावित हो सके।
    - AAT एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत कोशिकाएँ पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन AAT बनाने में असमर्थ होती हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप फेफड़े के ऊतकों का विखंडन होता है जो गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें गंभीर फेफड़े के रोग, जैसे कि- क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (COPD) या वातस्फीति का विकास शामिल है।
  - सुबेरॉयलनिलाइड हाइड्रॉक्सैमिक एसिड (SAHA) नामक एक अणु को जोड़ने से माँसपेशियों की कोशिकाओं को AAT को उत्पादन स्तर पर यकृत कोशिकाओं की तरह बनाने में मदद मिलती है।
    - प्रोटियोस्टेसिस वह प्रक्रिया है जो कोशिकीय प्रोटिओम और जीव दोनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु कोशिका के भीतर प्रोटीन को नियंत्रित करती है।
    - प्रोटियोस्टेसिस में पथों का एक अत्यधिक जटिल अंतर्संबंध शामिल होता है जो संश्लेषण से लेकर क्षरण तक एक प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करता है।
  - SAHA या इसी तरह के प्रोटियोस्टेसिस रेगुलेटर को जीन थेरेपी में शामिल करने से कई आनुवंशिक रोगों के लिये इन उपचारों की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
    - मरीजों का इलाज़ आमतौर पर इन्फ्यूजन के माध्यम से AAT प्राप्त करके किया जाता है। इसके लिये रोगियों को या तो नियमित रूप से अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है या जीवन भर महँगे उपकरण घर पर ही रखने पड़ते हैं।
  - AAT की कमी का कारण बनने वाले दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करना रोगियों के लिये एक वरदान साबित हो सकता है।
    - वर्तमान जीन थेरेपी AAT-उत्पादक जीन को पेशियों में इंजेक्ट करती है।
- **निहितार्थ:**
  - मांसपेशियों की कोशिकाओं के प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि संभावित रूप से वैक्सीन प्रतिरक्षा में सुधार कर सकती है।
  - कोशिकाओं में प्रोटीन होमियोस्टेसिस के वृद्धि कारक को जोड़कर प्रोटीन निर्माण का अनुकूलन हो सकता है तथा दवा की प्रभावकारिता में वृद्धि हो सकती है।
    - कई दवाएँ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं जो किसी कोशिका की प्रोटीन उत्पादन क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
    - लेकिन इनमें से कई दवाएँ उन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं जो बड़ी मात्रा में प्रोटीन निर्माण के लिये विशिष्ट नहीं हैं।
  - प्रोटीन होमियोस्टेसिस के माध्यम से कोशिका तंत्र को बेहतर करके आयु वृद्धि दर में कमी करने तथा बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के इलाज के लिये कई नए दरवाजे खोलने में मदद की जा सकती है।

नोट :

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

चर्चा में क्यों ?

वरिष्ठ विद्युत रासायनिक वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं।

- कलाइसेल्वी का 25 से अधिक वर्षों का शोध कार्य मुख्य रूप से विद्युत रासायनिक शक्ति प्रणाली (Electrochemical Power Systems) और विशेष रूप से इलेक्ट्रोड सामग्री के विकास एवं ऊर्जा भंडारण डिवाइस असेंबली में उनकी उपयुक्तता के लिये इलेक्ट्रोड सामग्री के विद्युत रासायनिक मूल्यांकन पर केंद्रित है।
- कलाइसेल्वी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु राष्ट्रीय मिशन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पास 125 से अधिक शोध पत्र और छह पेटेंट अधिकार हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR):

- **परिचय:**
  - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है।
  - CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है।
    - CSIR का वित्तपोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है।
- **कार्यक्षेत्र:**
  - CSIR अपने दायरे में रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी (Space Physics), समुद्र विज्ञान (Oceanography), भू-भौतिकी (Geophysics), रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स (Genomics), जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी से लेकर खनन, वैमानिकी (Aeronautics), उपकरण विज्ञान (Instrumentation), पर्यावरण अभियांत्रिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक की एक विस्तृत विषय श्रृंखला को शामिल करता है।
  - यह सामाजिक प्रयासों के संबंध में कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि-क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल हैं।
- **स्थापना:** सितंबर 1942
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

संगठनात्मक संरचना:

- **अध्यक्ष:** भारत का प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष)।
- **उपाध्यक्ष:** केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (पदेन उपाध्यक्ष)।
- **शासी निकाय/संचालक मंडल:** महानिदेशक (Director General) शासी निकाय का प्रमुख होता है।
  - इसके अतिरिक्त वित्त सचिव (व्यय) इसका पदेन सदस्य होता है।
  - अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है।
- **CSIR सलाहकार बोर्ड:** यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों का 15 सदस्यीय निकाया है।
  - इसका कार्य शासी निकाय को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह या इनपुट्स प्रदान करना है।
  - इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है।

उद्देश्य:

- परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्त्व के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (Scientific and Industrial/Applied Research) करना है।

इसकी गतिविधियों में शामिल हैं:

- वैज्ञानिक नवाचार से संबंधित संस्थानों और विशिष्ट शोधकर्त्ताओं के वित्तपोषण सहित भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का सवर्द्धन, मार्गदर्शन और समन्वयन करना।
- उद्योग विशेष और व्यापार विशेष को प्रभावित करने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये विशेष संस्थानों या मौजूदा संस्थानों के विभागों की स्थापना करना तथा सहायता देना।
- शोध हेतु छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रदान करना।
- परिषद के तत्त्वावधान में किये गए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग देश में उद्योगों के विकास के लिये करना।
- अनुसंधान के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली रॉयल्टी के एक हिस्से का भुगतान उन व्यक्तियों को करना जिन्होंने ऐसे अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण योगदान किया हो।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में प्रगति के लिये प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, संस्थानों तथा संगठनों की स्थापना, रखरखाव एवं प्रबंधन।
- वैज्ञानिक अनुसंधानों संबंधी सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के साथ-साथ सामान्य रूप से औद्योगिक मामलों के संबंध में भी सूचनाओं का संग्रह एवं प्रसार करना।

नोट :

- शोध पत्रों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास से संबंधित पत्रिका का प्रकाशन करना।

दृष्टिकोण एवं रणनीति 2022 (Vision & Strategy 2022)

- दृष्टिकोण: ऐसे विज्ञान का प्रसार करना जो वैश्विक प्रभाव के लिये प्रयास करे, ऐसी प्रौद्योगिकी तैयार करना जो नवोन्मेष आधारित उद्योगों का विकास करे और पराविषयी (Trans-Disciplinary) नेतृत्व का संपोषण करे ताकि भारत के लोगों के लिये समावेशी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित किया जा सके।

संगठन से जुड़े पुरस्कार/सम्मान:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि के लिये प्रदान किया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर (SSB) पुरस्कार का नामकरण CSIR के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय डॉ. शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर किया गया है।
- इसे वर्ष 1957 में देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पुरस्कार के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

डॉ. शांति स्वरूप भटनागर:

- वे CSIR के संस्थापक निदेशक थे जिन्हें 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है।
- स्वातंत्र्योत्तर भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण और भारत की विज्ञानं तथा प्रौद्योगिकी नीतियों के निर्माण में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही वे सरकार में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर भी रहे।
  - वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पहले अध्यक्ष थे।
- उन्हें 'ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर' (OBE) से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1941 में उन्हें 'नाइट' की उपाधि दी गई और वर्ष 1943 में उन्हें रॉयल सोसाइटी, लंदन का फेलो चुना गया।
- वर्ष 1954 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

CSIR द्वारा की गई पहल:

- **कोविड-19:**
  - महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये CSIR ने पाँच प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र स्थापित किये हैं:
    - डिजिटल और आणविक निगरानी।
    - तीव्र और किफायती निदान।
    - ड्रग्स, वैक्सीन और कॉन्वेलसेंट प्लाज़्मा थेरेपी का पुनरुत्पादन।
    - चिकित्सालय सहायक उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs)।
    - आपूर्ति शृंखला और रसद समर्थन प्रणाली।
- **सामरिक:**
  - हेड-अप-डिस्प्ले (HUD): इसने भारतीय हल्के लड़ाकू विमान, तेजस के लिये स्वदेशी हेड-अप-डिस्प्ले (HUD) विकसित किया। HUD विमान को उड़ाने में और हथियारों को निशाना बनाने सहित महत्त्वपूर्ण उड़ान युद्धाभ्यास में पायलट की सहायता करता है।
- **ऊर्जा और पर्यावरण:**
  - सोलर ट्री: यह न्यूनतम स्थान में स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर सकता है।
  - लिथियम आयन बैटरी:0 V/14 h मानक सेल बनाने के लिये स्वदेशी सामग्री पर आधारित भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित की गई है।
- **कृषि:**
  - सांबा मसूरी चावल की किस्म: इसने एक बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी चावल की किस्म विकसित की।
  - चावल की खेती (मुक्तश्री): चावल की एक किस्म विकसित की गई है जो अनुमेय सीमा के भीतर आर्सेनिक के मिश्रण से रोकती है।
  - सफेद मक्खियों के प्रतिरोधी कपास की किस्म: एक ट्रांसजेनिक कॉटन लाइन विकसित की जो सफेद मक्खियों के लिये प्रतिरोधी है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:**
  - चिकित्सा निर्णय को सक्षम करने के लिये जीनोमिक्स और अन्य ओमिक्स प्रौद्योगिकियाँ - GOMED: इसे CSIR द्वारा विकसित किया गया है जो रोग जीनोमिक्स से संबंधित नैदानिक समस्याओं को हल करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- **भोजन और पोषण:**
  - क्षीर-स्कैनर: यह 10 पैसे की कीमत पर 45 सेकंड में दूध में मिलावट और मिलावट के स्तर का पता लगाता है।
  - डबल-फोर्टिफाइड नमक: लोगों में एनीमिया को दूर करने के लिये विकसित और परीक्षण किये गए बेहतर गुणों वाले आयोडीन एवं आयरन से युक्त नमक।

लक्षद्वीप में समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत स्वायत्त राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, लक्षद्वीप के कवरत्ती में 65 किलोवाट (kW) की क्षमता वाला एक समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

नोट :

- यह संयंत्र एक लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ कम तापमान वाले तापीय विलवणीकरण संयंत्र को बिजली की आपूर्ति करेगा, जो अनुपयोगी समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करेगा।
- यह दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक, हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करेगा।

समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र:

- **परिचय:**
  - समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) समुद्र की सतह के जल और गहरे समुद्र के जल के बीच विद्यमान तापांतर का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है।
    - महासागर विशाल ऊष्मा भंडार हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग कवर करते हैं।
  - **शोधकर्त्ता दो प्रकार की OTEC प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:**
    - बंद चक्र विधि: जहाँ एक तरल पदार्थ (अमोनिया) को वाष्पीकरण के लिये हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पंप किया जाता है और उससे उत्पन्न वाष्प-शक्ति से टरबाइन चलती है।
    - समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ठंडे जल द्वारा वाष्प को वापस द्रव (संघनन) में बदल दिया जाता है, जहाँ यह हीट एक्सचेंजर में वापस आ जाता है।
    - खुला चक्र विधि जहाँ गर्म सतह के जल पर एक निर्वात कक्ष में दबाव डाला जाता है और उसे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है जो टरबाइन को चलाता है, पुन: गहराई से ठंडे समुद्री जल का उपयोग करके भाप को संघनित किया जाता है।
- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:**
  - भारत ने वर्ष 1980 में तमिलनाडु तट पर एक OTEC संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी। हलाँकि विदेशी विक्रेता द्वारा संचालन बंद करने के साथ इसे रोकना पड़ा।
- **समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में भारत की क्षमता:**
  - चूँकि भारत भौगोलिक रूप से दक्षिणी तट जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है, समुद्री तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये अच्छी अवस्थिति में है, जहाँ पूरे वर्ष 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान अंतर पाया जाता है।
  - सकल बिजली के 40% ऊर्जा क्षति को शामिल करते हुए भारत भर में कुल OTEC क्षमता 180,000 मेगावाट होने का अनुमान है।

OTEC संयंत्र की कार्यप्रणाली:

- **परिचय:**
  - जैसे सूर्य की ऊर्जा समुद्र के सतही जल को गर्म करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतही जल गहरे जल की तुलना में अधिक गर्म हो सकता है।
  - इस तापमान अंतर का उपयोग बिजली के उत्पादन और समुद्र के जल को विलवणीकृत करने के लिये किया जा सकता है।
    - OTEC प्रणाली बिजली उत्पादन के लिये टर्बाइन को बिजली देने हेतु तापमान अंतर (कम-से-कम 77 डिग्री फारेनहाइट) का उपयोग करती है।
    - जब गर्म जल का प्रवाह OTEC गैस चेंबर में होता है तब गैस द्वारा समुद्री जल की ऊष्मा का अवशोषण किये जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इस गतिज ऊर्जा के कारण टर्बाइन चलता है।
    - फिर वाष्पीकृत द्रव को कंडेनसर में वापस तरल में बदल दिया जाता है जिसे ठंडे समुद्र के जल से ठंडा करके समुद्र में गहराई से पंप किया जाता है।
    - OTEC प्रणाली में समुद्री जल को तरल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है और विलवणीकृत जल का उत्पादन करने के लिये संघनित जल का उपयोग कर सकते हैं।
- **महत्त्व:**
  - OTEC के दो सबसे बड़े लाभ हैं- यह स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करती है और सौर संयंत्रों के विपरीत जो रात में काम नहीं कर सकते हैं एवं पवन टर्बाइन जो केवल वायु में काम करते हैं, जबकि OTEC संयंत्र हर समय ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है।

सरकार की संबंधित हालिया पहलें:

- **डीप सी माइनिंग (Deep Sea Mining):**
  - MoES मध्य हिंद महासागर से 5,500 मीटर की गहराई पर गहरे समुद्र के संसाधनों जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिये प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।
- **मौसम पूर्वानुमान:**
  - मंत्रालय समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण जलवायु जोखिम मूल्यांकन के लिये समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाएँ शुरू करने पर भी काम कर रहा है जैसे चक्रवात की तीव्रता और आवृत्ति, तूफानी लहरें तथा तीव्र पवन, जैव-भू-रसायन, भारत के तटीय जल में एल्गी ब्लूम को रोकना।
- **डीप ओशन मिशन:**
  - MoES डीप ओशन मिशन के तहत 6,000 मीटर तक जल की गहराई के लिये रेटेड प्रोटोटाइप क्रू सबमर्सिबल को डिज़ाइन और विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

नोट :

- इसमें जल के नीचे के वाहनों और जल के भीतर रोबोटिक्स के लिये प्रौद्योगिकियाँ शामिल होंगी।

- **डीएनए बैंक:**
  - दूरस्थ संचालित वाहन का उपयोग करके व्यवस्थित नमूने के माध्यम से उत्तरी हिंद महासागर के बेंटिक जीवों का पता लगाने, नमूने लेने और डीएनए भंडारण में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत NIOT की स्थापना नवंबर 1993 में तत्कालीन महासागर विकास विभाग (Department of Ocean Development) द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ), जो भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, के निर्जीव एवं सजीव संसाधन, के उपयोग से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकी समस्याओं को सुलझाने के लिये विश्वसनीय देशी तकनीक विकसित करना है।

भारत का सौर ऊर्जा लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 GW तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है।

- भारत ने वर्ष 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने, वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- वर्ष 2010 में 10 मेगावाट से भी कम क्षमता के साथ भारत ने पिछले एक दशक में महत्त्वपूर्ण फोटोवोल्टिक क्षमता को प्राप्त किया है, जो वर्ष 2022 में 50 गीगावाट से अधिक है।

भारत में अक्षय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति:

- भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 151.4 गीगावाट है।
  - **अक्षय ऊर्जा के लिये कुल स्थापित क्षमता का विवरण निम्नलिखित है:**
    - पवन ऊर्जा: 40.08 गीगावाट
    - सौर ऊर्जा: 49.34 गीगावाट
    - बायोपावर: 10.61 गीगावाट
    - लघु जल विद्युत: 4.83 गीगावाट
    - लार्ज हाइड्रो: 46.51 गीगावाट
  - **वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता:**
    - भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता के 45 सौर पार्कों को मंज़ूरी दी गई है।
    - पावागढ़ (2 गीगावाट), कुरनूल (1 गीगावाट) और भादला- II (648 मेगावाट) में सौर पार्क देश में 7 GW क्षमता के शीर्ष 5 परिचालित सोलर पार्कों में शामिल हैं।
    - गुजरात में 30 गीगावाट क्षमता वाली सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना का दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है।

चुनौतियाँ:

- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:**
  - भारत के पास पर्याप्त मॉड्यूल और पीवी सेल निर्माण क्षमता नहीं है।
    - वर्तमान सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्रतिवर्ष 15 गीगावाट तक सीमित है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 3.5 गीगावाट के आसपास है।
    - इसके अलावा मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 15 गीगावाट में से केवल 3-4 गीगावाट मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्द्धी हैं और ग्रिड-आधारित परियोजनाओं में परिनियोजन के योग्य हैं।
- **आकार और प्रौद्योगिकी:**
  - अधिकांश भारतीय उद्योग M2 प्रकार के वफर आकार पर आधारित है, लगभग 156x156 mm2, जबकि वैश्विक उद्योग पहले से ही M10 और M12 आकार की ओर बढ़ रहा है, जो 182x182 mm2 और 210x210 mm2 हैं।
    - बड़े आकार का वफर फायदेमंद है क्योंकि यह लागत प्रभावी है तथा इसमें कम विद्युत की हानि होती है।
- **कच्चे माल की आपूर्ति:**
  - सबसे महँगा कच्चा माल सिलिकॉन वेफर का निर्माण भारत में नहीं होता है।
  - यह वर्तमान में 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% सेल का आयात करता है।
    - इसके अलावा विद्युत से संपर्क स्थापित करने के लिये चांदी और एल्युमीनियम धातु के पेस्ट जैसे अन्य प्रमुख कच्चे माल का भी लगभग 100% आयात किया जाता है।

सरकार की पहल:

- **विनिर्माण को समर्थन हेतु पीएलआई योजना:**
  - इस योजना में ऐसे सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करके उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना का समर्थन करने के प्रावधान हैं।

नोट :

- **घरेलू सामग्री की आवश्यकता (DCR):**
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की कुछ मौजूदा योजनाओं के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) योजना चरण- II, पीएम-कुसुम, और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण- II, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है , इसे घरेलू स्रोतों से सौर पीवी सेल एवं मॉड्यूल के स्रोत के लिये अनिवार्य किया गया है।
    - इसके अलावा सरकार ने ग्रिड से जुड़ी राज्य / केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिये केवल निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) से मॉड्यूल खरीदना अनिवार्य कर दिया है।
- **सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क का अधिरोपण:**
  - सरकार ने सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) लगाने की घोषणा की है।
    - इसके अलावा इसने मॉड्यूल के आयात पर 40% और सेल के आयात पर 25% शुल्क लगाया है।
    - मूल सीमा शुल्क एक विशिष्ट दर पर वस्तु के मूल्य पर लगाया गया शुल्क है।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):**
  - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक योजना है।
    - यह योजना मुख्य रूप से PV सेल और मॉड्यूल पर पूंजीगत व्यय के लिये सब्सिडी प्रदान करती है- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में निवेश के लिये 20% तथा गैर-SEZ में 25%।

आगे की राह

- चूँकि भारत सौर PV मॉड्यूल के विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, लेकिन इसके लिये विनिर्माण केंद्र बनने हेतु इसे अधिक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, जैसे घरेलू विकसित प्रौद्योगिकियों को विकसित करना जो अल्पावधि में उद्योग के साथ काम कर सकें। उन्हें प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रक्रिया सीखने, सही परीक्षण के माध्यम से मूल-कारण विश्लेषण एवं लंबी अवधि में भारत की अपनी प्रौद्योगिकियों का विकास करना शामिल है।
- इसके लिये कई समूहों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी जो उद्योग की तरह काम करने और प्रबंधन की स्थितियों, उपयुक्त परिलब्धियों और स्पष्ट वितरण का काम कर सकें।

बूस्टर डोज़: कॉर्बेवैक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि जिन लोगों को कोविड–19 के लिये पहली या दूसरी खुराक के रूप में कोविशील्ड या कोवैक्सिन मिला है, वे तीसरे बूस्टर शॉट/डोज़ के रूप में कॉर्बेवैक्स ले सकते हैं।

- कॉर्बेवैक्स अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा है।
- अब तक तीसरी डोज़ वही वैक्सीन होनी चाहिये थी, जिसका उपयोग पहली और दूसरी डोज़ के लिये किया जाता था।
- यह निर्णय भारत के दवा नियामक द्वारा 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिये विषम कोविड बूस्टर खुराक के रूप में कॉर्बेवैक्स को मंज़ूरी देने के बाद लिया गया है।

WHO की आपातकालीन उपयोग सूची (EUL):

- EUL सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित लोगों के लिये उत्पादों की उपलब्धता में तेज़ी लाने के अंतिम उद्देश्य के साथ बिना लाइसेंस वाले टीकों, चिकित्सीय और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स का आकलन और सूचीबद्ध करने हेतु जोखिम-आधारित प्रक्रिया है।
- कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिये लोगों को वैक्सीन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जो WHO की अनुमोदित सूची में है।

कॉर्बेवैक्स वैक्सीन

- **परिचय:**
  - कॉर्बेवैक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (RBD) प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है, 28 दिन के अंदर इसकी 2 डोज़ लेनी होंगी।
  - इसे 2-8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जा सकता है, जो भारत की आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त है।
- **कार्यविधि:**
  - यह एक 'रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब-यूनिट' वैक्सीन है। इसका अर्थ है कि यह 'SARS-CoV-2' के एक विशिष्ट भाग यानी वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन से बना है।
    - स्पाइक प्रोटीन वायरस को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे वह रेप्लिकेट होता है यानी उसकी संख्या में वृद्धि होती है और बीमारी का कारण बनता है।
    - हालाँकि जब अकेले स्पाइक प्रोटीन शरीर में प्रवेश करता है तो इसके हानिकारक होने की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि वायरस के शेष हिस्से अनुपस्थित होते हैं।
    - इस तरह जब स्पाइक प्रोटीन को मानव शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित होने की उम्मीद होती है।

नोट :

- एक बार जब मानव प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन को पहचान लेती है तो यह संक्रमण से लड़ने के लिये श्वेत रक्त कणिकाओं के रूप में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है।
- इसके पश्चात् जब वास्तविक वायरस शरीर को संक्रमित करने का प्रयास करता है, तो शरीर के पास पहले से ही एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तैयार होती है, जिससे उस व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है।

अन्य प्रकार के वैक्सीन:

- **निष्क्रिय वैक्सीन:**
  - निष्क्रिय वैक्सीन में मृत रोगाणु का उपयोग होता है जो एक बीमारी का कारण बनता है।
  - इस प्रकार की वैक्सीन एक रोगज़नक़ को निष्क्रिय करके बनाए जाते हैं, आमतौर पर ऊष्मा या रसायनों जैसे कि फॉर्मलाडेहाइड या फॉर्मेलिन का उपयोग करके।
    - यद्यपि रोगजनक को निष्क्रिय कर दिया जाता है या इनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है, रोगजनक के विभिन्न हिस्से बरकरार रहते हैं, जैसे-एंटीजन (रासायनिक संरचना) जिसकी पहचान प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा की जाती है, को अछूता रखा जाता है।
- **सक्रिय वैक्सीन:**
  - इसमें किसी रोगाणु के कमज़ोर (अथवा क्षीण) रूप का उपयोग किया जाता है।
  - यह वैक्सीन प्राकृतिक संक्रमण से इतनी मिलती-जुलती है कि एक शक्तिशाली एवं दीर्घकालीन प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
- **मैसेंजर (एम) आरएनए वैक्सीन:**
  - एमआरएनए वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमआरएनए वैक्सीन अन्य प्रकार के वैक्सीन की अपेक्षा अधिक प्रभावी हैं, जिसमें कम समय में इसका निर्माण भी शामिल है, क्योंकि इनमें एक जीवित वायरस नहीं होता है, अत: टीकाकरण करने वाले व्यक्ति में बीमारी पैदा होने का जोखिम नहीं होता है।
  - टीकों का उपयोग कोविड–19 से बचाव के लिये किया जाता है।
- **टॉक्सोइड वैक्सीन:**
  - ये रोग का कारण बनने वाले रोगाणु के विष द्वारा (हानिकारक उत्पाद) द्वारा बनाए जाते हैं।
    - वे रोगाणु के उन हिस्सों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं जो रोगाणु के बजाय रोग का कारण बनते हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पूरे रोगाणु के बजाय सिर्फ विष को लक्षित करती है।
- **वायरल वेक्टर वैक्सीन:**
  - वायरल वेक्टर वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक वेक्टर के रूप में एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं।
  - कई अलग-अलग वायरस को वैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें इन्फ्लूएंजा, वेसिकुलर स्टामाटाइटिस वायरस (VSV), खसरा वायरस और एडेनोवायरस शामिल हैं, जो सामान्य सर्दी का कारण बनते हैं।

नोट :

शासन व्यवस्था

चुनावी बॉण्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने डेटा रिपोर्टिंग साझा की जिसमें बताया गया है कि चुनावी बॉण्ड (EB) के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर चुकी है।

- जुलाई 2022 में आयोजित चुनावी बॉण्ड की 21वीं बिक्री में पार्टियों को चुनावी बॉण्ड खरीद से 5 करोड़ रुपए मिले।
- पार्टियों द्वारा एकत्र की गई कुल राशि वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरू होने के बाद से 10,246 करोड़ रुपए हो गई है।

चुनावी बॉण्ड:

- **परिचय:**
  - भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्ड्स को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है।
  - चुनावी बॉण्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
  - ऋण साधनों के रूप में इन्हें दानदाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल उन्हें भुना सकते हैं।
  - इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है।
  - चुनावी बॉण्ड SBI द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
  - बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- **पात्रता:**
  - केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम-से-कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

चुनावी बॉण्ड भारत के लिये चुनौती का विषय:

- **मूल विचार के विपरीत:**
  - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है।
    - उदाहरण के लिये आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गुमनामी केवल जनता और विपक्षी दलों तक की सीमित होती है।
- **जबरन वसूली की संभावना:**
  - चूँकि इस तरह के बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग विपक्षी दलों को वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं।
    - परिणामस्वरूप यह प्रकिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है।
- **लोकतंत्र के लिये चुनौती:**
  - वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट दी है।
    - इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषित किया है।
  - हालाँकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपना वोट उन्हें देतें हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
- **'जानने के अधिकार' से समझौता:**
  - भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि 'जानने का अधिकार' विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ:**
  - चुनावी बॉण्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं देते हैं।
  - उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
  - इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है।
- **क्रोनी कैपिटलिज़्म:**
  - चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले निगमों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।

नोट :

- क्रोनी कैपिटलिज़्म एक आर्थिक प्रणाली है जो उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता की कमी के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।
- संपूर्ण शासनतंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना आवश्यक है।
- मतदाता जागरूकता अभियान पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं।
  - यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन परअधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं तो इससे लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है कि नवंबर 2022 तक प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA) पर रिपोर्ट जारी की जाएगी।

- यह ज़िम्मेदार उपयोग की निगरानी में मदद करने के लिये लेखा प्रणाली विकसित करने का एक प्रयास है, जो स्थिरता की ओर ले जाएगा।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA)

- **परिचय:**
  - प्राकृतिक संसाधन लेखांकन आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की एक प्रक्रिया है
  - NRA की अवधारणा प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों और देश की आर्थिक प्रगति के बीच घनिष्ठ अंत:क्रिया को समझने हेतु उभरी थी।
  - यह इस अवधारणा पर आधारित है कि 'किसी संसाधन का मापन उसके बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है।
- **ऐतिहासिक परिदृश्य:**
  - NRA के लिये पहला कदम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन), 1970 में तब उठाया गया जब आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों पर पहली बार चर्चा की गई।
  - संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ब्रंटलैंड आयोग ने वर्ष 1987 में पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों के बीच घनिष्ठ संबंध के विचार को व्यक्त किया, जिसके बाद पर्यावरण लेखांकन एवं वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ।

NRA को बढ़ावा देने हेतु पहल:

- **वैश्विक स्तर पर पहल:**
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का शीर्षक- "ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड; द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" (25 सितंबर, 2016) जिसे 190 से अधिक देशों की मंज़ूरी मिली, को प्राकृतिक संसाधन खातों की तैयारी की आवश्यकता है।
    - भारत इस संकल्प का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 में आर्थिक और पर्यावरण लेखा प्रणाली (SEEA) को अपनाया। यह NRA के लिये नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढाँचा है।
    - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्राँस और जर्मनी जैसे लगभग 30 देशों ने पर्यावरण लेखांकन को अपनाने में विभिन्न डिग्री हासिल की है।
  - यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं (NCAVES) परियोजना का प्राकृतिक पूंजी लेखा और मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तथा जैवविविधता के सम्मेलन (CBD) के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।
    - भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले पाँच देशों में से एक है,अन्य देश ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको हैं।
    - यह प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक और प्रवाह को मापने एवं रिपोर्ट करने के लिये व्यवस्थित तरीका प्रदान करने हेतु लेखांकन ढाँचे का उपयोग करने के प्रयासों को कवर करने वाला व्यापक शब्द है।
- **भारत-विशिष्ट पहल:**
  - CAG ने वर्ष 2002 में सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (GASAB) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की गुणवत्ता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिये सरकारी लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करना था।
    - इसमें भारत सरकार में सभी लेखा सेवाओं के प्रतिनिधि, RBI, ICAI और राज्य सरकारों जैसे नियामक प्राधिकरण शामिल हैं।

नोट :

- भारत का CAG प्रधान ऑडिट संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय निकाय का भी सदस्य है, जिसे WGEA (पर्यावरण लेखा परीक्षा पर कार्य समूह) कहा जाता है, जिसने सुझाव दिया (वर्ष 2010) कि लेखा परीक्षा संस्थानों को अपने देशों को प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को अपनाने में सहायता करनी चाहिये।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन का महत्त्व:

- **अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंध:**
  - पर्यावरणीय संसाधनों का लेखांकन गैर-नवीकरणीय क्षति की मात्रा निर्धारित करता है और वास्तविक रूप में विकास के निर्धारण में सहायता करता है।
- **नीति निर्धारण में सहायता- सुदृढ़ डेटाबेस:**
  - नीति निर्माताओं को उनके निर्णयों के संभावित प्रभाव को समझने में मदद करना।
- **सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का प्रबंधन:**
  - NRA सतत् विकास लक्ष्यों के साथ गहन रूप से अंतर्संबंधित हैं क्योंकि 17 में से 4 लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनके लेखांकन से संबंधित हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का सामना:**
  - जलवायु परिवर्तन की निगरानी, माप और विश्लेषण के लिये परिसंपत्ति एवं प्रवाह लेखा को एक उपयोगी ढाँचे के रूप में मान्यता दी गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:**
  - सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा यह भारत को परिसंपत्ति लेखा के गठन में विशिष्ट देशों के समूह का हिस्सा बनने में सहायता प्रदान करेगा।

प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन से संबंधित चुनौतियाँ:

- राज्य के अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभाव है।
- परिसंपत्ति लेखांकन के गठन में सीमाएँ- डेटा की आवधिकता का मानचित्रण।
- संसाधनों के लिये डेटा संग्रह में कई एजेंसियाँ शामिल हैं; यह डेटा साझाकरण/डेटा संघर्ष के मुद्दों को जन्म दे सकता है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि वह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का मसौदा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निरसन अधिनियम) विधेयक, 2018 के मसौदे पर फिर से काम कर रहे हैं, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) को जीवंत करेगा।

- नया संशोधित मसौदा भी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2018 का मसौदा:

- **परिचय:**
  - यह विधेयक "भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का मसौदा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निरसन अधिनियम) विधेयक, 2018" से संबंधित है।
  - इसे जनवरी, 2018 में पेश किया गया था।
    - लेकिन इसे कभी अंतिम रूप नहीं दिया गया और दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई।
- **प्रमुख बिंदु:**
  - यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 को निरस्त करता है और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना करता है।
  - **HECI निम्नलिखित द्वारा उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखेगा:**
    - पाठ्यक्रमों के लिये सीखने के परिणामों को निर्दिष्ट करना।
    - कुलपतियों के लिये पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करना।
    - न्यूनतम मानकों का पालन करने में विफल रहने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश।
  - डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को अपना पहला शैक्षणिक संचालन शुरू करने के लिये HECI में आवेदन करना होगा।
    - HECI के पास निर्दिष्ट आधारों पर अनुमति रद्द करने की शक्ति भी है।
  - विधेयक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान करता है।
    - परिषद केंद्र और राज्यों के बीच उच्च शिक्षा में समन्वय और मानकों के निर्धारण के लिये सलाह देगी।
- **कवरेज:**
  - यह विधेयक निम्न 'उच्च शिक्षण संस्थानों' पर लागू होगा जिसमें शामिल हैं:
    - संसद या राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।
    - विश्वविद्यालय और कॉलेज के रूप में स्थापित संस्थान।
    - इसमें राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान शामिल नहीं हैं।

वर्ष 2018 के विधेयक में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **स्वायत्तता:**
  - विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना है।

नोट :

- हालाँकि विधेयक के कुछ प्रावधान इस घोषित उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं।
- यह तर्क दिया जा सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के बजाय विधेयक HECI को व्यापक नियामक नियंत्रण प्रदान करता है।

- **नियामक क्षेत्र:**
  - वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों को 14 व्यावसायिक परिषदों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
    - इनमें से यह विधेयक कानूनी और वास्तुकला शिक्षा को HECI के दायरे में लाने का प्रयास करता है।
    - यह स्पष्ट नहीं है कि केवल इन दो क्षेत्रों को ही HECI के नियामक दायरे में क्यों शामिल किया गया है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के अन्य क्षेत्रों को नहीं।
- **अनुदानों का संवितरण:**
  - वर्तमान में UGC के पास विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करने और वितरित करने का अधिकार है।
    - हालाँकि यह विधेयक UGC की जगह लेता है, लेकिन इसमें अनुदानों के वितरण के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं है।
    - इससे यह सवाल उठता है कि क्या उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान के वितरण में HECI की कोई भूमिका होगी।
- **स्वतंत्र विनियम:**
  - वर्तमान में केंद्रीय उच्च शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों को समन्वय और सलाह देता है।
  - यह विधेयक एक सलाहकार परिषद् का निर्माण करता है और HECI को अपनी सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
    - यह HECI को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर सकता है।

HECI के कार्य:

- HECI उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के तरीकों की अनुशंसा करेगा।
- यह निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट करेगा:
  - पाठ्यक्रमों के लिये सीखने के परिणाम।
  - शिक्षण और अनुसंधान के मानक।
  - संस्थानों के वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने के लिये मूल्यांकन प्रक्रिया।
  - संस्थानों का प्रत्यायन।
  - संस्थानों को बंद करने का आदेश
- इसके अलावा HECI कई अन्य मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है:
  - शैक्षणिक संचालन शुरू करने के लिये संस्थानों को प्राधिकरण प्रदान करना।
  - उपाधि या डिप्लोमा प्रदान करना।
  - विश्वविद्यालयों के साथ संस्थानों की संबद्धता।
  - स्वायत्तता प्रदान करना।
  - श्रेणीबद्ध स्वायत्तता।
  - कुलपतियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड।
  - संस्थानों की स्थापना और समापन।
  - शुल्क विनियमन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का महत्त्व:

- **शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना:**
  - 3 वर्ष की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिये 5+3+3+4 मॉडल अपनाने की नीति बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की उम्र के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को दर्शाती है।
- **साइलो मानसिकता से दूरी:**
  - नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हाई स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान धाराओं के विभाजन में लचीलापन लाना है।
    - साइलो मानसिकता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब कुछ विभाग या क्षेत्र एक ही कंपनी में दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं।
- **शिक्षा और कौशल का संगम:**
  - इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल कोर्स की शुरुआत।
    - यह समाज के कमज़ोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित कर सकता है।
- **शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना:**
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) प्रस्तावित है।
- **विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति:**
  - दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने के लिये "सुविधा" दी जाएगी।
- **हिंदी बनाम अंग्रेजी बहस समाप्त करना:**
  - यह कम-से-कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर ज़ोर देता है, जिसे शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है।

नोट :

टोबैको एंडगेम

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने की अपनी योजना को पूरा करने के लिये न्यूज़ीलैंड की संसद ने हाल ही में धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद (स्मोक्ड टोबैको) संशोधन विधेयक पेश किया है।

- न्यूज़ीलैंड का अनुकरण करते हुए मलेशिया वर्ष 2007 के बाद पैदा हुए लोगों को धूम्रपान और ई-सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहा है।

तंबाकू एंडगेम पर न्यूज़ीलैंड का विधेयक:

- **परिचय:**
  - 'टोबैको एंडगेम' एक नीतिगत दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो 'तंबाकू मुक्त भविष्य' के उद्देश्य से तंबाकू से होने वाली बीमारी को समाप्त करने पर केंद्रित है।
  - विधेयक में धूम्रपान को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने या इसे समाप्त करने के लिये तीन रणनीतियों की मांग की गई है।
  - यदि विधेयक को लागू किया जाता है तो यह दुनिया का पहला कानून होगा जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा।
- **प्रस्तावित रणनीतियाँ:**
  - तंबाकू में निकोटीन (जिसे "डिनिकोटिनाइज़ेशन" या "बहुत कम निकोटीन सिगरेट- VLNC" के रूप में जाना जाता है) की मात्रा को काफी कम कर देना ताकि नशे की लत न हो।
  - तंबाकू बेचने वाली दुकानों की संख्या में 90% से 95% की कमी।
  - 1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू बेचना अवैध (इस प्रकार "धूम्रपान मुक्त पीढ़ी") बनाना।

तंबाकू सेवन की वर्तमान स्थिति:

- **वैश्विक:**
  - तंबाकू महामारी दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जिसके कारण प्रति वर्ष 80 लाख से अधिक लोग मारे जाते हाते हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार), जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर (सिगरेट के धुँए आदि कारणों से) प्रभावित 1.2 मिलियन मौतें शामिल हैं।
    - दुनिया भर में हर चार में से एक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है।
  - तंबाकू के सभी रूप हानिकारक हैं, और तंबाकू के संपर्क में आने का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है।
    - सिगरेट धूम्रपान दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग का सबसे आम रूप है।
    - अन्य तंबाकू उत्पादों में वाटरपाइप तंबाकू, विभिन्न धुआँ रहित तंबाकू उत्पाद, सिगार, सिगारिलोस, रोल-योर-ओन तंबाकू, पाइप तंबाकू, बीड़ी और क्रेटेक्स शामिल हैं।
  - तंबाकू का उपयोग कई दीर्घकालिक बीमारियों के लिये एक प्रमुख जोखिम कारक है, जिसमें कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक शामिल हैं।
- **भारत में स्थिति:**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% पुरुष और 9% महिलाएँ तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।
  - अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ (19%) और पुरुष (51%) में किसी भी अन्य जाति/जनजाति समूह के लोगों की तुलना में तंबाकू का सेवन करने की अधिक संभावना होती है।
  - पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं में, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (पुरुषों के लिये 43 प्रतिशत और महिलाओं के लिये 11 प्रतिशत) में तंबाकू सेवन अधिक होता है।
  - लगभग पाँच में से तीन पुरुष और 15% महिलाएँ बिना स्कूली शिक्षा या 5 साल से कम स्कूली शिक्षा के साथ तंबाकू का उपयोग करती हैं।
- **तंबाकू की खपत का सामाजिक-आर्थिक बोझ:**
  - तंबाकू के उपयोग के कारण लोग घर के खर्च, भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च नहीं करते हैं बल्कि तंबाकू पर खर्च करते हैं जिससे गरीबी में वृद्धि होती है।
  - तंबाकू के उपयोग की आर्थिक लागत पर्याप्त है और इसमें तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिये ज़रूरी स्वास्थ्य देखभाल लागत के साथ-साथ तंबाकू के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर के परिणामस्वरूप मानव पूंजी की हानि भी शामिल है।
  - यह भारत में मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतों का कारण है।
    - भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। देश में विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।
    - तंबाकू के उपयोग के लिये ज़िम्मेदार कुल आर्थिक लागत (वर्ष 2017-18 में भारत में सभी बीमारियों से 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये) 177,341 करोड़ रुपये थी।

उच्च तंबाकू खपत से निपटने हेतु उपाय:

- **वैश्विक पहल:**
  - तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन:

नोट :

- इसे तंबाकू महामारी के वैश्विक रोकथाम के लिये विकसित किया गया था और यह एक साक्ष्य-आधारित संधि है जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर के अधिकार की पुष्टि करती है।
- भारत ने WHO FCTC के इस ढाँचे के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस:

- तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता का विस्तार करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

- **भारत द्वारा की गई पहल:**
  - **सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003:**
    - इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) को बदल दिया (बड़े पैमाने पर वैधानिक चेतावनियों तक सीमित- 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है' को सिगरेट पैक और विज्ञापनों पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गैर-सिगरेट उत्पाद शामिल नहीं थे)।
    - वर्ष 2003 के अधिनियम में सिगार, बीड़ी, चेरूट (फिल्टर रहित बेलनाकार सिगार), पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा भी शामिल थे।
  - **ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019:**
    - यह ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
  - **नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज (NTQLS):**
    - नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ बड़ी संख्या में तंबाकू उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बनाने में सक्षम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य टेलीफोन आधारित जानकारी, सलाह, समर्थन और तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना है।
  - **एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम:**
    - यह कार्यक्रम तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
    - भारत ने वर्ष 2016 में सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पाठ्य संदेशों (Text Messages) का उपयोग कर इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी।

ABDM के साथ स्वास्थ्य अनुप्रयोगों का एकीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 52 डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोगों के सफल एकीकरण के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत स्थापित किये जा रहे डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार की घोषणा की है।

- ये एकीकरण ABDM सैंडबॉक्स के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं।
- पिछले दो महीनों में, अतिरिक्त 12 स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों को ABDM सैंडबॉक्स वातावरण के विभिन्न महत्त्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ा गया है।
  - इस सूची में अब 20 सरकारी और 32 निजी क्षेत्र के अनुप्रयोग शामिल हो गए हैं।

नए एकीकृत ऐप:

- ABDM साझेदार परितंत्र में जोड़े गए 12 नए अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं -
  - केंद्र सरकार अस्पताल योजना (CGHS) के लिये HMIS (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) ।
  - NICE-HMS . द्वारा अस्पताल प्रबंधन प्रणाली।
  - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनमोल अनुप्रयोग।
  - ई-संजीवनी।
  - धनुष इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड सरकार के लिये यूके टेलीमेडिसिन सेवा।
  - इन्फिनिटी आइडेंटिटी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य तकनीक समाधान जैसे समान अनुप्रयोग।
  - IHX द्वारा IHX लेम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
  - कार्किनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्किनोस एप्लीकेशन सूट।
  - फिंगूले टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेरा-अधिकार अनुप्रयोग।
  - NICT द्वारा nPe बिल और सर्विसज़ ऐप।
  - पेपरप्लेन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेपरप्लेन व्हाट्सएप क्लिनिक।
  - सोसाइटी फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम (HISP इंडिया) द्वारा HISP-EMR ।

नोट :

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और ऐप्स के एकीकरण का महत्त्व:

- **परिचय:**
  - ABDM राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है जो सूचना और बुनियादी ढाँचा सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला के प्रावधान के माध्यम से कुशल, सुलभ, समावेशी और किफायती तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है।
  - इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का समर्थन करने के लिये आवश्यक संसाधनों का विकास करना है।
  - यह डिजिटल राजमार्गों के माध्यम से हेल्थकेयर पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को समाप्त करेगा।
- **एकीकरण का महत्त्व:**
  - जैसे-जैसे अधिक मौजूदा स्वास्थ्य अनुप्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं, नवाचार की संभावना बढ़ती है जिससे प्रणाली बहुत तेज़ी से विकसित होती है।
  - यह एकीकरण दर्शाता है कि कैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ आ सकते हैं और देश के लिये डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने हेतु सहयोग कर सकते हैं।
  - स्वास्थ्य सेवा वितरण के डिजिटलीकरण की दिशा में यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत को सबसे प्रभावी, कुशल और किफायती तरीके से सभी के लिये स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- **उद्देश्य:**
  - अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना, कोर डिजिटल स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करना और इसके निर्बाध आदान-प्रदान के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना।
  - नैदानिक प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, दवाओं और फार्मेसियों का एकीकरण करने लिये उचित स्तर पर पंजीकरण करना।
  - सभी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य हितधारकों द्वारा खुले मानकों को अपनाने हेतु लागू करना।
  - व्यक्तियों और स्वास्थ्य पेशेवरों तथा सेवा प्रदाताओं के लिये आसानी से सुलभ अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा व्यक्तियों की सूचित सहमति के आधार पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रणाली विकसित करना।
  - स्वास्थ्य के लिये सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ उद्यम-श्रेणी के स्वास्थ्य अनुप्रयोग प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना।
- एबीडीएम के बिल्डिंग ब्लॉक्स: आयुष्मान भारत मिशन 4 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आधारित है:
  - **स्वास्थ्य आईडी:**
    - ABDM प्रणाली के प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी बनाना होगा जिसे सत्यापित किया जाएगा और उनकी पहचान से जोड़ा जाएगा।
    - इस विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी पर उपयोगकर्ता की चिकित्सा जानकारी संग्रहीत की जाएगी।
  - **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री**
    - यह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का एक पूरा डेटाबेस है जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैनाती से जुड़े हैं।
    - पंजीयन पर अपना पंजीकरण कराकर, रोगियों को स्वास्थ्य पेशेवरों के डेटा और अन्य लाभों तक आसान और त्वरित पहुँच प्राप्त हो सकती है।
  - **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री**
    - यह देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस है। इनमें निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ, जैसे- अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब, छोटे क्लीनिक, नर्सिंग होम आदि शामिल हैं।
  - **आभा (ABHA) मोबाइल ऐप**
    - ABHA मोबाइल ऐप का उपयोग रोगियों द्वारा अपनी चिकित्सा जानकारी को नियंत्रित करने और एक्सेस करने के साथ-साथ इसे स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साझा करने के लिये किया जाता है।
    - ऐप सुरक्षित पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड (PHR) प्रणाली द्वारा समर्थित है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स:

- यह डिजिटल स्वास्थ्य उत्पाद को वास्तविक उपयोग के लिये लाइव किये जाने से पहले एकीकरण प्रक्रियाओं के परीक्षण हेतु बनाए गए प्रयोग के लिये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है।
- कोई भी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता/डेवलपर ABDM ऐप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (API) के साथ अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को एकीकृत और मान्य करने की पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ABDM सैंडबॉक्स पर पंजीकरण कर सकता है।
- वर्तमान में, 919 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के इंटीग्रेटर्स ने योजना के तहत अपने सॉफ्टवेयर समाधानों को एकीकृत और मान्य करने के लिये एबीडीएम सैंडबॉक्स के तहत नामांकन किया है।

नोट :

भारत के स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र के डिजिटलीकरण में हालिया विकास:

- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM):**
  - यह एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार प्रमुख विशेषताओं के साथ लॉन्च किया जाएगा- स्वास्थ्य आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री।
- **स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति:**
  - दिसंबर 2020 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना की डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले रोगियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन के लिये NDHM के तहत स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को मंज़ूरी प्रदान की।
  - यह नीति राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र (NDHE) में एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में कार्य करती है।
  - NDHE में एकत्र किये गए डेटा को केंद्रीय स्तर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर और स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर संग्रहित किया जाएगा।

सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किये हैं।

- यह लाभार्थियों के आधार सीडिंग को भी बढ़ावा देगा ताकि 'टेक-होम' राशन की अंतिम ट्रैकिंग और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रवास पर नज़र रखी जा सके।

सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0

- **परिचय:**
  - वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार (GoI) ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और पोषण (प्रधान मंत्री की समग्र पोषण योजना) अभियान को सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया।
  - पुनर्गठित योजना में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:
    - ICDS
    - पोषण अभियान
    - किशोरियों के लिये योजना (SAG)
    - राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
- **वित्तीयन:**
  - पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बँटवारे के अनुपात के आधार पर राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जा रहा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- **दृष्टिकोण**
  - यह 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों (14-18 वर्ष) और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करेगा।
  - यह भारत के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या दो- तिहाई से अधिक है।
  - सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि इस कार्यक्रम के रुपरेखा में सबसे आगे है।
  - यह SDGs विशेष रूप से जीरो हंगर पर SDG 2 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में योगदान देगा।
  - मिशन बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता के विकास हेतु पोषण और बचपन की देखभाल तथा मौलिक शिक्षा के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **उद्देश्य:**
  - आँगनबाडी सेवाओं के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिये व्यापक रणनीति तैयार करना।
  - किशोरियों के लिये योजना और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में जोड़ा गया है।
  - पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
    - देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना।
    - कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना।
    - स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिये पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना।
    - प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।
    - स्वास्थ्य और पोषण के लिये आयुष प्रणालियों को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत किया जाएगा।
- **घटक:**
  - आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों (एनईआर) में 06 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PWLM) और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिये पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) के माध्यम से पोषण सहायता।

नोट :

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक प्रोत्साहन (0-3 वर्ष);
- आधुनिक, उन्नत सक्षम आँगनबाडी सहित आँगनबाडी बुनियादी ढाँचा; तथा
- पोषण अभियान

दिशानिर्देश:

- यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिये खुली है, पूर्व शर्त केवल यह है कि लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आँगनबाडी केंद्र में पंजीकृत होना होगा।
- इस योजना की लाभार्थी 14-18 आयु वर्ग की किशोर बालिकाएँ होंगी, जिनकी पहचान संबंधित राज्यों द्वारा की जाएगी।
- आयुष लाभार्थियों को योग का अभ्यास करने और स्वस्थ रहने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये 'घर पर योग, परिवार के साथ योग' और आँगनवाड़ी केंद्रों और परिवारों के अभियानों का प्रचार करेगा।
- आयुष मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- इसके अंतर्गत बच्चों में पोषण के स्तर को मापने का प्रयास किया जाएगा।
- यह गुड़ के उपयोग, मोरिंग (सहजन) जैसे स्वदेशी पौधों के साथ फोर्टीफिकेशन और भोजन की कम मात्रा में उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाली सामग्री को बढ़ावा देता है।

आगे की राह:

- भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के लगभग 68 प्रतिशत मामलों के लिये बच्चों और माँ में कुपोषण की स्थिति को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  - इसका मूल रूप से तात्पर्य यह है कि एक समय में एक बीमारी बचाने के उपाय करने के बजाय, कुपोषण से समग्र रूप से निपटना, हमारे बच्चों को अधिक सुरक्षित रखेगा और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा।
- पोषण 2.0 योजना उचित दिशा में अग्रसर है और इसके लाभ को न्यूनतम लीकेज साथ के वंचितों तक पहुँचाना चाहिये।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया है।

- विधेयक में कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिये विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे अंतिम बार वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था।

विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान:

- **ऊर्जा दक्षता मानदंड:**
  - यह केंद्र को 100 किलोवाट लोड से अधिक या 15 किलोवाट-एम्पीयर (KVA) से अधिक की संविदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और इमारतों के लिये ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो:**
  - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की गई।
    - वर्ष 2010 के संशोधन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर पाँच साल कर दिया।
  - यह ब्यूरो विभिन्न उद्योगों की बिजली खपत की निगरानी और समीक्षा करने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिये आवश्यक योग्यताएँ निर्दिष्ट कर सकता है।
- **ऊर्जा व्यापार:**
  - सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं।
  - हालाँकि, यह प्रमाण पत्र उन ग्राहकों को बेचा जा सकता है जो ऊर्जा व्यापार के लिये एक ढाँचे हेतु अपनी अधिकतम अनुमत ऊर्जा सीमा से अधिक खपत करते हैं।
- **निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप होने तक निषेध:**
  - अधिनियम केंद्र को किसी विशेष उपकरण के निर्माण, बिक्री, खरीदार आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है जब तक कि यह छह महीने/एक वर्ष पहले जारी कये गए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप न हो।

नोट :

- **दंड:**
  - अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी अधिक खपत के अनुसार दंडित किया जाएगा।
  - केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई ऊर्जा अधिनियम, 2003 के तहत पहले से स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी।

अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

- **अक्षय ऊर्जा का हिस्सा:**
  - औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा उपभोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना।
  - यह खपत सीधे अक्षय ऊर्जा स्रोत से या परोक्ष रूप से पावर ग्रिड के माध्यम से की जा सकती है।
- **स्वच्छ ऊर्जा के लिये प्रोत्साहन:**
  - कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
  - निजी क्षेत्र को जलवायु कार्रवाई के लिये आकर्षित करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिये कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना।
- **संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:**
  - मूल रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना।
- **ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना:**
  - उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में मदद करनाा।
- **संरक्षण मानकों के दायरे में वृद्धि:**
  - स्थायी आवासों को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना।
  - वर्तमान में केवल बड़े उद्योग और उनके भवन ही अधिनियम के दायरे में आते हैं।

प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य:

- जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की बिजली की खपत को कम करना और इस तरह देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।
- भारत के कार्बन बाज़ार को विकसित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करना, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते में इस लक्ष्य (वर्ष 2030 के पहले) का उल्लेख किया गया है।

भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएँ:

- भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत NDCs के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35% तक की कमी लाकर इसे वर्ष 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा संसाधनों से अपने बिजली के 40% से अधिक हिस्से का उत्पादन करने का भी वादा किया है।
- वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 550 मीट्रिक टन (Mt) तक कम करने के लिये, भारत ने अपने वृक्ष और वनावरण को बढ़ाकर 2.5 -3 बिलियन टन कार्बन सिंक के निर्माण के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- नवंबर, 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने NDCs को संशोधित किया। भारत के पाँच नए जलवायु लक्ष्य हैं:
  - वर्ष 2030 तक इसकी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाना
  - अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारत की 50% बिजली की मांग को पूरा करना
  - भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना।
  - वर्ष 2021 से 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना।
  - वर्ष 2070 तक देश शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय:

- **घरेलू सौर विनिर्माण:**
  - वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने भारत में घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- **बायोमास को-फायरिंग:**
  - ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिये 5-7% बायोमास का उपयोग।
- **ईंधन सम्मिश्रण:**
  - ईंधन सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये मिश्रित ईंधन पर 2 रुपये/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
- **बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी:**
  - स्वच्छ परिवहन प्राप्त करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी।

नोट :

- **ग्रीन बॉण्ड:**
  - ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये पूँजी जुटाने हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु 'ग्रीन बॉण्ड' जैसे निश्चित वित्तीय तरीके से आय का सृजन करना। ऐसे सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड का उपयोग ऐसी जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में किया जा सकता है, जिनमें निजी वित्त पोषण की कमी होती है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की वापसी

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने संसद से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया है क्योंकि यह विधेयक देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन स्थान को विनियमित करने हेतु "व्यापक कानूनी ढाँचे" पर विचार करता है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और इसकी प्रमुख चुनौतियाँ:

- **परिचय:**
  - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था।
  - आमतौर पर इसे "गोपनीयता विधेयक" के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा (जो कि व्यक्ति की पहचान कर सकता है) के संग्रह, संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है।
- **चुनौतियाँ:**
  - कई लोगों का तर्क है कि डेटा का भौतिक स्थान (Physical Location of the Data) साइबर दुनिया में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुँच से बाहर हो सकती है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा या उचित उद्देश्य खुले और व्यक्तिपरक शब्द हैं, जिससे नागरिकों के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ हो सकती है।
  - फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकियाँ इसके खिलाफ हैं और उन्होंने डेटा स्थानीयकरण की संरक्षणवादी नीति की आलोचना की है क्योंकि उन्हें डर है कि इसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
    - सोशल मीडिया फर्मों, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि उपयोगकर्त्ताओं एवं कंपनियों दोनों के लिये प्रभावी तथा फायदेमंद होने हेतु इसमें बहुत सी कमियाँ हैं।
    - इसके अलावा इसका भारत के अपने युवा स्टार्टअप्स पर जो कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं, या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

विधेयक वापस लेने का कारण:

- **बहुत अधिक संशोधन:**
  - संयुक्त संसदीय समिति (JCP) ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 का विस्तृत विश्लेषण किया।
    - इस संबंध में 81 संशोधन प्रस्तावित किये गए थे, साथ ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढाँचे की दिशा में 12 सिफारिशें की गई थीं।
    - JCP की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढाँचे पर काम किया जा रहा है।
    - इसलिये इसे वापस लेने का प्रस्ताव आया।
- **गहन अनुपालन:**
  - विधेयक को देश के स्टार्टअप्स द्वारा "गहन अनुपालन के रूप में भी देखा गया था।
  - विशेष रूप से स्टार्टअप के लिये संशोधित बिल का अनुपालन करना बहुत आसान होगा।
- **डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे:**
  - टेक कंपनियों ने विधेयक में डेटा स्थानीयकरण नामक प्रस्तावित प्रावधान पर सवाल उठाया।
    - डेटा स्थानीयकरण के तहत कंपनियों के लिये भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहीत करना अनिवार्य होगा और देश से अपरिभाषित "महत्त्वपूर्ण" व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित होगा।
    - कार्यकर्त्ताओं ने आलोचना की थी कि यह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को विधेयक के किसी भी और सभी प्रावधानों का पालन करने से पूरी छूट देगा।
- **हितधारकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया:**
  - इस विधेयक को हितधारकों की नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा, ये हितधारक हैं फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों और गोपनीयता एवं नागरिक समाज के कार्यकर्त्ता।
- **कार्यान्वयन में देरी:**
  - विधेयक में देरी के लिये कई हितधारकों ने आलोचना करते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत के पास लोगों की गोपनीयता की रक्षा हेतु कोई बुनियादी ढाँचा नहीं है।

नोट :

संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें:

- इसने श्रीकृष्ण पैनल द्वारा अंतिम रूप दिये गए विधेयक में 81 संशोधन और गैर-व्यक्तिगत डेटा पर चर्चा को कवर करने के लिये प्रस्तावित कानून के दायरे के विस्तार सहित 12 सिफारिशों का प्रस्ताव रखा था, इसलिये 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को वापस लेने और एक नया विधेयक जो व्यापक कानूनी ढाँचे में फिट बैठता हो प्रस्तुत किया जाएगा।
  - गैर-व्यक्तिगत डेटा, डेटा का ऐसा समूह है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है।
- JCP की रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन और स्मार्टफोन में केवल "विश्वसनीय हार्डवेयर" का उपयोग करने आदि जैसे मुद्दों पर बदलाव की सिफारिश की गई है।
- इसने प्रस्तावित किया कि सोशल मीडिया कंपनियाँ जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करती हैं, उन्हें सामग्री प्रकाशक के रूप में माना जाना चाहिये, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के लिये वे उत्तरदायी हो जाते हैं।

आगे की राह

- **डेटा स्थानीयकरण:**
  - डेटा को ऐसे रूप में संग्रहीत किया जाना चाहिये जिस पर भारत सरकार का भरोसा हो और यह डेटा अपराध की जाँच के मामले में सुलभ होना चाहिये।
  - सरकार केवल "विश्वसनीय भौगोलिक सीमा" के पार डेटा प्रवाह की अनुमति देने पर भी विचार कर सकती है।
- **डेटा का वर्गीकरण:**
  - नया विधेयक डेटा स्थानीयकरण के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण को भी समाप्त कर सकता है और केवल उस स्थिति में डेटा का वर्गीकरण किया जा सकता है यदि किसी कंपनी द्वारा किसी के व्यक्तिगत डेटा के साथ छेड़-छाड़ की गई हो।

आदर्श किरायेदारी अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अनुसार, आदर्श किराएदार अधिनियम (मॉडल टेनेंसी एक्ट) को अभी तक केवल चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम द्वारा ही संशोधित किया गया है।

मॉडल टेनेंसी अधिनियम की आवश्यकता:

- मौजूदा किराया नियंत्रण कानून किराये के आवास के विकास में बाधा डाल रहा है और यह मकान-मालिक को अपने खाली मकानों पर फिर से कब्ज़ा किये जाने के डर से उन्हें किराये पर देने से हतोत्साहित करता है।
- खाली घर को किराये पर देने के संभावित उपायों में किरायेदारी की मौजूदा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना तथा संपत्ति के मालिक एवं किरायेदार दोनों के हितों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करना है।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं।
- इससे पहले सभी भारतीयों में से लगभग एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे, जिनका अनुपात 2001 में 27.82 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.16 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2050 तक भारत के आधे से ज़्यादा लोग मुख्य रूप से प्रवास के कारण शहरों या कस्बों में रह रहे होंगे।

मॉडल टेनेंसी एक्ट:

- **परिचय:**
  - मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 का उद्देश्य परिसर के किराये को विनियमित करने और ज़मींदारों तथा किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिये एवं विवादों तथा उससे जुड़े मामलों या संबंधित मामलों के समाधान हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करने के लिये किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है।
  - इसका उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी रेंटल हाउसिंग मार्केट बनाना है।
  - यह सभी आय समूहों के लिये पर्याप्त किराये के आवासों के निर्माण को सक्षम करेगा जिससे बेघरों की समस्या का समाधान होगा।
  - यह धीरे-धीरे औपचारिक बाज़ार की ओर स्थानांतरित होकर किराये के आवास के संस्थागतकरण को सक्षम करेगा।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **लिखित समझौता अनिवार्य:**
    - इसके लिये संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य है।
  - **स्वतंत्र प्राधिकरण और रेंट कोर्ट की स्थापना:**
    - यह अधिनियम किरायेदारी समझौतों के पंजीकरण के लिये हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करता है तथा यहाँ तक कि किरायेदारी संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु एक अलग अदालत भी स्थापित करता है।
  - **सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिये अधिकतम सीमा:**
    - इस अधिनियम में किरायेदार की एडवांस सिक्योरिटी डिपॉज़िट (Advance Security Deposit) को आवासीय उद्देश्यों के लिये अधिकतम दो महीने के किराये और गैर-आवासीय उद्देश्यों हेतु अधिकतम छह महीने तक सीमित किया गया है।

नोट :

- **मकान मालिक और किरायेदार के अधिकारों तथा दायित्वों का वर्णन करता है:**
  - मकान मालिक संरचनात्मक मरम्मत (किरायेदार की वजह से हुई क्षति को नहीं) जैसे- दीवारों की सफेदी, दरवाज़ों और खिड़कियों की पेंटिंग आदि जैसी गतिविधियों के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  - किरायेदार नाली की सफाई, स्विच और सॉकेट की मरम्मत, खिड़कियों में काँच के पैनल को बदलने, दरवाज़ों एवं बगीचों तथा खुले स्थानों के रखरखाव आदि के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- **मकान मालिक द्वारा 24 घंटे पूर्व सूचना:**
  - मकान मालिक को मरम्मत या प्रतिस्थापन करने के लिये किराये के परिसर में प्रवेश करने से पहले 24 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी।
- **परिसर खाली करने के लिये तंत्र:**
  - यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा किया है जैसे- नोटिस देना आदि और किरायेदार किराये की अवधि या समाप्ति पर परिसर को खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक मासिक किराये को दोगुना करने का हकदार है।

- **महत्त्व:**
  - इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण विवादों और अन्य संबंधित मामलों को सुलझाने हेतु एक त्वरित तंत्र प्रदान करेगा।
  - यह अधिनियम पूरे देश में किराये के आवास के संबंध में कानूनी ढाँचे का कायापलट करने में मदद करेगा।
  - इससे आवास की भारी कमी को दूर करने के लिये एक व्यवसाय मॉडल के रूप में किराये के आवास में निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- **चुनौतियाँ:**
  - यह अधिनियम राज्यों के लिये बाध्यकारी नहीं है क्योंकि भूमि और शहरी विकास राज्य के विषय हैं।

भारत में दूरसंचार नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे को संशोधित करने की आवश्यकता पर इनपुट आमंत्रित किया है।

- इसने परामर्श पत्र भी जारी किया है जिसमें नए कानूनी ढाँचे की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है जो स्पष्ट, सटीक और बदलते अवसरों एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के अनुरूप है।

नए ढाँचे की आवश्यकता:

- भारत में दूरसंचार के लिये कानूनी आधार को भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले बनाए गए कानूनों द्वारा परिभाषित किया गया है।
- 1 अक्तूबर, 1885 को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम लागू होने के बाद से हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी उन्नत हुई है। इसलिये हितधारक इसे बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप रखने हेतु कानूनी ढाँचे के विकास की मांग कर रहे हैं।

सुझाव:

- **सहयोगात्मक विनियमन:**
  - उदार और तकनीकी रूप से निष्पक्ष तरीके से स्पेक्ट्रम उपयोग को सक्षम करने वाला नया कानूनी ढाँचा विकसित करना।
  - साथ ही केंद्र सरकार को जनता के हित में स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिये सहजता की गारंटी देना।
- **आवृत्ति की रेंज पर पुनर्विचार:**
  - कानून में आवृत्ति की रेंज के पुन: निर्धारण और सामंजस्य के प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- **सरलीकृत ढाँचा:**
  - आगे विलय, विघटन और अधिग्रहण या विभिन्न प्रकार के पुनर्गठन के लिये ढाँचे को सरल बनाना।
  - सेवा की निरंतरता और सार्वजनिक हितों की रक्षा के बीच एक महत्त्वपूर्ण संतुलन बनाना।
- **सुरक्षा बढ़ाना:**
  - सार्वजनिक आपात स्थिति एवं सार्वजनिक सुरक्षा की शर्तों को संबोधित करने तथा राष्ट्रव्यापी सुरक्षा प्रयासों के बीच समन्वय हेतु प्रावधान होना चाहिये।
- **सेवा की निरंतरता:**
  - दूरसंचार क्षेत्र में दिवाला संबंधी मुद्दों के मामले में सेवा की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - जब तक सेवाएँ प्रदान करना जारी रहता है तथा दूरसंचार लाइसेंस या स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिये देय राशि के भुगतान में कोई चूक नहीं होती है, तब तक लाइसेंस के निलंबन की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- **परिचय:**
  - दूरसंचार उद्योग को निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स (एमएनवीओ), व्हाइट स्पेस स्पेक्ट्रम, 5 जी, टेलीफोन सेवा प्रदाता और ब्रॉडबैंड।

नोट :

- भारत में दूरसंचार उद्योग अप्रैल 2022 तक 1.17 बिलियन ग्राहक (वायरलेस + वायरलाइन ग्राहक) आधार के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।
  - ग्रामीण बाज़ार का टेलीघनत्त्व (एक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक सौ व्यक्तियों के लिये टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) 58.16% है, जबकि शहरी बाज़ार का टेलीघनत्व 134.70% है।
- एफडीआई प्रवाह के मामले में दूरसंचार क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कुल एफडीआई प्रवाह में 7% योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोज़गार तथा अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों में योगदान देता है।
  - 2014 और 2021 के बीच दूरसंचार क्षेत्र में FDI प्रवाह 2002-2014 के दौरान $8.32 बिलियन से 150% बढ़कर 20.72 बिलियन डॉलर हो गया।

- **मुद्दे:**
  - प्रति उपयोगकर्त्ता औसत राजस्व में गिरावट (ARPU): ARPU में गिरावट स्थिर रूप से तीव्र है, जो घटते मुनाफे और कुछ मामलों में गंभीर नुकसान के साथ भारतीय दूरसंचार उद्योग को राजस्व बढ़ाने के एकमात्र तरीके के रूप में समेकन के लिये प्रेरित कर रही है।
  - अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना की कमी: सेवा प्रदाताओं को अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिये भारी मात्रा में प्रारंभिक निश्चित लागत को वहन करना पड़ता है।
  - प्रतिस्पर्द्धा के कारण मार्जिन पर दबाव: रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद प्रतिस्पर्द्धा तेज़ होने के साथ अन्य दूरसंचार कंपनियाँ वॉयस कॉल और डेटा (डेटा ग्राहकों के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण) दोनों के लिये टैरिफ दरों में भारी गिरावट महसूस कर रही हैं।
- **सरकार की पहल:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अनुसार, पूरे भारत में 1 मिलियन से अधिक इंटरनेट-सक्षम सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है।
  - टेलीकॉम सेक्टर में FDI की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है जिसमें से 49% स्वचालित मार्ग के माध्यम से, जबकि शेष विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIPB) अनुमोदन मार्ग के माध्यम से किया जाएगा।
  - डार्क फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस-मेल की पेशकश करने वाले आधारभूत संरचना प्रदाताओं के लिये 100 प्रतिशत तक की FDI की अनुमति है।
  - वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंज़ूरी प्रदान की थी।

आगे की राह

- इस क्षेत्र में विशाल अवसरों को देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र में एक सक्रिय और सुविधाजनक सरकारी भूमिका की आवश्यकता है।
  - स्वतंत्र और वैधानिक निकाय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) को इस क्षेत्र के प्रहरी के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।
- TDSAT (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण) द्वारा एक अधिक सक्रिय और समय पर विवाद समाधान, समय की मांग है।
- नए नियामक अधिनियम में आपातकालीन स्थितियों, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपायों पर प्रासंगिक प्रावधान होने चाहिये।
  - इसके अलावा दंड उल्लंघन के अनुपात में होना चाहिये, इसे ध्यान में रखते हुए नए कानून को अद्यतन करने की आवश्यकता है, जिसमें जुर्माने और अपराधों पर विभिन्न प्रावधानों को एक साथ लाया जाना चाहिये।

बच्चे का उपनाम तय करने का माँ का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जैविक पिता (पति) की मृत्यु के बाद बच्चे की एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते माँ को बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है।

- अदालत जनवरी 2014 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी, दायर याचिका में बच्चे के उपनाम को अपने पहले दिवंगत पति का उपनाम हटाकर दूसरे पति के उपनाम को दर्ज करने के लिये कहा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के नए नियम:

- उपनाम न केवल वंश का संकेत है और न ही इसे केवल इतिहास, संस्कृति और वंश के संदर्भ में समझा जाना चाहिये, बल्कि इससे भी महत्त्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह सामाजिक वास्तविकता के साथ-साथ अपने विशेष वातावरण में बच्चों की भावना के संबंध में भूमिका निभाता है।
- उपनाम की एकरूपता 'परिवार' बनाने, उसे बनाए रखने और प्रदर्शित करने की एक विधा के रूप में उभरती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते माँ अपने दूसरे पति को बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी दे सकती है।

नोट :

भारत में संरक्षकता से संबंधित कानून:

- **हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम:**
  - भारतीय कानून नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) की संरक्षकता के मामले में पिता को वरीयता प्रदान करते हैं।
  - हिंदुओं के धार्मिक कानून या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालिग या संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है तथा उसके बाद माता का अधिकार है।
    - बशर्ते कि एक नाबालिग जिसकी पाँच वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई है, की कस्टडी सामान्यत माँ के पास होगी।
- **संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (GWA):**
  - यह बच्चे और संपत्ति दोनों के संबंध में एक व्यक्ति को बच्चे के 'अभिभावक' के रूप में नियुक्त करने से संबंधित है।
  - माता-पिता के बीच चाइल्ड कस्टडी, संरक्षकता और मुलाकातों के मुद्दों को GWA के तहत निर्धारित किया जाता है, अगर नैसर्गिक अभिभावक अपने बच्चे के लिये एक विशेष अभिभावक के रूप में घोषित होना चाहते हैं।
  - GWA के तहत एक याचिका में माता-पिता के बीच विवाद होने पर इसे HMGA के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, अभिभावकता और कस्टडी एक माता-पिता के साथ दूसरे माता-पिता के मिलने या मुलाकात के अधिकारों के साथ निहित हो सकती है।
  - ऐसा करने में नाबालिग या "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का कल्याण सर्वोपरि होगा।

"बच्चे के सर्वोत्तम हित" का आशय:

- भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में UNCRC में मौजूद 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' की परिभाषा को शामिल किया गया है।
- "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का अर्थ है "बच्चे के संबंध में लिये गए किसी भी निर्णय का आधार उसके मूल अधिकारों और ज़रूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण एवं शारीरिक, भावनात्मक व बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये" तथा किसी भी हिरासत की लड़ाई/ कस्टडी बेटल (custody battle) में सर्वोपरि है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937:
  - मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937] के अनुसार, संरक्षकता के मामले में शरीयत या धार्मिक कानून लागू होगा, जिसके अनुसार जब तक बेटा सात साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक पिता प्राकृतिक अभिभावक है, हालाँकि पिता को सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।
  - मुस्लिम कानून में अभिरक्षा या 'हिजानत' (Hizanat) की अवधारणा में कहा गया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।
  - यही कारण है कि मुस्लिम कानून बाल्यावस्था (Tender Years) में बच्चों की कस्टडी के मामले में पिता के स्थान पर माता को वरीयता प्रदान करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - वर्ष 1999 में गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने आंशिक राहत प्रदान की।
  - इस मामले में HMGA को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता की गारंटी के उल्लंघन के लिये चुनौती दी गई थी।
    - अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - न्यायालय ने माना कि "बाद" शब्द का अर्थ "पिता के जीवनकाल के बाद" नहीं होना चाहिये, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" होना चाहिये।
    - हालाँकि निर्णय माता-पिता दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जिससे माता की भूमिका पिता की भूमिका के अधीन हो गई।
  - हालाँकि यह फैसला न्यायालयों के लिये मिसाल कायम करता है, लेकिन इससे HMGA में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

आगे की राह

- बाल-केंद्रित मानव अधिकार न्याय प्रणाली जो समय के साथ विकसित हुआ है, इस सिद्धांत पर स्थापित किया गया है कि सार्वजनिक भलाई बच्चे के उचित विकास की मांग करती है, जो कि राष्ट्र का भविष्य है।
  - इसलिये समान अधिकारों के साथ साझा या संयुक्त पालन-पोषण बच्चे के इष्टतम विकास के लिये व्यवहार्य, व्यावहारिक, संतुलित समाधान हो सकता है।
- भारत के विधि आयोग ने मई 2015 में "भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार" पर अपनी 257वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि "एक माता-पिता की दूसरे पर श्रेष्ठता को हटा दिया जाना चाहिये"।

नोट :

- माता और पिता दोनों को एक साथ अवयस्क बच्चें के प्राकृतिक संरक्षक/अभिभावक के रूप में माना जाना चाहिये।
- HMGA में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि "पिता और माता दोनों को संयुक्त रूप से प्राकृतिक अभिभावक के रूप में स्थापित किया जा सके तथा नाबालिग एवं उसकी संपत्ति के संबंध में समान अधिकार हो।

भारतीय चिकित्सा हेतु औषधकोश आयोग

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (PCIM&H) के लिये औषधकोश आयोग की स्थापना की है।

- सरकार ने फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (PCIM&H) और दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं का विलय कर दिया है:
  - भारतीय चिकित्सा हेतु औषधकोश प्रयोगशाला (PLIM) और
  - होम्योपैथिक औषधकोश प्रयोगशाला (HPL)।

औषधकोश आयोग:

- **परिचय:**
  - PCIM&H वर्ष 2010 में स्थापित आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है।
  - औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियम 1945 के अनुसार औषधकोश आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मानकों की पुस्तक है।
    - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार, इसे भारत में बिक्री या वितरण के लिये आयातित और/या बिक्री, स्टॉक या प्रदर्शनी हेतु निर्मित दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में नामित किया गया है।
    - यह भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों को उनकी पहचान, शुद्धता एवं ताकत के संदर्भ में निर्दिष्ट करता है।
- **कार्य:**
  - आयोग आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिये औषधकोश मानकों के विकास में लगा हुआ है।
  - PCIM&H भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियों के लिये केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य कर रहा है।
- **PLIM & HPL के विलय के लाभ:**
  - तीनों संगठनों के मानकीकृत परिणामों को बढ़ाने के लिये ढाँचागत सुविधाओं, तकनीकी जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग।
  - यह आयुष दवा मानकों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा औषधिकोष एवं सूत्रीकरण (पंजीकृत किये गए नुस्खे) के प्रकाशन की सुविधा प्रदान करेगा।
  - इसका एक अन्य उद्देश्य 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945' (Drugs and Cosmetics Rules, 1945) में आवश्यक संशोधन करके PCIM&H एवं इसकी प्रयोगशालाओं के विलय वाले ढाँचे को कानूनी दर्जा देना भी है।
    - इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, औषधि महानियंत्रक और आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB) के साथ परामर्श किया गया है।

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड:

- ASUDTAB ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों को त्वरित शेल्फ लाइफ टेस्टिंग (ASLT) दवाओं के नियामक मामलों में सलाह देती है।
  - ASLT उत्पाद को नियंत्रित परिस्थितियों में स्टोर करके उत्पाद की स्थिरता को मापने और आकलन करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है जो सामान्य भंडारण स्थितियों के तहत उत्पाद में होने वाली गिरावट की दर को बढ़ाता है।

आयुष उत्पादों/दवाओं को सरकार की सहायता:

- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940:**
  - आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन का अधिकार संबंधित राज्य द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों के पास है।
  - यह आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
  - निर्माताओं के लिये विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस हेतु निर्धारित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता के प्रमाण तथा उचित विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन शामिल है।
- **आयुष उत्पादों का प्रमाणन:**
  - निर्यात की सुविधा के लिये आयुष मंत्रालय नीचे दिये गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणन को प्रोत्साहित करता है:

नोट :

- हर्बल उत्पादों के लिये डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देशों के अनुसार फार्मास्युटिकल उत्पादों (सीओपीपी) का प्रमाणन।

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी उत्पादों के लिये गुणवत्ता प्रमाणन योजना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुरूप गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुष प्रीमियम अंक प्रदान करने के लिये लागू किया गया है।

- **आयुष औषध गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्द्धन योजना (AOGUSY):**
  - आयुष मंत्रालय ने AOGUSY को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया है।
  - **उद्देश्य:**
    - आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक दवाओं तथा स्वास्थ्य संवर्द्धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये।
    - आयुष दवाओं और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता निर्माण तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में पर्याप्त ढाँचागत और तकनीकी उन्नयन, संस्थागत गतिविधियों की सुविधा के लिये ।
    - आयुष दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों की प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा और निगरानी के लिये केंद्र तथा राज्य स्तर पर नियामक ढाँचे को मज़बूत करना।
    - आयुष दवाओं और सामग्रियों के मानकों व गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिये तालमेल, सहयोग और अभिसरण दृष्टिकोण के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में राज्य मंत्री (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में बताया।

खाद्य प्रसंस्करण और भारत में इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- **परिचय:**
  - खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार का विनिर्माण है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों या खाद्य वस्तुओं में संसाधित किया जाता है।
    - इसके अंतर्गत जल्द ही खराब होने वाले और अखाद्य, खाद्य संसाधनों को विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपयोगी, लंबे समय तक इस्तेमाल किये जा सकने वाले भोजन या पेय पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है।
    - यह तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, सुवाह्यता, स्वाद और सुविधा में सुधार करता है।
- **महत्त्व:**
  - भारतीय खाद्य क्षेत्र पैमाने के मामले में पाँचवें स्थान पर है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6%, भारतीय निर्यात का 13% और देश में समग्र औद्योगिक निवेश का 6% योगदान देता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक है, फिर भी केवल 2% फसल ही संसाधित होती है।
  - एक महत्त्वपूर्ण विनिर्माण आधार के बावजूद भारत की प्रसंस्करण क्षमता अत्यंत कम है (10 प्रतिशत से कम)।
    - प्रसंस्करण के मामले में लगभग 2% फल और सब्जियाँ, 8% समुद्री उत्पाद, 35% दूध और 6% मुर्गी पालन शामिल है।
  - 50% भैंस और 20% मवेशियों के साथ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है, लेकिन पूरी आबादी का केवल 1% ही मूल्यवर्द्धित उत्पादों में परिवर्तित होता है।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत कदम:

- अप्रैल, 2015 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों के तहत कृषि गतिविधि के रूप में खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों एवं शीत शृंखला को शामिल करना।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के रूप में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वर्ष 2016 में अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्पाद-दर-उत्पाद अनुमोदन से घटक तथा योज्य-आधारित अनुमोदन प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंज़ूरी की अनुमति दी गई है।
- मेगा फूड पार्क (MFP) के साथ-साथ MFP में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश के लिये किफायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड) के साथ 2000 करोड़ रुपए का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया गया था।
  - वर्ष 2019 में व्यक्तिगत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ कृषि-प्रसंस्करण समूहों की स्थापना के लिये कोष का कवरेज बढ़ाया गया था।

नोट :

- साथ ही नाबार्ड के साथ विशेष निधियों से वहनीय ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में नामित फूड पार्क (DFP) योजना शुरू की जाएगी।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत अपने कृषि उत्पादन के 10% से कम का प्रसंस्करण कर रहा है; इस प्रकार प्रसंस्करण स्तर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के अपार अवसर हैं। अत: सरकार के उपाय सही दिशा में हैं।
- इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि खुदरा क्षेत्र में मांग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की वृद्धि के कारण होगी।
  - इसलिये पर्याप्त वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ एक मज़बूत फसल मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता है जो MSME क्षेत्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देगी।

एनआरसी लागू करेगा मणिपुर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मणिपुर विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग (SPC) की स्थापना करने का संकल्प लिया है।

- यह निर्णय तब लिया गया है जब कम-से-कम 19 शीर्ष आदिवासी संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर NRC लागू करने और अन्य सुधारों की मांग की ताकि स्थानीय लोगों को "गैर-स्थानीय निवासियों की बढ़ती संख्या" से बचाया जा सके।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर:

- 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (NRC) प्रत्येक गाँव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है।
- यह रजिस्टर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट भी किया गया है।
  - इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट किया गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य 'अवैध' अप्रवासियों को 'वैध' निवासियों से अलग करना है।
- **नोडल एजेंसी:** महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' के लिये नोडल एजेंसी है।

मणिपुर में एनआरसी के लिये प्रयत्न:

- मणिपुर विधानसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, मणिपुर की जनसंख्या में वर्ष 1971 से वर्ष 2011 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो गैर-भारतीयों विशेष रूप से म्याँमार के नागरिकों जिनमें मुख्यत: कुकी-चिन समुदाय हैं, के आने की प्रबल संभावना की ओर इशारा करती है।
  - कुकी-चिन समूहों के अलावा एनआरसी समर्थक समूहों ने "बांग्लादेशियों" और म्याँमार के मुसलमानों की पहचान की है, जिन्होंने "जिरीबाम के निर्वाचन क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है तथा वे घाटी के इलाकों में फैले हुए हैं", साथ ही नेपाली (गोरखा) जिनकी "अत्यधिक संख्या में वृद्धि हुई है" को "बाहरी" के रूप में पहचाना गया है।"
- पूर्वोत्तर राज्य "बाहरी" "विदेशियों" या "विदेशी संस्कृतियों" के बारे में अपने संख्यात्मक रूप से कमज़ोर स्वदेशी समुदायों को बाहर निकाले जाने को लेकर बौखलाए हुए हैं।
  - तीन प्रमुख जातीय समूहों की आबादी वाला मणिपुर भी अलग नहीं है।
  - ये जातीय समूह गैर-आदिवासी मैतेई लोग, आदिवासी नगा तथा कुकी-ज़ोमी समूह हैं।
- इन तीन समूहों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है लेकिन NRC के मुद्दे ने मेती और नगाओं को एक साथ ला दिया है।
  - उनका कहना है कि एनआरसी आवश्यक है क्योंकि फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के कारण पड़ोसी म्याँमार में राजनीतिक संकट ने राज्य में अपनी 398 किलोमीटर की सीमा से सैकड़ों लोगों को जाने के लिये मजबूर कर दिया है।
  - जो लोग वहाँ से पलायन कर या पलायन कर रहे हैं उनमें से अधिकांश कुकी-चिन समुदायों से संबंधित हैं, जो मणिपुर में कुकी-ज़ोमी लोगों के साथ-साथ मिज़ोरम के मिज़ो से जातीय रूप से संबंधित हैं।

मणिपुर में अन्य सुरक्षात्मक तंत्र:

- दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड के बाद मणिपुर इनर-लाइन परमिट (ILP) प्रणाली के तहत लाने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया।
  - 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873' के तहत कार्यान्वित 'इनर-लाइन परमिट' एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ होता है, जो कि एक सीमित अवधि के लिये संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जाने अथवा रहने की अनुमति देता है।
- बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान), म्याँमार और नेपाल से "आप्रवासियों की घुसपैठ" को चिह्नित करते हुए, संगठनों द्वारा मणिपुर के लिये एक पास या परमिट प्रणाली शुरू की गई, जिसे नवंबर 1950 में समाप्त कर दिया गया

नोट :

- जून 2021 में मणिपुर सरकार ने ILP के उद्देश्य के लिये "मूल निवासियों" की पहचान हेतु आधार वर्ष के रूप में 1961 को मंज़ूरी दी।
- अधिकांश समूह इस कट-ऑफ वर्ष से खुश नहीं हैं और 1951 को NRC अभ्यास के लिये कट-ऑफ वर्ष के रूप में मानते हैं।

- वर्ष 2021 से गृह मंत्रालय (MHA) ने म्याँमार से भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिये नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल (BGF) अर्थात् असम राइफल्स को तैनात किया।
  - इसी तरह के निर्देश अगस्त 2017 और फरवरी 2018 में भी जारी किये गए थे।

पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की स्थिति:

- असम इस क्षेत्र का एकमात्र राज्य है जिसने किसी व्यक्ति की नागरिकता के लिये कट-ऑफ तिथि के रूप में 24 मार्च, 1971 के साथ वर्ष 1951 के NRC को अद्यतित करने की कवायद शुरू की।
- जून 2019 नगालैंड ने भी नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (RIIN) नामक एक समान प्रयास किया, ताकि मुख्य रूप से गैर-स्वदेशी नगाओं में से स्वदेशी ागाओं को पहचाना जा सके।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन हेतू 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY)' के नामकरण के साथ 'जनजातीय उप-योजना (SCA से TSS) के लिये विशेष केंद्रीय सहायता' की पिछली योजना को संशोधित किया है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY):

- **परिचय:**
  - यह राज्य जनजातीय उप-योजना (TSP) में अतिरिक्त के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करके जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण के लिये राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक है।
  - इस महत्त्वपूर्ण पहल का उद्देश्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक में विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन के माध्यम से प्रमुखता के साथ जनजातीय आबादी वाले गाँवों में सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं के अंतराल को कम करना और बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
- **योजना दिशा-निर्देशों का संशोधन:**
  - चयनित गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना ताकि वे वास्तव में 'आदर्श ग्राम' बन सकें, विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के रूप में महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक 'निगरानी संकेतक' में अंतराल को भरने के लिये SCA से TSS योजना को भी संशोधित किया गया था।
    - इन कार्यक्षेत्रों में पानी और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि की सर्वोत्तम प्रथाएँ आदि शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन के लिये नया दृष्टिकोण:**
  - 'निगरानी योग्य संकेतक' के संबंध में ज़रूरतों या अंतराल की पहचान एक आवश्यक आकलन अभ्यास पर आधारित है।
  - 'ग्राम विकास योजना' (VDP) आवश्यकता आकलन अभ्यास के हिस्से के रूप में एकत्र किये गए आँकड़ों पर आधारित है।
  - PMAGY विभिन्न क्षेत्रों में संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के लिये मंच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:**
  - आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना।
  - केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के दायरे को अधिकतम करना।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये बुनियादी ढाँचे में सुधार।
  - यह योजना विकास के प्रमुख 8 क्षेत्रों में अंतराल को कम करने के लिये तैयार की गई है।
    - सड़क कनेक्टिविटी (आंतरिक और अंतर गाँव/ब्लॉक)
    - दूरसंचार कनेक्टिविटी (मोबाइल/इंटरनेट)स्कूल
    - आँगनबाडी केंद्र
    - पेयजल सुविधा
    - जलनिकास
    - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अनुसूचित जनजातियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी सुरक्षा उपाय:

- भारतीय संविधान में 'जनजाति' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालाँकि अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 (i) के माध्यम से जोड़ा गया था।
  - यह निर्धारित करता है कि 'राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातीय भागों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

नोट :

- संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है।

- **शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:**
  - अनुच्छेद 15(4): अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल है)।
  - अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल है)
  - अनुच्छेद 46: राज्य लोगों के कमज़ोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
  - अनुच्छेद 350: विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
- **राजनीतिक सुरक्षा उपाय:**
  - अनुच्छेद 330: लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण।
  - अनुच्छेद 332: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
  - अनुच्छेद 243: पंचायतों में सीटों का आरक्षण।
- **प्रशासनिक सुरक्षा:**
  - अनुच्छेद 275: यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

जनजातीय आबादी के लिये कुछ अन्य पहलें:

- **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) :**
  - भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
  - इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गाँवों में वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) को सक्रिय करना है।
- **जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन:**
  - जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MTA) ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) और आश्रम स्कूलों जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
- **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास:**
  - जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने "PVTG के विकास" की योजना लागू की है जिसमें 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) को उनके व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये शामिल किया गया है।
- **प्रधानमंत्री वन धन योजना:**
  - 'संकल्प से सिद्धि' पहल, जिसे 'मिशन वन धन' के रूप में भी जाना जाता है, को केंद्र सरकार द्वारा भारत की आदिवासी आबादी के लिये एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:**
  - EMRS पूरे भारत में भारतीय जनजातियों (ST-अनुसूचित जनजाति) के लिये मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।
  - जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शिंदे (नासिक) में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है।

A comparision between the two Identification Acts

The previous Identification of Prisoners Act, 1920 and the freshly notified Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 have similarities as well as major differences. A quick look at how "measurements" of convicts and arrested persons will be collected from now on

Relevant provisions	Identification of Prisoners Act	Criminal Procedure Identification Act
Persons whose measurements can be taken	should be convicted of an offence punishable with rigorous imprisonment of one year or upwards	if convicted of an offence punishable under any law
	should be arrested for an offence punishable with rigorous imprisonment of one year or upwards	if arrested for an offence punishable under any law or if detained under preventive detention laws
	if directed by the Magistrate for measurements to be taken for the purposes of investigation of proceedings under the CrPC, provided the person has been arrested in connection with such investigation previously	if directed by the Magistrate for measurements to be taken for the purposes of investigation of proceedings under the CrPC or any other law in force; there is no requirement for the person to have been arrested in connection with such proceedings previously
	ordered to give security for his good behaviour under CrPC	ordered to give security for his good behaviour under CrPC
Measurements that can be taken	finger impressions, foot impressions, measurements and photographs	finger-impressions, palm-print impressions, foot-print impressions, photographs; iris and retina scan; physical, biological samples and their analysis; behavioural attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the CrPC, 1973
Destruction of measurements	in case of acquittal, discharge or release, if not previously convicted of any offence punishable with rigorous imprisonment of one year or upwards	in case of acquittal, discharge or release, if not previously convicted of any offence punishable with rigorous imprisonment for any term. For convicts, records are to be destroyed from 75 years of collection

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अप्रैल 2022 में संसद में पारित होने के बाद आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 लागू हुआ है।

- यह एक औपनिवेशिक युग के कानून, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लाया गया है, और पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किये गए या मुकदमे का सामना करने वाले लोगों की पहचान करने के लिये अधिकृत करता है।

नोट :

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

- यह पुलिस को अपराधियों के साथ-साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिये कानूनी मंज़ूरी प्रदान करता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 53 या धारा 53A के तहत पुलिस डेटा एकत्र कर सकती है।
  - डेटा जो एकत्र किया जा सकता है: फिंगर-इंप्रेशन, हथेली-प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, हस्ताक्षर, हस्तलेखन या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहारिक गुण।
  - CrPC आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में प्राथमिक कानून है।
- किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए , गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को "माप" प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर तथा हस्तलेखन डेटा के रिपॉज़िटरी के रूप में कार्य करेगा जहाँ इन्हें कम-से-कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य अपराध में शामिल लोगों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना और जाँच एजेंसियों की मामलों को सुलझाने में मदद करना है।

पिछले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता:

- इस विधेयक का उद्देश्य 'बंदी पहचान अधिनियम, 1920' (Identification of Prisoners Act,1920) को प्रतिस्थापित करना है।
  - जिसमें संशोधन का प्रस्ताव वर्ष 1980 के दशक में भारत के विधि आयोग की 87वीं रिपोर्ट में और 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्र' मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में किया गया था।
- सिफारिशों के पहले समूह में "हथेली के निशान", "हस्ताक्षर या लेखन का नमूना" और "आवाज का नमूना" शामिल करने एवं माप के दायरे का विस्तार करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- सिफारिशों के दूसरे समूह में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कार्रवाई के अलावा अन्य कार्यवाही हेतु सैंपल लेने की अनुमति देने की आवश्यकता की मांग की है।
- विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संशोधन की आवश्यकता कई राज्यों द्वारा अधिनियम में किये गए कई संशोधनों से परिलक्षित होती है।
- यह महसूस किया गया कि फोरेंसिक में प्रगति के साथ अधिक प्रकार के "मापों" को पहचानने की आवश्यकता है जिनका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जाँच के लिये किया जा सकता है।

अधिनियम का महत्त्व:

- **आधुनिक तकनीक:**
  - यह अधिनियम उपयुक्त शरीर मापों को दर्ज करने के लिये आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रावधान करता है।.
    - मौजूदा कानून सीमित श्रेणी के दोषी व्यक्तियों के केवल 'फिंगरप्रिंट' और 'फुटप्रिंट' लेने की ही अनुमति देता है।
- **जाँच एजेंसियों की मदद करें:**
  - 'व्यक्तियों' (जिनकी सैंपल ली जा सकती है) के दायरे का विस्तार जाँच एजेंसियों को कानूनी रूप से स्वीकार्य पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्ति के अपराध को साबित करने में मदद करेगा।
- **जाँच को और अधिक सक्षम बनाना:**
  - यह उन व्यक्तियों के शरीर से उपयुक्त सैंपल लेने के लिये कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है, जिन्हें इस तरह के सैंपल देने की आवश्यकता होती है और अपराध की जाँच को अधिक कुशल और त्वरित करने तथा सज़ा दर को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

कानूनी मुद्दे:

- **निजता के अधिकार को कमज़ोर करना:**
  - यह विधायी प्रस्ताव न केवल अपराध के दोषी व्यक्तियों के बल्कि प्रत्येक सामान्य भारतीय नागरिक के निजता के अधिकार को कमज़ोर करता है।
  - यह विधेयक राजनीतिक विरोध से संलग्न प्रदर्शनकारियों तक के जैविक नमूने एकत्र कर सकने का प्रस्ताव करता है।
- **अस्पष्ट प्रावधान:**
  - प्रस्तावित कानून 'बंदी पहचान अधिनियम, 1920' को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है, साथ ही काफी हद तक इसके दायरे और पहुँच का विस्तार करता है।
  - 'जैविक नमूने' जैसे पदों का अधिक वर्णन नहीं किया गया है, इसलिये रक्त और बाल के नमूने लेने या डीएनए नमूनों के संग्रह जैसा कोई भी दैहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है।
  - वर्तमान में ऐसे हस्तक्षेपों के लिये एक मजिस्ट्रेट की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- **अनुच्छेद 20 का उल्लंघन:**
  - आशंकाएँ जताई गई हैं कि विधेयक ने नमूनों के मनमाने संग्रह को सक्षम किया है और इसमें अनुच्छेद 20 (3) के उल्लंघन की क्षमता है जो आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है।

नोट :

- विधेयक में जैविक सूचना के संग्रह में बल प्रयोग निहित है, जिससे 'नार्को परीक्षण' और 'ब्रेन मैपिंग' को बढ़ावा मिल सकता है।

- **डेटा का प्रबंधन:**
  - यह विधेयक 75 वर्षों के लिये रिकॉर्ड को संरक्षित करने की अनुमति देता है। अन्य चिंताओं में वे साधन शामिल हैं जिनके द्वारा एकत्र किये गए डेटा को संरक्षित, साझा, प्रसारित और नष्ट किया जाएगा।
  - संग्रह के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर निगरानी भी हो सकती है, इस कानून के तहत डेटाबेस को अन्य डेटाबेस जैसे कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS) के साथ जोड़ा जा सकता है।
    - अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS) की कल्पना कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (CIPA) के अनुभव से की गई है।
- **बंदियों के बीच जागरूकता की कमी:**
- यद्यपि विधेयक में यह प्रावधान है कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति (जो महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध का आरोपी नहीं हो) नमूने देने से इनकार कर सकता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में सभी बंदी इस अधिकार का प्रयोग कर सकने में सफल नहीं होंगे।
- पुलिस के लिये इस तरह के इनकार की अनदेखी करना भी अधिक कठिन नहीं होगा और बाद में वे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने बंदी की सहमति से नमूने एकत्र किये हैं।

आगे की राह:

- गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा पर चिंता नि:स्संदेह रूप से महत्त्वपूर्ण है। ऐसे कार्य जिनमें व्यक्तिगत प्रकृति के महत्त्वपूर्ण विवरणों का संग्रह, भंडारण और विनाश शामिल है, उन्हें एक मज़बूत डेटा संरक्षण कानून को लागू करने के पश्चात ही किया जाना चाहिये और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिये।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नवीनतम तकनीकों के उपयोग से वंचित करना अपराधों के शिकार लोगों और बड़े पैमाने पर राष्ट्र के लिये एक गंभीर नुकसान होगा। बेहतर जाँच और डेटा संरक्षण कानून के अलावा, कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिये भी उपाय किये जाने की जरूरत है।
- अपराध स्थल से नमूने एकत्र करने के लिये अधिक कुशल विशेषज्ञों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और किसी आपराधिक मामले में शामिल संभावित अभियुक्तों की पहचान एवं विश्लेषण के लिये उन्नत उपकरणों की आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2021 में शुरू किये गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM) ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा (IP) जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

- यह लक्ष्य 15 अगस्त, 2022 की समय-सीमा से पहले हासिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM):

- **परिचय:**
  - इस मिशन का उद्देश्य 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है।
  - इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा (कक्षा 8 से 12) के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज/विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा करने के लिये प्रेरित करना है।
- **क्रियान्वयन एजेंसी:**
  - यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **प्राप्त लक्ष्य:**
  - 08 दिसंबर 2021 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किये गए:
    - बौद्धिक संपदा पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों (छात्रों/संकाय) की संख्या: 10,05,272
    - कवर किये गए शैक्षणिक संस्थान: 3,662
    - भौगोलिक कवरेज: 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):

- परिचय:
  - **IPR व्यक्तियों को उनके बौद्धिक रचना पर दिये गए अधिकार हैं:**
    - इसमें आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य और वाणिज्य में उपयोग किये जाने वाले प्रतीक, नाम तथा चित्र शामिल होते हैं।
    - ये आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिये उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।
  - इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद-27 में उल्लिखित किया गया है, जो वैज्ञानिक साहित्यिक या कलात्मक प्रस्तुतियों के लेखक होने के

नोट :

परिणामस्वरूप नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा से लाभ का अधिकार प्रदान करता है।

- बौद्धिक संपदा के महत्त्व को पहली बार औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन (1883) और साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न कन्वेंशन (1886) में मान्यता दी गई थी।
  - दोनों संधियों को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

- **बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार:**
  - **कॉपीराइट:**
    - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों (जैसे किताबें और अन्य लेखन, संगीत रचनाएँ, पेंटिंग, मूर्तिकला, कंप्यूटर प्रोग्राम और फिल्में) के लेखकों के अधिकारों को लेखक की मृत्यु के बाद कम-से-कम 50 साल की अवधि के लिये कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जाता है।
  - **औद्योगिक संपदा:**
    - विशिष्ट चिह्नों का संरक्षण, विशेष रूप से ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतों में:
    - ट्रेडमार्क
    - भौगोलिक संकेत (GI)
    - औद्योगिक डिज़ाइन और व्यापार रहस्य:
    - अन्य प्रकार की औद्योगिक संपत्ति को मुख्य रूप से नवाचार, डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये संरक्षित किया जाता है।

- **IPR की आवश्यकता:**
  - **नवाचार को प्रोत्साहित करना:**
    - नई रचनाओं का कानूनी संरक्षण आगे के नवाचार के लिये अतिरिक्त संसाधनों की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है।
  - **आर्थिक वृद्धि:**
    - बौद्धिक संपदा का प्रचार और संरक्षण आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, नए रोज़गार तथा उद्योग उत्पन्न करता है एवं जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली को बढ़ाता है।
  - **रचनाकारों के अधिकारों की सुरक्षा:**
    - IPR को निर्माताओं और उनके बौद्धिक कमोडिटी, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य उत्पादकों को विनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित करने के लिये कुछ समय-सीमित अधिकार प्रदान करके सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
  - **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:**
    - यह नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करता है।
  - **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण:**
    - यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम और लाइसेंसिंग के रूप में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

IPR से संबंधित संधियाँ और कन्वेंशन:

- **वैश्विक:**
  - भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स समझौते) पर समझौते के लिये प्रतिबद्ध है।
  - भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organisation–WIPO) का भी सदस्य है, जो पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये जिम्मेदार निकाय है।
  - भारत IPR से संबंधित निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण WIPO-प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कन्वेंशन का भी सदस्य है:
    - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिये सूक्ष्मजीवों के डिपोजिट की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि।
    - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन।
    - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन।
    - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न कन्वेंशन।
    - पेटेंट सहयोग संधि।
- **राष्ट्रीय:**
  - **भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970:**
    - भारत में पेटेंट प्रणाली के लिए यह प्रमुख कानून वर्ष 1972 में लागू हुआ। इसने भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 का स्थान लिया।
    - अधिनियम को पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उत्पाद पेटेंट को भोजन, दवाओं, रसायनों और सूक्ष्मजीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था।
  - **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016:**
    - राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016 को मई 2016 में देश में IPR के भविष्य के विकास के मार्गदर्शन के लिये एक विज़न दस्तावेज़ के रूप में अपनाया गया था।
    - इसका स्पष्ट आह्वान है "रचनात्मक भारत; अभिनव भारत"।
    - यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिये एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करता है।
    - इसका उद्देश्य भारतीय परिदृश्य में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना और उन्हें अनुकूलित करना है।

नोट :

सामाजिक न्याय

शिक्षा में डिजिटल अंतराल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शिक्षा मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत के कम- से- कम 10 राज्यों में 10% से कम स्कूल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरण या डिजिटल उपकरण से लैस हैं।

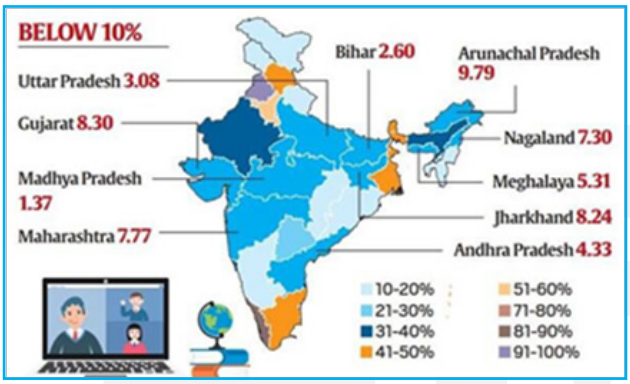

आईसीटी उपकरण:

- शिक्षण और सीखने के लिये आईसीटी उपकरण में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे- प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि से लेकर गूगल मीट, गूगल स्प्रेडशीट आदि जैसे सॉफ्टवेयर उपकरण तक शामिल हैं।
- यह उन सभी संचार तकनीकों को संदर्भित करता है जो डिजिटल रूप से सूचना तक पहुँचने, पुन: प्राप्त करने, संग्रहीत करने, संचारित करने और संशोधित करने के उपकरण हैं।
- आईसीटी का उपयोग केबलिंग की एक एकीकृत प्रणाली (सिग्नल वितरण और प्रबंधन सहित) या लिंक सिस्टम के माध्यम से मीडिया प्रौद्योगिकी जैसे ऑडियो-विज़ुअल और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ टेलीफोन नेटवर्क के अभिसरण को संदर्भित करने के लिये भी किया जाता है।
- हालाँकि यह देखते हुए कि आईसीटी में शामिल अवधारणाएँ, तरीके और उपकरण लगभग दैनिक आधार पर लगातार विकसित हो रहे हैं,आईसीटी की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है।

डिजिटल अंतराल:

- **परिचय:**
  - यह जनसांख्यिकी और आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच वाले क्षेत्रों और उन तक पहुँच नहीं होने के बीच का अंतर है।
  - यह विकसित और विकासशील देशों, शहरी तथा ग्रामीण आबादी, युवा एवं शिक्षित बनाम वृद्ध और कम शिक्षित व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद है।
  - भारत में शहरी-ग्रामीण विभाजन डिजिटल अंतराल का सबसे बड़ा कारक है।
- **स्थिति:**
  - अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा 2021 में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में लगभग 60% स्कूली बच्चे ऑनलाइन सीखने के अवसरों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
  - ऑक्सफैम इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी निजी स्कूलों के छात्रों के माता-पिता ने इंटरनेट सिग्नल और स्पीड के साथ समस्याओं की सूचना दी।
- **प्रभाव:**
  - **ड्रॉपआउट और बाल श्रम के कारण:**
    - 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों' [EWS]/वंचित समूहों [DG] से संबंधित बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी नहीं करने का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, साथ ही इस दौरान इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुँच की कमी के कारण कुछ बच्चों को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी है
    - वे बच्चे बाल श्रम अथवा बाल तस्करी के प्रति भी सुभेद्य हो गए हैं।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव:**
    - यह लोगों को उच्च/गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से वंचित करेगा जो उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने और वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शक नेता में मदद कर सकता है।
  - **अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा:**
    - शिक्षा के संबंध में ऑनलाइन प्रस्तुत की गई महत्त्वपूर्ण जानकारी से वंचित बने रहेंगे और इस प्रकार वे हमेशा पिछड़े ही रहेंगे, जिसे खराब प्रदर्शन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।
    - इस प्रकार इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम छात्र और कम विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलता है।
  - **सीखने की असमानता:**
    - निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लोग वंचित हैं और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उन्हें लंबे समय तक बोझिल अध्ययन से गुजरना पड़ता है।
    - जबकि अमीर आसानी से स्कूली शिक्षा सामग्री को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और अपने कार्यक्रमों पर तुरंत काम कर सकते हैं।

नोट :

शिक्षा के अधिकार हेतु संवैधानिक प्रावधान

- मूल भारतीय संविधान के भाग- IV (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत -DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया।
  - इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
  - इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रावधान किया।

संबंधित पहल

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।
- ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (DIKSHA)।
- पीएम ई-विद्या।
- स्वयं प्रभा टीवी चैनल
- स्वयं पोर्टल
- प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT3.0)

आगे की राह:

- आर्थिक रूप से वहनीय, उपयोग में आसान प्रौद्योगिकियों को सुनिश्चित करके सरकार डिजिटल अंतराल को प्रभावी रूप से कम कर सकती हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च लागत, तकनीकी उपकरणों की कीमत, विद्युत् शुल्क व कर शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिये डिजिटल अंतराल को बढ़ाने में प्रमुख कारक की भूमिका निभाते हैं।
- इंटरनेट और आधुनिक तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये शिक्षकों और छात्रों को समग्र रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जितने कम छात्र इन उपकरणों का उपयोग करेंगे डिजिटल अंतराल उतना ही बढ़ता जाएगा।
- शैक्षिक ऑनलाइन सामग्री निर्माताओं को अधिक-से-अधिक भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखना चाहिये। जब उपयोगकर्ताओं को विश्वास होता है कि वे अपनी मूल या स्थानीय भाषाओं में सामग्री देख सकते हैं, तो वे समान डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिये प्रेरित होते हैं ।
- लैंगिक आधार पर डिजिटल अंतराल को कम करने की विशेष ज़रूरत है। इंटरनेट तक पहुँच में विद्यमान बाधाएँ महिलाओं और बालिकाओं द्वारा समुदायों और देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में पूर्ण भागीदारी प्रदान करने में बाधा डालती हैं।

खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता: CARE

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में "खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता: ए सिनर्जिस्टिक अंडर्स्टडी सिम्फनी" नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें लैंगिक असमानता एवं खाद्य असुरक्षा के बीच वैश्विक संबंध पर प्रकाश डाला गया।

- यह रिपोर्ट CARE द्वारा जारी की गई थी, जो महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में वैश्विक गरीबी तथा भुखमरी से लड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है।

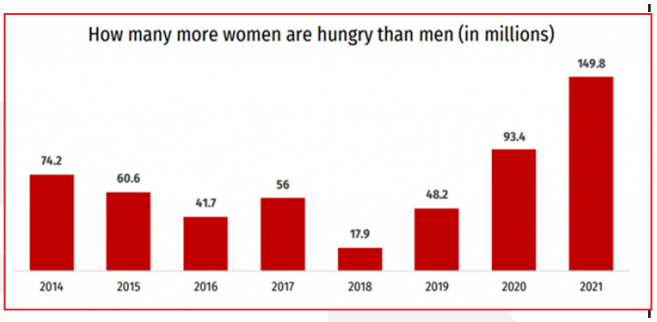

प्रमुख बिंदु

- **खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता लैंगिक अंतर:**
  - दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।
    - वर्ष 2021 में कम-से-कम 828 मिलियन लोग भूख से प्रभावित थे। उनमें से पुरुषों की तुलना में 150 मिलियन अधिक महिलाएँ खाद्य असुरक्षा प्रभावित थीं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, 109 देशों में लैंगिक असमानता बढ़ने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में कमी देखी गई।
    - वर्ष 2018 और वर्ष 2021 के बीच भूख से पीड़ित पुरुषों की तुलना में भूख से पीड़ित महिलाओं की संख्या में 8.4 गुना वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष 2021 में भूख से पीड़ित पुरुषों की तुलना में 150 मिलियन अधिक महिलाएँ थीं।
- **लैंगिक असमानता और कुपोषण:**
  - लैंगिक समानता स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से अत्यधिक जुड़ी हुई है।
  - किसी देश में जितनी अधिक लैंगिक असमानता होती है, वहाँ उतने ही अधिक भूखे और कुपोषित लोग होते हैं।
  - यमन, सिएरा लियोन और चाड जैसे उच्च लैंगिक असमानता वाले राष्ट्रों ने सबसे कम खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का अनुभव किया।
- **महिलाओं पर अधिक भार:**
  - यहाँ तक कि जब पुरुष और महिला दोनों तकनीकी रूप से खाद्य असुरक्षित होते हैं, तब भी महिलाएँ अक्सर ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि इस स्थिति में पुरुष कम भोजन करते हैं, जबकि महिलाएँ भोजन छोड़ती पाई जाती हैं।

नोट :

- लेबनान में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में 85% लोगों ने भोजन में कमी कर दी। उस समय केवल 57% पुरुषों की तुलना में 85% महिलाएँ कम खाद्यान्न खा रही थीं।

- **महिलाओं में कम खाद्य असुरक्षा का अनुभव:**
  - जब महिलाएँ नौकरी करती हैं और पैसा कमाती हैं या जब वे सीधे खेती के कार्य में शामिल होती हैं, तो उन्हें खाद्य असुरक्षा का अनुभव होने की संभावना कम होती है।
- **महिलाओं के गरीबी में रहने की अधिक संभावना:**
  - पुरुषों की तुलना में महिलाओं के गरीबी में रहने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनके काम का कम भुगतान किया जाता है या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाता है।
  - कोविड-19 महामारी से पहले भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक अवैतनिक कार्य किया।

सिफारिशें:

- जिस प्रकार महिलाएँ दुनिया का भरण करती हैं, उसी तरह से उन्हें डेटा संग्रह के तरीकों और विश्लेषण में सही जगह दी जानी चाहिये ताकि वे उन अंतरालों को दृश्यमान बना सकें और उन अंतरालों का समाधान खोजने के लिये काम कर सकें।
- यह खाद्य सुरक्षा और लैंगिक असमानता की वैश्विक समझ को अद्यतन करने का समय है तथा संकट के कारण प्रभावित समुदायों में महिला संगठनों सहित स्थानीय अभिनेताओं को महिलाओं और लड़कियों को भूख से जुड़ी लिंग-आधारित हिंसा और सुरक्षा जोखिम से बचाने के लिये आवश्यक धन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ये सभी SDG लक्ष्य 5 की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं, जो लैंगिक समानता हासिल कर सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाता है। वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता हेतु भेदभाव के कई मूल कारणों को खत्म करने के लिये तत्काल कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है जो अभी भी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को कम करते हैं।

खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता से संबंधित पहलें:

- **वैश्विक:**
  - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च)
  - संयुक्त राष्ट्र महिला
  - पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक (2016-2025)
  - सतत् विकास लक्ष्य (2)
  - विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
  - वैश्विक भूख सूचकांक
- **भारतीय:**
  - पोषण अभियान
  - अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
  - समेकित बाल विकास योजना (ICDS)
  - मध्याह्न भोजन (MDM)
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
  - ग्राम पंचायत में महिला सभा
  - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
  - विज्ञान ज्योति योजना
  - किरण योजना
  - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
  - महिला ई-हाट
  - राष्ट्रीय शिशुगृह योजना
  - वन स्टॉप सेंटर योजना

पेसा अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

गुजरात में विभिन्न चुनावी दल पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 को सख्ती से लागू करने का वादा करके आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

- गुजरात में जनवरी 2017 में राज्य पेसा नियमों को अधिसूचित किया गया और उन्हें राज्य के आठ ज़िलों के 50 आदिवासी तालुकों के 2,584 ग्राम पंचायतों के तहत 4,503 ग्राम सभाओं में लागू किया गया।
- हालाँकि अधिनियम को अभी भी अक्षरश: लागू नहीं किया गया है।
- छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र) ने पेसा कानून बनाए हैं और यदि ये नियम लागू होते हैं तो छत्तीसगढ़ इन्हें लागू करने वाला सातवाँ राज्य बन जाएगा।

पेसा अधिनियम:

- **परिचय:**
  - पेसा अधिनियम 1996 में "पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये" अधिनियमित किया गया था।
    - संविधान के अनुच्छेद 243-243ZT के भाग IX में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं।
- **प्रावधान:**
  - इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244 (1) में संदर्भित किया गया है, जिसके अनुसार पाँचवीं

नोट :

अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे।

- पाँचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिये विशेष प्रावधानों की श्रृंखला प्रदान करती है।
- दस राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जो इन राज्यों में से प्रत्येक में कई ज़िलों (आंशिक या पूरी तरह से) को कवर करते हैं।

- **उद्देश्य:**
  - अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना।
  - यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है।
  - ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है।

पेसा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्त्व:

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: पेसा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इस प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल है:
  - जल, जंगल, ज़मीन पर संसाधन।
  - लघु वनोत्पाद।
  - मानव संसाधन: प्रक्रियाएँ और कार्मिक जो नीतियों को लागू करते हैं।
  - स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन।
  - भूमि अलगाव को रोकना।
  - नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना।
- पहचान का संरक्षण: ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण एवं एक गाँव के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण शामिल है।
- संघर्षों का समाधान: इस प्रकार पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों तथा परिवेश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
- पब्लिक वॉचडॉग: ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी तथा निषेध करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

पेसा से संबंधित मुद्दे:

- आंशिक कार्यान्वयन: राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य कानूनों को अधिनियमित करना चाहिये।
  - इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
  - आंशिक कार्यान्वयन ने आदिवासी क्षेत्रों, जैसे- झारखंड में स्वशासन को विकृत कर दिया है।
- प्रशासनिक बाधाएँ: कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।
- वास्तविकता के स्थान पर कागज़ी अनुसरण: राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और निर्णय लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति:

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारतीय संविधान का भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी दी गई है।
  - संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
- जनजातीय पंचशील नीति।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वन में रहने वाले समुदायों के भूमि एवं अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

आगे की राह

- यदि पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू किया जाता है, तो यह आदिवासी क्षेत्र में मरती हुई स्वशासन प्रणाली को फिर से जीवंत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

नोट :

- यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिक लिंग-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

विश्व आदिवासी दिवस

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस वैश्विक स्तर पर आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।

- 9 अगस्त, 2018 को भारत के जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

विश्व आदिवासी दिवस:

- **परिचय:**
  - यह दिन वर्ष 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है।
  - आज भी कई स्वदेशी लोग अत्यधिक गरीबी, वंचन और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का अनुभव करते हैं।
- **विषय:**
  - वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम "पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका" (The Role of Indigenous Women in the Preservation and Transmission of Traditional Knowledge) है।

रिपोर्ट:

- **परिचय:**
  - 13 सदस्यीय समिति का गठन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वार किया गया था।
  - समिति को पर्याप्त आँकड़े एकत्र करने और देश के आदिवासी लोगों की स्थिति की सही तस्वीर पेश करने में पाँच वर्ष का समय लगा है।
- **जाँच - परिणाम:**
- **भौगोलिक स्थिति:**
  - भारत में 809 खण्डों/ब्लाक में जनजातीय आबादी निवास करती है।
  - ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है।
  - इस रिपोर्ट में अप्रत्याशित निष्कर्ष यह था कि भारत की 50% आदिवासी आबादी (लगभग 5.5 करोड़) अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर, बिखरे हुए और हाशिये पर रहने वाले अल्पसंख्यक के रूप में है।
- **स्वास्थ्य:**
  - पिछले 25 वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।
- **मृत्यु दर:**
  - पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 1988 में 135 (प्रति 1000 मृत्यु) (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-1) से घटकर वर्ष 2014 (NFHS-4) में 57 (प्रति 1000 मृत्यु) हो गई है।
  - अन्य की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में पाँच वर्ष से कम आयु के लोगों की मृत्यु दर का प्रतिशत बढ़ गया है।
- **कुपोषण:**
  - आदिवासी बच्चों में बाल कुपोषण 50% अधिक है (अन्य में 28% की तुलना में 42%)।
- **मलेरिया और क्षय रोग:**
  - आदिवासी लोगों में मलेरिया और क्षय रोग 3-11 गुना अधिक आम हैं।
  - हालाँकि आदिवासी लोग राष्ट्रीय आबादी का केवल 8.6% हैं, भारत में उनमें 50% की मौत मलेरिया से होती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल:**
  - जनजातीय लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों जैसे सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
    - जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं की संख्या में 27% से 40% की कमी है और चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों में 33% से 84% की कमी है।
    - जनजातीय लोगों के लिये सरकारी स्वास्थ्य देखभाल हेतु धन के साथ-साथ मानव संसाधनों का भी अभाव है।
- **जनजातीय उप-योजना (TSP) लेखांकन:**
  - यह राज्य में जनजातीय आबादी के प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय आवंटित करने और खर्च करने की आधिकारिक नीति है।
  - वर्ष 2015-16 के अनुमान के अनुसार आदिवासी स्वास्थ्य पर सालाना 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किये जाने चाहिये।
    - हालाँकि सभी राज्यों द्वारा इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है।
    - नीति पर कोई लेखा-जोखा या जवाबदेही मौजूद नहीं है।
    - कितना खर्च हुआ या नहीं हुआ यह कोई नहीं जानता।

नोट :

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- सबसे पहले समिति ने एक राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कार्ययोजना शुरू करने का सुझाव दिया, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल को संबंधित राज्य के औसत के बराबर लाना है।
- दूसरा, समिति ने 10 प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य समस्याओं, स्वास्थ्य देखभाल अंतराल, मानव संसाधन अंतराल और शासन समस्याओं के समाधान के लिये लगभग 80 उपायों का सुझाव दिया।
- तीसरा, समिति ने अतिरिक्त धन के आवंटन का सुझाव दिया ताकि आदिवासी लोगों पर प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के घोषित लक्ष्य (यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%) के बराबर हो जाए।

भारत सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण हेतु उठाए कदम:

- अनामय
- 1000 स्प्रिंग्स पहल
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)
- ट्राइफेड
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

स्माइल-75 पहल

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिये "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" नामक एक व्यापक योजना बनाई है।

- स्माइल-75 पहल के अंतर्गत भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिये 75 नगर निगमों की पहचान की है।

स्माइल 75-पहल:

- **उद्देश्य:**
  - नगर निगम, गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों के सहयोग से सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिये कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें उनके पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और अभिसरण पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाएगा।
    - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये स्माइल परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है।
  - इसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के समग्र पुनर्वास हेतु एक समर्थन तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:**
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- **अवयव:**
  - इसमें निम्नलिखित की उप-योजना शामिल है:
    - भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास।
- **उद्देश्य:**
  - नगरों/कस्बों तथा नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना।
  - विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिये रणनीति तैयार करना।

भारत में भिक्षावृत्ति में संलग्न आबादी की स्थिति:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुषों और 1,91,997 महिलाओं सहित) है और पिछली जनगणना की तुलना में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।
- पश्चिम बंगाल इसमें सबसे ऊपर है, उसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं।
- केंद्रशासित प्रदेश नई दिल्ली में सबसे अधिक 2,187 भिखारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में 121 थे।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम 22,116 भिखारियों के साथ शीर्ष पर है, जबकि मिज़ोरम 53 भिखारियों के साथ निम्न स्थान पर है।

युवाओं हेतु वैश्विक रोज़गार रुझान: ILO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने "युवाओं हेतु वैश्विक रोज़गार रुझान 2022: युवाओं के भविष्य परिवर्तन में निवेश" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन

- **परिचय:**
  - यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं

नोट :

तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
    - वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **स्थापना:**
    - वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
    - वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- **मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड**
- **रिपोर्ट:**
    - वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट
    - विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2022
    - विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट
    - सामाजिक संवाद रिपोर्ट
    - वैश्विक मज़दूरी रिपोर्ट

वैश्विक स्तर पर

- **EPR में लैंगिक असमानता:**
    - युवा महिलाओं ने रोज़गार-से-जनसंख्या अनुपात (EPR) में बहुत कम प्रदर्शन किया, जो यह दर्शाता है कि युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के रोज़गार की संभावना लगभग 1.5 गुना अधिक है।
        - वर्ष 2022 में 40.3% युवा पुरुषों की तुलना में वैश्विक स्तर पर युवा महिलाओं हेतु 27.4% रोज़गार के अवसर होने का अनुमान है।
- **महामारी से प्रभावित युवा रोज़गार:**
    - कोविड-19 महामारी ने 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के सामने कई श्रम बाज़ार चुनौतियों को और बद्तर कर दिया है, जिन्होंने वर्ष 2020 की शुरुआत से वयस्कों की तुलना में रोज़गार में बहुत अधिक प्रतिशत नुकसान का अनुभव किया है।
        - बेरोज़गार युवाओं की कुल वैश्विक संख्या वर्ष 2022 में 73 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, वर्ष 2021 से कुछ सुधार हुआ है लेकिन यह अभी भी वर्ष 2019 के पूर्व-महामारी स्तर से छह मिलियन अधिक है।
- **क्षेत्रीय अंतर:**
    - युवा बेरोज़गारी में सुधार एक ओर निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों और दूसरी ओर उच्च आय वाले देशों के बीच विचलन का अनुमान है।
    - उच्च आय वाले देश वर्ष 2022 के अंत तक वर्ष 2019 के सामान युवा बेरोजगारी दर हासिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं।
    - इस बीच दूसरे देश के आय समूहों में दरें उनके पूर्व-संकट मूल्यों से 1% से अधिक रहने का अनुमान है।
- **हरित और नीली अर्थव्यवस्थाओं के लाभ:**
    - हरित और नीली अर्थव्यवस्थाओं के विस्तार (जो क्रमश: पर्यावरण और स्थायी महासागर संसाधनों के आसपास केंद्रित थे) से लाभान्वित होने के लिये युवा लोगों को उचित अवसर प्रदान किया गया था।
        - वर्ष 2030 तक ग्रीन और ब्लू इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से युवाओं के लिये विशेष रूप से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय कृषि, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में अतिरिक्त (लगभग 8.4 मिलियन) रोज़गार सृजित किये जा सकते हैं।
- **ब्रॉडबैंड कवरेज और रोज़गार:**
    - वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज प्राप्त करने से वैश्विक स्तर पर 24 मिलियन से अधिक रोज़गार सृजन की संभावना है।
        - देखभाल क्षेत्रों में निवेश से 2030 तक युवाओं के लिये 17.9 मिलियन अधिक रोज़गार सृजित होंगे।

भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- **युवा रोज़गार में गिरावट:**
    - वर्ष 2020 में इसके मूल्य के सापेक्ष वर्ष 2021 के पहले नौ महीनों में युवा रोज़गार भागीदारी दर में 0.9% की गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में वयस्कों के लिये इसमें 2% की वृद्धि हुई।
        - 15-20 वर्ष की आयु-वर्ग के लिये यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है।
- **महिलाओं की रोज़गार क्षेत्र में निम्न-भागीदारी:**
    - युवा भारतीय महिलाओं ने वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में युवा भारतीय पुरुषों की तुलना में सापेक्ष रोज़गार में कमी का अनुभव किया है।
    - सामान्य तौर पर भारत में उच्च युवा रोज़गार में गिरावट वैश्विक स्तर पर औसत रोज़गार में आने वाली कमी को दर्शाती हैं।
        - वैश्विक श्रम बाज़ार में युवा भारतीय पुरुषों की भागीदारी 16% जबकि युवा भारतीय महिलाओं की भागीदारी मात्र 5% है।
- **ऑनलाइन शिक्षा में अंतराल:**
    - सभी विद्यालय लगभग 18 महीने तक बंद रहे और 24 % बच्चों में ग्रामीण क्षेत्र में केवल 8% और शहरी क्षेत्रों में 23% बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पर्याप्त पहुँच थी।

नोट :

- विकासशील देशों में ऑनलाइन संसाधनों तक अत्यधिक असमान पहुँच को देखते हुए, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच लगभग नहीं के बराबर थी।

- **सीखने की प्रक्रिया का प्रतिगमन:**
  - विद्यालयों के बंद होने से न केवल नई शिक्षा नीति बाधित हुई, बल्कि "सीखने की प्रक्रिया का प्रतिगमन" की घटना भी हुई, यानी बच्चे ये भूल गए कि उन्होंने पहले क्या सीखा था।
  - भारत में, औसतन 92% बच्चों ने कम-से-कम एक भाषा में मूलभूत क्षमता खो दी और 82% ने गणित में मूलभूत क्षमता खो दी।
- **शिक्षकों को कम वेतन का भुगतान:**
  - अध्ययन में पाया गया कि गैर-सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अक्सर सरकारी विद्यालयों की तुलना में काफी कम वेतन का भुगतान किया जाता है।
  - भारत, केन्या, नाइजीरिया और पाकिस्तान में कम-शुल्क वाले निजी विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य क्षेत्र में उनके समकक्षों को मिलने वाले वेतन के आठवें भाग या 50 प्रतिशत के बीच भुगतान किया जाता है।
- **घरेलू-कार्य का अत्यधिक अनौपचारिक होना:**
  - भारत में घरेलू-कार्य को अत्यधिक अनौपचारिक कार्य के रूप में देखा जाता है, जिसका पारिश्रमिक अत्यंत कम है और साथ ही महिलाओं और लड़कियों को दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता हैं।
  - युवा घरेलू कामगारों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट आम हैं, जिनमें मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण शामिल हैं।

अनुसंशाएँ:

- विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के साथ-साथ सभी युवा कामगारों के लिये कार्य करने की अच्छी परिस्थितियों को बढ़ावा देना चाहिये।
- युवा श्रमिकों हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे मौलिक अधिकारों और सुरक्षा का आनंद ले सकें, जिसमें संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, समान कार्य के लिये समान वेतन तथा कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न से मुक्ति शामिल हो।
- युवा लोगों को अच्छी तरह से काम करने वाले श्रम बाज़ार के साथ श्रम बाज़ार में पहले से ही भाग लेने वालों के लिये अच्छे रोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये, साथ ही उन लोगों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर जो अभी तक इसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं।

The Vision

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

लोकटक झील

हाल ही में मणिपुर के लोकटक झील प्राधिकरण ने लोकटक झील पर सभी फ्लोटिंग हाउस और मछली पकड़ने से संबंधित ढाँचों को हटाने के लिये एक नोटिस जारी किया है।

- स्थानीय मत्स्य पालन समुदाय और होम-स्टे संचालकों ने इस निर्णय का पुरज़ोर विरोध किया।

संबंधित मुद्दे:

- झील से संबंधित नियमन का अभाव।
- नव-निर्मित घरों और झोंपड़ियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; परिणामस्वरूप इसने झील पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया है, और पर्यावरण को भी प्रभावित किया है।
- वर्ष 1983 में शुरू की गई एक प्रमुख जलविद्युत परियोजना के कारण भी इस झील में मछली के उत्पादन और पारंपरिक मत्स्य पालन में भारी कमी आई है।
  - इसके अलावा बाढ़ और अनुपचारित नदियों द्वारा तलछट एवं प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण कृषि-योग्य भूमि को हानि पहुँची है।

लोकटक झील:

- परिचय:
  - यह इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
  - लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमडी के लिये प्रसिद्ध है।
    - यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों (स्वैंप) के लिये जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है।
    - यह झील अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण दूर-दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है।
    - ये दलदल द्वीपों के सदृश लगते हैं जो मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ और वनस्पतियों के इकट्ठे होने से निर्मित हुए हैं।
    - यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर स्थित केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का डांसिंग डियर 'सांगई' (Rucervus eldii eldii), जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, का अंतिम प्राकृतिक आवास है।
    - इसके अलावा झील जलीय पौधों की लगभग 230 प्रजातियों, 100 प्रकार के पक्षियों तथा 400 प्रजातियों के जीवों जैसे- बार्किंग डियर, सांभर और भारतीय अजगर को आश्रय प्रदान करती है।
- पारिस्थितिक स्थिति और इसके जैवविविधता मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोकटक झील को वर्ष 1990 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था।
  - बाद में इसे वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया था।

आगे की राह

- चूँकि अधिकांश फ्लोटिंग होम-स्टे संचालक शिक्षित बेरोज़गार युवा हैं, इसलिये सरकारी प्राधिकरणों को उनकी न्याय-निर्णयन प्रक्रिया को सरल बनाने एवं आवश्यक परिवर्तनों हेतु सुझाव देना चाहिये।
- इसके अलावा इसके संरक्षण और रखरखाव में योगदान करने के लिये प्रत्येक हितधारक की सामूहिक ज़िम्मेदारी की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन

हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (National E-Governance Service Delivery Assessment-NeSDA) में गृह मंत्रालय की वेबसाइट को केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल में प्रथम स्थान और डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन:

- **परिचय:**
  - यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।
  - यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
  - इस आकलन में सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/पोर्टल विभाग के साथ किया गया था।

नोट :

- यह आकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने अपने नॉलेज पार्टनर्स नैसकॉम (NASSCOM) और केपीएमजी (KPMG) के साथ मिलकर वर्ष 2021 में किया था।
- NeSDA 2021, NeSDA का दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है।

- **पोर्टल का वर्गीकरण:**
  - सभी सरकारी पोर्टल जिनका मूल्यांकन किया गया उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
    - राज्य/संघ शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल
    - राज्य/संघ शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल
- **मापदंड:**
  - **मूल्यांकन के चार मुख्य मापदंड थे:**
    - पहुँच
    - सामग्री उपलब्धता
    - उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा
    - केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिये गोपनीयता
  - **केंद्रीय मंत्रालय के सुविधा पोर्टलों के लिये तीन अतिरिक्त मापदंडों का उपयोग किया गया:**
    - लक्षित सेवा वितरण
    - एकीकृत सेवा वितरण
    - स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग
- **NeSDA 2021 का नवीनतम मूल्यांकन:**
  - गृह मंत्रालय के मामले में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डिजिटल पुलिस पोर्टल को सेवा पोर्टल के तहत मूल्यांकन के लिये चुना गया था।
  - तद्नुसार, गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट को मूल्यांकन के लिये मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में चुना गया था।
  - राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पोर्टल की श्रेणी में समूह A राज्यों में- केरल सबसे आगे रहा और तमिलनाडु ने प्रगति दर्ज की तथा उसके बाद पंजाब का स्थान रहा।
  - समूह B राज्यों में- ओडिशा शीर्ष पर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश तथा बिहार का स्थान है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों में नगालैंड, मेघालय और असम शीर्ष पर हैं।
  - केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सबसे ऊपर है, उसके बाद अंडमान तथा निकोबार, पुद्दुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है।

अल्फाफोल्ड और प्रोटीन

हाल ही में लंदन स्थित एक कंपनी डीपमाइंड ने अल्फाफोल्ड का उपयोग करके 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन त्रि-आयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी की है।

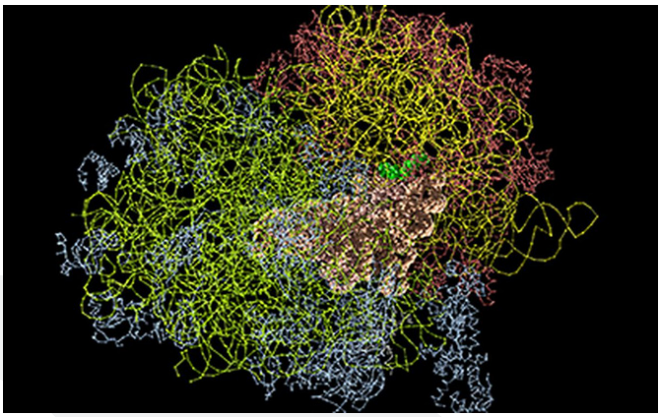

अल्फाफोल्ड:

- **परिचय:**
  - अल्फाफोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है।
  - यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है।
    - न्यूरल नेटवर्क बड़ी मात्रा में ठीक उसी प्रकार इनपुट डेटा का उपयोग कर वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे मानव मस्तिष्क कार्य करता है।
    - वास्तविक कार्य इनपुट और आउटपुट परतों के मध्य ब्लैक बॉक्स द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हिडन नेटवर्क कहा जाता है।
  - अल्फाफोल्ड को इनपुट के रूप में प्रोटीन अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है।
    - जब प्रोटीन अनुक्रम एक छोर से प्रवेश करते हैं, तो अनुमानित त्रि-आयामी संरचनाएँ दूसरे छोर के माध्यम से बाहर आती हैं।
- **क्रियाविधि:**
  - पहले चरण में कंप्यूटर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये प्रोटीन डाटा बैंक (PDB) में 1,70,000 प्रोटीन की उपलब्ध संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।
    - यह उस प्रशिक्षण के परिणामों का उपयोग PDB में नहीं बल्कि प्रोटीन की संरचनात्मक भविष्यवाणी के लिये करता है।
    - यह पहले चरण से ही उच्च सटीकता पुर्वानुमान का उपयोग करता है ताकि पहले की पुर्वानुमानों की उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिये फिर से प्रशिक्षित किया जा सके और फिर से सीख सकें।

नोट :

- इस पद्धति का उपयोग करके अल्फाफोल्ड ने अब यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स (यूनिप्रोट) डेटाबेस में एकत्रित पूरे 214 मिलियन अद्वितीय प्रोटीन अनुक्रमों की संरचनाओं का पूर्वानुमान लगाया है।

- **आशय:**
  - मानव रोगों को समझने के लिये प्रोटीन संरचना और उसके कार्य को जानना आवश्यक है।
  - प्रोटीन आमतौर पर एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके संरचित होते हैं।
    - इन तकनीकों में अक्सर वर्षों लग जाते हैं और ये मुख्य रूप से परीक्षण-और-त्रुटि विधियों पर आधारित होती हैं।
    - अल्फाफोल्ड प्रोटीन संरचना की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
    - यह विशेष रूप से विज्ञान और संरचनात्मक जीव विज्ञान में एक 'वाटरशेड मूवमेंट' (Watershed Movement) है।
  - लगभग एक साल पहले डेटाबेस की पहली सार्वजनिक निर्गमन के बाद से अल्फाफोल्ड ने पहले ही टीका और दवा विकास में अपनी खोजों में तेज़ी लाने में सैकड़ों वैज्ञानिकों की मदद की है।
- **उपलब्ध विकल्प:**
  - अल्फाफोल्ड न तो त्रुटिहीन है और न ही केवल AI-आधारित प्रोटीन संरचना पूर्वानुमान संबंधी उपकरण है।
    - अमेरिका के सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित RoseTTaFold एक अन्य उपकरण है।
    - हालाँकि अल्फाफोल्ड की तुलना में इसने कम सटीक प्रोटीन परिसरों की संरचना की भविष्यवाणी की है।

भारत के लिये इसका महत्त्व:

- भारत को अल्फाफोल्ड डेटाबेस का तेज़ी से लाभ उठाने और बेहतर टीकों और दवाओं को डिज़ाइन करने के लिये संरचनाओं का उपयोग करने का तरीका सीखने की ज़रूरत है।
  - कम समय में कोविड -19 वायरस प्रोटीन की सटीक संरचना को समझने से वायरस के खिलाफ टीके और दवा के विकास में तेज़ी आएगी।
- भारत को विज्ञान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के कार्यान्वयन में भी तेज़ी लानी चाहिये।
  - इसे निजी क्षेत्र में प्रचलित हार्डवेयर और डेटा विज्ञान प्रतिभा तथा डेटा विज्ञान नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करने के लिये अकादमिक संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त सहयोग की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

सैन्य-अभ्यास अल नजाह

भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य 1 से 13 अगस्त 2022 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह-IV का आयोजन किया जा रहा है।

अल नजाह सैन्य अभ्यास:

- **परिचय:**
- इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण है।
- अभ्यास के दायरे में औपचारिक वार्ता, अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान तथा नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना एवं आतंकवादी खतरों का उन्मूलन शामिल है।
- इस सैन्य अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक एवं प्रक्रियाओं के समायोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति की रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

- **ओमान के साथ अन्य अभ्यास:**
  - **नौसेना अभ्यास:**
    - नसीम-अल-बहर
  - **वायु सेना अभ्यास:**
    - इस्टर्न ब्रिज़

भारत के लिये ओमान का सामरिक महत्त्व:

- ओमान, खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) के लिये एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार है।

नोट :

- ओमान होर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है, जहाँ से भारत अपने तेल आयात के पाँचवें हिस्से का आयात करता है।
- अरब सागर के पार दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं तथा सौहार्दपूर्ण संबंध रखतें हैं, जो ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंध के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

अभ्यास पिच ब्लैक

ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा इस महीने के अंत में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भारतीय सेना 16 अन्य देशों के साथ भाग लेगी।

अभ्यास पिच ब्लैक:

- **परिचय:**
  - यह अंतरसंचालनियता बढ़ाने और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक द्विवार्षिक अभ्यास है।
  - यह भारतीय वायु सेना को एक गतिशील युद्ध वातावरण में इन देशों के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
    - यह सभी राष्ट्रों के कर्मियों को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय वातावरण में विमान प्रणालियों और कार्य प्रथाओं के साथ काम करने का अनुभव प्रदान करता है।
  - यह अभ्यास दक्षिणी गोलार्द्ध क्षेत्र में आयोजित होगा, जिसकी मेज़बानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा की जाती है।
    - इस वर्ष प्रतिभागी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और अमेरिका हैं।
- **अन्य अभ्यास:**
  - **द्विपक्षीय:**
    - पूर्व ऑस्ट्रिया हिंद (थल-सेना)
    - AUSINDEX अभ्यास (नौसेना)
  - **बहुपक्षीय:**
    - मालाबार अभ्यास (संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के साथ)

अभ्यास 'एक्स विनबैक्स' 2022

वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास "एक्स विनबैक्स 2022" का तीसरा संस्करण भारत में आयोजित किया जा रहा है।

- भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत विज़न में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।

विनबैक्स:

- **परिचय:**
  - यह अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास के पिछले संस्करणों के बढ़े हुए दायरे के साथ एक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है।
  - यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदर्शन और स्वदेशी समाधानों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों को शुरू करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करेगा।
  - इसका उद्देश्य भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स आर्मी के बीच आपसी विश्वास, अंतर-क्षमता को मज़बूत करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाना है।
  - यह दोनों दलों के सैनिकों को एक दूसरे की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा।
- **थीम:**
  - शांति रक्षा अभियानों के लिये संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में इंजीनियर कंपनी एवं चिकित्सा दल का रोज़गार और तैनाती।

ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022

हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में चौथे तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) पैरा गेम्स का उद्घाटन किया।

ओएनजीसी पैरा गेम्स:

- **परिचय:**
  - ओएनजीसी पैरा गेम्स कॉर्पोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु एक विशेष मानव संसाधन पहल है।
    - इसका उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों में संलग्न मानव संसाधनों के समग्र विकास में योगदान करना है, जो सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं।

नोट :

- **प्रतिभागी:**
  - 2 से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित किये जा रहे चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स में आठ केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी भाग ले रहे हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर:**
  - ओएनजीसी भारत की पैरालंपिक समिति की मदद से वर्ष 2017 के पहले संस्करण से अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में पैरा खेलों का आयोजन करता है, जहाँ 120 ओएनजीसी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और व्हीलचेयर दौड़ जैसे खेलों में भाग लिया।

ओएनजीसी:

- ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था।
- विदित हो कि 14 अगस्त, 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया और 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम में रूपांतरित कर दिया गया था।
- वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि वर्ष 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था।

पैरालंपिक गेम्स:

- पैरालंपिक गेम्स या पैरालंपिक विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेज़बान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है।
- पैरालंपिक गेम्स का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है, जो ग्रीष्म और शीत ऋतू में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- पैरालंपिक वर्ष 1948 में ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख लोगों की छोटी सी सभा से 21 वीं सदी की शुरुआत तक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में से एक बन गया है।
- पहला पैरालंपिक खेल वर्ष 1960 में रोम में आयोजित किया गया था।

AIC और AICC हेतु आवेदनों की मांग: नीति आयोग

हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और नीति आयोग ने अपने दो प्रमुख कार्यक्रमों अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC) के लिये आवेदनों की मांग की है।

आवेदन की मांग:

- यह अनुप्रयोगों के लिये मांग इन्क्यूबेटर के वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने और उन्हें वैश्विक बेंचमार्क और सर्वोत्तम उपायों तक पहुँच प्रदान करने के लिये उठाया गया एक कदम है।
- AIC और ACIC दोनों कार्यक्रम विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करके देश में नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और उनका समर्थन करने की कल्पना करते हैं जो देश के नवोदित उद्यमियों को सहायता प्रदान करेंगे।
- AIC और ACIC भारत के स्टार्ट-अप कार्यक्रम और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को सशक्त करेंगे।

अटल इनक्यूबेशन केंद्र:

- AIC भारत में स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिये एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिये AIM और नीति आयोग की एक पहल है।
- प्रत्येक AIC को 5 वर्षों की अवधि में 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाता है।
  - वर्ष 2016 के बाद से AIM ने 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 68 अटल इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किये हैं, जो 2700 से अधिक स्टार्ट-अप की सहायता करते हैं।

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर

- ACIC की परिकल्पना में स्टार्ट-अप और नवाचारी इको-सिस्टम को मद्देनजर रखते हुये देश के उन सभी हिस्सों को रखा गया है, जहाँ तक नवाचारी इको-सिस्टम या तो पहुँच नहीं है या कम मात्रा में पहुँच है।
- प्रत्येक ACIC को 5 वर्षों की अवधि में 2.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है।
- AIM ने देश भर में 14 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित किये हैं।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM):

- **परिचय:**
  - अटल नवाचार मिशन (AIM) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल है।
  - इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिये मंच एवं सहयोग के अवसर प्रदान करना, लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक छत्र/अंब्रेला संरचना (Umbrella Structure) विकसित करना है।

नोट :

- **प्रमुख पहलें:**
  - अटल टिंकरिंग लैब: भारतीय स्कूलों में समस्या समाधान मानसिकता विकसित करना।
  - अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाना।
  - मेंटर इंडिया अभियान: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से निर्मित एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क।
  - लघु उद्यमों हेतु अटल अनुसंधान और नवाचार (ARISE): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

उद्यम पोर्टल

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के अनुसार, लगभग एक करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने 25 महीनों के भीतर उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

उद्यम पोर्टल:

- **परिचय:**
  - इसे 1 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया था।
  - यह MSMEs के पंजीकरण के लिये स्थापित एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  - इसके अलावा, यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
    - GSTN एक अनूठा और जटिल IT उद्यम है जो करदाताओं, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के मध्य संचार और वार्ता के लिये एक नेटवर्क स्थापित करता है।
  - यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिये किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और यह MSME के लिये व्यवसाय को सुगम बनाने की दिशा में एक कदम है।
- **महत्त्व:**
  - MSMEs के लिये MSME मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण के लिये उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक हैं।
    - साथ ही एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोज़गार सृजन में योगदान करते हैं।
- **नई पहल:**
  - उद्यम डेटा साझा करने के लिये MSME मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - इसके अलावा उद्यम पंजीकरण के लिये डिजी लॉकर सुविधा को भी जोड़ा जाएगा।

MSME

- **परिचय:**
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्त्ता है।
    - भारत में इस क्षेत्र ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसके निर्यात में योगदान के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
    - इस क्षेत्र ने विशेष रूप से भारत के अर्द्ध -शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के संबंध में भी बहुत योगदान दिया है।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम।
    - उपकरणों में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर उद्यमों को वर्गीकृत किया गया है।
- **संबंधित पहल:**
  - पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI)
  - नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE):
  - एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम

टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम)

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र-गाइडेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

नोट :

लेज़र-गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (ATGM):

- **टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें:**
  - ATGMs मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों को मार गिराने और नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
    - मिसाइलों को एक ही सैनिक द्वारा बड़े त्रिपोड -माउंटेड वेपन तक ले जाया जा सकता है, जिसमें वाहन और विमान माउंटेड मिसाइल प्रणालियों के परिवहन तथा फायर करने हेतु एक दस्ते या टीम की आवश्यकता होती है।
  - इस प्रकार की निर्देशित मिसाइलें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इमेजर (IIR) साधक, लेज़र या W-बैंड रडार साधक पर निर्भर करती हैं।
    - ये 'फायर-एंड-फॉरगेट' मिसाइलें हैं जहाँ संचालक फायरिंग के तुरंत बाद पीछे हट सकता है क्योंकि इसके बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **लेज़र-गाइडेड ATGMs:**
  - सभी स्वदेशी लेज़र निर्देशित ATGM विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (Explosive Reactive Armour-ERA) संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिये टेंडेम हाई एक्सप्लोसिव एंटी-टैंक (HEAT) वारहेड का उपयोग करता है।
  - ATGM को मल्टी-प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में MBT अर्जुन 120 मिमी राइफल्ड बंदूक तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण से गुज़र रही है।

अन्य टैंक रोधी मिसाइलें:

- **हेलिना:**
  - इसकी अधिकतम सीमा सात किलोमीटर है और इसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (Advanced Light Helicopter-HAL) के हथियारयुक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।
  - इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है तथा यह पारंपरिक कवच एवं विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को भेदने में सक्षम है।
- **नाग:**
  - यह तीसरी पीढ़ी की 'दागो और भूल जाओ' (Fire-and-Forget) के सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के टैंकों पर हमला करने हेतु विकसित किया गया है।

- **MPATGM:**
  - यह मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें पैदल सेना के उपयोग के लिये फायर-एंड-फॉरगेट और शीर्ष हमले की क्षमता के साथ इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है।

- **SANT:**
  - यह एक स्मार्ट स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक मिसाइल है जिसे वायु सेना के टैंक-रोधी अभियान हेतु Mi-35 हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिये विकसित किया जा रहा है।

नोट :

- **अर्जुन मेन बैटल टैंक (MBT) 'MK-1A':**
  - अर्जुन मेन बैटल टैंक एक लेज़र-निर्देशित, सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री है। इसमे स्वदेशी रूप से विकसित 120mm राइफल और आर्मर पियर्सिंग फिन-स्टैबिलाइज़्ड डिस्करिंग सबोट (FSAPDS) युद्धोपकरण शामिल हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

हाल ही में सरकार ने सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):

- **परिचय:**
  - CVC को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था।
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।
  - संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (CVC अधिनियम) अधिनियमित किया, जो CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
  - यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
  - यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- **सदस्य:**
  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त- अध्यक्ष।
  - अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त- सदस्य।
- **कार्य:**
  - CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
  - निम्नलिखित संस्थान, निकाय या व्यक्ति CVC से संपर्क कर सकते हैं:
    - केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता/मुखबिर/सचेतक/व्हिसल ब्लोअर

व्हिसल ब्लोअर एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति (जैसे मीडिया, उच्च सरकारी अधिकारी, या पुलिस) हो सकता है जो किसी भी गलत काम के बारे में जनता या किसी उच्च अधिकारी को जानकारी का खुलासा (जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में हो सकती है।) कर सकता है।

- विदित हो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण कराता है।
- यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा किये गए कथित अपराधों की जाँच करने का अधिकार रखता है।

मुख्य सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें:

- **नियुक्ति:**
  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होता है।
- **कार्यकाल:**
  - इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक होता है।

नोट :

- **पदच्युत:**
  - राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें केवल तभी पद से हटाया या निलंबित किया जा सकता है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके मामले की जाँच की हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की हो।
  - इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच में उस पर कदाचार अथवा अक्षमता के मामले साबित होने पर भी हटाया जा सकता है।
  - वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भी सौंप सकता/सकती है।

डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) में आत्मनिर्भर

उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के एक हिस्से के रूप में भारतीय उर्वरक कंपनियों को उनकी अंतिम छोर तक आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करने के लिये अनुशंसा और समर्थन प्रदान कर रही है।

भारत में उर्वरक उद्योग की स्थिति:

- **उर्वरक का महत्त्व:**
  - कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 19.9% का योगदान देता है, जिसमें 54.6% जनसंख्या कृषि गतिविधियों में संलग्न है।
  - कृषि क्षेत्र काफी हद तक उर्वरक उद्योग पर निर्भर करता है, जो फसलों के उत्पादन के लिये आवश्यक सबसे महत्त्वपूर्ण कच्चे माल का निर्माण करता है।
  - इसके अलावा भारतीय उर्वरक उद्योग स्वस्थ फसलों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP), नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम (NPK) तथा सिंगल सुपरफॉस्फेट (SSP) जैसे फास्फोरस उर्वरकों का उत्पादन करता है।
- **मुद्दे:**
  - उर्वरक उद्योग काफी हद तक फॉस्फेट रॉक जैसे सामान्य कच्चे माल पर निर्भर करता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। हालाँकि भारत अपने फॉस्फेट का 90% अन्य देशों से आयात करता है।
- **भारत में उर्वरक निर्माण:**
  - भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) एक बहु-राज्य सहकारी समिति है जिसका मुख्यालय देश की राजधानी में है, यह सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता और विपणक है।
  - नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम है जो देश में कुल यूरिया उत्पादन के लगभग 15% हिस्से का साथ यूरिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **पहल:**
  - नीम कोटेड यूरिया
  - नई यूरिया नीति 2015
  - पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना

डाइ-अमोनियम फॉस्फेट:

- DAP यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है।
- किसान आमतौर पर इस उर्वरक का प्रयोग बुवाई से ठीक पहले या बुवाई की शुरुआत में करते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस (पी) की मात्रा अधिक होती है जो जड़ के विकास में सहायक होता है।
- DAP में 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है जो किसानों के लिये फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। यह यूरिया के समान है, जो उनका पसंदीदा नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है।

DAP निर्भरता को कम करने हेतु की गई पहल:

- विदेशों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करना:
  - इस दिशा में भारत की अग्रणी फॉस्फेटिक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने सेनेगल में स्थित रॉक फॉस्फेट खनन कंपनी, बाओबाब माइनिंग एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन (BMCC) में 45 प्रतिशत इक्विटी शेयर के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दिया है।
    - इसके आलावा खनन सेनेगल में किया जाएगा और DAP का उत्पादन भारत में किया जाएगा।
  - भारत सरकार देश की उर्वरक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आपूर्ति सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इस तरह के निवेश को सक्षम करने के लिये उद्योग जगत के साथ साझेदारी कर रही है।
- संभावित पोटैशियम अयस्क संसाधनों का घरेलू स्तर पर अन्वेषण:
  - खनन और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के सतपुड़ा, भरूसारी और लखासर में संभावित पोटाश अयस्क संसाधनों की खोज में तेज़ी लाने की योजना बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित अन्य राज्य शामिल हैं।

रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि

हाल ही में भारत द्वारा 10 और आर्द्रभूमियों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल किया गया है, इसी के साथ देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है।

नोट :

- इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के पाँच नई आर्द्रभूमियों को नामित किया था- तमिलनाडु में करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिज़र्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव; मिज़ोरम में पाला आर्द्रभूमि तथा मध्य प्रदेश में साख्य सागर।
- रामसर स्थल रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि 'आर्द्रभूमियों पर अभिसमय ' के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

शामिल किये गए नए स्थलों की सूची:

रामसर स्थल	राज्य	विशेषता
कूनथनकुलम पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु	• यह दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिये सबसे बड़ा रिज़र्व है। • यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्से वाला एक महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र है।
मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिज़र्व	तमिलनाडु	• यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिज़र्व है। • यह भारत में सबसे अधिक जैविक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है।
वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स	तमिलनाडु	• यह मानव निर्मित अंतर्देशीय झील है। • यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, साथ ही यह महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र (IBA) का हिस्सा है, इसलिये यह बर्डलाइफ इंटरनेशनल डेटा ज़ोन का भी हिस्सा है।
वेलोड पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु	• आर्द्रभूमि का मूल्यांकन करने हेतु आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी, पक्षियों की संख्या, प्रजनन के रिकॉर्ड और बसने वाली कॉलोनियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी गई है।
वेदंतंगल पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु	• यह तमिलनाडु के सबसे पुराने पक्षी-संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। • इस साइट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।
उदयमार्थंदपुरम पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु	• यह स्थल जलपक्षियों की कई प्रजातियों के लिये महत्त्वपूर्ण स्थल और प्रजनन स्थल है।
सतकोसिया गॉर्ज	ओडिशा	• यह महानदी नदी के ऊपरी क्षेत्र में शानदार घाटी के साथ फैली हुई है। • साइट पर देखी जाने वाली उल्लेखनीय प्रजातियाँ ओरिएंटल डार्टर, ग्लॉसी आइबिस, ग्रे हेरॉन और यूरेशियन स्पूनबिल हैं। • इसे वर्ष 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो पुष्प और जीव प्रजातियों की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। • सतकोसिया भारत के दो जैव-भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है; दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट, विशाल जैवविविधता में योगदान करते हैं।
नंदा झील	गोवा	• इसे स्थानीय समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के लिये अपनी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा जैवविविधता मूल्यों हेतु गंभीर रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

नोट :

रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक	• इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कर्नाटक और भारत में महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (आईबीए) में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। • यह भारत की पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण नदी तटवर्ती आर्द्रभूमि है, जो जैवविविधता में समृद्ध है।
सिरपुर वेटलैंड	मध्य प्रदेश	• यह न केवल अपने सौंदर्य के लिये बल्कि यह जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण में मदद करने जैसी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करता है।

लॉन बॉल स्पोर्ट

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम ने "महिला फोर लॉन बॉल" खेल में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

लॉन बॉल स्पोर्ट:

- **परिचय:**
  - लॉन बॉल को अक्सर "टेन-पिन बॉलिंग" और "कर्लिंग" के शीतकालीन खेल का मिश्रण माना जाता है।
    - टेन-पिन बॉलिंग में लक्ष्य एक लेन के सभी पिनों को अंत तक नीचे ले जाना है।
    - लॉन बॉलिंग में टीम को 'बॉल' (गेंद) को लक्ष्य के सबसे करीब लाना होता है, जिसे 'जैक' के नाम से जाना जाता है।
  - बॉल ज़्यादातर गोलाकार गेंद जैसी वस्तुएँ होती हैं, जो आमतौर पर लकड़ी, रबर या प्लास्टिक की राल से बनी होती हैं, जिनमें चपटी भुजाएँ होती हैं।
- **खेलने की प्रक्रिया:**
  - खिलाड़ी 600 मिमी लंबी और 360 मिमी चौड़ी एक चटाई के दोनों ओर खड़े होते हैं और जैक के करीब जाने के प्रयास में इन बॉल्स को घुमाते हैं।
    - जैक या तो सफेद या पीले रंग का होता है और बॉल से छोटा और हल्का होता है।
  - फोर्स इवेंट में पहला गेंदबाज को लीड कहा जाता है जिसका अनुसरण दूसरे तीसरे गेंदबाज द्वारा किया जाता है।
    - अंतिम गेंदबाज को 'स्किप' कहा जाता है और वह टीम का लीडर होता है।
    - प्रत्येक टीम के सदस्य को प्रति राउंड दो बॉल मिलते हैं।
  - अंपायर "बॉक्स माप" नामक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसमें जैक और बॉल के बीच की दूरी को मापने के लिये फीते/स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है।
- **भारत की भागीदारी:**
  - वर्ष1930 में इसके उद्घाटन संस्करण के बाद से लॉन बॉल राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा रहा है।
    - अब तक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने खेल में सबसे अधिक क्रमश: 51, 50 और 44 पदक जीते हैं।
    - राष्ट्रमंडल खेलों में स्कॉटलैंड अब तक 20 गोल्ड मेडल जीत चुका है।
  - भारत ने वर्ष 2010, 2014 और वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल स्पर्द्धाओं में भाग लिया।
    - देश का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2010 में दिल्ली में महिलाओं की ट्रिपल लॉन बॉलिंग स्पर्द्धा में चौथे स्थान पर और वर्ष 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के ट्रिपल लॉन बॉलिंग स्पर्द्धा में चौथे स्थान पर था।

राष्ट्रमंडल खेल

- **परिचय:**
  - राष्ट्रमंडल खेल मल्टीस्पोर्ट इवेंट है जो राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों द्वारा आयोजित किया जाता है।
  - राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) राष्ट्रमंडल खेलों और राष्ट्रमंडल युवा खेलों के निर्देशन और नियंत्रण के लिये ज़िम्मेदार संगठन है।
    - इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है, यह संगठन 72 सदस्य देशों और क्षेत्रों में काम कर रहा है।
- **विकास:**
  - ऑस्ट्रेलियाई मूल के एस्टली कूपर ने पहली बार वर्ष 1891 में इस तरह के खेलों को आगे बढ़ाया, साथ ही खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का आह्वान किया ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रदर्शन किया जा सके।

नोट :

- वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में "साम्राज्य का उत्सव" आयोजित किया गया था।
- यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड), कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाज़ी, कुश्ती और तैराकी शामिल थी।

◆ वैंकूवर, कनाडा में वर्ष 1954 में, पहली बार खेलों का आयोजन किया गया था जो अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था।

- **उद्घाटन समारोह:**
  - ओलिंपिक खेलों की तरह ही राष्ट्रमंडल खेलों की भी शुरुआत एक उद्घाटन समारोह से होती है।
  - यह आमतौर पर मेज़बान देश का झंडा फहराने और उसके राष्ट्रगान के प्रदर्शन के साथ शुरू होता है।
  - एक कलात्मक प्रदर्शन के बाद एथलीट स्टेडियम में परेड करते हैं, जो उस देश से शुरू होता है जिसने पिछले खेलों की मेज़बानी की थी और फिर अन्य देशों को पहले क्षेत्र एवं फिर वर्णानुक्रम में समूहीकृत किया जाता है।

पाइरीन उपचार के लिये कवक

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के शोधकर्त्ताओं ने पर्यावरण से विषाक्त, अनिर्देशित (आसानी से नियंत्रित नहीं) और कार्सिनोजेनिक पाइरीन या पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) को हटाने में सक्षम एक कवक की पहचान की है।

- शोधकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन के लिये गैस क्रोमैटोग्राफिक-मास स्पेक्ट्रोमीटर और सीरोटोम विश्लेषण का इस्तेमाल किया।
- प्रमुख मेटाबोलाइट्स की गैस (क्रोमैटोग्राफिक-मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक) ने पाइरीन डिग्रेडेशन पाथवे को निर्धारित करने में मदद की और पाइरीन डिग्रेडेशन में सेरोटोम विश्लेषण ने पाइरीन के डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म को समझने में मदद की।

पाइरीन:

- पाइरीन, जिसमें चार बेंजीन रिंग होते हैं, PAHs के अत्यधिक विषैले वर्ग के अंतर्गत आता है, इसमें कार्सिनोजेनिक और उत्परिवर्तन गुण होते हैं।
- यह मिट्टी, पानी और वातावरण जैसे पर्यावरणीय मैट्रिक्स में जमा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा दूषित पर्यावरणीय मैट्रिक्स के पर्याप्त उपचार की आवश्यकता होती है।
- आर्थिक विकास और औद्योगीकरण की तीव्र गति ने पर्यावरण में कई PAHs उत्सर्जित किये हैं।
- PAHs रसायनों का एक वर्ग है जो स्वाभाविक रूप से कोयले, कच्चे तेल और गैसोलीन में पाया जाता है। ये सर्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषक हैं जो कई स्रोतों से उत्पन्न होते हैं जिनमें पेट्रोजेनिक जीवाश्म ईंधन का दहन, और नगरपालिका कचरे तथा बायोमास का अधूरा भस्मीकरण शामिल है।

निष्कर्ष:

- एक सफेद दुर्गंधयुक्त युक्त कवक Trametesmaxima IIPLC-32 की पहचान की गई जिसमें पाइरीन के माइक्रोबियल क्षरण का कारण बनने की क्षमता है।
- मृत पौधों पर उगने वाला यह कवक विशेष एंजाइमों का उपयोग करके पाइरीन क्षरण का कारण बनता है।
  - पाइरीन की मात्रा 16 दिनों के भीतर क्रमश: 10 मिलीग्राम प्रति लीटर, 25 मिलीग्राम प्रति लीटर और 50 मिलीग्राम प्रति लीटर के प्रारंभिक स्तर से 79.8%, 65.37% और 56.37% घट गई।
- यह कवक मिट्टी के प्रदूषण स्तर को कम करने का काम करता है।

निहितार्थ:

- कवक माइक्रोबियल क्षरण का कार्य करता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- कवक (टी.मैक्सिमा) विशेष रूप से पाइरीन के उपचार में मददगार साबित हो सकता है।

अनुशंसाएँ:

- आर्थिक विकास और औद्योगीकरण की तीव्र गति के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिये पर्यावरण में पहले से ही संसाधन मौजूद हैं, जिनका हमें उचित रूप से दोहन करना चाहिये।
- maxima IIPLC-32 को भविष्य में PAH-दूषित जलीय वातावरण के बायोरेमेडिएशन के लिये उपयोग किया जा सकता है।

नोट :

बायोरेमेडिएशन:

- बायोरेमेडिएशन जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसमें प्रभावित क्षेत्रों को कीटाणुरहित करने के लिये जीवित जीवों, जैसे- रोगाणुओं और जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है।
- इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पर्यावरण में मौजूद दूषित पदार्थों को उनकी मूल स्थिति से हटाने एवं बेअसर करने के लिये सूक्ष्मजीवों या उनके एंज़ाइमों का उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग मिट्टी, पानी और अन्य वातावरण से दूषित पदार्थों, प्रदूषकों एवं विषाक्त पदार्थों को हटाने में किया जाता है।
- तेल रिसाव या दूषित भूजल को साफ करने के लिये बायोरेमेडिएशन का उपयोग किया जाता है।
- बायोरेमेडिएशन "इन सीटू" - संदूषण स्थल पर या "एक्स सीटू" - संदूषण स्थल से दूर किया जा सकता है।

लोकसभा में नए विधेयक

दो नए विधेयक- प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किये गए।

प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक 2022:

- **परिचय:**
  - यह भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की संरचना को बदलने का प्रयास करता है।
  - यह वर्तमान बाज़ारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये CCI को अनुमति देने का प्रावधान करता है।
  - इसमें CCI के संयोजनों को अधिसूचित करने के मानदंड के रूप में 'लेन-देन का मूल्य' रखने के प्रावधान भी हैं।
- **अन्य प्रस्तावित संशोधन:**
  - CCI के समक्ष प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष की सीमा अवधि निश्चित की गई।
  - स्पष्टता प्रदान करने के लिये 'उद्यम', 'प्रासंगिक उत्पाद बाज़ार', 'समूह' और 'नियंत्रण' जैसी कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन।
- **विशेषताएँ:**
  - प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौतों को व्यापक बनाना।
  - विलय और अधिग्रहण (M&A) को त्वरित मंज़ूरी।
  - जाँच के दौरान जानकारी साझा करने के इच्छुक पक्षों के लिये दंड को कम करना।
  - मुकदमेबाज़ी में कमी।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग:

- **परिचय:**
  - भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
  - राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) एक प्रतिस्पर्द्धा नियामक और छोटे संगठनों के लिये एक प्रहरी है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
- **गठन:**
  - प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकलिक होते हैं।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक:

- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाही करने के लिये नई दिल्ली में स्थित स्वायत्त संस्थान है।
- यह वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था और संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था।
  - कानून मंत्री द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक का नाम बदलकर इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने हेतु पेश किया गया था।

तेजस विमानों की डिलीवरी

भारत सरकार ने मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान (LCA) "तेजस" बेचने की पेशकश की है।

नोट :

- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस इन छह देशों ने सिंगल-इंजन तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस जेट विमानों की वर्ष 2023 तक डिलीवरी हेतु 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध दिया था।

तेजस विमान:

- **परिचय:**
  - लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष1984 में शुरू किया गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा LCA कार्यक्रम का प्रबंधन करने हेतु वैमानिकी विकास एजेंसी (Aeronautical Development Agency-ADA) की स्थापना की गई।
  - यह पुराने मिग 21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा।
- **डिज़ाइन:**
  - LCA का डिज़ाइन 'रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग' के तहत संचालित 'वैमानिकी विकास एजेंसी' द्वारा तैयार किया गया है।
- **विनिर्माण:**
  - सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा।
- **विशेषताएँ**
  - यह अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस (Tailless) मल्टी-रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है।
  - यह हवा-से-हवा, हवा से सतह, सटीक-निर्देशित, हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में सक्षम है।
  - इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलो. है।
  - यह अधिकतम 1.8 मैक की गति प्राप्त कर सकता है।
  - इस विमान की रेंज 3,000 किमी. है।
- **तेजस के प्रकार:**
  - तेजस ट्रेनर: यह वायु सेना के पायलटों के प्रशिक्षण के लिये 2-सीटर परिचालन ट्रेनर विमान है।
  - LCA नेवी: भारतीय नौसेना के लिये दो और एकल-सीट वाहक को ले जाने में सक्षम विमान।
    - LCA तेजस नेवी MK2: यह LCA नेवी वैरिएंट का दूसरा संस्करण है।
    - LCA तेजस Mk-1A: यह LCA तेजस Mk1 का एक हाई थ्रस्ट इंजन के साथ अद्यतन रूप है।

मृदा मानचित्रण

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने उर्वरकों के दक्षतापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिये उप-सहारा अफ्रीका (SSA) एवं मध्य अमेरिका में मृदा के पोषक तत्त्वों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करने हेतु एक परियोजना शुरू की है।

- साथ ही यह पूर्व के मृदा मानचित्रण को व्यवस्थित और बेहतर बनाएगा।

मृदा मानचित्रण:

- **परिचय:**
  - मृदा मानचित्रण मृदा के प्राकृतिक निकायों को चित्रित करने, चित्रित निकायों को मानचित्र इकाइयों में वर्गीकृत और समूहीकृत करने तथा मानचित्र पर मृदा के स्थानिक वितरण की व्याख्या एवं चित्रण के लिये मृदा से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया है।
- **संभावित लाभ:**
  - यह हमारी मृदा और फसलों के अनुसार वांछित पोषक तत्त्वों की सूचना प्रदान करेगा।
  - इसके अलावा यह उर्वरकों का उपयोग करते समय होने वाली बर्बादी को कम कर उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।

परियोजना के निहितार्थ:

- **परिचय:**
  - संयुक्त राष्ट्र की इस परियोजना के तहत उर्वरकों के दक्षतापूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिये उप-सहारा अफ्रीका (SSA) और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्त्वों का डिजिटल रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। यह परियोजना खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा संचालित की जा रही है।

नोट :

- यह नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में राष्ट्रीय मृदा डेटाबेस और मृदा सूचना प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देगा।
- इसके अलावा निजी क्षेत्र और विशेष रूप से किसान इससे दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न कर सकते हैं।
- यह उत्पादन से समझौता किये बिना उर्वरक बाज़ारों और जलवायु गतिशीलता में रुझानों के अनुकूलित होने के लिये अल्पकालिक लचीलेपन में भी सुधार करेगा।

- **ज़रूरत:**
  - उप-सहारा अफ्रीका में स्थायी कृषि पद्धतियाँ, संसाधनों और क्षमता विकास की कमी तथा पोषक तत्त्वों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप मृदा में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी के चलते कम फसल पैदावार के साथ ही गरीबी बढ़ी है, जिसने कई किसान परिवारों के समक्ष खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी है।
  - कई अफ्रीकी देशों में मृदा को नियंत्रित करने वाली नीतियों के साथ-साथ स्थायी मृदा प्रबंधन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमता, ज्ञान एवं अनुभव का अभाव है।
  - अफ्रीका की कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity) वृद्धि, विशेष रूप से उप-सहारा क्षेत्र में अन्य विकासशील क्षेत्रों की वृद्धि से मेल नहीं खाती है।
    - कुल कारक उत्पादकता वृद्धि उत्पादन में वृद्धि और सभी कारक इनपुट आमतौर पर श्रम पूंजी के संयोजन से वृद्धि के बीच का अंतर है।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO):

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी को समाप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसका लक्ष्य सभी के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने हेतु लोगों की पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुँच सुनिश्चित हो।
  - 195 सदस्यों,194 देशों और यूरोपीय संघ के साथ FAO दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में काम करता है।

रेत कणों का आकार और इसकी द्रवीकरण क्षमता

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि रेत के कणों की आकृति रेत के द्रवीकरण को प्रभावित करती है।

- रेत का द्रवीकरण एक ऐसी घटना है जिसमें भूकंप के झटकों के समय भारी पदार्थों के तेज़ी से किसी स्थान पर एकत्र होने के कारण वहाँ की मिट्टी की ताकत और कठोरता में कमी आ जाती है तथा ऐसी स्थिति में द्रवीभूत हो चुकी ज़मीन पर खड़ी संरचनाएँ ध्वस्त होकर ढहने लगती हैं।

प्रमुख बिंदु

- रेत के कण के आकार और इसकी द्रवीकरण क्षमता के बीच मज़बूत संबंध है;
  - भूकंप के दौरान संरचनाओं के ढहने के पीछे रेत की द्रवीकरण क्षमता प्रमुख कारकों में से एक है।
- किये गए अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने पाया कि उच्च गोलाई और वृत्ताकार के साथ नियमित आकार वाले काँच के मनके पहले चक्रीय अपरूपण परीक्षणों में द्रवीभूत होते हैं, जबकि नदी की रेत, जिसके कण गोलाई और वृत्ताकारिता (जो कितने एक समान वृत्त आकार में होते है) में काँच के मनकों एवं कृत्रिम रूप से निर्मित रेत के बीच के होते हैं, इसके बाद द्रवीभूत होती है तथा उसके बाद वह निर्मित रेत आती है जिसका आकार अपेक्षाकृत अनियमित होता है।
- चूँकि नियमित आकार वाली प्राकृतिक रेत आसानी से द्रवीभूत हो जाती है, संरचनाओं के स्थायित्व और स्थिरता के लिये ढलानों एवं दीवारों के निर्माण में प्राकृतिक रेत के स्थान पर अनियमित आकार वाली रेत का उपयोग किया जा सकता है।

स्थायित्व और स्थिरता के लिये अनियमित आकार वाली रेत कणों का प्रयोग क्यों ?

- **अधिक अपरूपण बल आवश्यक:**
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि अंतर-कण आबंधन को तोड़ने के लिये आवश्यक अपरूपण बल (संरचना के एक हिस्से को किसी एक विशिष्ट दिशा में और उसी संरचना के दूसरे हिस्से को विपरीत दिशा में धकेलने वाला बल) अपेक्षाकृत अनियमित आकार वाले कणों के लिये अधिक होता है।
- **अंतर-कण लॉकिंग:**
  - जैसे-जैसे कणों का आकार अनियमित होने लगता है, उनका समग्र रूप एक गोले के बजाय तीखे कोने वाला होने लगता है और वे अपरूपण के दौरान एक-दूसरे के साथ संलग्न होकर जुड़ने लगते हैं।
  - ऐसे में इंटरलॉकिंग अपरूपण के लिये अतिरिक्त प्रतिरोध प्रदान करती है, इसीलिये अनियमित आकार वाले कणों के द्रव में तैरने के दौरान एक-दूसरे से अलग होने की प्रवृत्ति घट जाती है।
- **द्रव प्रवाह में विचलन:**
  - इसके अलावा प्रवाह की धीमी गति या द्रव प्रवाह में विचलन भी कणों के अनियमित आकार के साथ बढ़ता जाता है।

नोट :

- ग्रेटर टॉर्ट्यूसिटी निकासी नेटवर्क के माध्यम से जल प्रवाह को कम कर देता है और जल के माध्यम से रेत के कणों को अलग करने की आशंका को कम कर देता है, इस प्रकार यह भवनों एवं अन्य संरचनाओं को ढहने/ गिरने से रोकता है।

भूकंप:

- साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से है। यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं।
- भूकंप से उत्पन्न तरगों को भूकंपीय तरगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं तथा इन्हें 'सिस्मोग्राफ' (Seismographs) द्वारा मापा जाता है।
- पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपोसेंटर (Hypocenter) कहलाता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरगें सबसे पहले पहुँचती है अधिकेंद्र (Epicenter) कहलाता है।
- भूकंप के प्रकार: फाल्ट ज़ोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप।

जाली नोटों में गिरावट

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि बैंकिंग प्रणाली में जाली मुद्रा का मूल्य वर्ष 2016-17 के 43.47 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2021-22 में लगभग 8.26 करोड़ रुपए हो गया।

जाली मुद्रा:

- जालसाज़ द्वारा अपने लाभ के लिये अवैध रूप से जाली मुद्रा का निर्माण करना एक प्रकार की जालसाज़ी है, जालसाज़ी के तहत किसी वस्तु की प्रतिकृति तैयार की जाती है ताकि जालसाज़ी की घटना को अंजाम दिया जा सके।
- मुद्रा की नकल करने के लिये आवश्यक उच्च स्तर के तकनीकी कौशल के कारण, जालसाज़ी को अन्य कृत्यों से अलग किया जाता है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए के तहत अलग अपराध के रूप में माना जाता है।
- जालसाज़ी सबसे पुराने तरीकों में से एक है जिसका उपयोग जालसाज़ों द्वारा लंबे समय से लोंगों को धोखा देने के लिये किया जाता रहा हैं।

जालसाज़ी से खतरा:

- **आर्थिक आतंकवाद:**
  - FICN (नकली भारतीय करेंसी नोट) भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिये बाहरी स्रोतों द्वारा प्रचालित "आर्थिक आतंकवाद" के रूप में देखा जा सकता है।
  - आर्थिक आतंकवाद राज्य या गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था में पर्दे के पीछे होने वाले हेरफेर को संदर्भित करता है।
  - FICN का प्रचलन भारत की अर्थव्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करता है, जबकि इससे होने वाले लाभ का उपयोग भारत को लक्षित गुप्त आपराधिक गतिविधियों को निधि देने के लिये किया जाता है।
- **मुद्रास्फीति:**
  - बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा के प्रचलन से बाज़ार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है।
  - मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी हो जाती है, फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।
  - इससे मुद्रा का अवमूल्यन/मूल्यह्रास होता है।
- **क्षति की गैर-प्रतिपूर्ति:**
  - बैंकों की गैर-प्रतिपूर्ति नीति समस्या तब उत्पन्न करती है, जब बैंक जाली नोटों को अस्वीकार कर देते हैं और नुकसान की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं।
  - दैनिक नकद लेन-देन में शामिल फर्मों को अर्थव्यवस्था में FICN की घुसपैठ के कारण लंबे समय में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
- **जन विश्वास में कमी:**
  - जाली मुद्रा के अन्य प्रभावों में जनता के विश्वास में कमी, उत्पादों की कालाबाज़ारी, उत्पादों का अवैध स्टॉकिंग आदि शामिल हैं।

जाली मुद्रा को नियंत्रित करने के उपाय:

- **विमुद्रीकरण:**
  - 8 नवंबर, 2016 को अवैध लेन-देन के लिये उच्च मूल्य के नोटों के उपयोग को हतोत्साहित करने और जालसाज़ी पर अंकुश लगाने हेतु मुद्रा प्रणाली से 500 एवं 1,000 रुपए के नोट परिचालन से वापस ले लिये गए थे।
  - विमुद्रीकरण से तात्पर्य लीगल टेंडर के रूप में जारी मुद्रा इकाई को वापस लेने की प्रक्रिया है।
- **द्वि-लुमिनसेंट सुरक्षा स्याही:**
  - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक द्वि-लुमिनसेंट सुरक्षा स्याही विकसित की है जो नोटों में दो अलग-अलग स्रोतों द्वारा प्रकाशित होने पर लाल एवं हरे रंगों को प्रदर्शित करती है।

नोट :

- **टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल:**
  - आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा के मामलों की जाँच के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के तहत एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल का गठन किया गया है।
- **FICN समन्वय समूह:**
  - जाली नोटों के प्रचलन की समस्या का मुकाबला करने के लिये केंद्र /राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया/सूचना साझा करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा FICN समन्वय समूह (FCORD) का गठन किया गया है।
- **जाली नोटों की समस्या से निपटने को भारत-बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन:**
  - नकली नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने तथा उनका मुकाबला करने के लिये भारत तथा बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - साथ ही नई निगरानी तकनीक का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को मज़बूत किया गया है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित उपग्रह आज़ादीसैट (AzaadiSAT) को लेकर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) की पहली उड़ान शुरू की थी।

- हालाँकि यह मिशन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रहा और उपग्रह जो कि पहले से ही प्रक्षेपण यान से अलग हो चुके थे, उनके मध्य संपर्क टूट गया।

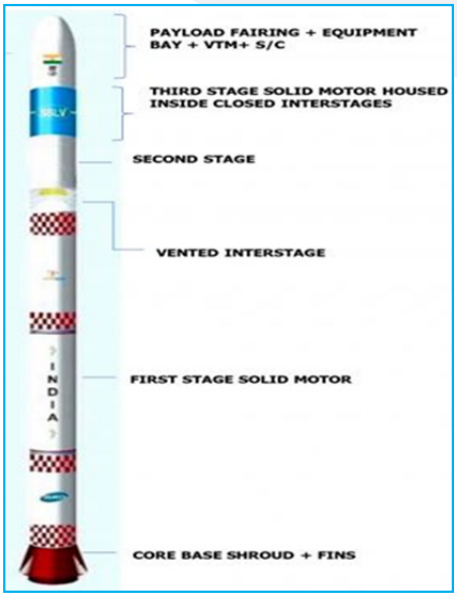

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान:

- **परिचय:**
  - लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) एक तीन चरण का प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों और एक तरल प्रणोदन-आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है।
    - SSLV का व्यास 2 मीटर और लंबाई 34 मीटर है, जिसका भार लगभग 120 टन है।
    - SSLV सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से 500 किमी. की ऊँचाई की समतल कक्षीय तल में 500 किलोग्राम उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - निम्न लागत
  - कम टर्न-अराउंड समय
  - अनेक उपग्रहों को समायोजित करने में सक्षम
  - लॉन्च मांग व्यवहार्यता
  - न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता
- **महत्त्व:**
  - **लघु उपग्रहों का युग:**
    - पूर्व में बड़े उपग्रह पेलोड को महत्त्व दिया जाता था, लेकिन जैसे-जैसे इस क्षेत्र में विकास हुआ, इसमें कई निजी हितधारक जैसे- व्यवसाय क्षेत्र, सरकारी एजेंसियाँ, विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रयोगशालाएँ अपने उपग्रह भेजने लगे।
    - ये सभी अधिकतर लघु उपग्रहों की श्रेणी में आते हैं।
  - **मांग में वृद्धि:**
    - अंतरिक्ष-आधारित डेटा, संचार, निगरानी और वाणिज्य की लगातार बढ़ती आवश्यकता के कारण पिछले आठ से दस वर्षों में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
  - **लागत में कमी:**
    - उपग्रह निर्माताओं और संचालकों को अब महीनों इंतजार करने या अत्यधिक यात्रा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
    - इसलिये ये संगठन तेज़ी से अंतरिक्ष में उपग्रहों का एक समूह विकसित कर रहे हैं।
    - स्पेसएक्स के स्टारलिंक और वन वेब जैसी परियोजनाएँ सैकड़ों उपग्रहों के एक समूह को जोड़ने का कार्य कर रही हैं।

नोट :

- **व्यवसाय के अवसर:**
  - मांग में वृद्धि के साथ रॉकेट को वहनीय लागत के साथ कई बार लॉन्च किया जा सकता है, यह इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों को इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने हेतु एक व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है क्योंकि इससे संबंधित अधिकांश मांग उन कंपनियों द्वारा की जाती है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये उपग्रह लॉन्च करते हैं।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान- D1/EOS -02 मिशन:

- इसका उद्देश्य लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के बाज़ार में एक बड़ी भागीदारी हासिल करना था, क्योंकि यह उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित कर सकता था।
- इस मिशन के तहत दो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना थी-
  - पहला EOS-2 पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह, यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है।
    - यह माइक्रोसैट उपग्रह श्रृंखला उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के साथ इन्फ्रा-रेड बैंड में संचालित उन्नत ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग प्रदान करती है।
  - दूसरा, आज़ादीसैट छात्र उपग्रह, यह 8U क्यूबसैट है जिसका वज़न लगभग 8 किलोग्राम है।
    - यह लगभग 50 ग्राम वज़न के 75 अलग-अलग पेलोड वहन करता है और फेमटो-एक्सपेरिमेंट करता है।
    - इसने छोटे-छोटे प्रयोग किये जो अपनी कक्षा में आयनकारी विकिरण को माप सकते थे और ट्रांसपोंडर जो ऑपरेटरों को इसे पहुँच प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु हैम रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करता था।
    - देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को इन पेलोड के निर्माण के लिये मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
    - पेलोड को "स्पेस किड्ज़ इंडिया" के विद्यार्थियों की टीम द्वारा एकीकृत किया गया है।

चुनौतियाँ:

- SSLV के टर्मिनल चरण में समस्या प्रतीत होती है, जिसे वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) कहा जाता है।
  - लॉन्च प्रोफाइल के अनुसार, VTM को लॉन्च के बाद 653 सेकंड में से 20 सेकंड के लिये जलना चाहिये।
    - हालाँकि यह केवल 0.1 सेकंड के लिये जला और रॉकेट को अपेक्षित ऊँचाई पर ले जाने में असफल हो गया।
- VTM के जलने के बाद दो उपग्रह वाहन से अलग हो गए, सेंसर की खराबी के परिणामस्वरूप उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा के बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया था।
- इसरो के अनुसार, सभी चरणों में सामान्य रूप से प्रदर्शन किया गया, दोनों उपग्रहों को इंजेक्ट किया गया लेकिन प्राप्त कक्षा अपेक्षा से कम थी, जो इसे अस्थिर बनाती है।

वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में अंतर:

- **दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएँ:**
  - ज़्यादातर वस्तुएँ जैसे उपग्रह और अंतरिक्ष यान केवल अस्थायी रूप से दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में रखे जाते हैं।
  - फिर उन्हें या तो अधिक ऊँचाई पर गोलाकार कक्षाओं में भेज दिया जाता है या त्वरण तब तक बढ़ा दिया जाता है जब तक कि प्रक्षेपवक्र दीर्घवृत्त से अतिपरवलय में परिवर्तित नहीं हो जाता है और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकल जाता है - उदाहरण के लिये चंद्रमा या मंगल या उससे अधिक दूर।
- **वृत्ताकार कक्षाएँ**
  - पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को अधिकतर वृत्ताकार कक्षाओं में रखा जाता है।
  - एक कारण यह है कि यदि उपग्रह का उपयोग पृथ्वी की इमेजिंग के लिये किया जाता है, तो पृथ्वी से एक निश्चित दूरी होने के कारण यह आसान हो जाता है।
  - यदि दूरी एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की तरह बदलती रहती है, तो कैमरों को केंद्रित करना जटिल हो सकता है।

विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) उत्सर्जन

हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्तर के कारण पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (EMF) उत्सर्जन:

- **परिचय:**
  - विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य विद्युत और चुंबकीय बल के क्षेत्रों का एक संयोजन है।
    - विद्युत क्षेत्र वोल्टेज में अंतर से निर्मित होते हैं: वोल्टेज जितना अधिक होगा परिणामी क्षेत्र उतना ही मज़बूत होगा।
    - जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं: जितना अधिक विद्युत धारा होगी उतनी ही मज़बूत चुंबकीय क्षेत्र होगा।
  - **EMF के प्राकृतिक स्रोत:**
    - विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारे पर्यावरण में हर जगह मौजूद हैं लेकिन मानव आँखों के लिये अदृश्य हैं।

नोट :

- वातावरण में विद्युत आवेशों के गरज-चमक से स्थानीय रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं।

◆ **EMF के मानव निर्मित स्रोत:**

- प्राकृतिक स्रोतों के अलावा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मानव निर्मित स्रोतों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र भी शामिल हैं: दुर्घटना के बाद टूटे हुए अंग का निदान करने के लिये एक्स-रे का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक पावर सॉकेट से निकलने वाली विद्युत कम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से जुड़ी होती है।
- टीवी एंटेना, रेडियो स्टेशनों या मोबाइल फोन बेस स्टेशनों के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।

- **मुद्दे:**

◆ **मानव पर प्रभाव:**

- कई विश्वव्यापी अध्ययन ईएमएफ को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ल्यूकेमिया, गर्भपात, पुरानी थकान, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, विस्मृति, अवसाद, मतली और कामेच्छा में कमी इत्यादि से जोड़ते हैं।

◆ **पर्यावरण पर प्रभाव:**

- रडारों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने के लिये किया जाता है जो स्पंदित माइक्रोवेव संकेतों का उत्सर्जन करता है जो इन राडार के आसपास मौजूद वनस्पतियों और जीवों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं।

EMF उत्सर्जन पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा की गई पहल:

- सरकार के अनुसार, मोबाइल टावरों से EMF उत्सर्जन गैर-आयनीकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं जिनमें बहुत कम शक्ति होती है और ये किसी भी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को पैदा करने में असमर्थ होते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अंतर्राष्ट्रीय EMF परियोजना ने पशुओं, कीड़ों, वनस्पतियों और जलीय जीवन पर EMF उत्सर्जन के प्रभाव पर वर्ष 2005 में एक सूचना पत्र प्रकाशित किया और निष्कर्ष निकाला है कि गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण (ICNIRP) में जोखिम सीमा मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा दिशा-निर्देश भी पर्यावरण के लिये सुरक्षात्मक हैं।
  - भारत में मोबाइल टावरों से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (EMF) उत्सर्जन के मौजूदा मानदंड पहले से ही ICNIRP द्वारा निर्धारित और WHO द्वारा अनुशंसित सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक कठोर (यहाँ तक कि कम) हैं।
- सरकार ने किसी भी उल्लंघन की निगरानी के लिये एक अच्छी तरह से संरचित प्रक्रिया और तंत्र स्थापित किया है ताकि दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) साइट की व्यावसायिक शुरुआत से पहले एक स्व-प्रमाण पत्र जमा करने सहित निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं।
- दूरसंचार विभाग (DoT) की क्षेत्रीय इकाइयाँ नियमित रूप से यादृच्छिक आधार पर वार्षिक 10% तक BTS साइटों का EMF ऑडिट करती हैं।
  - DoT उन TSPs पर वित्तीय जुर्माना भी लगाता है जिनके BTS निर्धारित EMF उत्सर्जन सीमा से अधिक पाए जाते हैं।
- इसके अलावा यदि ऐसे गैर-अनुपालन वाले BTS के उत्सर्जन स्तर 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा के भीतर नहीं लाए जाते हैं, तो इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बंद किया जा सकता है।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

जुलाई, 2022 में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) से 457 करोड़ रुपए का शुद्ध बहिर्वाह हुआ क्योंकि निवेशकों ने पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन रणनीति (Portfolio Rebalancing Strategy) के हिस्से के रूप में अन्य परिसंपत्ति वर्गों में अपना पैसा निवेश किया।

- यह जून 2022 में 135 करोड़ रुपए के शुद्ध अंत: प्रवाह की तुलना में था।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

- **परिचय:**
  - स्वर्ण/गोल्ड ETF (जिसका उद्देश्य घरेलू भौतिक सोने की कीमत को आंकलन करना है) निष्क्रिय निवेश साधन हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं तथा सोने को बुलियन में निवेश करते हैं।
  - गोल्ड ETF भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ हैं जो कागज या डीमैट रूप में हो सकती हैं।
    - एक गोल्ड ETF इकाई 1 ग्राम सोने के बराबर होती है और इसमें उच्च शुद्धता का भौतिक सोना होता है।
    - वे स्टॉक निवेश के लचीलेपन और सोने के निवेश की सहजता को संयोजित करते हैं।
- **लाभ:**
  - ETF की हिस्सेदारी में पूरी पारदर्शिता है।
  - गोल्ड ETF में भौतिक सोने के निवेश की तुलना में बहुत कम खर्च होता है।
  - ETFs पर संपत्ति कर, सुरक्षा लेनदेन कर, वैट और बिक्री कर नहीं लगाया जाता है।

नोट :

- ETF सुरक्षित और संरक्षित होने के कारण चोरी का कोई डर नहीं है क्योंकि धारक के डीमैट खाते में इकाइयाँ होती हैं।

बहिर्वाह के कारण:

- बढ़ती ब्याज़ दर चक्र के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है।
  - सोने की कीमत में गिरावट का सीधा प्रभाव गोल्ड ईटीएफ प्रवाह पर पड़ा है।
- रुपए का अवमूल्यन एक अन्य कारक है जिसने सोने की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित किया है।
- यह विश्व स्तर पर भी देखा गया है कि गोल्ड ईटीएफ ने सोने की गिरती कीमतों के कारण महत्त्वपूर्ण बहिर्वाह दर्ज किया है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

- एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) प्रतिभूतियों की एक बास्केट है जो स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर व्यापार करती है।
- ETF बीएसई सेंसेक्स की तरह एक सूचकांक की संरचना को दर्शाता है। इसका ट्रेडिंग मूल्य अंतर्निहित शेयरों (जैसे शेयर) के नेट एसेट वैल्यू (NAV) पर आधारित होता है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है।
- ETF शेयर की कीमतों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि इसे खरीदा और बेचा जाता है। यह म्युचुअल फंड से अलग है जिसका बाज़ार बंद होने के बाद दिन में केवल एक बार व्यापर होता है।
- एक ETF विभिन्न उद्योगों में सैकड़ों या हज़ारों शेयर रख सकता है, या फिर उसे किसी एक विशेष उद्योग या क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- बॉण्ड ईटीएफ एक प्रकार के ईटीएफ हैं जिनमें सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड और राज्य तथा स्थानीय बॉण्ड शामिल हो सकते हैं - जिन्हें म्युनिसिपल बॉण्ड कहा जाता है।
  - बॉण्ड एक ऐसा साधन है जो एक निवेशक द्वारा एक उधारकर्त्ता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गये ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।
- लागत प्रभावी होने के अलावा, ETF निवेशकों को विविध निवेश पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं।

पेनिनसुलर रॉक 'अगम'

हाल ही में, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरु के शोधकर्त्ताओं द्वारा उन विभिन्न पर्यावरणीय कारकों (शहरीकरण सहित) को समझने के लिये एक अध्ययन किया गया है जो पेनिनसुलर रॉक अगम/दक्षिण भारतीय अगम की उपस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

पेनिनसुलर रॉक अगम:

- **परिचय:**
  - पेनिनसुलर रॉक अगम (वैज्ञानिक नाम– समोफिलस डॉर्सालिस) एक प्रकार की उद्यान छिपकली है, जिसकी उपस्थिति दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से देखी जा सकती है।
  - इस छिपकली का आकार अपेक्षाकृत रूप से बड़ा है, जो नारंगी और काले रंग की होती है।
  - ये अपने शरीर से ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिये इन्हें बाह्य स्रोतों जैसे सूर्य के प्रकाश से गर्म चट्टानों अथवा मैदानों से ऊष्मा प्राप्त करनी पड़ती है।
- **भूगोल:**
  - यह मुख्य रूप से भारत (एशिया) में पाई जाती है।
    - भारतीय राज्य तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार छिपकली की बहुतायत आबादी देखी जाती है।
- **प्राकृतिक वास:**
  - यह प्रीकोसियल प्रजाति के अंतर्गत आता है।
    - प्रीकोशियल प्रजातियाँ वे हैं जिनमें जन्म के क्षण से ही युवा अपेक्षाकृत परिपक्व और घूमने-फिरने में सक्षम होते हैं।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट : कम
  - वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन : लागू नहीं
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 : लागू नहीं

छिपकली के बारे में:

- रॉक आगामा संकेत कर सकती है कि शहर के कौन से हिस्से गर्म हो रहे हैं और उनकी संख्या बताती है कि खाद्य जाल कैसे बदल रहा है।

नोट :

- छिपकलियों को बाहरी स्रोतों जैसे गर्म चट्टान या दीवार पर धूप वाले स्थान से गर्मी की तलाश होती है क्योंकि वे अपने शरीर से गर्मी उत्पन्न नहीं करती हैं।

- ये छिपकलियाँ कीड़े खाती हैं तथा स्वयं रैप्टर, साँप और कुत्तों द्वारा खा ली जाती हैं, वे उन जगहों पर नहीं रह सकतीं जहाँ कीड़े नहीं होते हैं।
  - कीड़े स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्त्वपूर्ण घटक हैं क्योंकि वे परागण सहित कई सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - इसलिये रॉक आगमों की उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य पहलुओं को समझने हेतु महत्त्वपूर्ण मॉडल प्रणाली प्रस्तुत करता है।

न्यू स्टार्ट संधि

हाल ही में, रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों और कोरोनावायरस संक्रमण के कारण वाशिंगटन के साथ हस्ताक्षरित न्यू स्टार्ट संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये जाने वाली ऑन-साइट निरीक्षण की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है।

न्यू स्टार्ट संधि:

- नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (Strategic Arms Reduction Treaty- START) शीत युद्ध के पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के मध्य होने वाली अंतिम शेष हथियार न्यूनीकरण संधि थी, जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात किये जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को 1,550 तक सीमित करती है।
- यह संधि 5 फरवरी, 2011 को लागू हुई थी।
- यह 700 रणनीतिक लॉन्चर और 1,550 ऑपरेशनल वारहेड्स की मात्रा को दोनों पक्षों के लिये सीमित कर अमेरिकी और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को न्यूनीकृत करने की द्विपक्षीय प्रक्रिया को जारी रखती है।
- इसकी अवधि दस साल यानी वर्ष 2021 तक थी, जिसे पाँच साल और बढ़ाकर वर्ष 2026 तक कर दिया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न संधियाँ:

- **सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता-1 (SALT):**
  - यह अंतरिम समझौते के तहत, वर्ष 1969 में शुरू हुआ था, दोनों पक्षों ने नए इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) साइलो का निर्माण नहीं करने, मौजूदा ICBM साइलो के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं करने और सबमरीन-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) ट्यूब और एसएलबीएम ले जाने वाली पनडुब्बियाँ तथा लॉन्च की संख्या को सीमित करने का संकल्प लिया।
- **सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि-1 (START):**
  - वर्ष 1991 में हस्ताक्षर किये गये समझौते के लिये अतिरिक्त डिलीवरी वाहनों के विनाश की आवश्यकता थी जो एक घुसपैठ सत्यापन शासन का उपयोग करके सत्यापित किया गया था, जिसमें साइट पर निरीक्षण, सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान (टेलीमेट्री सहित), और राष्ट्रीय तकनीकी साधनों (यानी, उपग्रहों) का उपयोग शामिल था।
- **सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि-2:**
  - वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित, तैनात रणनीतिक शस्त्रागार को 3,000-3,500 वारहेड्स तक कम करने का आह्वान किया और कई-वारहेड भूमि-आधारित मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **सामरिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि (SORT):**
  - वर्ष 2004 में हस्ताक्षर किये गए, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने अपने रणनीतिक शस्त्रागार को घटाकर 1,700-2,200 वारहेड कर दिया।
- **सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (START):**
  - वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित कानूनी रूप से बाध्यकारी, सत्यापन योग्य समझौता, जो प्रत्येक पक्ष को 700 रणनीतिक वितरण प्रणालियों (ICBMs, SLBMs, और भारी बमवर्षक) पर तैनात 1,550 रणनीतिक परमाणु हथियार तक सीमित करता है और तैनात एवं गैर-तैनात लॉन्चरों को 800 तक सीमित करता है।

रूस द्वारा निरीक्षण को निलंबित करने का कारण:

- पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस के लिये अमेरिकी धरती पर निरीक्षण करना मुश्किल है, जिसमें रूसी विमानों के लिये हवाई क्षेत्र को बंद करना और वीज़ा प्रतिबंध शामिल हैं।
- इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोनावायरस मामलों के बढ़ने की ओर भी इशारा किया।

वर्ल्ड लॉयन डे, 2022

शेरों और उनके संरक्षण के संदर्भ में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 10 अगस्त को 'वर्ल्ड लॉयन डे' मनाया जाता है।

वर्ल्ड लॉयन डे/विश्व शेर दिवस एवं इसका महत्त्व:

- **परिचय:**
  - वर्ल्ड लॉयन डे/विश्व शेर दिवस का उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता का विस्तार और उनके संरक्षण के लिये प्रयास करने के साथ सभी लोगों को "शेरों का उनके प्राकृतिक आवास में महत्त्व" के संदर्भ में जागरूक करना है।

नोट :

- शेरों के संरक्षण की पहल वर्ष 2013 में शुरू हुई थी और इसी वर्ष पहला 'विश्व शेर दिवस' भी आयोजित किया गया था।

- **महत्त्व:**
  - पारिस्थितिक चक्र में शेरों के स्थान या महत्त्व को समझने का अवसर एवं साथ ही उनका विलुप्त होना मनुष्यों के लिये खतरनाक संकेत हो सकता है।
  - शेर लगभग तीन मिलियन वर्ष पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व में पाए जाते थे, हालाँकि पाँच दशकों के दौरान उनकी संख्या में लगभग 95% की कमी आई है।

शेर:

- **वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा लियो**
  - शेर को दो उप-प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है: अफ्रीकी शेर (पैंथेरा लियो लियो) और एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका)।
    - एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की अपेक्षाकृत छोटे होते हैं।
    - एशियाई शेरों में पाए जाने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण रूपात्मक विशेषता यह है कि उनके पेट की त्वचा पर विशिष्ट लंबवत फोल्ड होते हैं। यह विशेषता अफ्रीकी शेरों में काफी दुर्लभ होती है।
- **प्राणिजगत में शेरों की भूमिका**
  - शेर वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वह अपने आवास का शीर्ष शिकारी है, जो चरवाहों की आबादी को नियंत्रित कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
  - शेर अपने शिकार की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके बीच लचीलापन बनाए रखने में भी योगदान देते हैं, क्योंकि वे झुंड के सबसे कमज़ोर सदस्यों को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शिकार आबादी में रोग नियंत्रण में मदद करता है।
- **खतरा:**
  - अवैध शिकार, एक स्थान पर रहने वाली एक ही तरह की आबादी से उत्पन्न आनुवंशिक अंतर्प्रजनन, रोग जैसे- प्लेग, कैनाइन डिस्टेंपर या प्राकृतिक आपदा।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: संवेदनशील
    - एशियाई शेर: संकटग्रस्त
  - CITES: भारतीय आबादी के लिये परिशिष्ट- I एवं अन्य सभी आबादी परिशिष्ट- II
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I
- **भारत में स्थिति:**
  - भारत एशियाई शेरों का घर है, जो सासन-गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात) के संरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं।
  - वर्ष 2020 के आँकड़ों के मुताबिक भारत में शेरों की संख्या 674 है, जिनकी संख्या वर्ष 2015 में 523 थी।

संरक्षण के प्रयास:

- प्रोजेक्ट लायन
- एशियाई शेर संरक्षण परियोजना

बटरफ्लाई माइन

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के अपने इंटेलिजेंस असेसमेंट में डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क में रूसी सेना द्वारा PFM-1 शृंखला 'बटरफ्लाई माइन' के संभावित उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है।

इंटेलिजेंस असेसमेंट

- रूस ने डोनबास (डोनेट्स्क और लुहान्स्क) में अपनी रक्षात्मक सीमाओं के साथ स्वतंत्र संचलन को रोकने के लिये एंटी-पर्सनल माइंस को तैनात किया है।
  - इन माइंस में व्यापक स्तर पर सैन्य और स्थानीय नागरिक आबादी के हताहत होने की क्षमता है।
- रूस ने डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क में संभवत: PFM-1 और PFM-1S के योग्य एंटी-कार्मिक माइंस के नियोजन का प्रयास किया है।
  - PFM-1 और PFM-1S को आमतौर पर 'बटरफ्लाई माइन' या 'ग्रीन पैरट' के रूप में जाना जाता है।
    - यह नाम माइंस के आकार और रंग के आधार पर रखे गए हैं।

नोट :

बटरफ्लाई माइन:

- **परिचय:**
  - यह अत्यंत संवेदनशील एंटी-पर्सनल बारूदी सुरंग है।
  - 5 किलो का एक प्रयुक्त पेलोड, खदान में विस्फोट करने के लिये पर्याप्त है।
  - छोटे बच्चों के लिये भी यह बेहद खतरनाक है।
  - PFM-1 और PFM-1S के बीच बड़ा अंतर यह है कि PFM-1S एक स्व-विनाशक तंत्र है जो 1 से 40 घंटों के भीतर सक्रिय हो जाता है।
- **उपयोग:**
  - इन्हें हेलीकॉप्टरों से या तोपखाने और मोर्टार के गोले का उपयोग करके बैलिस्टिक प्रसार की भाँति गिराया जा सकता है।
    - ये बिना विस्फोट किये धरातल पर गिरते हैं और धरातल के संपर्क में आने से विस्फोट करते हैं।
- **खोज:**
  - इन माइंस का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी होती हैं और इन्हें मेटल डिटेक्टर से नहीं ढूँढा जा सकता है।
- **तकनीकी विनिर्देश:**
  - ये पॉलीथीन प्लास्टिक से बनाये जाते हैं और इनमें विंग्स के समान संरचना होती हैं, जिसका एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा भारी होता है।
    - भारी भाग मुख्य फ्यूज़ के लिये दबाव सक्रियण है जो केंद्रीय निकाय में निहित होता है।
- **एंटी-पर्सनल माइंस पर कन्वेंशन:**
  - लैंड माइंस पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा एंटी-पर्सनल माइंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन रूस और यूक्रेन इसके हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं हैं।
  - कुछ पारंपरिक हथियारों के कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस प्रोटोकॉल के लिये वर्ष 1996 का संशोधित प्रोटोकॉल II है, जिस पर रूस और यूक्रेन हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।

लैंग्या वायरस

कोविड-19 और मंकीपॉक्स के मामलों के बीच एक नए जूनोटिक लैंग्या हेनिपावायरस ने चिंता बढ़ा दी है।

- लैंग्या वायरस का पहला मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। लैंग्या वायरस को जैव सुरक्षा स्तर-4 (BSL4) रोगजनकों के बीच वर्गीकृत किया गया है।

जैव सुरक्षा स्तर

- BSL का उपयोग श्रमिकों, पर्यावरण और जनता की सुरक्षा के लिये प्रयोगशाला सेटिंग में आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की पहचान करने हेतु किया जाता है।
- जैविक प्रयोगशालाओं में संचालित गतिविधियों और परियोजनाओं को जैव सुरक्षा स्तर द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।
- चार जैव सुरक्षा स्तर BSL-1, BSL-2, BSL-3 और BSL-4 हैं, जिसमें BSL-4 उच्चतम (अधिकतम) स्तर का नियंत्रण है।

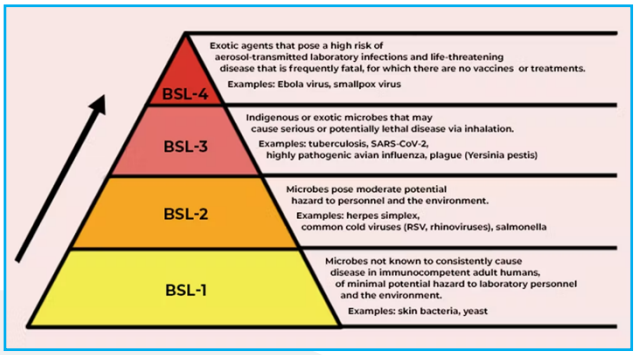

लैंग्या वायरस

- **परिचय:**
  - लैंग्या वायरस एक जूनोटिक वायरस है जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है।
  - लैंग्या जीनस हेनिपावायरस का हिस्सा है, जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम एक नकारात्मक अभिविन्यास के साथ है।
    - हेनिपावायरस पैरामिक्सोविरिने की अद्वितीय विशेषताएँ उनके बड़े जीनोम हैं, लंबे समय तक अपरिवर्तित क्षेत्र यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ज़ूनोसिस का उभरता हुआ कारण है।
- **नोवल लैंग्या वायरस:**
  - नया खोजा गया लैंग्या वायरस 'फाइलोजेनेटिक रूप से अलग हेनिपावायरस' है।
  - पहले खोजे गए हेनिपावायरस प्रकार के अन्य वायरस मोजियांग, घनियन, सीडर, निपाह और हेंड्रा हैं।
    - इनमें से निपाह और हेंड्रा को मनुष्यों में घातक बीमारियों का कारण माना जाता है।
  - लैंग्या का जीनोम संगठन "अन्य हेनिपावायरस के समान" है और यह "मोजियांग हेनिपावायरस" से निकटता से संबंधित है, जिसे दक्षिणी चीन में खोजा गया था।
- **लक्षण:**
  - बुखार, थकान, खाँसी, जी मिचलाना, सिरदर्द, भूख न लगना आदि।
- **उपचार:**
  - मनुष्यों के लिये कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएँ या टीके नहीं हैं।

लैंग्या वायरस का प्रभाव:

- गंभीर संक्रमण के मामले में लैंग्या वायरस संभावित रूप से मनुष्यों के लिये घातक हो सकता है।
- लैंग्या, विषाणुओं के उसी परिवार से संबंधित है जिससे घातक निपाह विषाणु संबंधित है जो आमतौर पर चमगादड़ों में पाया जाता है।

नोट :

रैपिड फायर

मुस्लिम महिला अधिकार

1 अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस (Muslim Women Rights Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1 अगस्त को तीन तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त, 2019 को संसद से मंज़ूरी मिली थी। तीन तलाक बिल, मुस्लिम महिलाओं को तलाक की शर्तों की सामाजिक बुराई की बेड़ियों से मुक्त करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। शाह बानो बेगम एवं अन्य बनाम मो. अहमद खान' तथा 'शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य' ने इस कदम की आधारशिला रखी। शायरा बानो ने अपनी रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से तीन प्रथाओं तलाक-ए-बिद्दत, बहुविवाह, निकाह-हलाला को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 तथा अनुच्छेद 25 के उल्लंघन के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। तीन तलाक कानून ने 'तीन तलाक' को एक आपराधिक कृत्य घोषित किया। इस कानून को एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जाता है क्योंकि इसने 'तलाक' की प्रथा को कानूनी रूप से अपराध घोषित करके लैंगिक असमानता के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया। इसलिये इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कानून महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करता है क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को मज़बूत करता है। तीन तलाक कानून के तहत तलाक की घोषणा को संज्ञेय अपराध (cognizable offence) माना जाएगा। इस कानून में जुर्माने के साथ-साथ 3 साल के कैद की सज़ा का प्रावधान है। मिस्र वर्ष 1929 में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था। मिस्र के बाद सूडान, पाकिस्तान (वर्ष 1956 में), मलेशिया (वर्ष 1969 में), बांग्लादेश (वर्ष 1972 में), इराक (वर्ष 1959 में) और सीरिया (वर्ष 1953 में) में भी तीन तलाक को प्रतिबंधित किया गया है। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ईरान, साइप्रस, कतर, जॉर्डन, ब्रुनेई, अल्जीरिया तथा साथ ही भारत ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कानून पारित होने के बाद से तीन तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है।

शहीद उधम सिंह

हाल ही में प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि 31 जुलाई, 2022 को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिये न्यौछावर कर दिया। उधम सिंह वर्ष 1899 में पंजाब के संगरूर ज़िले के सुनाम में पैदा हुए, उन्हें 'शहीद-ए-आजम' सरदार उधम सिंह भी कहा जाता है जिसका अर्थ है 'महान शहीद'। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला हत्याकांड से प्रभावित होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीति में सक्रिय हो गए। वे भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। वे वर्ष 1924 में औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों को संगठित करने के लिये गदर पार्टी में शामिल हुए। वर्ष 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये सहयोगियों और हथियारों के साथ भारत लौटते समय उन्हें अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तथा पाँच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। 13 मार्च, 1940 को उधम सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कैक्सटन हिल में एक बैठक में जनरल डायर के स्थान पर माइकल ओ'डायर को गोली मार दी। उधम सिंह को मौत की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई, 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।

इंडिया हाउस

हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (RIL) ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के साथ भागीदारी की है। RIL-IOA साझेदारी भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही साझेदारी भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने एवं वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में भारत की साख का निर्माण करने में सहयोग करेगी। RIL एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक खेलों जैसे प्रमुख बहु-खेल आयोजनों में भारतीय एथलीटों का भी सहयोग करेगी। इसके अलावा भारत, पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले जून 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वें प्रतिष्ठित IOC सत्र की मेज़बानी करेगा। खेल शासन के भारतीय मॉडल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राज्य ओलंपिक संघ (SOA), राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) जैसे कई हितधारक शामिल हैं।

पिंगली वेंकैया

संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में 02 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी। हालाँकि प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमश: हिंदू तथा मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। किंतु बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग (सफेद) को भी शामिल किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 4 जुलाई, 1963 को पिंगली वेंकैया की मृत्यु हो गई। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिये उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा एवं हर घर तिरंगा गीत और वीडियो भी जारी किया जाएगा।

नोट :

अंडाल थिरुनाक्षत्रम

1 अगस्त, 2022 को अंडाल थिरुनाक्षत्रम और प्रसिद्ध तमिल संत कवि अंडाल की जयंती है, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तमिल महीने का पूरम दिवस अंडाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पूरम हिंदू ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से एक है। अंडाल 12 अलवार संतों में से एक मात्र महिला संत है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति के लिये समर्पित कर दिया था। माना जाता है कि उनका जन्म 7 वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान श्रीविल्लिपुथुर में हुआ था। उन्हें भूमि देवी (धरती माता) का भी अवतार माना जाता है। श्रीविल्लीपुथुर मंदिर अंडाल को समर्पित है।

'मिंजर मेला'

प्रधानमंत्री ने 31 जुलाई, 2022 को 'मन की बात' की 91वीं कड़ी में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत एकता की भावना को बढ़ावा देने में पारंपरिक मेलों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चंबा के 'मिंजर मेला' का जिक्र किया। हाल ही में इस मेले को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की भी घोषणा की गई है। दरअसल, मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को मिंजर कहते हैं। जब मक्के पर फूल खिलते हैं, तो मिंजर मेला मनाया जाता है और इस मेले में देश भर से पर्यटक हिस्सा लेने आते हैं। मिंजर मेला 935 ई. में त्रिगर्त (अब कांगड़ा के नाम से जाना जाने वाला) के शासक पर चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य में, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने विजयी राजा की वापसी पर लोगों ने उसका धान और मक्का की मालाओं से अभिवादन किया, जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। इस मेले की घोषणा के समय मिंजर का वितरण किया जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से पोशाक के कुछ हिस्सों पर पहना जाने वाला एक रेशम की लटकन है। यह तसली धान और मक्का के अंकुर का प्रतीक है जो वर्ष के श्रावण मास के आसपास उगते हैं। सप्ताह भर चलने वाला मेला तब शुरू होता है जब ऐतिहासिक चौगान में मिंजर ध्वज फहराया जाता है।

मालदीव गणराज्य

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 02 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार और घनिष्ठ मित्र है। सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। मालदीव के दक्षिणी और उत्तरी भाग में दो महत्त्वपूर्ण 'सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन' (Sea Lines Of Communication- SLOCs) स्थित हैं। ये SLOC पश्चिम एशिया में अदन और होर्मुज़ की खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरूमध्य के बीच समुद्री व्यापार प्रवाह के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और इसकी ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में इन SLOCs से होकर गुज़रता है। इसके अलावा भारत और मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) के सदस्य है। सरकार की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" के अनुसार, मालदीव जैसे स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण देश के विकास के लिये भारत एक प्रतिबद्ध भागीदार बना हुआ है।

लॉन बॉल टीम स्पर्द्धा

बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने चार पदक अपने नाम किये। महिला लॉन बॉल्स में इतिहास रचते हुए नयनमोनी सैकिया, पिक्की, लवली चौबे और रूपारानी तिर्की की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद टेबल टेनिस में भारत को जीत हासिल हुई, जब साथियान ज्ञानशेखरन, शरथ कमल, हरमीत देसाई और सनिल शेट्टी की टीम ने सिंगापुर को मात देकर एक और स्वर्ण पदक दिलाया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेलों के वर्ष 2022 के संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में किया गया था, जहाँ 11 देशों ने छह खेलों और 59 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये 400 एथलीटों को भेजा था। वर्ष 1930 से हर चार वर्ष के अंतराल पर (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 और वर्ष 1946 को छोड़कर) इन खेलों का आयोजन किया जाता है।

प्रेसिडेंट्स कलर्स

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को चेन्नई के राजारथिनम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में तमिलनाडु पुलिस के लिये "प्रेसिडेंट्स कलर्स" प्रदान किया गया। तमिलनाडु पुलिस "प्रेसिडेंट्स कलर्स" प्राप्त करने वाली भारत में कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक बन गई है। इस उपलब्धि हेतु सेवारत प्रत्येक पुलिस अधिकारी को एक पदक दिया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु पुलिस भारत में सबसे बेहतरीन पुलिस बलों में से एक है। यह अनुकरणीय सेवा देने हेतु प्रसिद्ध है। साथ ही तमिलनाडु भारत की पहली महिला कमांडो यूनिट को स्थापित करने वाला राज्य भी है। प्रेसिडेंट्स कलर्स भारत में किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार को निशान भी कहा जाता है, जो सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा उनकी वर्दी के बाएँ हाथ की आस्तीन पर पहने जाने वाले प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है।

श्रीमद राजचंद्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 04 जुलाई, 2022 को गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वलसाड ज़िले के धर्मपुर में श्रीमद

नोट :

राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल पर लगभग दो सौ करोड़ रुपए की लागत आई, जिसमें 250 बेड व अन्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इससे दक्षिणी गुजरात के लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल की भी आधारशिला रखेंगे। इस अस्पताल पर लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह अस्पताल पशुओं की देखभाल और उपचार के लिये पारंपरिक औषधि के साथ-साथ समग्र चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री महिलाओं के लिये श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केन्द्र की भी आधारशिला रखेंगे। यह उत्कृष्टता केन्द्र लगभग चालीस करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसमें स्वविकास कार्यक्रमों के अलावा मनोरंजन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और हज़ारों लोगों को आजीविका की व्यवस्था होगी।

सुरेश एन. पटेल

सुरेश एन0 पटेल ने 3 अगस्त, 2022 को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पद की शपथ ग्रहण की। सुरेश एन0 पटेल आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं जिन्हें अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था तथा 24 जून, 2022 से कार्यवाहक CVC के रूप में सेवारत थे । केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ज़िम्मेदार है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।

प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम

जनजातीय छात्रों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS), जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा सीबीएसई ने 3 अगस्त, 2022 को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिये 21वीं सदी के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का पहला चरण 20 नवंबर, 2021 को शुरू किया गया था जिसमें 6 राज्यों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में स्थित सीबीएसई और EMRS के 350 शिक्षकों ने भाग लिया था। दूसरे चरण में, 8 सप्ताह के पेशेवर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले चरण में शामिल राज्यों के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड के EMRS के 300 शिक्षकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 21वीं सदी के लिये प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम को शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिये एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है ताकि उन्हें कक्षा में शिक्षण को वास्तविक जीवन के अनुभवों के अनुकूल बनाने में मदद मिल सके। EMRS पूरे भारत में भारतीय जनजातियों (STs) के लिये मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शिंदे (नासिक) में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है। EMRS में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 अगस्त, 2022 को 'मिशन भूमिपुत्र' पोर्टल का अनावरण किया। इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाणपत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किये जाएंगे। आदिवासी मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित इस मिशन को जनता को आसान सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लागू किया गया है। यह मिशन जाति प्रमाणपत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली को खत्म कर देगा। आईटी एक्ट के तहत जाति प्रमाणपत्र अब डिजी लॉकर में प्राप्त हो सकेगा। इसे संबंधित उपायुक्तों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस पोर्टल का उपयोग कक्षा 8वीं के छात्र वर्ष 2023 से जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये कर सकते हैं। यह पोर्टल मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड के अनुरूप होगा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।

'राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम'

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत 4 अगस्त, 2022 को 'नशे से आज़ादी-राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से एक प्रमुख अभियान चला रहा है। इसे 15 अगस्त, 2020 को भारत के 272 ज़िलों में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार देश के सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली एक गंभीर समस्या है। नशा मुक्त भारत अभियान न केवल संस्थागत सहयोग पर बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से पहचाने गए ज़िलों में सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों (community outreach programmes) पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस अभियान के तहत सामाजिक न्याय और

नोट :

अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के लिये धन जुटाने तथा युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये स्कूलों तथा कॉलेजों में नशा मुक्ति अभियान को संचालित किया जाता है। इस अभियान में जागरूकता सृजन कार्यक्रम, समुदाय की आउटरीच और दवाओं पर निर्भर आबादी की पहचान, उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सेवा-प्रदाताओं के लिये क्षमता-निर्माण कार्यक्रम को शामिल किया गया हैं। नशीली दवा की माँग में कमी लाने के लिये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के सभी पहलुओं की निगरानी का कार्य करता है।

चिराग योजना

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग में चिराग योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने हेतु आर्थिक मदद देगी। चिराग योजना का अर्थ है "मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता और अनुदान"। अर्थात इस योजना के तहत दूसरी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिये निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने हेतु मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगी। वर्ष 2007 में भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार द्वारा शुरू की गई इसी तरह की योजना को बदल दिया गया है। यह योजना हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134 ए के अनुसार शुरू की गई थी लेकिन नए शिक्षा सत्र में राज्य सरकार नियम-134ए को खत्म कर उसकी जगह पर चिराग योजना को अपनाएगी। हालाँकि इस योजना की पात्रता हेतु माता-पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख रुपेए से कम होनी चाहिये।

ग्रैंड अनियन चैलेंज

उपभोक्ता कार्य विभाग ने प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिये 5 अगस्त, 2022 को शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, कुलपतियों, प्रोफेसरों, प्रख्यात संस्थानों के डीन, वरिष्ठ शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स के अधिकारियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों, परमाणु ऊर्जा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापारिक विभाग के अधिकारियों तथा कृषि, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले पेशेवरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उनसे "ग्रैंड अनियन चैलेंज" में शामिल होने का आग्रह किया। यह चैलेंज युवा व्यवसाइयों, प्रोफेसरों, उत्पाद तैयार करने में वैज्ञानिकों की भूमिका व कटाई से पूर्व की तकनीकों, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और देश में प्याज फसल की कटाई के बाद के कार्यों में प्रोटोटाइप की आवश्यकता तथा प्याज के परिवहन में सुधार के लिये नए विचारों की तलाश करता है। इस चैलेंज में निर्जलीकरण, प्याज के मूल्य निर्धारण और प्याज खाद्य प्रसंस्करण डोमेन में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिये नवीन विचारों की भी खोज की जाएगी। चैलेंज में देश के सर्वश्रेष्ठ विचारकों से उपरोक्त सभी क्षेत्रों में उनके सुझाव मांगे गए हैं।

वयोश्रेष्ठ सम्मान- 2022

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के राष्ट्रीय पुरस्कार वयोश्रेष्ठ सम्मान-2022 के लिये नामाकंन आमंत्रित किये हैं। 1 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार वरिष्ठ नागरिकों के लिये काम करने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को मनाने के लिये 1 अक्तूबर, 1999 को एक प्रस्ताव द्वारा इसे अपनाया था। वर्ष 2013 से 13 विभिन्न श्रेणियों में वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया जाता है। वयोश्रेष्ठ सम्मान की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2005 में की थी तथा इसे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में लाया गया। यह युवा पीढ़ी को समाज और राष्ट्र के निर्माण में बुज़ुर्गों के योगदान को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस पुरस्कार के लिये भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके स्वायत्त संगठनों से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं।

'माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो '

कपड़ा और रेल राज्य मंत्री ने हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये 5 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली (जनपथ) में 'माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी महिला सांसदों को जनपथ हाट में विशेष हथकरघा एक्सपो में आने और बुनकरों को प्रोत्साहित करने तथा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समृद्ध हथकरघा विरासत को देखने के लिये आमंत्रित किया था। यह प्रदर्शनी 11 अगस्त, 2022 तक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिये खुली रहेगी। यह विशेष हथकरघा एक्सपो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (NHDC) लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की एक पहल है। स्वदेशी आंदोलन जिसकी शुरुआत 7 अगस्त, 1905 को हुई थी, इसने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित कियाा। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2015 से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हथकरघा बुनाई कला के पारंपरिक मूल्य से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक क्षेत्र में इसकी उत्कृष्ट किस्में देखने को मिलती हैं। पोचमपल्ली, तंगलिया साड़ी, कोटा डोरिया, बनारसी, जामदानी, बलूचरी, इकत, कलमकारी आदि उत्पादों की विशिष्ट बुनाई, डिज़ाइन और पारंपरिक कला की विशिष्टता दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करती है।

जगदीप धनखड़

जगदीप धनखड़ 11 अगस्त, 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु का कार्यकाल 10 अगस्त, 2022 को समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार व कॉन्ग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा पर

नोट :

बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई, 1951 को राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने चितौड़गढ़ सैनिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। भौतिक शास्त्र से स्नातक डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने राजस्थान से ही वकालत की डिग्री हासिल कीऔर राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की। वर्ष 1989 में वह पहली बार राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा की सीट से सांसद चुने गए थे। वर्ष 1990 में वह संसदीय राज्यमंत्री बने। वर्ष 1993 में अजमेर ज़िले के किशनगढ़ विधानसभा से राजस्थान विधानसभा के लिये चुने गए। वर्ष 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है।

बढ़े चलो अभियान

आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने भारत के अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ने और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से "बढ़े चलो अभियान" की शुरुआत की है। यह अभियान 5 अगस्त से 10 अगस्त, 2022 तक 10 शहरों में प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है जिसका ग्रैंड फिनाले 12 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। बढ़े चलो अभियान का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्र के युवाओं एवं लोगों को एक मंच पर लाना है। इसके तहत झलक नृत्य या फ्लैश डांस की सुविधा होगी, जिसमें नर्तक "युवा गान" पर प्रदर्शन करेंगे। 'युवा गान' गीत को 'बढ़े चलो' की थीम पर लिखा और कंपोज़ किया गया है। जो लोगों को आगे आने तथा अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिये प्रोत्साहित करता है, साथ ही अमृत महोत्सव के संदेश और भावना का भी प्रसार करता है। केंद्र सरकार ने प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, उपलब्धियों एवं उसके लोगों के गौरवशाली इतिहास को मनाने हेतु आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल शुरू की थी।

आठवाँ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

07 अगस्त, 2022 को देशभर में आठवाँ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है। इसके अलावा यह दिवस भारत की हथकरघा विरासत की रक्षा करने व हथकरघा बुनकरों एवं श्रमिकों को अधिक अवसर प्रदान करने पर भी ज़ोर देता है। इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिये चुना गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिये वर्ष 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाऊन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई थी। तकरीबन एक सदी तक इस दिवस के महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा पहले 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' का उद्घाटन किया गया। ज्ञात हो कि भारत का हथकरघा क्षेत्र देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत की सॉफ्ट पावर को लंबे समय से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा समर्थन दिया गया है। 'खादी डिप्लोमेसी' इसी का एक उदाहरण है। भारत में कपड़ा एवं हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद लोगों के लिये रोज़गार व आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 'चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना' (2019-20) के अनुसार, 31.45 लाख परिवार हथकरघा, बुनाई तथा संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं।

हिम ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम

भारतीय सेना ने 8 अगस्त, 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य सीमा पर सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ-प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिये भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच पारस्परिक सहयोग से संचालित किया जाएगा। ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये प्रयुक्त एक आम शब्द है। मानव रहित विमान के तीन उप-सेट हैं- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (Remotely Piloted Aircraft), ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट (Autonomous Aircraft) और मॉडल एयरक्राफ्ट (Model Aircraft)। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लिंक तथा अन्य घटक होते हैं। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड एवं कंट्रोल लिंक तथा अन्य घटक होते हैं। ड्रोन को उनके वज़न के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है-: नैनो- 250 ग्राम से कम, माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किग्रा. तक, स्माल- 2 किग्रा. से 25 किग्रा. तक, मीडियम- 25 किग्रा. से 150 किग्रा. तक, लार्ज- 150 किग्रा. से अधिक।

'परवाज़' मार्केट लिंकेज योजना

अभिनव मार्केट लिंकेज योजना परवाज़ में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने की बेहतर क्षमता है। सरकार ने यह योजना जम्मू-कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्र की बाज़ार तक पहुँच आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के फलों को हवाई मार्ग से भेजने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण लाभ के

नोट :

माध्यम से दी जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी 'जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम' नियमित रूप से इस योजना के बारे में किसानों को जागरूक कर रही है, ताकि बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ उठा सकें। योजना से संबंधित कार्यों को आसान बनाया गया है और सब्सिडी का भुगतान समय पर किया जा रहा है। इस योजना से किसानों की आय दोगुनी करके उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों की उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

'डिफेंस एक्सपो-2022'

भू-आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी 'डिफेंस एक्सपो' (डेफएक्सपो-2022) का 12वाँ संस्करण 18-22 अक्तूबर, 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस पाँच दिवसीय कार्यक्रम में तीन व्यावसायिक दिनों के बाद शेष दो दिन आम जनता के लिये समर्पित होंगे। इस दौरान साबरमती रिवर फ्रंट में सशस्त्र बलों और उद्योग जगत के उपकरणों एवं कौशल का प्रदर्शन सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी तथा समेकित प्रयासों के माध्यम से किया जाएगा। डेफएक्सपो-2022 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वर्ष 2025 तक 5 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। रक्षा क्षेत्र में यह एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रतिभागियों के समक्ष आ रही लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं के कारण इसे मार्च 2022 में स्थगित कर दिया गया था। डेफएक्सपो-2022 में प्रतिभागियों को अपने उपकरणों और प्लेटफॉर्मों को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही यह व्यावसायिक साझेदारी बनाने के लिये भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार और क्षमताओं का पता लगाने में भी सक्षम होगा। यह आयोजन निवेश को बढ़ावा देने, विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायता करेगा।

22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न

राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन 08 अगस्त को भारत ने चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त, 2022 तक बर्मिंघम (इंग्लैंड) में किया गया और 08 अगस्त, 2022 को भव्य समारोह के साथ समापन हुआ। 11 दिन तक चले इस आयोजन में 72 देशों के पाँच हज़ार से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह की शुरुआत सोहिल ओशन कलर सीन की संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुई। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज़ निकहत ज़रीन और टेबिल टेनिस खिलाडी अचंता शरत कमल ने किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, जबकि लक्ष्यसेन ने पुरुष एकल में विजय प्राप्त की। पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी तथा सात्विकसाईराज रनकीरेड्डी ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जी. साथियान ने पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को रजत पदक मिला। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया। विक्टोरिया प्रांत वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान रहा। भारतीय पहलवानों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 12 पदक जीते, भारोत्तोलन में 10 पदक मिले। ऑस्ट्रेलिया 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सहित कुल 178 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जबकि मेज़बान इंग्लैंड 175 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

75वाँ राष्ट्रीय स्थल: पादांग

सिंगापुर में 9 अगस्त, 2022 को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वाँ राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। पादांग से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने जुलाई 1943 में 'दिल्ली चलो' का नारा दिया था। सिंगापुर 9 अगस्त, 2022 को अपना 57वाँ राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। सिंगापुर के राष्ट्रीय धरोहर बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि सुदृढ़ राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्त्व के कारण पादांग को स्थल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है। पादांग का सिंगापुर में रह रहे भारतीय समुदाय के लिये विशेष महत्त्व है। यहाँ पर भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर स्थापित किया था। इस स्थल से नेताजी ने आज़ाद हिन्द फौज के हज़ारों सिपाहियों को कई बार संबोधित किया। युद्ध के बाद नेताजी ने पादांग के दक्षिण में आज़ाद हिन्द फौज स्मारक स्थल स्थापित किया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून, 1943 को पूर्वी एशिया आए। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद तथा इंडियन नेशनल आर्मी (INA) जिसे लोकप्रिय रूप से 'आज़ाद हिंद फौज' कहा जाता है, की कमान सौंपी गई। INA का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा द्वारा किया गया था, इसमें मलय (वर्तमान मलेशिया) अभियान एवं सिंगापुर में जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के सैनिक शामिल थे।

इथेनॉल संयंत्र

10 अगस्त, 2022 को प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के विभिन्न उपायों के अनुकूल है जो ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम एवं कुशल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। दूसरी पीढ़ी के इस इथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। यह परियोजना 'कचरे से कंचन' उत्पादित करने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इसके तहत लगभग दो लाख टन पराली से प्रतिवर्ष तीन करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जा

सकेगा और लगभग तीन लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है, जो प्रकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। इथेनॉल को गैसोलीन में मिलाकर यह कार चलाने के लिये आवश्यक पेट्रोल की मात्रा को कम कर सकता है जिससे आयातित महँगे और प्रदूषणकारी पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। इथेनॉल अपेक्षाकृत निम्न प्रदूषणकारी ईंधन है जो पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है।

विश्व शांति आयोग

मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज़ ओब्रेडॉर ने वैश्विक शांति के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, संयुक्तराष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस और पोप फ्राँसिस के तीन सदस्यीय आयोग बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की हैं। वैश्विक शांति आयोग के माध्यम से पूरे विश्व में युद्ध रोकने का प्रयास किया जायेगा। आयोग का उद्देश्य कम से कम पाँच वर्ष तक के लिये युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करना है। इस कदम से विश्वभर की सरकारों को अपने नागरिकों विशेषकर युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे लोगों को राहत पहुँचाने में मदद मिलेगी। युद्ध और युद्ध जैसी कार्रवाईयाँ रोकने का आह्वान करते हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने चीन, रूस और अमेरिका से शांति बहाली उपायों की अपील की है। दुनिया में पाँच वर्ष बिना तनाव एवं हिंसा के बीतेगा और शांति रहेगी। इससे युद्ध और उसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकेगा।

49वें मुख्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उदय उमेश ललित को देश का 49वाँ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायाधीश ललित 27 अगस्त, 2022 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश एन वी रमणा 26 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे।।न्यायाधीश उदय उमेश ललित को अगस्त 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायाधीश ललित ने दो कार्यकालों के लिये उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। 9 नवंबर, 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे, न्यायाधीश ललित को जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। जनवरी 1986 में सर्वोच्च न्यायालय आने से पहले उन्होंने दिसंबर 1985 तक बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत की। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है। केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

'लम्पी-प्रोवैक' वैक्सीन

कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 10 अगस्त, 2022 को पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिये स्वदेशी वैक्सीन लम्पी-प्रोवैक का शुभारंभ किया। इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इस अनुसंधान में बरेली स्थित इज्जतनगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने इस वैक्सीन को लम्पी स्किन डिजीज (LSD) के उन्मूलन हेतु मील का पत्थर बताया है। इस अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने सभी मानकों का पालन करते हुए शत-प्रतिशत प्रभावी वैक्सीन विकसित कर ली है। यह वैक्सीन LSD से निज़ात दिलाने में कारगर होगी। LSD मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिज़ीज़ वायरस (LSDV) के संक्रमण के कारण होता है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, LSD की मृत्यु दर 10% से कम है। इस बीमारी को पहली बार वर्ष 1929 में ज़ाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। प्रारंभ में यह ज़हर या कीड़े के काटने का अतिसंवेदनशील परिणाम माना जाता था। LSD मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों के काटने, कीड़ों (वैक्टर) के काटने से जानवरों में फैलता है। संक्रमण के लक्षणों में मुख्य रूप से बुखार, आँखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुँह से लार का टपकना शरीर पर छाले आ जाना शामिल है। इस रोग से पीड़ित पशु चारा खाना बंद कर देता है क्योंकि चारा खाने या जुगाली करने के दौरान उसे समस्या होती है, परिणामस्वरूप दुग्ध-उत्पादन में भी कमी आती है।

युवा संवाद 'इंडिया@2047'

शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री तथा युवा कार्य और खेल मंत्री 12 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @ 2047 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग चार सौ युवा भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत भारत, लोगों और उपलब्धियों के गौरवमय इतिहास तथा स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव के अंग के रूप में 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का सप्ताह (आइकॉनिक वीक) युवा कार्य और खेल मंत्रालय को आवंटित

नोट :

किया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिभागी युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्टीय महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएँगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले, 12 मार्च, 2021 को केंद्र सरकार नेआजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा।

महर्षि अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती

महर्षि अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 12 अगस्त, 2022 से 15 अगस्त, 2022 तक देश भर के 75 कारागारों में अरबिंदो के जीवन और दर्शन पर आधाारित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्री अरबिंदो के दर्शन, योग और ध्यान, साथ ही आत्मचिंतन और आत्मबोध के माध्यम से कैदियों के जीवन में सुधार लाना है। मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों के संचालन के लिये आध्यात्मिक विभूतियों और संगठनों के साथ भागीदारी की है। रामकृष्ण मिशन, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन और सत्संग फाउंडेशन सहित पाँच संगठनों को 12 से 15 अगस्त तक देश के 23 राज्यों की जेलों में योग, ध्यान और श्री अरबिंदो की शिक्षायें प्रदान करने के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अनुबंधित किया गया है। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह योगी, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उन्हें वर्ष 1908 (अलीपुर बम कांड) में कैद कर लिया गया था। पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। 5 दिसंबर, 1950 को पांडिचेरी में उनका निधन हो गया।

'खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग' (अंडर-16)

नई दिल्ली और लखनऊ में इस वर्ष के आरंभ में तीन चरणों में आयोजित किये गए खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग (अंडर-21) की सफलता के बाद, अंडर-16 लड़कियों के लिये उसी प्रकार की एक और लीग 16 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगी। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग (अंडर-16) का पहला चरण 16 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसके पहले चरण में कुल 56 मैच खेले जाएंगे और 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 'भारतीय खेल प्राधिकरण' ने प्रतियोगिता के 3 चरणों के लिये कुल 53.72 लाख रुपए आवंटित किये हैं। इस राशि में 15.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग (अंडर-16) का पहला चरण और दूसरा चरण राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। पहले 2 चरणों के पूरा होने के बाद टीमों की अंतिम रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। तीसरे चरण में अलग-अलग वर्गों में मैच आयोजित किये जाएँगे, जहाँ प्रत्येक टीम कम-से-कम 3 मैच खेलेगी। वर्तमान में केवल सीनियर वर्ग के लिये ही प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के रूप में अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से जूनियर और सब जूनियर स्तर पर महिला हॉकी में उनके पास इतनी संख्या में टूर्नामेंट और प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर नहीं हैं, जहाँ वे अपने हुनर को निखार सकें, आकलन कर सकें और अपनी प्रशिक्षण और क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। अत: खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग (अंडर-16) महिलाओं के लिये खेलों में बढ़ावा देने की दिशा में एक और प्रयास है, जो खेल प्रतियोगिताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रयास करता है।

पार्श्वगायक सुबन्ना

कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध पार्श्वगायक सुबन्ना का 11 अगस्त, 2022 को बंगलूरू में हृदयघात से निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। वह दशकों तक कन्नड़ संगीत की दुनिया में छाए रहे। सुबन्ना पहले कन्नड़ गायक थे, जिन्हें उनके गीत काडू कुडूर ओडि बेनडिटा के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रकवि कुवेम्पु द्वारा लिखित 'बारीसु कन्नड़ दिंडीमावा' गाने के बाद वह कर्नाटक में प्रसिद्ध हो गए। उन्हें सुगमा संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये जाना जाता है, यह एक शैली है जो कन्नड़ में कविता संगीत के लिये निर्धारित है। सुबन्ना ने कुवेम्पु एवं दा रा बेंद्रे जैसे प्रसिद्ध कवियों की कविताओं पर काम किया और गाया है तथा कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किये हैं। वह आकाशवाणी और दूरदर्शन के गायक भी थे और उन्होंने एक वकील के रूप में काम किया था।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 2022

युवाओं की समस्याओं को पहचानने और उन पर ध्यान दिलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में, लिस्बन में युवाओं के कल्याण के लिये ज़िम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, 2000 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र हर साल एक थीम तय करता है जो सभी वैश्विक समुदायों और नागरिकों के लिये प्रासंगिक है। वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम "अंतरपीढ़ीगत एकजुटता: सभी उम्र हेतु विश्व का निर्माण (Intergenerational solidarity: Creating a world for all ages)" है। हालाँकि युवा क्षमता को साकार करने संबंधी विभिन्न चुनौतियाँ मौजूद हैं, भारत की अल्प वित्तपोषित शिक्षा प्रणाली रोज़गार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिये युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु

अपर्याप्त अवसर है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महामारी के कारण स्कूल बंद होने से बच्चों के सीखने, जीवन और मानसिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सर्वेक्षण से पता चलता है कि विश्व में 65% किशोरों ने महामारी के दौरान कम सीखने की सूचना दी। बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, दुर्व्यवहार और तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, ये सभी मुद्दे युवा महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं।

'मीठी क्रांति (स्वीट रिवोल्यूशन)'

मधुमक्खी पालन और उससे संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रधानमंत्री की 'मीठी क्रांति (स्वीट रिवोल्यूशन)' की परिकल्पना के अनुरूप शहद की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिये केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और किसानों के सहयोग से देश भर में कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है। ऐसा ही एक कार्यक्रम चंडीगढ़ में निर्यातकों, हितधारकों और सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 'वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' के अंतर्गत 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)' द्वारा आयोजित किया जाना है जिसमें गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करके किसानों को शहद उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर शहद की प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर विशेषताओं और चीनी के एक स्वस्थ्य विकल्प के कारण इसकी खपत में कई गुना वृद्धि को देखते हुए APEDA का लक्ष्य अब नए देशों में गुणवत्ता उत्पादन और बाज़ार विस्तार सुनिश्चित करके शहद के निर्यात को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत का प्राकृतिक शहद निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाज़ार पर निर्भर है जो इस निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत पहल' के एक हिस्से के रूप में सरकार ने 'राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM)' के लिये तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23) की अवधि हेतु 500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंज़ूरी दी है।

दृष्टि The Vision

नोट :